



दृष्टे ।

- २२ । जमींदार के एक दफ्तीर हासिल करने का श्रम ।  
 एक दफ्तीर के सम्बन्धी विवरण ।
- २३ । नश्वर के एक जमीन के इस्तिमात की वाव ।
- २४ । नश्वर पर मातृगुणारी देने की वाव ।
- २५ । नश्वर की हिजाज वे-दफ्तीर से सिवाय उन हातों के कि जय  
 ब्रह्मण दियोगे जाय ।
- २६ । मनवे पर एक दफ्तीर किस की पहुंचना है ।  
 मातृगुणारी का वधान ।
- २७ । किस हात में मातृगुणारी प्राजिव और मुनासिब क्यास की  
 जायगी ।
- २८ । नकदी मातृगुणारी वधाने के लिए कैद या रोक ।
- २९ । कौठ-कौन की नू से मातृगुणारी वधाना ।
- ३० । नागिश की नू से मातृगुणारी वधाना ।
- ३१ । मामूरी सनह की बुनियाद पर मातृगुणारी वधाने की जिसका ज्ञाये ।
- ३२ । मात्र यदुजादे की ब्रह्म से मातृगुणारी वधाने का जिसका ज्ञाये ।
- ३३ । जमींदार की कोसिस से जमीन की विवाकण वेशी हादे के सवव  
 मातृगुणारी वधाने के ज्ञाये ।
- ३४ । जमीन की विवाकण दनिया के अस्त से वेशी हादे के सवव  
 मातृगुणारी वधाने के ज्ञाये ।
- ३५ । नागिश की नू से वधाने दुर्क मातृगुणारी प्राजिव गौर कर्नाव  
 स्वसाध होगी ।
- ३६ । कम से मातृगुणारी वधाने के तुकम देने का स्थिति ।
- ३७ । मातृगुणारी वधाने की नागिश वान वान दानव करने के एक का ।  
 मातृगुणारी घटाना ।
- ३८ । मातृगुणारी घटाना ।  
 निर्भूताना ।
- ३९ । धान प्यादे की राजनाम का निर्भूताना ।  
 वडो देना ।
- ४० । हम मातृगुणारी की जो निजम में जा के ।  
 वडोना या नाइकी की राजव नूरी नाइ ।

## द्वितीया वाच ।

गौरी दम्पतिकान् नश्यत् ।

- दशे ।  
 ४१ । येह वाच क्लिप्तः पत्न्यं आयत्तः होगा या भोग्या ।  
 ४२ । गौरी दम्पतिकान् नश्यत् की शूनू की मातृगुणानी ।  
 ४३ । मातृगुणानी वढाने की शूनू ।  
 ४४ । ब्रह्मणः जिन पत्न्यं गौरी दम्पतिकान् नश्यत् वे-दम्पती हो सकता है ।  
 ४५ । पट्टे की मियाहं प्पत्न्यं होवे की ब्रह्मणः से वे-दम्पती की शूनू ।  
 ४६ । मातृगुणानी वढाने से नानाजी की ब्रह्मणः वे-दम्पती की शूनू ।  
 ४७ । " जमीन पत्न्यं दम्पती पाया " इस को भगवत् ।

## सावित्री वाच ।

शिकमी नश्यत् ।

- ४८ । शिकमी नश्यत् से मातृगुणानी वसूठ काने की हृत् ।  
 ४९ । शिकमी नश्यत् की वे-दम्पती के विष्ट नोक्त ।

## आर्षिणी वाच ।

मातृगुणानी की निस्वर्ग आम कथ्यते ।

मातृगुणानी का गण्डः की निस्वर्ग कथास औन कथ्यते ।

- ५० । मातृगुणानी के मुकुन्दन होने की निस्वर्ग कथास औन कथ्यते ।  
 ५१ । मातृगुणानी की गण्डः औन जमीन नश्यत् की शूनू की निस्वर्ग कथास ।  
 ५२ । जमीन को नश्यत् वदन्ते पत्न्यं मातृगुणानी को वदन्ता ।  
 ५३ । जमीन को नश्यत् वदन्ते की निस्वर्ग मातृगुणानी को वदन्ता ।  
 ५४ । अथ मातृगुणानी ।  
 ५५ । मातृगुणानी की क्लिप्तः ।  
 ५६ । मातृगुणानी अथ काने के विष्ट ब्रह्मणः औन जगहः ।  
 ५७ । अथ हृत् मातृगुणानी की हिंसाव में ठाना ।  
 ५८ । नसीद औन हिंसाव ।  
 ५९ । मातृगुणानी जमीन को नश्यत् अथ काने के ब्रह्मणः नसीद पावे का हृत्कान है ।

दृष्टे ।

- ५७ । साठ श्राप्ती पर नश्वर धानिगु-भृगी या जमा वासिष्ठ वाकी का हिसाव पावे का हकदार है ।
- ५८ । नसीद और हिसाव न देने और उन की परं सानो न नथने के विषे साजा और पुनर्भाव ।
- ५९ । सनकाय नसीद और हिसाव वही का नमूना पश्चात् करने विकरी के विषे नथेगी ।
- ६० । रिजिस्ट्री लिखा हुआ भाठिऊ या कोनपतदाण या मुनएदिन की नसीद का असत ।

भाठगुजारी अदात में अमान नथना ।

- ६१ । अदात में भाठगुजारी अमान नथने के विषे दनप्यासण ।
- ६२ । अमान नथो भाठगुजारी की नसीद जो अदात से हो गई पकता सधार्क होगी ।
- ६३ । भाठगुजारी अमान होने का रशणिलान ।
- ६४ । अमान नथे रुपये का भदा होना या वापस देना ।

वाकी भाठगुजारी ।

- ६५ । द्वाभी हक दनियानी की जमीन या जोग, जो शतह मुकनत पर जोगी जागे है, या जिस पर हक दपठी है वाकी भाठगुजारी के विषे बोठाम हो जा सकगी है ।
- ६६ । और हाठणों में वाकी भाठगुजारी के विषे वे-दपठी ।
- ६७ । वाकी भाठगुजारी पर नूद ।
- ६८ । विठा वृजह माकूठ भाठगुजारी अदा न करने के विषे, या विठा सवव किसो मुददाअठेह पर वाठिग करने के विषे हतजा दिगवे का रपणियात ।

माउठो भाठगुजारी ।

- ६९ । पैदावार की कवरूण या वटार्क के विषे हुकम ।
- ७० । काय-नवार्क जहाँ अङ्कन मुकनत लिया जाए ।
- ७१ । जिनस पर दपठी का हक और जसोवदिही ।
- जमींदार वदठवे पर या दनियानी हक या जाग के रणकाल देने पर भाठगुजारी अदा करने को जसोवदिही ।
- ७२ । आसामो वस भाठगुजारी के विषे कि जो वस वे अगो जमींदार को विठा पावे रणिठा रणकाल के दिवा दा. वस अङ्कन के पाथ जसोव-देह व देगा कि जिसको भाठिऊ के जमींदार वे अपना हक दे दिवा ।

## छठा वाव ।

ग़ैर दम्पकान नश्यत ।

६६ ।

४१ । येह वाव किस पर आयद होगा या होगी ।

४२ । ग़ैर दम्पकान नश्यत की शूनू की माओजुफ़ानी ।

४३ । माओजुफ़ानी बढ़ाने की शूनू ।

४४ । ब्रजुहाण जिन पर ग़ैर दम्पकान नश्यत वे-दम्पक हो सकगा है ।

४५ । पट्टे की मियाद पुरम होने की ब्रजुह से वे-दम्पकी की शूनू ।

४६ । माओजुफ़ानी बढ़ाने से नानाजी की ब्रजुह वे-दम्पकी की शूनू ।

४७ । " ज़मीन पर दम्प पाया " इस का मतलब ।

## सातवां वाव ।

शिकमी नश्यत ।

४८ । शिकमी नश्यत से माओजुफ़ानी ब्रसूठ बनने की हद ।

४९ । शिकमी नश्यतों की वे-दम्पकी के लिए नोक ।

## आठवां वाव ।

माओजुफ़ानी की निस्वण आम क़ायदे ।

माओजुफ़ानी का ग़ादाद की निस्वण क़्यास और क़ायदे ।

५० । माओजुफ़ानी के मुक़ददर होने की निस्वण क़्यास और क़ायदे ।

५१ । माओजुफ़ानी की ग़ादाद और ज़मीन नश्यने की शूनू की निस्वण क़्यास ।

ज़मीन का नक़्वा वददे पर माओजुफ़ानी का वददना ।

५२ । ज़मीन का नक़्वा वददे की निस्वण माओजुफ़ानी का वददना ।

बदाय माओजुफ़ानी ।

५३ । माओजुफ़ानी की क़िसमें ।

५४ । माओजुफ़ानी बदा बनने के लिए ब्रजुह और ज़ाह ।

५५ । बदा हरे माओजुफ़ानी की तिस्राव में जाना ।

नसीद और तिस्राव ।

५६ । माओजुफ़ानी ज़मीन को रुपया बदा बनने के ब्रजुह नसीद पावे का इशारा है ।

दृष्टे ।

५७ । साठ आयुषी पर नश्यत ध्यानिगुण्यो या जमा वासिष्ठ वाक्छे का  
हिसाव पावे का हकदान है ।

५८ । नसीद और हिसाव न देवे और उन को परा सागी न न्यवे के ठिये  
सजा और छुनमावा ।

५९ । सनका नसीद और हिसाव वही का नमूना पश्यात करके विकरी  
के ठिये न्येगी ।

६० । नजिस्ती शिवा कुआ भाठिक या क्षानपतदाण या मुनरहिन को नसीद  
का असत ।

माठगुणारी अदाण में अमान न्यना ।

६१ । अदाण में माठगुणारी अमान न्यवे के ठिये दन्यासत ।

६२ । अमान न्यो माठगुणारी को नसीद जो अदाण से हो गई परका  
सथारि होगी ।

६३ । माठगुणारी अमान होवे का रक्षितदान ।

६४ । अमान न्ये रुपवे का अदा होना या वापस देना ।

वाक्छे माठगुणारी ।

६५ । दक्षमी हक दानियावी को जमोन या जोग, जो शरह मुकनन पर  
जोगे जागे है, या जिस पर हक द्यो है वाक्छे माठगुणारी  
के ठिए बोठान हो जा सकगी है ।

६६ । और हाठगी में वाक्छे माठगुणारी के ठिए वे-द्यो ।

६७ । वाक्छे माठगुणारी पर नूद ।

६८ । विठा ब्रजह माकूठ माठगुणारी अदा न करवे के ठिए, या विठा सवव किसी  
मुददाथेठ पर वाठिस करवे के ठिये हनया विठवे का रपणियात ।

माठगे माठगुणारी ।

६९ । पैदादान को कनकूण या वटारि के ठिए हुकन ।

७० । कान-नवारि जहा अङ्गन मुकनन किया जाए ।

७१ । जिनन पर द्यो का हक और जत्रावदिही ।

जमीदान वठवे पर या दानियावी हक या जाण के रणकाठ लेवे पर  
माठगुणारी अदा करवे को जत्रावदिही ।

७२ । यासामी उम माठगुणारी के ठिए कि जो उम वे थगो जमीदान को  
विठा पावे रणिका रणकाठ के दिया दा. उम अङ्गन के पाथ जत्राव-  
देह लोगी कि जिस को नाविक के जमीदान वे अथवा हक है दिया ।



दखे ।

वे-दण्ड करना ।

८८ । सिद्ध ए शपथीय डिग्री के ज़रिये से आसामो की वे-दण्डो नही हो सकगी ।

पैमाश ।

८९ । ज़मींदार का हक ज़मीन पैमाश करने का ।

९० । नश्वर पर हाज़िर होने का और यौहदो वग़ावो का हुकूम अदातार सादिन कर सकगी है ।

९१ । पैमाश का पैमाना ।

मवेजत ।

९२ । शरीकदारो से ज़ाव ग़व करने का शपुगियान कि शपमाठी मवेजत मुक़रर करने में क़या उज़र है ।

९३ । उज़र नही दिख़ावो से शपमाठी मवेजत मुक़रर करने के ढिये हुकूम देवे का शपुगियान ।

९४ । हुकूम ग़ामीत न होने से मवेजत मुक़रर करने का शपुगियान ।

९५ । पिछठे दखे के क़ठाण ( व ) की नू से हर मुक़दमे में काम करने के ढिए किसी शपुस को नामजद करने का शपुगियान ।

९६ । कोर्ट आश व़ाउंस ऐक सन १८७५ ई० कोर्ट आश व़ाउंस के शपुगियाम पर आयद होजा या ठोजा ।

९७ । वह शरुंगो जो मवेजत पर आयद होजी ।

९८ । शपुगियाम का काम शरीक माठिको के हाथ में वापस देवे का शपुगियान ।

९९ । क़ायदो वग़ावो का शपुगियान ।

दसनां वाव ।

नूयदाह हक़क और माठगुज़ारी का वद-ओ-वशर ।

१०० । नूयदाह हक़क वशरान करने और ज़मीन की पैमाश करने के ढिये हुकूम देवे का शपुगियान ।

१०१ । कौन २ मनागिव नूयदाह में मुवदतज़ होजी ।

१०२ । माठिक या दामियानी हक़दार की दनपुशर पर अइसर माठ (नेवज़िजे अइसर) का गइसीठ ढियवे का शपुगियान ।

१०३ । माठगुज़ारी के इहाने और कठमवद करने को कान-नवाह ।



६३ ।

७३ । एक दम्पती की जोग इतिहास होने पर मातृगुणों के विषे ज्ञान-  
विही ।

वे-भक्ति अथवाय जगिनह ।

७४ । अथवाय जगिनह भक्ति के विनाश है ।

७५ । जो मातृगुणों का विनाश अथवा जेभाई रूपया जर्मोदान विनाश भक्ति  
थासामी से वे उस के लिए साजा ।

### नर्त्तन वाच ।

जर्मोदान और थासामी के विषे ज्ञानाथ मुण्डनता ।

जर्मोव की विद्यालय बढ़ाना या सुधानवे का सामान करना ।

७६ । जर्मोव की विद्यालय बढ़ाने की गतीय ।

७७ । अथ मुकनुन पर जर्मोव न्यवे की हाठ में, और जहाँ एक दम्प  
है, उन हाठों में जर्मोव की विद्यालय बढ़ाने का एक ।

७८ । साहित्य जगिनह जर्मोव की विद्यालय बढ़ाने के एक के बारे में  
सेसठा करने ।

७९ । एक दम्पती न होने की हाठ में जर्मोव की विद्यालय बढ़ाने का एक ।

८० । जर्मोदान की कोशिश से जो जर्मोव की विद्यालय बढ़ा है उस की  
नजिस्ती ।

८१ । जर्मोव की विद्यालय बढ़ाने की निस्वण सुबू कठमवनह होने की  
हन्यासा ।

८२ । अथ को कोशिश से जो जर्मोव की विद्यालय बढ़ा है उस के विषे  
गठाथी ।

८३ । गठाथी विद्याले के ज्ञाने ।

मकान वनावे और और कामों के विषे जर्मोव हासिठ करना ।

८४ । मकान वनावे और दूसरे कामों के विषे जर्मोव हासिठ करना ।  
शिकमी पढ़ा देना ।

८५ । शिकमी पढ़ा देने के विषे है ।

इसगीथा देना और जर्मोव छोड़ देना ।

८६ । इसगीथा देना ।

८७ । जर्मोव छोड़ देना ।

जोग की एकसीम करना ।

८८ । अथ विद्या मगजूनी जर्मोदान जोग एकसीम किया जाय तो वह  
उस का पावनह न होगा ।

दृष्टे ।

वे-द्वय काना ।

८८ । सिद्ध रणनीय डिग्री के प्रिये से आसामी की वे-द्वयी वहाँ हो सकगी ।

पैमाश्र ।

८९ । प्रमोदान का एक प्रमोव पैमाश्र करने का ।

९० । नश्रप पर हाण्डर होने का और औरद्वी वगैरों का हुकम अक्षर सादिन कर सकगी है ।

९१ । पैमाश्र का पैमाना ।

मवेजन ।

९३ । शरीकदारों से जवाब गठव करने का श्यगियान कि रणमाठी मवेजन मुकनन करने में क्या उण्डर है ।

९४ । उण्डर नहीं दिखाने से रणमाठी मवेजन मुकनन करने के विषे हुकम देने का श्यगियान ।

९५ । हुकम गामोठ व होने से मवेजन मुकनन करने का श्यगियान ।

९६ । पिच्छे दृष्टे के कठण ( व ) को नू से हन मुकदमे में काम करने के विषे किन्ही श्यस की नामजद करने का श्यगियान ।

९७ । कोर्ट आथ वार्डस ऐक सन १८७५ ई० कोर्ट आथ वार्डस के रणगणाम पर आयद होजा या ठोजा ।

९८ । वर शनों जो मवेजन पर आयद होंगी ।

९९ । रणगणाम का काम शरीक भाठिकों के हाथ में वापस देने का श्यगियान ।

१०० । कायदा वगैरों का श्यगियान ।

दस्तावाव ।

नूयदद हकुक और भाठगुणारी का वन्द-धो-वग्ण ।

१०१ । नूयदद हकुक वरमान करने और प्रमोव की पैमाश्र करने के विषे हुकम देने का श्यगियान ।

१०२ । कौन व मनागिव नूयदद में मुकदमण होजा ।

१०३ । भाठिक या दानियानी हकदार की दनुषासण पर अक्षर माठ (नेत्रनिजे अक्षर) का गदसीठ विषये का श्यगियान ।

१०४ । भाठगुणारी के इनावे और कठमवन्द करने की कान-नदर ।

दश १

- १०५ १ हकीं के नूयदाद का मुशगहल करना ।
- १०६ १ नूयदाद की मदीं की गिसवण गकतान की हाठण में कान-नवाई ।
- १०७ १ भाठ के अथुसन ( गेवगिज अथुसन ) की कान-नवाई ।
- १०८ १ अथुसन भाठ ( गेवगिज अथुसन ) के छेसठे की अपीठ ।
- १०९ १ नूयदाद की वरु मदे जिण के ठिये कुष् हगाड़ा नहीं है सुवूण करायन होगी ।
- ११० १ किस गानीषु से भाठगुणानी का वन्द-ओ-वसन जारी होगी ।
- १११ १ गा पश्चानी नूयदाद दोत्रानी अहाठण में मुकदमा जुणू या छेसठ नहीं हो सकता ।
- ११२ १ प्यास हाठणों में प्यास वन्द-ओ-वसन करने के ठिये हुकम देने का इम्पियान ।
- ११३ १ किस अन्से एक भाठगुणानी जो उहनाई गई है बिठा गवदीठी वहाठ रहेगी ।
- ११४ १ इस वाव की नू से कान-नवाई का प्ययी ।
- ११५ १ भाठगुणानी के मुकतान होने का क्यास उस दरमियानी हक पर नहीं होगा जिस के ठिये नूयदाद पश्चान हुआ है ।

ग्यानहवां वाव ।

भाठिक की जिण द्युठी जमीन की नूयदाद ।

- ११६ १ प्यतान जमीन की गिसवण वयात्र या इस्तगिसना ।
- ११७ १ सनकान को येह इम्पियान है कि भाठिक की जिण जमीनों की पैमास करने थीर उन के कठमवन्द करने का हुकम है ।
- ११८ १ अथुसन भाठ को येह इम्पियान है कि भाठिक या आसाभी की दरप्यासन पर उन की जिण जमीनों को कठमवन्द करे ।
- ११९ १ जिण जमीन के कठमवन्द करने के ठिये कान-नवाई ।
- १२० १ भाठिक की जिण जमीन की गणनीण करने के ठिये कायदे ।

वानहवां वाव ।

कुर्ती ।

- १२१ १ जिण हाठणों में कुर्ती के ठिये दरप्यासन हो जा सकती है ।
- १२२ १ दरप्यासन का नतूना ।
- १२३ १ दरप्यासन हाठणों में पर कान-नवाई ।

- १२४ । कुर्की के हुकम की गामोठ ।
- १२५ । गठवी और हिसाब की रफ्तार ।
- १२६ । इसठ काटवे वजौनह कनवे का हुकम ।
- १२७ । जन गठवी अदा न होवे से बीठानी रक्षिधान जानी किया जायगा ।
- १२८ । बीठाम की जगह ।
- १२९ । कव इसठ षडी बीठाम हो सकगी है ।
- १३० । बीठाम का जावना ।
- १३१ । बीठाम की मुठगवी नयना ।
- १३२ । भोठ के रुपये का अदा कनवा ।
- १३३ । पुरीदान की सन्टिश्मेट दिया जायगा ।
- १३४ । जन बीठाम किस पनह पसुनुथु होगा ।
- १३५ । वाण अयुस पुरीद वही कन सकगे है ।
- १३६ । बीठाम के आगे गठवी अदा होवे से कान-नवार ।
- १३७ । वह रुपया कि अपवे पट्टे देवे-वाठे के विष्ट शिकमी आसामी ने अदा किया है भाठगुजानी से मुजना हो सकगा है ।
- १३८ । जमोदान भाथीक और जमोदान भागहर के हकुक का ह्याडा ।
- १३९ । इस भाठ की कुर्की जो जवगी गठे है ।
- १४० । वे-अरिव कुर्की के विष्ट हनजा पावे की वाठिय ।
- १४१ । वाण हाठगों में कुर्की का हुकम देवे के विष्ट ठीकठ गवर्वमेठ्ट का रफ्तार ।
- १४२ । कायदा ववादे के विष्टे हार् कोट का रफ्तार ।

### गैरहवां वाव ।

अदागणी कान-नवार ।

- १४३ । अरिव कान-नवार होधानी की जमोदान और कासना के दननियाण के मुकदमाए ने गननाम कनवे का रफ्तार ।
- १४४ । इस सेज की नू से की हुर् कान-नवार ने हठ रफ्तार ।
- १४५ । वायव या गुमारगे कानपनवाण कनहे रफ्तार ।
- १४६ । मुकदमों का पास नजिरत ।
- १४७ । भाठगुजानी के मुकदमाए जो हक वद हुकमे के दानद गिये जाते हैं ।
- १४८ । भाठगुजानी के मुकदमों ने कान-नवार ।

६६ १

१४८ १ जो रुपया गोसने शर्षसं को अदा करने के लिये क्वोर किया ।  
उस को अदाकरण में अदा करना ।

१५० १ अदाकरण में उक्त रुपये को अदा करना जो जमींदार को वाजिब-  
अदा क्वोर किया गया है ।

१५१ १ रुपये के एक छुण अदा करने की शर्त ।

१५२ १ अदाकरण नसीब देनी ।

१५३ १ माठगुजारी के मुकदमों में अपील ।

१५४ १ किस पानीय से माठगुजारी बढ़ाने की डिगरी का अंशन होना

१५५ १ जवगी मिठकियत का शोषण ।

१५६ १ वे-दण्ड किये हुए नश्यत के हक छसठ और जमीन की निस-  
जो बोने के लिये पश्यान की गई है ।

१५७ १ वे-दण्डों के एकज वाजिब माठगुजारी मुकदम करने का अदा-  
का शर्षियात ।

१५८ १ जमीन नश्यते के अहवाल मुकदम करने के लिये दण्डासन ।

यौदहरां वाव ।

वाकी माठगुजारी की डिगरी जारी का नोठाम ।

- १५९ १ दैन को नद करने का आम शर्षियात पुरोदान का ।
- १६० १ वंशिये हुए हक ।
- १६१ १ "दैन" और "नजिस्ती की हुई और मुशगहन दैन के भावे" ।
- १६२ १ दरमियागी हक या जोग के नोठाम के लिये दण्डासन ।
- १६३ १ जवगी का हुकम और नोठामी शर्षियात एक साथ जारी होणे ।
- १६४ १ नजिस्ती की हुई और मुशगहन दैन को वाज नश्य के दरमियागी  
हक या जोग का नोठाम और उस को पासोन ।
- १६५ १ दैन को नद करने के शर्षियात के साथ दरमियागी हक या जोग  
का नोठाम और उस की पासोन ।
- १६६ १ दैन को नद करने के शर्षियात के साथ दण्डों जोग का नोठाम  
और उस की पासोन ।

१६७ १ पिच्छे दण्डों की नू से दैन को नद करने की तान-नधार ।

१६८ १ पेश हुकम देने का शर्षियात कि दण्डों जोग पिच्छे दण्डों की नू से  
दरमियागी हक के गौर पर मुशरीफत होकर काम में आवे ।

दृष्टे ।

१६६ । गसुंख जन नोठाम के कायदे ।

१७० । दनमियावी हक या जोग कुर्की से सिखे उस हाठन में निहारि  
पावेगा कि जन डिजानी धर्ये के साथ अदाठन में दायिम होगा  
या जव कि डिजानीदान वसूठी क्यूठ कनेगा ।

१७१ । नोठाम मौकूथ नयने के ठिये अदाठन में अदा किया हुआ रुपया  
वाण हाठनों में दनमियावी हक या जोग पन जन नेहन होगा ।

१७२ । आसामी भागहन जो रुपया अदाठन में अदा कने भाठगुजानी से  
मुजनी कन सकना है ।

१७३ । डिजानीदान नोठाम में डाक वोठ सकना हे पन मध्यून नहीं  
वोठ सकना ।

१७४ । नोठाम नद कने के ठिये मध्यून की दनप्यासन ।

१७५ । दैन पैदा कने-वाठे वाण दसगात्रियों की नजिस्ती ।

१७६ । प्रभोदान के यहा दैन को रगिठा ।

१७७ । दैन पैदा कने का रगिधान नहीं बढ़ाया गया ।

### पदहनहवां वाव ।

क्रीठ-कनान और निवाण ।

१७८ । क्रीठ-कनान के प्रतिपे से इस ऐक का सगों के वे-कान कने  
पन कैद ।

१७९ । दशमी मुकनरी पट्टा ।

१८० । उगवन्दी यन और दिशानी प्रभोव ।

१८१ । याकनान प्रभोव की रसगिसना ।

१८२ । वसगिर प्रभोव ।

१८३ । निवाण-मुठक की रसगिसना ।

### सोठहवां वाव ।

गमादी ।

१८४ । गोसने सिडुठ में मुनदनजे मुकड्डेमे मपीठ और दनप्यासन की  
गमादी ।

१८५ । रन्डियन विनिटेसन ऐक से कोव फडाव ऐमे मुकड्डेमे प्रभोव  
पन बावद नहीं होगे ।

६६ ।

१५८ । जो रुपय गीधने कंध को बघ करते कृष्ण कृष्ण सिवा अरु  
रुध को बघाएन में बघ बनवा ।

१५९ । बघाएन में रुध रुपये का बघ बनवा जो कर्मोदान को बाधित-अ  
बघ कृष्ण सिवा अवा है ।

१६० । रुपये के एक छुज बघ बनवे को अरे ।  
१६१ । बघाएन नभोद छोी ।

१६२ । भाग्युजातो के मुकन्द्यो में बरीग ।  
१६३ । मित्र पारोत से भाग्युजातो बडावे को दिखी का बंधन हैखा ।

१६४ । जवपी निगमिषण का गजा ।  
१६५ । वे-द्वेष्टि हिये हृद नवप के हृद कृष्ण बीर जमीन को मित्र  
जो बोवे के हिये पशान को अरे है ।

१६६ । वे-द्वेष्टि के दरल शोखन भाग्युजातो मुकन्द बनवे का बघाए  
का इच्छिधान ।

१६७ । जमीन नववे के बंधाउ मुकन्द बनवे के हिये ल्याकर ।

वैदहवां पान ।

कने भाग्युजातो को दिखी जातो का वोगन ।

१६८ । ह्व को नः बनवे का बान इच्छिधान पुरोवर का ।  
१६९ । बंधाये हृद हृ ।

१७० । "ह्व" और "निल्ली" को हृद और मुकण्ड ह्व के भावे" ।  
१७१ । दरमिषापी हृद या जोष के वोगन के हिये इच्छिधान ।

१७२ । जवपी का हृद और वोगतो इच्छिधान एक अरु जातो हरे ।  
१७३ । निल्ली को हृद और मुकण्ड ह्व को वान नव के दरमिषापी  
हृद या जोष का वोगन और रुध को पारोत ।

१७४ । ह्व को नः बनवे के इच्छिधान के बाद दरमिषापी हृद या जोष  
का वोगन और रुध को पारोत ।

१७५ । ह्व को नः बनवे के इच्छिधान के बाद ह्वो जोष का वोगन  
और रुध को पारोत ।

१७६ । सिक्के ह्वो को नू से ह्व को नः बनवे को बान-नधार ।  
१७७ । ये हृद ह्वे का इच्छिधान कि ह्वो जोष सिक्के ह्वो को नू से  
दरमिषापी हृद के वीर पर मुकण्ड ह्वे का वान में भावे ।

है ।

- १६६ । गसुंभुषण जन गोठाम के कायदे ।
- १७० । इनमियावी हक या जोग कुर्की से सिंघे उस हाठण में निहाई पावेगा कि जन डिजारी प्यरे के साथ अदाठण में दायिम होगा या जब कि डिजारीदान वसूली कबूठ कजेगा ।
- १७१ । गोठाम मौकूथ नयने के ठिये अदाठण में अदा किया हुआ रुपया वाण हाठणों में इनमियावी हक या जोग पर जन रेहन होगा ।
- १७२ । आसामी भागएण जो रुपया अदाठण में अदा कने माठगुणारी से मुणना कर सकगा है ।
- १७३ । डिजारीदान गोठाम में डाक वोठ सकगा हे पर मध्युन नहीं वोठ सकगा ।
- १७४ । गोठाम नद कने के ठिये मध्युन की इनप्यासन ।
- १७५ । दैन पेदा कने-वाठे वाण दसावेणों की नणिस्टी ।
- १७६ । प्रभोदान के यहा दैन की शणित ।
- १७७ । दैन पैदा कने का श्यणियान नहीं बढ़ाया गया ।

पलदनहवां वाव ।

कोठ-कनान और निवाण ।

- १७८ । कोठ-कनान के जिनिये से इस ऐक को अगों के वे-कान कने पर कैद ।
- १७९ । दवाभी मुकननी पट्टा ।
- १८० । उगवन्दी यन और दिथाना जमीन ।
- १८१ । याकनान जमीन की शणिसना ।
- १८२ । वसणिय जमीन ।
- १८३ । निवाण-मुठक की शणिसना ।

सोठहवां वाव ।

गमादी ।

- १८४ । गोसने सिडूठ में मुनदनजे मुकड्डेमे अपीठ और इनप्यासन को गमादी ।
- १८५ । शिव्यन ठिमिटेसन ऐक के जीव द्वाण ऐसे ...



# सामान्य वाच्य

परिभाषा

संज्ञा

६३

१८६। पैदावार में अरिज के वनस्पिठाशु दसप-अनवांजी करने की सजा ।  
जमींदारों के एजेण्ट और कानपनदाजों

१८७। कानपनदाज के मानशुण जमींदार को काम करने का श्युगियान ।

१८८। शरीकदान जमींदार शजमाठन या मानशुण कानपनदाज शजमाठो काम करने जों ।

कायदे इस ऐक की नू से ।

१८९। कान-नवाइ अशुसरी के श्युगियान और शजनाय इसगिहान के वाने में कायदे वनावे का श्युगियान ।

१९०। कायदों के वनावे और उन के मसहून करने और मजदूर करने की कान-नवाइ ।

मियादी वन्द-ओ-वसगी शजठा के ठिये शनूगे ।

१९१। उस जमीन को इसगिसना जो मियादी वन्द-ओ-वसगी के जिठे में बाके है ।

१९२। अनकारी जमा का नया वन्द-ओ-वसगी होने से भाठगुजारी वन्दणे का श्युगियान ।

यनगारह जजिनह के हक ।

१९३। यनगारह के हक वनकन जजिनह ।

उन शनूगों के ठिये बयान कि जिन को जमींदार पावनह है ।

१९४। सामानो अर ऐक की नू से उन शनूगों को नहीं तोड़ सकना जिन का जमींदार पावनह है ।

घाम ऐली का बयाना ।

१९५। घाम ऐली के ठिये इसगिसना ।

मजदूर की मजदूरी ।

१९६। जो पैसु ठगरन-अवदन वंजारे शजठाम कीगिठि इस के वादे कामा करने उन पर ठेकाज करने पैस ऐक पड़ा जायगा ।

जिदुद हक-रसों को मजदूरी ।

जिदुद हक-रसों को मजदूरी और जिदुद हक-रसों के मजदूरी ।

जिदुद हक-रसों को मजदूरी ।

# वंजाठे की प्रभौत नयने की आरंभ ।

पहला वाक पहली वागे ।

येह एक ऐक है ऐसे वाण ऐसों की गनमीम और एकटा करने के लिए, जो आरंभ प्रभौदान और आसामी से ऐसे मुठक के भोगन, जिस का वनद-ओ-वसण ठसठनट-जवनन साखि वहाहुन वंजाठा करते है, जिसवण नयने है—

यू के येह मुनासिब भाभूम होगा है, कि वर यवद ऐक जो आरंभ प्रभौदान और आसामी से उस मुठक के भोगन, जिस का वनद-ओ-वसण ठसठनट-जवनन साखि वहाहुन वंजाठा करते है, जिसवण नयने है, गनमीम और एकटा किए जाये, इस लिए आगे वगारे दुई आरंभ वगारे जागे है ।

## पहला वाक ।

पहली वागे ।

१। (१) इस आरंभ को वंजाठे की प्रभौत नयने की आरंभ सब एव्य सह सजगे है ।

मुयगसर नाम ।

(२) येह ऐसे दिन से जानी होगी (जो इस के पीछे इस ऐक के जानी होने का दिन कहलाया जायगा) कि ठोकठ जवनमेवट, जवनन-जेवनेठ साखि वहाहुन एणठस कौनमिठ की मगपुनी पठे हसिठ करने, ठोकठ जणठ में इरिणदान काय कर, इस काम के लिए उर्राए ।

जानोहीमेकीपानीया

(३) येह आरंभ अपने कसन से उन सब जगरो में जानी होगी, जिन का वनद-ओ-वसण ठसठनट-जवनन साखि वहाहुन वंजाठा करते है, पर सब जठकणठ, उडोका गोजन और उन किरिनसण किए हुए (किडठ) जठों को उकर कि किडठ जठों के ऐक सब एव्य इरिठो के पठे डठ के गीरुने जग्गे में वगाए गए है, और ठेठठ जवनमेवट जवनन-जेवनेठ साखि वहाहुन एणठस कौनमिठ ने मगपुनी पठे ठेकर ठोकठ जणठ में इरिणदान काय

जिस जिस जठों में जानी होगा ।

कन. यह सारा ऐल या कोई इस का हिस्सा उड़ीसा डिप्रीजन में या उस के किसी हिस्से में जानी कर सकती है।

६ होना।

२। (१) वह ऐल जो इस के साथ उगाए हुए पहले सिडू में विप्राए गए हैं, उन जगहों के विपे नए किए गए हैं जिन में यह ऐल अपने असर से काम में आता है।

(२) जब यह ऐल उड़ीसा डिप्रीजन में या उस के किसी हिस्से में जानी किया जाए, तो उन भाइनों में से ऐसे जो उस डिप्रीजन में या उस के हिस्से में जानी हैं, या जहाँ इस ऐल का सिद्ध एक हिस्सा उस तरह से जानी किया जाए, तो उन भाइनों में से ऐसे, जो उस हिस्से के वधिवायु हैं, उस डिप्रीजन या उस के हिस्से के विपे नए किए जाएंगे।

(३) कोई भाई या हस्ताभेजा, कि उस भाई से निस्वयन नपपा है जो इस को नू से नए की गई है, ऐसा समझा जाएगा, कि इस ऐल से या उस के जीत मुनासिब हिस्से से पकड़वक नपपा है।

(४) इस भाई को नू से किसी और भाई का नए होना किसी एक, बिनकान, मुसामना, या बाग को जो इस ऐल के जानी होने के प्रकृत समझ में नहीं है, या बनी हुई नहीं है, शिव कायन न करेगा।

३। इस भाई में जो मगध और कनोले से कुछ उठा न हो गो-

(१) मगध से वह जानी समझा जागी है जो एक बा के गठे अरकानो जमा करी करने-प्राणो और मुसामना करने के ऐसे, कान नजिअरों में उठिया हुई है जिनको उठने के कउचर ने एक प्रकृत के भाई को नू से बना करवा है, और एक से अकरी प्राम मगध की समझा उठा है और अरकानो मगधजानो से मुसामना जानी का एक नजिअर के मुसामना करी है।

(२) कोई एक के एक ऐसे अरकानो समझा जागी है जो के एक मगध या मगध के हिस्से एक करवा नअरकानो से, जो के करी, क करवा के जो एक करवा नउरों के हिस्से है

(३) क करवा के ऐसा मगध समझा जागी है जो दुसरे मगध के क करवा मगध के मगध के, क, क एक मगध के

के लिए उस आदमी को माओजुआनी अदा करने के लिए  
जवाब-देह है, या कोई धास भीआहदा न किया जाया तो  
जवाब-देह होगा ।

(४) जर्मोदान से ऐसा आदमी समझा जाया है जिस  
के मागहन, विठा गलभुग और किसी शयस के, आसामो  
जमीन नयगा है, और उस में रुकान भी शामिल है ।

(५) माओजुआनी से ऐसी यीज समझी जाती है जो  
नुपया या जिसके को किसम से आसामो को, उस जमीन  
के रसगिमाठ या नयवे के लिए, जिसे आसामो नयगा है,  
अपने जर्मोदान के यहां आरिज की नू से अदा करना  
या देना चाहिए ।

रस ऐह के पोसने गिडुठ और १२ वें वाव के पठ  
से ६८ दश (दोनों शामिल) और ७२ से ७५ दश में  
माओजुआनी से वह नुपया भी समझा जाया है, जो  
उस वरुण के किसी आरिज की नू से वचुठ किया जा  
सकता है व-गीन माओजुआनी के ।

(६) "अदा करना" "अदा लिए जावे दासक" और  
"अदा होवे मे, जब वह माओजुआनी को गिनवर रसगिमाठ  
लिए जाएं, "देना" "लिए जावे दासक" और "दिवा  
जाया" शामिल है ।

(७) दनियानी एक से किसी दनियानी रुदान वा  
दुनी रुदान को एक समझा जाया है ।

(८) दसामी एक दनियानी से ऐसा दनियानी एक  
समझा जाया है जो मौनसी है और किसी उपाए हुए रूप  
के लिए नया नया गया है ।

(९) जोग से जमीन वा ऐसा एक वा कई एक से समझे  
जाते हैं जिस को कोई नयग नयगा है और वा एक शरी  
के अदान है ।

(१०) जोग से एक नयगा जमीन का समझा जाया है जो  
जोग के पैनास गीगन (जिसे कि कबके के कबके के लुई  
पेनुना तो के गीगन शामिल किया गया है) का एक एक  
नयगा नयगा वा किसी एक से एक नयग नयग नयग

है जिस को किसी भयानक वे, कि लोक गवर्नमेण्ट को पक्ष से इस काम के लिए मुकन्न किया गया है, वह करने ऐसी पहलीकाग अनुभवों ज्ञाया है, जो ऐसा शक्तिमान देकर को गई है, जिस को लोक गवर्नमेण्ट उन लोगों को शक्ति के लिए कायो समझते है, जो उस से पशुगत नप्यते है ।

(११) प्येरी के वनस से जहां वंजागी वनस यठना है वह वनस समझा जागा है कि वैसाय के पहिले दिन से शुरू होगा है और जहां इसकी या ममकी वनस जानी है, वह वनस कि धारण के पहिले दिन से ठागा है और जहां कोई और वनस प्येरी के काम के लिए यठना है तो वह वनस समझा जागा है ।

(१२) वनस-श्री-वसुण शक्तिमन्त्री से वंजागा, विद्या और उड़ीसा का द्वामी वनस-श्री-वसुण जो सन १८६० में किया गया था, समझा जागा है ।

(१३) वसुण मिठने में वे-वसुण और वसुण की नू से वसुण मिठना दोनों शामिल है ।

(१४) दसुणयण किए हुए में उस वरुण विद्या किया हुआ भी शामिल है, जब विद्या करने-वाला आदमी अपना नाम नहीं लिख सकता ; और इस में लिखन किए हुए आदमी के नाम का मुहर छापा हुआ भी शामिल है ।

(१५) ज्ञानाए हुए से, लोक गवर्नमेण्ट की पक्ष से शक्तिमान अनुकारी गण्ट में व्यापक वरुण वरुण पर ज्ञाया हुआ समझा जागा है ।

(१६) कठजान से कठजान जिसे या और ऐसा कोई शक्तिमान समझा जागा है, जिस को लोक गवर्नमेण्ट ने, इस ऐज की नू से, कठजान का शक्तिमान काम में ठाने के लिए मुकन्न किया है ।

(१७) शक्तिमान माठ (नेत्रेनि ज-शक्तिमान) से इस ऐज के किसी दृष्टि में ऐसा शक्तिमान समझा जागा है, जिस को लोक गवर्नमेण्ट नाम या उस के शक्ति को नू से शक्तिमान माठ का शक्तिमान उस दृष्टि की नू से, काम में ठाने के लिए मुकन्न करने ।

( १८ ) निजिस्त्री किए हुए से ऐसे किसी ऐज की नू से निजिस्त्री किया हुआ समझा जागा है, जो उस ब्रह्म वसगावेजों की निजिस्त्री के लिए जानी है ।

**दूसरी वाव ।**

आसाभित्री की-किसमें ।

४। इस ऐज के मतानिव के लिए आसाभी आगे विष्ठी हुई किसमें की होंगी, यावे :-

आसाभित्री की किसमें ।

( १ ) इनमियावी हकदान जिन में दनूवी हकदान शामिल है ।

( २ ) नश्यन-श्रीन

( ३ ) सिद्धि नश्यन, यावे ऐसे आसाभी जो विठा गवस्सुग या व-गवस्सुग दूखने के, नश्यनों के मागहन जोग नष्यते हैं, श्रीन आगे विष्ठी हुई किसमें के नश्यन, जैसे

( अ ) नश्यन जो शरह मुकनन पर जोग नष्यता है, जिस इवान में वह नश्यन शामिल है, जो माठगुजानी मुकनन पर, या एक मुकनन शरह माठगुजानी पर जोग नष्यता है ।

( व ) द्युठकान नश्यन, यावे ऐसे नश्यन जो अपनी नष्यो हुई जमीन पर हक द्युठो नष्यते हैं ।

( स ) जौन द्युठकान नश्यन, यावे वह नश्यन जो ऐसा हक द्युठो वही नष्यते हैं ।

पर जहाँ जोग का नकवा किसी आसाभी के द्युठ में कानूनी रू विधि से वड बन है, तो आसाभी उस ब्रह्म गक इनमियावी हकदान कृयास किया जाएगा जब गक कि उस के परिभाषा व द्युठगया जाए ।

इनमियावी हकदान श्रीन नश्यन के मावे ।

( १ ) इनमियावी हकदान से अलग में वह आदनी समझा जागा है, जिस वे किसी नाविक या श्रीन इनमियावी हकदान से माठगुजानी गहसोड करने के लिए, या उस पर नश्यन वसा बन उस को जोगवे के लिए, जमीन नष्ये का हक द्युठो किया है, श्रीन इस में ऐसे आसाभी के जानशेव भी शामिल हैं, जिन्होंने वे ऐसा हक पाया है ।

( २ ) नयन से मजदूरी में वह गणना समझा जागा है, जिस से आप या अपने घर के लोगों से, या किसी कला के वीरन की मानगण, या किसी क्लिप्त-दान की मजदूरी से जमीन जोगने के लिए हासिल की है, और इस में ऐसे शब्दों के जानयोग भी शामिल हैं, जहाँ वे ऐसा एक पाया है।

नसनेह-जहाँ जमीन की आसामी को उस के जोगने का एक है, तो ऐसा समझा जाया कि, उस के जोगने के लिए उस के नयने का एक हासिल किया है, अतः वह उस से उस की पैदावार रकूटा करने, या उस को भरेगी यनावे के लिए काम में लाए।

( ३ ) कोई आसामी नश्वर न समझा जाया, पर उस हाथ में कि जब वह किसी मासिक के या किसी दरमियानी हकदान के मागण, बिना वस्तु और किसी के जमीन नयना है,

( ४ ) इस वाक के उतारने के लिए कि आसामी दर-मियानी हकदान या नश्वर है, अतः आगे ठिप्पी हुई वागों पर लिखा करनेगी-

( अ ) जगह के निवाण पर; और

( व ) उस भगव पर जिस के लिए जमीन नयने का एक पहले हासिल किया गया था।

### गिसना वाव ।

दरमियानी हकदान ।

मागुजानी का बढ़ाना ।

है। जहाँ दरमियानी हक का दण्ड आसामी वन-ओ-वसण के प्रकण से यथा आया है, उस की मागुजानी नहीं बढ़ाई जा सकती है, पर आगे ठिप्पी हुई वागों के साथ हीने पर-

( अ ) कि वह जमीन जिस के मागण वह दरमियानी हक नया गया है, उस जगह के निवाण की नू से, या ऐसी शर्तों की नू से, जिन पर वह दरमियानी हक नया गया है, उस की मागुजानी बढ़ाने का हक नयना है।

यानी हक की नीजी रसगि-वृद्ध-ओ-वसण से यथा आया जाण हाणों में सकना है।

( व ) उस दनमिधानी हकदान के अपनी माओगुजानी ऐसे क्लिती सवव से जो दनमिधानी हक की जमीन के घटने से शोका नहीं नयपा है, घटाती है, और याही हक वढ़नी माओगुजानी अदा करने के लिए न्युए की ठारक क्लिती है, और उस को जमीन उस के देवे ठारक है ।

७। ( १ ) जब क्लिती दनमिधानी हकदान की माओगुजानी वढ़ाई जा सकती है, तो वह ऐसे कौठ-कान के मुआयिक क्लि जो दोनों पक्षों में हुआ है, उस मामूठी शरह की हए एक वढ़ाई जा सकती है, जो ऐसे शयसों से ठी जाती है क्लि उस के आस-पास में उसी पक्ष का दनमिधानी हक नयपा है ।

दनमिधानी हक की माओगुजानी वढ़ाने की हए ।

( २ ) अतः कोई ऐसी मामूठी शरह न हो, तो जपन वपाए हुए कौठ-कान के मुआयिक, वह उस हए एक वढ़ाई जा सकती है, जिसे अदाए व्राणिव और मुनासिव समझे ।

( ३ ) इस वाक की गजब्रीज करने के लिये क्लि, कौन सी हए व्राणिव और मुनासिव होगी, अदाए दनमिधानी हकदान को क्लिमा माओगुजानी से जो उस को अदा होवे ठारक है, माओगुजानी रकटा करने का अर्थ मुजरा करने के वाए जो कुछ वाकी वये, उस में से ए नुपए सैकडे से कम नया न देगी, और अगे लिये हक वागी पर लिहाज करनेगी ।

( ४ ) जिन हाठों में दनमिधानी हक पहले पहल शुरू हुआ जैसे क्लि, वह जमीन जो दनमिधानी हक में है, या उस का वहुगसा हिस्सा दनमिधानी हकदान के पनए से, या उस के अर्थ से, या उस के पहले हक नयपा-वागी की पक्ष से पहले जाया गया था, या नहीं और उस दनमिधानी हक के अडे करने पर अठानी का नुपेया दिया गया था या नहीं, और दनमिधानी हक को जमीन पहले अदाए करने के लिए वहुग कम माओगुजानी पर दिया गया था या नहीं, और



Handwritten text in a cursive script, likely a letter or document, written on aged paper. The text is dense and covers most of the page, with some lines appearing to be part of a list or numbered entries. The ink is dark, and the paper shows signs of wear and discoloration.

१२। (१) विक्रमी या वधशिस या नेहन की नू से किसी दवाभी हक दनमियाणी का शनिकाठ (जो नीठाम शननाए डिमी से, या पठनी या औन हक दनमियाणी से जिसवण नयणी हुई किसी शरिन के मुणविक संसनी नीठाम को नू से शनिकाठ करने से अठग है) सिध नजिस्ट्री किए ईए दसगावेण के जलिए से हो सकगा है।

दवाभी हक दनमियाणी को अयनी मर्जी एउदा करनी।

(२) नजिस्ट्री केवे-वाठा अथसन ऐसी किसी दसगावेण की नजिस्ट्री न करेगा, जिस के जलिए से कोई दवाभी कि दनमियाणी विक्रमी, वधशिस या नेहन की नू से शनिकाठ किया जागा है, जब तक उस को उस थोस के सिधाए जो उस वकण दसगावेणों की नजिस्ट्री के लिए मुनाअण ऐक की नू से दिया जागा है, तादाद मुकरन की गामीठी थोस औन अगे डिपी हुई तादाद की थोस (जो इस में पीछे से प्रमोदान की थोस कहारि जाएगो) न हो जाए, याजि-

(अ) जब दनमियाणी हक की प्रमीव के लिए माठगुजानी हो जागी है तो, दनमियाणी हक की प्रमीव का साठाना माठगुजानी पर सैकडे पीछे हो रुपए की थोस, व-शरुगे कि ऐसी थोस एक रुपए से कम औन सौ रुपए से वढ कर न हो, औन

(ब) जब दनमियाणी हक की प्रमीव के लिए माठगुजानी नहीं हो जागी है, तो हो रुपए थोस।

(३) जब ऐसी दसगावेण की नजिस्ट्री पूरी हो जाए तो नजिस्ट्री करने-वाठा अथसन प्रमोदान की थोस, औन रूनाए हुए वकथे में शनिकाठ औन नजिस्ट्री किए जावे को शनिकाठ, कठजन के पास भेज देगा, औन कठजन प्रमोदान को उस थोस देवे, औन वगाए हुए गीन से उस पर उस शनिकाठ की गामीठ होवे, का सामान करेगा।

१३। (१) जब कोई दवाभी हक दनमियाणी ऐसी डिमी के शननाए में नीठाम किया जागा है, कि जो उस के वाकी माठगुजानी की डिमी से अठग है, तो अदाएण दसे २२ शरिन कान-नकारि दवाणी की नू से, उस नीठाम के मनुजून करने के पढे, पुरीदान को येह हुकम दे सकगी है कि, अदा-एण में प्रमोदान की थोस जो पिछे दसे में वगाई गई है

ऐसी डिमी की शननाए में जो माठगुजानी की डिमी नहीं है नीठाम की नू से दवाभी हक दनमियाणी शनिकाठ करनी।

( १ )

(

को

जु

उ

प

रि

c

नथुनेनथुने माठगुजानी  
वडावे के हुकूम देवे का  
शुभनिधान ।

माठगुजानी जो एक  
वान वडाई जा युकी  
है, एनदेनह वनस गः  
नहीं वडो जाएगी ।

इसामी एकदा  
निधानी चें-एक  
त्रिया जा अरुणा

इसामी एकदा  
का अरुणा  
इ-अरुणा

द्वामी हकदार दानमिथाना को पनह, उहो अनगो के पावे होगा ।

( व ) अथवे प्रमोदान से वे-द्वय नही किया जा सकता सिवाए उस हाथ के, कि जब उस वे ऐसी एक शर्त तोड़ी है, जो उस ऐक के विधिगत नहीं है, और जिसके तोड़ने पर, उस कौम कृतान कि नू से, जो उस के और उस के प्रमोदान के बीच में किया गया है, वे-द्वय किया जा सकता है ।

पायत्रां वाव ।

द्वयकान नश्यत ।

शाम ।

१८ । एन नश्यत जो इस ऐक के जानी होवे के पहे, किसी और ऐक के अवन से, इसगून को नू से या और किसी पनह से, किसी प्रमोव पर एक द्वयो नषणा है, जब ये ऐक जानी होगा, उस प्रमोव पर एक द्वयो नषणा—

जिन को हाथ में एक द्वयो है वह एक वहाठ रहेगा ।

२० । ( १ ) एन आदमी, जिस वे इस ऐक के जानी होवे के पहे वा पीछे, वनावन वानह वनस तक, नश्यत के गौर से कोई प्रमोव किसी गार्ब में, याहे पहे पर या और किसी पनह से, नषो है, उस वक के गुणनवे के बाद, उस गार्ब का क़ायमी नश्यत समझा जायगा ।

क़ायमा नश्यत का पानोय ।

( २ ) इस दहे के मनागिव के लिए, अगान कोई आदमी किसी गार्ब में अगज अगज वक पर, अगज अगज प्रमोव नषणा हो, तो ऐसा समझा जायगा, कि उस वे प्रमोव वनावन नषो है ।

( ३ ) इस दहे के मनागिव के लिए, अगान कोई शयस व-गौर नश्यत के प्रमोव नषणा है, तो उस का वानिस भी उस प्रमोव को व-गौर नश्यत के नषणा हुआ समझा जायगा ।

( ४ ) वह प्रमोव जिस को दो या जियाहं करीको वे नषणी जोग को पनह नषो है, इस दहे के मनागिव के

अदा करने, और ऐसी और छीस गी अदा करने जो प्रमीदान पर  
बीठाम की शपिठा गामीठ करने के लिए मुकनन की जाए।

(२) जब बीठाम मजदूर बन ठिया जाए, तो अदाठण  
कठजत के पास प्रमीदानो छीस और ठियाए हुए बकने में  
बीठाम की शपिठा मेज देगी, और कठजत उस छीस के  
प्रमीदान के देहां अदा किए जावे, और वगाए हुए गौर से  
उस पर शपिठा जारी करने का सामान करेगा।

१४। जब किसी द्दामी हक दानियाली का, उस की  
वाकी माठगुजारी की डिमी की गामीठ में, बीठाम की  
नू से शपिठा ठिया जागा है, तो अदाठण कठजत के  
पास बकने मुएएवे में बीठाम की शपिठा मेज देगी।

१५। जब कोई द्दामी हक दानियाली का बानिस होगा  
है, तो उस बानिस को चाहिए कि मुकनन किए हुए बकने  
में बानिस को शपिठा कठजत को देवे, और उस को  
प्रमीदान पर शपिठा गामीठ करने की इनाई हुई  
छीस, ओ दखे १२ में वगाई हुई प्रमीदानो छीस गी  
देवे, और कठजत वह छीस प्रमीदान की देगा, और उस  
पर इनाए हुए गौर से शपिठा गामीठ करेगा।

१६। कोई द्दामी जो बरसे की नू से किसी द्दामी  
हक दानियाली पर दण्ड पागा है, बाठिसा प्रवणी, या और  
कान-वर्ध करके वह माठगुजारी नहीं बरसू बन सकगा है,  
जो व-हैसिअण दानियाली हकदान उस को दिया जाना चाहिए,  
पर उस हाठण में कि जब कठजत वे जपन ठिये हुए  
पिछे दखे में वगाई हुई शपिठा और छीस पार्क हो।

१७। दखे द्द की सनगो के गावे होकर दखे मजदूर-वाठा  
द्दामी हक दानियाली के हिस्से के शपिठा करने या  
बरसा पावे में काम में आंठो।

औथा वाव ।

अनह मुकनन पर जोग नयवे-वाठा नरथण ।

१८। नरथण जो कि द्दामी माठगुजारी पर या  
अनह माठगुजारी पर जोग नयवा है—

(अ) अपनी जोग के शपिठा और बानिस की निरुवण,

माठगुजारी की शप-  
नाए डिमी में द्दामी  
हक दानियाली का  
बीठाम की नू से शप-  
ठिकाठ करवा ।

द्दामी हक दानियाली  
पर बरसा पावा ।

बरसे की शपिठा न  
देवे एक माठगुजारी  
बरसू नहीं हो सकगा ।

द्दामी हक दानियाली  
के हिस्से का शपिठाठ  
करवाया बरसा पावा ।

अनह मुकनन पर जोग  
के मुएअठक वागे ।

द्वामी हकदार वनामियावा को वनह, उठो अनगो के पावे होगा ।

( व ) अगवे जमींदार से वे-दण्ड नहीं किया जा सकता सिवाय उस हाथ के, कि जब उस वे ऐसी एक शर्त गोड़ी है, जो इस ऐज के वर्धिताय नहीं है, और जिसके गोड़वे पन, उस कौठ कृतान कि नू से, जो उस के और उस के जमींदार के वीय में किया गया है, वे-दण्ड किया जा सकता है ।

### पायलां वाव ।

दण्डकान नश्यत ।

श्राम ।

१८ । इन नश्यत जो इस ऐज के जानी होवे के पदो, किसी और ऐज के अन्न से, हसगून को नू से या और किसी वनह से, किसी जमीन पन हक दण्डो नश्यत है, जब येह ऐज जानी होगा, उस जमीन पन हक दण्डो नश्येगा—

जिन को हाथ में हक दण्डो है वह हक वहाठ रहेगा ।

२० । ( १ ) इन आदमी, जिस वे इस ऐज के जानी होवे के पदो वा पीछे, वनावन वानह वनस गक, नश्यत के गौर से कोरि जमीन किसी जात्र में, याहे पर्ये पन या और किसी वनह से, नयो है, उस वकत के गुणनवे के वाद, उस जात्र का ज़ायमी नश्यत समझा जायगा ।

ज़ायमी नश्यत का पानोय ।

( २ ) इस दहे के मनागिव के गिए, अजान कोरि आदमी किसी जात्र में भठग भठग वकत पन, भठग भठग जमीन नश्यत हो, गो ऐसा समझा जायगा, कि उस वे जमीन वनावन नयो है ।

( ३ ) इस दहे के मनागिव के गिए, अजान कोरि खयस व-गौर नश्यत के जमीन नश्यत है, गो इस का ज़ानिस मो उध जमीन को व-गौर नश्यत के नश्यत हुका समझा जायगा ।

( ४ ) वह जमीन जिस को हो वा जियारि रक-को वे नश्यतो जोव को वनह नयो है, इस दहे के मनागिव के

अदा करने और ऐसी और थोस भी अदा करने जो प्रमोदान पर  
बीठाम की शर्तिता गामीठ करने के लिए मुकनन की जाए ।

(२) जब बीठाम मजपूर कर विथा जाए, तो अदाठण  
कठजन के पास प्रमोदानो थोस और ठीराए हुए बकसे में  
बीठाम की शर्तिता मेज देगी, और कठजन उस थोस के  
प्रमोदान के पेहाँ अदा किए जाने, और वगाए हुए गौर से  
उस पर शर्तिता जानी करने का सामान करेगा ।

भाठगुजारी की शर्-  
नाए डिमी में द्वाभी  
हक दनमियावी का  
बीठाम की नू से शर्-  
तिताठ करना ।

द्वाभी हक दनमियावी  
पर वनसा पाना ।

१४ । जब किसी द्वाभी हक दनमियावी का, उस की  
वाकी भाठगुजारी की डिमी की गामीठ में, बीठाम की  
नू से शर्तिताठ किया जाएगा है, तो अदाठण कठजन के  
पास बकसे मुएएदे में बीठाम की शर्तिता मेज देगी ।

१५ । जब कोई द्वाभी हक दनमियावी का वानिस होना  
है, तो उस वानिस को चाहिए कि मुकनन किए हुए बकसे  
में विनासण की शर्तिता कठजन को देवे, और उस को  
प्रमोदान पर शर्तिता गामीठ करने की उहाई हुई  
थोस, ओ दूरे १२ में वगाई हुई प्रमोदानो थोस भी  
देवे, और कठजन वह थोस प्रमोदान की देगा, और उस  
पर उहाए हुए गौर से शर्तिता गामीठ करानेगा ।

वनसे को शर्तिता न  
देवे एक भाठगुजारी  
बसूठ नहीं हो सकगी ।

१६ । कोई आदमी जो वनसे की नू से किसी द्वाभी  
हक दनमियावी पर दम्पठ पाया है, वाठिस जवतो, या और  
कान-नवाई करने वह भाठगुजारी नहीं बसूठ कर सकगा है,  
जो व-हैसियत दनमियावी हकदान उस को दिया जाना चाहिए,  
पर उस हाठण में कि जब कठजन ने उपन ठिमे हुए  
पिछठे दूरे में वगाई हुई शर्तिता और थोस पाई हो ।

द्वाभी हक दनमियावी  
के हिस्से का शर्तिताठ  
करनाया वनसा पाना ।

१७ । दूरे ८८ को शर्तों के पावे होकर दूरे मजकूने-वाठ  
द्वाभी हक दनमियावी के हिस्से के शर्तिताठ करने या  
वनसा पावे में काम में आयी ।

थोथा वाव ।

अनह मुकनन पर जोग नषदे-वाठ नशण ।

अनह मुकनन पर जोग  
के मुणधठठ वाने ।

१८ । नशण जो कि द्वाभी भाठगुजारी पर या  
अनह भाठगुजारी पर जोग नषणा है-

( अ ) बरगी जोग के शर्तिताठ और विनासण को निबूवण,

स्वामी लक्ष्मण स्वामीयाना को तनह उहो अनगो के पावे होगा ।

( व ) अपवे प्रभोदान से वे-द्वय नहीं किया जा सकता सिवाए उस हाथ के, कि जब उस वे ऐसी एक शर्त गोड़ी है, जो इस ऐश के परिष्ठाप नहीं है, और जिसके गोड़वे पर, उस कौठ कृतान कि नू से, जो उस के और उस के प्रभोदान के वीच में किया गया है, वे-द्वय किया जा सकता है ।

### पायतां वाव ।

द्वयकान नश्यत ।

शाम ।

१८ । इन नश्यत जो इस ऐश के जानी होवे के पढ़े, किसी और ऐश के अन्त से, स्वगून को नू से या और किसी तनह से, किसी प्रभोव पर एक द्वयो न्यता है, जब यह ऐश जानी होगा, उस प्रभोव पर एक द्वयो न्यता—

जिन को हाथ में एक द्वयो है वह एक वहाव रहेगा ।

२० । ( १ ) इन आदमी, जिस वे इस ऐश के जानी होवे के पढ़े वा पीछे, वनावन वानह वनस तक, नश्यत के तौन से कोई प्रभोव किसी जात्र में, याहे पढ़े पर वा और किसी तनह से, नयी है, उस वरुण के गुणनवे के वाद, उस जात्र का प्रभोव नश्यत समझा जायगा ।

पायतां नश्यत का पानीय ।

( २ ) इस दहे के मनागिव के लिए, अज्ञ कोर वादनी किसी जात्र में अग्नि अग्नि वरुण पर, अग्नि अग्नि जानीव न्यता हो, तो ऐसा समझा जायगा, कि उस वे प्रभोव वनावन नयो है ।

( ३ ) इस दहे के मनागिव के लिए, अज्ञ कोर शम्भु व-गीव नश्यत के प्रभोव न्यता है, तो इस का प्राविच जो एक प्रभोव को व-गीव नश्यत के न्यता हुआ समझा जायगा ।

( ४ ) वह प्रभोव जिस को दो वा जियाहं रनेको वे नश्यतो प्रोव को तनह नया है, इस दहे के मनागिव के



दिए, ऐसा समझा जायगा, कि ऐसे ही एक शरीर के  
नश्वर के गौन पर उस को नष्ठा है ।

( ५ ) ही आदमी किसी गाँव का क़ायमी नश्वर  
जब एक समझा जायगा, जब एक कि वह उस गाँव में  
नश्वर के गौन से ज़मीन नष्ठा है, और उस के एक वस्त्र  
पीछे एक भी ।

( ६ ) जो कोई नश्वर दृष्टे ८७ को नू से ज़मीन का  
दृष्टि छिन पागा है, तो ऐसा समझा जायगा, कि अगले  
वह एक वस्त्र से जियादे वस्त्र के दिए वे-दृष्टि किया गया  
हो, पर जब भी वह क़ायमी नश्वर है ।

( ७ ) जो इस ऐक की नू से को हुई किसी कान-नश्वर  
में, यह वाग साविग हो या क़वूठ की जाए, कि कोई आदमी  
नश्वर के गौन से ज़मीन नष्ठा है, तो उस के, और उस  
के ज़मीन के इनमियाव के मुकदमों में, जिस के मागए  
वह ज़मीन नष्ठा है, जब एक कि इस से उठती कोई वाग  
साविग न हो, या क़वूठ न की जाए, इस दृष्टे के मतगिव  
के दिए क़्यास किया जायगा, कि उस के वानह वस्त्र एक  
वनावन नश्वर के गौन से ज़मीन नष्ठा है, या उस का  
कोई हिस्सा नष्ठा है ।

क़ायमी नश्वर एक  
दृष्टि नष्ठा है ।

२१ ( १ ) ही शय्यज जो हसव मनशा जपन दिग्मे हुए  
अधोन दृष्टे के, किसी गाँव का क़ायमी नश्वर है, उस  
सारी ज़मीन पर, जिस को वह उस गाँव में उस वस्त्र  
नश्वर के गौन से नष्ठा है, एक दृष्टि नष्ठा ।

( २ ) ही शय्यज जिस के हसव मनशा जपन दिग्मे हुए  
पिछे दृष्टे के, किसी गाँव का क़ायमी नश्वर होकर  
हुमरी भायं सव १८८८ रिसती, और इस ऐक के ज़मीनी  
होने के बीच में, किसी वस्त्र, व-गौन नश्वर के, उस गाँव  
में ज़मीन नष्ठा है, ऐसा समझा जायगा, कि उस ज़मीन  
में उस वस्त्र के भायं की नू में, उस के एक दृष्टि हासिद  
किया है, पर इस ज़मीने दृष्टे में कोई ऐसी वाग नहीं  
है, जो इस ऐक के ज़मीनी होने के पक्षे किसी वस्त्र की  
धे हुई डिगरी या हुम पर वस्त्र पक्षे ।

२२। (१) जब दृष्टी जोर का प्रतीक या  
स्वामी हकदान दनमियावी है, और उस जोर के प्रतीकान  
और नश्यत का सारा एक एक शय्यस के कवणे में उसी शू-  
गिकाठ या वनसा या और किसी तरह से आया है,  
तो एक दृष्टी जाया रहेगा, पर इस प्रतीके दृष्टे में कोई  
ऐसी वाग नहीं है, जिस से किसी गिसने श्रद्धा के एक  
को बुकसान पड़्ये।

(२) अगल प्रतीक का एक दृष्टी ऐसे किसी श्रद्धा  
को शूगिकाठ किया जाय, जो उस प्रतीक में मादिक या  
स्वामी हकदान दनमियावी का शूभाठी एक नय्या है, तो वह  
एक दृष्टी जाया रहेगा, पर इस प्रतीके दृष्टे में कोई ऐसी वाग  
नहीं है, जिस से किसी गिसने श्रद्धा के एक को बुकसान पड़्ये।

(३) इन शय्यस जो प्रतीक शूभाठी या मादगुजानी  
के शूकेदान की तरह नय्या है, उस वकण, जब इस तरह  
से नय्या है, उस प्रतीक में जो उस के शूभाठी या शूके  
के भीतर है, एक दृष्टी नहीं हासिल क्येगा।

गसनीह-जो शय्यस प्रतीक पर एक दृष्टी नय्या है,  
मादिक या स्वामी हकदान दनमियावी का मिठा  
दृष्टा एक पीछे से नय्ये के सवव, या उस प्रतीक  
को शूभाठी या शूके में पीछे से नय्ये से, श्रद्धा  
एक को भी नहीं वैडगा है।

एक दृष्टी से जिसवग नय्ये हुए वागे।

प्रतीकान के एक  
दृष्टी हासिल करने  
की गसनीह।

प्रतीक के शूगिकाठ  
के जाने में नश्यत के  
एक।

नश्यत पर माद-  
गुजानी यदा करने  
की पावनी।  
वे-दृष्टी से शूगिकाठ  
नियत उन हादगी के  
कि जब शूभाठी  
दृष्टीगए जायें।

२३। जब कोई नश्यत किसी प्रतीक पर एक दृष्टी नय्या  
है, तो वह प्रतीक को इस तरह से शूगिकाठ कर सकगा है, जिस  
से उस प्रतीक को काम वदुए कुछ न घट जाय, या वह जोर  
के काम के लिए विक्रमनी व ही जाय, पर उस को उस जाह के  
किसी निवाज के वषिठाथ पेड़ काट डालने का एक न होगा।

२४। दृष्टिकान नश्यत अपनी जोर के लिए हाजिव और  
कनीन शूसाथ शरह पर मादगुजानी देगा।

२५। दृष्टिकान नश्यत का उस का प्रतीकान उस के  
जोर से नहीं वे-दृष्टी कर सकगा है, सिवाय शूभाठी डिजानी  
वे-दृष्टी के, कि जो शो डिष्टी हुए वनसा पर ही गर है।

(५) वह अपनी जोर को प्रतीक को इस तरह से कान में  
गाया है, कि वह जोर के काम के शूका नहीं रही, या

( व ) उस दो एक ऐसे शर्तों को है जो इस एक के  
एकत्रय के मुआविक है और जिस के गोडने  
पर उस को कान को नू से जो उस  
में और उस के निर्मादन में हुआ है वह  
वे-द्वय किया जा सकता है ।

मनवे पर एक द्यो  
का वातिस को पं-  
यना ।

२६ । अगल कोर नश्रण अपने एक द्यो को जिसपर वे  
वसीयण किए मनाए, जो वह एक और माठ गैर मनुष्य  
को गल उस के वातिस को, ऐसे विवाण के पावे, होकर,  
पहुंचेगा, जो उस के पिठाण हो, मगल उस हाण में,  
कि जब विवासण के आरंभ को नू से, जिस के वह पावे  
है, उस का और सब माठ सनकोत में जागा है, उस  
का एक द्यो भी जागा रहेगा ।

माठगुजारी का, वधाना, ।

जिस हाण में माठ-  
गुजारी वाजिव और  
मुवासिव क्यास को  
जायगी ।

२७ । जो माठगुजारी द्योकर नश्रण से किसी  
वकल भी जागी है, वाजिव और मुवासिव क्यास को  
जायगी, जब तक कि उस के वरपिठाण नहीं साविण  
किया जाय ।

वकली माठगुजारी  
वधाने को है ।

२८ । जब, कोर द्योकर नश्रण, वकली माठगुजारी  
देगा है, उस हाण को कोड कर जिस के विषे इस एक  
में शर्त नहीं गई है, उस को माठगुजारी नहीं वधाने  
जायगी ।

को, कान को नू  
से माठगुजारी का  
वधाना ।

२९ । द्योकर नश्रण को वकली माठगुजारी को  
कान को नू से, आगे विषी हुई सनको के पावे होकर,  
वधाने जा सकता है ।

( अ ) को कान पहरीनी और नजिरसी किया हुआ  
होना चाहिए ।

( ब ) माठगुजारी को ऐसे नहीं वधाना चाहिए कि  
सुपये में, उस माठगुजारी से जो पहले नश्रण  
का करण या हो जाने से जेमादे वक जाय ।

( ग ) को कान से मुकरन को हुई माठगुजारी  
उस को कान को पानीय से, पहले वक  
वक नहीं वधाने जा सकता ।

( १ ) पर शर्त यह है कि कठोर (अ) में जो कुछ दिया हुआ है, वह मासिक को, उस दर से माओजुपानी प्रसूत करने से नहीं नोकेगा, कि जिस तरह से माओजुपानी बनावन हो गई है, ऐसे प्रकृण के विष, जो ठीक उस प्रकृण के पहले गीन वनस से कम नहीं है, जिस के विष माओजुपानी का दावा किया गया है।

( २ ) कठोर ( व ) में जो कुछ दिया हुआ है वह उस कौम कृतान से पश्चिमत नहीं नयेगा; जिस की नू से नश्वण वडाई हुई माओजुपानी देना, प्रसूत करना है, दासते ऐसी प्रमीन को विधाकण वडावे के, जो उस जोग की निस्वण प्रमीदान की कोशिश से, या उस के प्यरे से हुआ है या होवे-वाठा है, और जिस से थाएदा उगने का हक उस नश्वण को नहीं है, जब तक कि वह वेशी माओजुपानी नहीं है; पर यह वडाई हुई माओजुपानी जो ऐसे कौम कृतान से उहनाई गई है सिद्ध उस प्रकृण अदा होगी, जब प्रमीन को विधाकण वडाई गई है, और उस हाठण को छोड़ कर कि जब प्रमीन को विधाकण वडावे का सामान नश्वण को गश्ठण से पाया नह, सिद्ध उगने दिवो-पक अदा की जायगी, कि जब-पक वह सामान मौजूद नह, और उस प्रमीन पर अपना असन पैदा करना नह।

( ३ ) जब श्वण वे प्रमीदान के सुभीते के विषे किसी प्यास थसठ बोदे के दासते प्रमीन वहुण ही कम दर की माओजुपानी पर नयी है, तो कठोर ( व ) में जो कुछ दिया हुआ है, वह नश्वण को उस थसठ के बोदे को प्रिमेवानी से वेथवे के विषे, ऐसी माओजुपानी अदा करने का इकनान करने से नहीं नोकेगा, जिस को वह प्राधिक् और मुनासिब समहे।

नाविश की नू से माओ-  
जुपानी का वडावा।

उ०। किसी ऐसी जोग का प्रमीदान, जिस के नयवे के विषे कोई दप्यठकान नश्वण नरुदी माओजुपानी देना है, इस ऐस की शनुगी के गावे होकर, बागे, विषो हुई प्रणूहाण में से एक या जेधादे पर, माओजुपानी वडावे के विषे नाविश-दायन कर सकपा है—( जैसा कि )

( अ ) वह तरह माओजुपानी जो नश्वण देना है, उस मामूवीसनह से कम है, जो दप्यठकान नश्वण

उसी गाँव में, उसी किसम की और, वैसेही, थापड़े की ज़मीन के ठिये देते हैं, और उस के एसी कम शनह पर जोर नपने की कोई काड़ी बजाए नहीं है,

(व) हाठ की माठगुजारी के ज़ारी नहने के बरूप, उस जगह की आम प्यादे की अणवास को औरसा भाव बढ़ गया है ।

(स) उस ज़मीन की ठियाकण जो नरअण नपना है, उस ठियाकण बढ़ावे के सामान से बढ़ गई है, जो ज़मीन की कोशिश से, या उस के पुनये से; हाठ की माठगुजारी के ज़ारी नहने के बरूप में किया गया है ।

(ए) उस ज़मीन की ठियाकण जिस की नरअण नपना है, दनया के असन से बढ़ गई है ।

गसरीह-दनया के असन में नही की धाना का ऐसा वडठना शामिल है, जिस से नही से पावी पठाया जासके, जो पहले नहीं हो सकना था ।

मानुगी गनह की बुजि-  
थाई पर माठगुजारी  
बढ़ाने की निम्नवग  
कापडे ।

उर । जब इस बुजियाई पर, कि जिस शनह से माठगुजारी  
ही जाणे है, वह मानुगी शनह से कम है, माठगुजारी  
बढ़ाने की नाशिश की जाय-णे

(अ) शनह मानुगी की गजबीज कने के ठिये,  
अदाठण उस दन पर ठियाण कनेगी, जो  
आम गौर से उस बरूप के ठिये अदा की  
जाणे यो, जो नाशिश दायर होवे के पहले  
गौर वनस से कम न हो, और माठगुजारी  
बढ़ाने की डिगरी न देगे, पर उस हाठण  
में, कि जब उस दन में जो नरअण देना है,  
और इस मानुगी दन में जिस को अदाठण ने  
दरबादण किया है कुछ जेयाडे मुक हो ।

(ब) जो अदाठण की नाय में मानुगी गनह माठगुजारी,  
इस काम का नरअण कने के वगैर, अच्ची  
कने के दनबादण की जा सकती है, तो अदाठण

दुकम दे सकती है, कि अरिज कान-नवाइ दीवानी के वाव रुप की नू से बर अयसन माठ (नेवनिज अयसन) गहकीकाण सनपमीव करने, जिसको ठीकठ गतर्दमेवठ इस काम के ठिये अरिज मणकूने वाठा की दखे उटर की नू से वनाये हुए कायदी के मुशायिक रुपियायान है ।

( स ) इस दखे की नू से माठगुणानी की बर दन इहानवे में कि जो नश्राण को देना चाहिये, उस की प्राण का कुछ विहाण नहीं किया जायगा, मजन जब येर वाण साविण होजाय कि प्यास जगह के निवाण की नू से शरह माठगुणानी इहानवे में प्राण का भी विहाण किया जागा है, और जब येर देया जाय कि प्यास जगह के निवाण के मुगाविक, किसी किसम के नश्राण माठगुणानी की नियायणो दन से जमीव नपणे है, तो शरह उस निवाण के मुगाविक गजरीण की जायगी ।

( ए ) मामूठी शरह माठगुणानी दनयायण करने में, उस वदार्द दुई दन को गदाद पन, जिस के ठिये माठिक की कोशिश से, जमीव की वियाकण वढने के सवन, दुकम दिया गया है, विहाण नहीं किया जायगा ।

उर । जब मात्र वढ जाने की बजह से माठगुणानी वढाने की नाठिश की जाय, तो

( अ ) अदाठण नाठिश दायन होने के ठीक पहले इस वनस के मीगन के औरसण मात्र को, ऐसे और इस वनस के मीगन के औरसण मात्र के साथ मुकावठा करनेगी, जो कि उस को मुकावठा करने के लिए मुनास्वि और मुमकिन मागूम हो ।

मात्र वढ जाने की बजह से माठगुणानी वढाने की निसवण कायदे ।

( व ) वदार्द दुई माठगुणानी पहली माठगुणानी से बही निसवण नपेगी, जो पिछठे दस वनस के औरसण दाम से पहले दस वनस के औरसण दाम नपणे है कि जो मुकावठे के ब्रासणे लिए गए है पन इस निसवण के हिसाव करने में पिछठे बरकण

के शीशग दाम से; उसके, और पहले वक्रण के शी  
 दाम के शुरुक की एक गिहार्क घटा दी जाय  
 (स) जो, अदाएण की नाय में कठाए (घ) में व  
 हुए दस वनस का हिसाव; करना मुमकिन  
 हो, तो अदाएण उस की जगह की कें कम  
 ठे सकणी है ।

जमींदार को कोशिश  
 से जमीन को ठिया-  
 कण बढ़ने की बुनियाद  
 पर माठगुजारी बढ़ाने  
 के कायदे ।

उउ 1: (१) जब जमींदार को कोशिश से जमीन  
 ठियाकरण बढ़ने के सबब माठगुजारी बढ़ाने की नाशिश  
 जाय, तो—

- (अ) अदाएण उस वक्रण एक माठगुजारी बढ़ाना मन  
 व कनेगी, जब एक कि इस एक की नू  
 जमीन की ठियाकरण बढ़ाने की नाशिश वकी व
- (ब) बढ़ाई हुई माठगुजारी की गाहाई की गजर्त  
 करने में, अदाएण शो वगाई हुई वार्तो  
 गजर्त नयेगी—

(१) जमीन की पैदावार को कृषण का बढ़ाना,  
 सुधानवे के सामान से पैदा हुआ या होवे बाठा है

(२) सुधानवे के सामान या जमीन की ठिया  
 बढ़ाने का व्यर्थ ।

(३) येण जोगवे, का व्यर्थ, जो सुधानवे के साम  
 को काम में ठाने के ठिये चाहिये, और

(४) हाठ की माठगुजारी, और उस से जेयादे माठगुजा  
 हेने की जमीन को ठियाकरण ।

(२) इस दखे की नू से दी हुई डिजारी, आसामी  
 उस के एक के जोगसीन की दनप्रासन पर, उस क  
 गजर्तीण सानी के ठायक होगी, कि जब सुधानवे  
 सामान गजर्तीणा किया हुआ असन नहीं पैदा करना,  
 पैदा करने से नुक जागा है ।

उउ 1 जब दनया के बसन से जमीन की ठियाकरण व  
 की बजह माठगुजारी बढ़ाने की नाशिश की जाय ।

(अ) अदाएण ऐसी बढ़णी पर ठियाए नहीं कनेगी ।  
 सिर्फ यनद नोणा है, या शपणियाक से ह  
 है ।

जमीन को ठियाकरण  
 दनया के बसन से  
 देमी होने के सबब  
 माठगुजारी बढ़ाने के  
 कायदे ।

( व ) अद्यतन माओजुजानी की ऐसी गारुड एक वडा सङ्गो है, जिसको ब्रह्म ब्राजिव और मुनासिव समझे, पर ऐसी नहीं कि जमीन की हासिठ की वडगी के काम के आये से जेयादे जमीन को दे ।

उप 1 वाबजूड उस के कि जो पहली दृष्टी में ठिया गया है, अद्यतन ऐसी माओजुजानी, वडावे की डिजानी किसी हाठर में न होगी, कि जो हाठर मुकदमे से ब्राजिव और मुनासिव नहीं माओूम होगी ।

उप 1 जो अद्यतन माओजुजानी वडावे की डिजानी देते ब्रह्म समझे, कि उसी ब्रह्म डिजानी का पूनी हद एक शपनाय कनना नश्रण के बिए सम्पत्ती पैदा कनेगा, वो ब्रह्म हुकम दे सङ्गो है, कि माओजुजानी कम से वडाई जायगी, यानि माओजुजानी वनस वनस नशुगे र शपने वनसों एक कि पांय वनस से जेयादे न हो, वडगी जायगी, जब एक कि डिजानी हो हुई शपाने की हद एक न पहुँच जाय ।

उप 1 ( २ ) नाशिश जो किसी जोग की माओजुजानी वडावे के बिजे दायन की गई है, इस बुनियाद पर कि शरह माओजुजानी जो नश्रण अद्य कनना है मामूली शरह से कम है, या यीजों का मात्र वड गया है, क्रासिठ समागत नहीं होगी, अद्यन उसके दायन होवे के गीक पहले पतुदनह वनस के मोहन, उस कौठ कनान की नू से, जो हुसनी मायं सन १८८३ ईसवी के पोछे किया गया है, उस जोग की माओजुजानी वडाई गई है, या अद्यन जपन बिजे हुए पतुदनह वनस के मोहन माओजुजानी दहे ४० की नू से वड हो गई है, या इस ऐज की नू से, या ऐसे किसी ऐज की नू से जो इस ऐज से नद किया गया है, जपन वगई हुई बुनिभावे में से किसी एक पर, या ऐसी किसी बुनिभावे पर जो इस के साथ मिठगी हुई है, माओजुजानी वडावे की डिजानी हो गई है, या हाठर मुकदमें की नू से दारा प्पारिज किया गया है ।

( २ ) इस दहे में जो जुजु ठिया गया है, ब्रह्म ब्राह्म काननब्राई दीबारी की दहे उजड की रूणो पर बसन नही पहुँचायेगा ।

नाशिश की नू से वडाई हुई माओजुजानी ब्राजिव और मुनासिव होगी ।

नशुगे र माओजुजानी वडावे के हुकम देने का श्पणियाय ।

माओजुजानी वडावे की नाशिश वान वान दायन कनने के एक की हद ।





नक़्के ज़मीन में जिस से वह निस्सवग नष्पण है, उस ग़रह से भंगहूँन कनेजा, जैसा हुक़म दिया गया है, और अज़ान कोर ज़मीन या आशामी जपन विषे हुए एक महीने के नीगन, उस नक़्के के अग़दर, उस निर्धनाने की निस्सवग ग़दनीरी एगनाज़ उस के पास पेश कने, गो वह उसे उस निर्धनाने के साथ नेवेविज वीर्ड में नेजेजा ।

( ४ ) निर्धनाने नेवेविज वीर्ड से भगपूर या ग़रमीम होकन सनकारी ज़ाज़ट में मुशगहिन लिधे जाएगी और अज़ान एसे निर्धनाने में कोर सरीह ज़ाज़टो उस के मुशगहिन होवे के वाद गिज़ठे, गो उस को क़रज़न वीर्ड आज़ नेवेविज को भगपूरी से सही कन सकगा है ।

( ५ ) ठीकठ ज़ाज़टमेवट बरूण बरूण के निर्धनाना से जो इस दृष्टे को नू से वनाए जाए, औरत निर्धनाना हन साठ के विधे गियाँन कनावेगी और उन को हन साठ सनकारी ज़ाज़ट में ब्यापकन मुशगहिन कनेगी ।

( ६ ) इन वाव को नू से भास के घटवे या बढवे की बज़ह से भाठगुज़ारी के घटावे बढावे की किसी कान-नबाई में अदाएग उन निर्धनानो पन मुठाएजा कनेगी, जो इस दृष्टे को नू से मुशगहिन की जागे है, और येह क़्यास कनेगी कि उन निर्धनानो में जो इस ऐज़ के जानी होवे के पीछे किसी वनत्र के विधे वनाये गए हैं, दियाये हुए निर्धन सही हैं जब तक येह साबिब वही किया जाय कि वह ज़ठव है ।

( ७ ) ठीकठ ज़ाज़टमेवट व-भगपूरी हुक़म ज़ाज़नन-जेवनेउ साहिव वहाहुँन इणठास कौवसिठ के, इस वाव को गज़लीज कनवेके ठिए कि किस ज़ाज़कौव जितुत्र आनब्यावे की ब्याज सभही जायगी, और उन थज़सुनो को हिदायत के ठिए, जो इस दृष्टे को नू से निर्धनाना गियाँन कनवे हैं, क़ायदे वनावेगी ।

वदेवना ।

४०। ( १ ) जब एयुठकान नशपण किसी जोग के ठिए भाठगुज़ारी जितुत्र में अदा कनाए है, या क़सठ के एक लिस्ते के गयमीवे लिधे हुए दाम पन, या क़सठ के मुगा, चिक़ वदेवगी हुँ हन पन या कुछ उन ने से एक गौर पन, और कुछ दूअरे गौर पन, गो नशपण या ज़मीनान इस वाव को हनब्याग है सकगा है, कि भाठगुज़ारी नक़्के में वदेव दी जाय ।

उस भाठगुज़ारी को नक़्के में वदेवना जो जितुत्र में अदा की जागे है । या ज़ाज़टो की ज़ाज़ट नक़्के कानन कनवा ।



एव द्रुम मन्वन्ती या वा-मन्वन्ती का देवा-श्रान वह वा-मन्वन्ती को वा-मन्वन्ती की प्रकृति को कर्मवत् कहनेगा ।

छठा वाच ।

गौतम द्युपकान नश्चात् ।

४१ । यह वाच उन नश्चत्तों पर आए होगा, जो एक द्युपको नहीं चर्चते हैं, और इस ऐश में गौतम द्युपकान नश्चात् के नाम से लिखन किये जाये हैं ।

४२ । जब कोई गौतम द्युपकान नश्चात् जमीन का द्युप पावे, तो उस को ऐसे माण्डुपानो देवा होगा, जो उस के, और उस के जमीन के बीच में, ऐसे द्युप पावे के प्रकृति, कान की नू से रहनाई जाय ।

४३ । गौतम द्युपकान नश्चात् को माण्डुपानो नहीं बढाई जायगी, पर नजिरतो किये हुए कान-नाम, या दृष्टे ४६ के मुताबिक किये हुए कान-नाम को नू से ।

पर शर्त यह है कि, वह माण्डुप को, उस इन पर माण्डुपानो प्रकृति करने से नहीं चलेगा, जिस इन पर माण्डुपानो प्रकृति में अद्य को गई है, वनावन ऐसे प्रकृति के लिए, कि उस प्रकृति से ठीक गीत चरक परसे के कम न हो, जिस के विषये माण्डुपानो का दावा किया गया है ।

४४ । गौतम द्युपकान नश्चात् इस ऐश को शर्तों के पारे को कर, बीये विषये दृष्ट प्रकृति से किसी एक या जेगड़े प्रकृति पर, वे-द्युप किया जा सकता है, पर और किसी कारण से नहीं-यानि

येह वाच जिस पर उठेगा ।

गौतम द्युपकान नश्चात् को शुनू की माण्डुपानो ।

माण्डुपानो बढाने को शर्त ।

जिन प्रकृति पर गौतम-द्युपकान नश्चात् वे-द्युप किये जा सकते हैं ।

( अ ) इस प्रकृति से कि उस वे वाक माण्डुपानो बढा नहीं को है ।

( ब ) इस प्रकृति से कि वह जमीन को ऐसे कान से दावा है, जिस से वह जग के लिए जिन्तनी हो गई, या उस वे देवे, अर्थात् गीतों के, या इस ऐश के प्रकृति के, है, और जिस के पारसे पर, वह कान, और जमीन के बीच में किये हुए कान-कान को चर्च के नू से वे-द्युप किया जा सकता है ।

1. The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions. It emphasizes that every entry should be supported by a valid receipt or invoice. This ensures transparency and allows for easy verification of the data.

2. In the second section, the author outlines the various methods used to collect and analyze the data. This includes both manual data entry and the use of specialized software tools. The goal is to ensure that the data is both accurate and easy to interpret.

3. The third part of the document provides a detailed breakdown of the results. It shows that there has been a significant increase in sales over the period, which is a positive indicator for the business. However, it also notes that certain areas still need attention to optimize performance.

4. Finally, the document concludes with a series of recommendations for future action. These include implementing more robust data security measures, investing in staff training, and exploring new market opportunities. The author believes that these steps will lead to continued growth and success.

कृताननामे की गामोठ बन दे, और उस के जानी होने से एक महीने के भीतर, उस क्यहनी में दायिठ करने, जिस से वह जानी किया गया था, वो वह ठीक आगे आने-बाठे भेगी के वनस के शुनू से समठ में आयेगा ।

( ४ ) जब कोई कृताननामा, नश्यत की वनस से जमीने दखे ( ३ ) की नू से, गामोठ किया गया है, और क्यहनी में दायिठ किया गया है, वो वह मदाठग या मध्यसत जिस की क्यहनी में वह इस तरह से दायिठ किया गया है, कौनव उस के गामोठ और दायिठ किये जाने की शक्ति उस जमींदार पर मुदगजिम गौर से गामोठ करायेगा ।

( ५ ) जो नश्यत हिससे-दखे ( ३ ) की नू से उस कृताननामे की गामोठ न करने, और क्यहनी में दायिठ न करने वो इस दखे के मगठव के ठिये ऐसा समझा जायेगा, कि उस ने कृताननामे की गामोठ करने से इत्कान किया ।

( ६ ) अजान नश्यत उस कृताननामे की गामोठ करने से इत्कान करने, जो इस दखे की नू से उस के सामने पेश किया गया है, और जमींदार उस को निकाल देने के ठिये गारिख दायत करने, वो मदाठग इस वाक को गजरीज करनेगी, कि किगनी माठगुजानी जोग के ठिये बाजिव और मुनासिव है ।

( ७ ) इस तरह से गजरीज की हुई माठगुजानी के मदा करने पर नश्यत नाजो हो, वो उस को यह हक होगा, कि कृताननामे की गामोठ से उस जोग को उस माठगुजानी पर पाय वनस तक नये; पर उस मियाद के पूरे होने पर, उपर ठिये हुए पिछले दखे में वगैरह हुई अनगों की नू से निकाल दिया जा सकेगा. अजान उस ने हक दायी नहीं हासिल किया है ।

( ८ ) अजान नश्यत ऐसे गजरीज की हुई माठगुजानी देना मजबूर न करने, वो मदाठग उस को वे-दय्यठ करने के ठिये डिजानी देगी ।

( ९ ) यह गजरीज करने के ठिये, कि किगनी माठगुजानी बाजिव और मुनासिव है, मदाठग उस माठगुजानी पर इत्हाज करेगी जो अनूभव नश्यत ठीक. उस गाँव में, कसो किम्ब को, और उसी इत्हाद की जमीन के ठिये दिया करते है ।

(स) जहाँ उस को नजिस्ती किये हुए पट्टे की नू  
से जमीन पर दण्ड दिया गया है, एवं उस वजह  
से कि पट्टे की मियाद खत्म हो गई है।

(द) इस वजह से कि दशे ४६ की नू से इन्होंने दूरे  
वाग्विष और मुवासिव भागगुजारी के देवे से  
उस वे इन्कान किया है, या वह मियाद कि  
जब तक उस को उस भागगुजारी पर जमीन  
नयावे का हक है, खत्म हो गई है।

पट्टे की मियाद खत्म  
होवे पर वे-दण्डो की  
शर्तें ।

४५ । पट्टे की मियाद खत्म होवे की वजह से, वे-दण्डो  
की वाग्विष किसी ज़ैर दण्डकान नश्रण पर नहीं की  
जरे सकेगी, पर सिध उस हासन में कि जब पट्टे की  
मियाद पूरी होवे के कम से कम एक महीने पहले, जमीन  
छोड़ने के ठिये नश्रण को इतलिया हो गई है, और मियाद  
के पूरे होवे के एक महीने पीछे नही ऐसी वाग्विष शर्त  
नहीं हो सकेगी ।

भागगुजारी बढ़ावे से  
वानाजो की वजह वे-  
दण्डो की शर्तें ।

४६ । (२) भागगुजारी बढ़ावे से वानाजो की वजह  
वे-दण्डो की वाग्विष किसी ज़ैर दण्डकान नश्रण पर नहीं  
दाख्त होगी, पर सिध उस हासन में कि जब जमीन  
बढ़ाई हुई भागगुजारी देवे का कतानवाना नश्रण  
कामे किया, और नश्रण वे वाग्विष दाख्त होवे के पर  
गिन महीने के बीघन, उस कतानवाने की गामोद कान  
से इन्कान किया ।

(२) जमीन जो इस दशे की नू से नश्रण को इतल  
वाना देना यादगा हो, ऐमा अदासन या अशसन के प  
पत्र को निकर जवतमेवत इस काम के लिए मुकत  
होवे, ऐम को नश्रण पर गामोद कताने के लिए दाख  
त नश्रण है । अदासन या अशसन इतलये हुए गीत  
... भा दानन नश्रण पर गामोद कतानेगा, और जब  
... हासन से गामोद कताना जाय, तो इस दशे के मतान  
के इतले देना समझा जायगा, कि जब नश्रण को गामोद  
... किया ...

... नश्रण पर कतान  
... किया गया है,

कृताननामे की गामोठ बन दे, और उस के जानी होने से एक महीने के भीतर, उस क्यहनी में दायिठ करने, जिस से वह जानी किया गया था, वो वह ठीक आगे आने-बाठे भेरी के वनस के शूनू से अमठ में आयेगा ।

(४) जब कोई कृताननामा, नश्यत की गनठ से जमीने दंड (३) की नू से, गामोठ किया गया है, और क्यहनी में दायिठ किया गया है, वो वह अदाठग या अदसत जिस की क्यहनी में वह इस गनठ से दायिठ किया गया है, कृतान उस के गामोठ और दायिठ किये जाने की गणितठा उस जमीदान पर मुद्रगणितम गीन से गामोठ करायेगा ।

(५) जो नश्यत हिस्से-दंड (३) की नू से उस कृताननामे की गामोठ न करने, और क्यहनी में दायिठ न करने वो इस दंड के भगठव के विषे ऐसा समहा जायगा, कि उस ने कृताननामे की गामोठ करने से इत्कान किया ।

(६) अगन नश्यत उस कृताननामे की गामोठ करने से इत्कान करने, जो इस दंड की नू से उस के सामने पेश किया गया है, और जमीदान उस को निकाल देने के विषे गारिठस दायन करने, वो अदाठग इस वाग को गजरीण करेगी, कि किगनी माठगुजानी जोग के विषे बाजिव और मुनासिव है ।

(७) इस गनठ से गजरीण की हुई माठगुजानी के अदा करने पर नश्यत नाजो हो, वो उस को यह हक होगा, कि कृताननामे की गामोठ से उस जोग को उस माठगुजानी पर पाय वनस तक नये; पर उस मियाद के पूरे होने पर, उपर विषे हुए पिछठे दंड में वगई हुई अनगो की नू से निकाल दिया जा सकेगा, अगन उस ने हक दायगी नहीं हासिल किया है ।

(८) अगन नश्यत ऐसी गजरीण की हुई माठगुजानी देना मद्रपूर न करने, वो अदाठग उस को दे-दयठ करने के विषे डिजानी होगी ।

(९) यह गजरीण करने के विषे, कि किगनी माठगुजानी बाजिव और मुनासिव है, अदाठग उस माठगुजानी पर गिहाण करेगी जो अनूमन नश्यत ठाग, उस गाँव में, कसो किम्म को, और कसो इयदे की जमीन के विषे दिया करने है ।



( १० ) वे-द्वयी की डिग्री जो इस दृष्टि की नू से हो गई है, उस धेरी के वनस के प्पाम होवे पन अमठ में आयेगी, कि जिस साठ रह ही गई है ।

“ प्रभोव पन द्युठ पाया ” इस के माने ।

४७ । जब कोई नश्यन किसी प्रभोव पन द्युठमान रहा है, और उस के द्युठ वहाठ रहने के ठिये पट्टा ठिया जाणा है, तो इस वाव के माठव के ठिये येह नहीं समझ जायगा, कि इस पट्टे की नू से उस की प्रभोव पन द्युठ मिठा अजानये पट्टे का माठव उस की द्युठ दिठाना हो ।

साठवां वाव ।

शिकमी नश्यन ।

उस माठगुजारी की हद जो शिकमी नश्यन से बसूठ की जा सकरी है ।

४८ । ऐसे शिकमी नश्यन का प्रभोवान जो बकरी माठगुजारी पन प्रभोव नथगा है, उस माठगुजारी से थक कर जो बह थाप अवा करणा है, आगे वगाए हुए सैकड़े के हिसाब से जेयादा बसूठ नहीं कर सकेगा-याकि

( अ ) जब शिकमी नश्यन नजिस्ती किये हुए पट्टे या करान-नामे की नू से माठगुजारी अवा करणा है, तो पयास जुपये सैकड़े-और

( व ) और किसी हाठग में पयास जुपये सैकड़े ।

शिकमी नश्यन की वे-द्वयी की कैद ।

४९ । कोई शिकमी नश्यन अपने प्रभोवान से वे-द्वयुठ नहीं किया जायगा, सिवाए नोये ठियी हुई हाठगों के ।

( अ ) जब ठिये हुए पट्टे की मियाद प्पाम हो जाए ।

( व ) जब नश्यन प्रभोव ठिये हुए पट्टे को नूसे नहीं, वरकि और किसी तरह से नथगा है, तो उस धेरी के वनस के अथोत में, जो ठीक उस साठ के पीछे थागा है, जिस में प्रभोवान ने उस की छोड देने की गुठिठा ही है ।

आठवां वाव ।

माठगुजारी की निरूपण ग्राम कयडे ।

माठगुजारी की गहाद को निरूपण कयास और कयडे ।

माठगुजारी के द्युठमान-नन होवे का निरूपण कयास और कयडे ।

५० । ( १ ) जब किसी दानियाकी द्युठमान या नश्यन और इस के पट्टे द्युठमान ने ऐसी माठगुजारी या अरु माठगुजारी पन प्रभोव नथी है, जो इन्जिननारी वनस-को-वन्स के द्युठ से बकरी नहीं गई है, तो बह माठगुजारी या अरु माठगुजारी पट्टे नहीं जायगी, सिवाए उस हाठग के

किं जव दरमियावी हक की जमीन या जोग का नक़्वा वरद गया है ।

( २ ) जो किसी वाठिस या और कान-नवाँरि में, जो इस ऐक की नू से की जाए, येह साविण हों, कि किसी दरमियावी हक़दान या नरअण, और उस के पहले हक़ नखवे-बागों वे, ऐसी माठगुजानी, या शनह माठगुजानी पर जमीन नथी है, जो वाठिस दायन होवे या कान-नवाँरि शुनू होवे के ठीक पहले वीस वनस के जोगन वरदो नहीं गरि है, तो जव एक उस के वनपिठस साविण नहीं किया जाए, येह क़यास किया जायगा, कि दलामो वनद-मो-वसूण के सकण से उर्ही वे जमीन उसी माठगुजानी या शनह माठगुजानी पर नथी है ।

पर शर् येह है, कि अगर किसी शरिव के मुपाविल येह ज़नून है कि किसी नक़वे जमीन में जोग या किसी किसम की जोग, जो मुकरन माठगुजानी या शनह माठगुजानी पर नथी गरि है, ऐसी गारोप को यो, उस से पहले, जो शरिव की नू से उरनारि गरि है, नजिरती की जाए, तो उपन ठिया हुआ क़यास उस गारोप के वाद, उस नक़वे जमीन में, किसी जोग के ठिये या उस किसम की जोग के ठिये नहीं किया जायगा, जव एक कि जोग इस गनह से नजिरती नहीं की गरि है ।

( ३ ) इस दरे के अमठ में, जहाँ एक सह नरअण की गनह से नथी हुई जमीन से इठाका नथपा है, इस वाण से कुछ शक़ नहीं होगा, कि सह जमीन ऐसी और जमीन से, जिस के साथ सह एक परटे में थी, अठज की गरि है, या किसी और जमीन के साथ एक परटे में शानिठ की गरि है ।

( ४ ) इस दरे में जो कुछ ठिया हुआ है, सह उस वनमियावी हक़ के ठिये सायद नरी होगा, जो कुछ वनस को उरनारि हुई नियाह के ठिये नया गया है, या जिस का नया जादा माठिक की नथी पर नैक़दु है ।

पर अगर किसी बाकामो की माठगुजानी को गारिह, या उन शर्तो को निरअण जिल की नू से सह उरनारि केगी के किसी वनस में नथपा है, कौरि हजरा अरि है, तो जव एक इस के निरअण नरी साविण किया जाय, येह

माठगुजानी को न...  
की न...  
अठज की गरि है...  
इस दरे में...

क्यास किया जायगा, कि वह जमीन माठगुजारी की सी  
गाहाई और उड़ी शूनो पर नथरा है, जैसा कि  
पिछले पेटो के वनस में ।

जमीन का नक़्वा  
वडनेको निखरा माठ-  
गुजारी का वडना ।

जमीन का नक़्वा वडने पर माठगुजारी का वडना ।

परा (१) हन आसामी--

(अ) ऐसी सब जमीन के लिए जेवाहे माठगुजारी  
देगा, जो पैमाश से उस नक़्वे से जेवाहे  
ऊनाई जाए, जिस के लिए उस ने माठगुजारी  
पहले अदा की है, पर उस हाठग में नहीं,  
कि जब ये साविग किया जाए, कि नक़्वे  
का वडना जोग या इनमियानी एक बागी  
जमीन में, उस जमीन के मिठगाने के  
सबब हुआ है, जो पहले उस इनमियानी  
एक को जमीन या जोग में थी, और पानी  
में डूबने या और किसी तरह से जागे रही  
थी, और उस के लिये माठगुजारी घटाई  
नहीं गई थी ।

(ब) जब पैमाश और मुक़ावला करने से ये साविग  
हो, कि आसामी के इनमियानी एक-बागी जमीन  
या जोग का नक़्वा उस के व-निखरा घट गया है,  
जिस के लिये वह पहले माठगुजारी देना था, तो  
उस को माठगुजारी घटाई जायगी, पर उस  
हाठग में नहीं, कि जब ये साविग किया जाय  
कि नक़्वे का घटना उस जमीन के दिख  
जाने को ब्रजत से था, जो किसी ब्रजत में  
उस इनमियानी एक को जमीन या जोग के  
नक़्वे में पानी के मसन से, या और किसी  
तरह से गिर गई थी, और के उस नक़्वे वडने  
को ब्रजत से माठगुजारी नहीं घटाई गई थी ।

उस नक़्वे को ब्रजत में करने में जिस के लिए  
माठगुजारी घटाई है, वह हाठग जो मुक़दम में  
है, वह नक़्वे को ब्रजत में घटाई नहीं, पर जिसके  
नक़्वे को ब्रजत में घटाई है, वह हाठग जो  
नक़्वे को ब्रजत में घटाई है, वह हाठग जो  
नक़्वे को ब्रजत में घटाई है, वह हाठग जो

की प्रभौव या जीव के विषे यकजाई मा-  
गुणानी थी या नहीं ।  
( व ) आसामो की कुछ जेबादे प्रभौव उस की माओगुणानी  
वढावे की बजह से, या और किसी संभव से,  
प्रमोदान के शम और मर्जा से, नषदे हो  
गई है या नहीं ।

( स ) जिस अन्से एक प्रभौव ऐसे नषी गई है, कि  
उस की माओगुणानी या नकवे की निस्वण  
होड़ा नहीं हुआ है—और

( ढ ) उस वाप की श्रुवाई या पैमाने पर, जो  
प्रभौव नषदे के शुरु में उस जगह काम  
में आगी थी, व-मुक़ावठे उस के जो मुक़दमा  
दायर करने के बरुण रसुगिमाठ होगी थी ।

( उ ) इस वाप की गजबीज करने के विषे, कि  
माओगुणानी की निगवा वढाना चाहिये, अदाएण उन हनों  
पर निगाह नषेगी, जो उसी किसम और उसी ध्यदे की  
प्रभौव के विषे, आस पास के आसामियों से हो जागी है  
और इनमियावो हक़दान की हाएण में, उस वरु पर निगाह  
नषेगी, जिस का हक़ वरु अपनी प्रभौव की माओगुणानी  
की निस्वण नषगा है, और किसी हाएण में ऐसी माओगुणानी  
नहीं मुक़रन करेगी, जो हाएण मुक़दमे की ठू से बाजिव  
या मुवास्सिव नहीं है ।

( ङ ) घटाई हुई माओगुणानी की गदाए परठे अउ होवे-  
वागी माओगुणानी से वही निस्वण नषेगी, जो जीव या  
इनमियावो हक़ की प्रभौव की घटाई हुई साठाना कुउ  
कीमण, उस की परठे साठाने कुउ कीमण से नषती है, या  
जो घटी हुई प्रभौव की साठाना कीमण प्पागिनषाह नहीं  
करनाई जा सके, जो परठे अदा होवे-वागी माओगुणानी से  
वह निस्वण नषेगी जो घटी हुई प्रभौव का नष्या  
नमियावो हक़-वागी प्रभौव या जीव के परठे नक़वे से  
नषा है ।

अदाय माओगुणानी ।

पउ । क़ाननामे या पुनावे दसुगून के गारे ए क़ान नषये  
माओगुणानी जो आसानी को देवा चाहिये, या न वनावन

माओगुणानी की निस्वण ।

ऐसी किसमें में अदा की जायगी, जो प्यो के वनस को ह  
सोमारी के थापिन दिन को अदा करने कायक होगी है ।

माओगुणारी देवे का  
वक्रण और जगह ।

प४ । (१) हन आसामी माओगुणारी को हन किस  
सूना डूवने के पहले उस दिन देगा, जिस दिन वह  
अदा होना याचिये ।

(२) उन हाथों को छोड़ कर, जिन में इस ऐल को  
नू से आसामी अपनी माओगुणारी अदाता में अमान १५  
सकता है, माओगुणारी जर्मिदान के गाँव की कयहरी में,  
या किसी और सुनोते की जगह में, जो इस काम के विषे  
जर्मिदान रहाने, अदा की जायगी, पर शर्त यह है, कि ठीक  
जर्मिदान आसामी को यह स्पष्टियां देवे के विषे, कि उस  
के मनिशान्त को नू से माओगुणारी अदा करे, आम गौ  
से, या किसी प्यार नकवे के विषे, वक्रण वक्रण पर कायदे  
वना सकतो है ।

(३) माओगुणारी की कोई किस या उस का कोई हिसा  
जो उस वक्रण या उस से पहले कि जब वह अदा होना  
याचिये, न दिया जाय गो वह वाकी समझ जायगा ।

माओगुणारी को हिसाव  
में ठाना ।

प५ । (१) जब कोई आसामी माओगुणारी के हिसाव  
में कुछ रुपया अदा करना है, गो वह उस वनस को या वनस  
और किस को वना सकता है, जिस के विषे वह उस का  
जमा होना याचना है, और वह अदा किया हुआ रुपया  
उसी तरह से जमा किया जायगा ।

(२) जो वह ऐसा कुछ न करे गो अदा किया हुआ  
रुपया ऐसे वनस में और ऐसे किस में जमा किया  
जायगा, जो जर्मिदान ठीक समझे ।

आसामी जर्मिदान  
को रुपया अदा करने  
के वक्रण नसीद पावे  
का हकदार है ।

प६ । (१) हन आसामी जो माओगुणारी के विषे अपने  
जर्मिदान के यहाँ रुपया अदा करना है यह एक नमो  
कि उसी वक्रण एक विषो हुई नसीद हसुप्यगी जर्मिदान  
अपने अदा किये हुए रुपये के विषे पावे ।

(२) जर्मिदान उस नसीद को एक दूसरी पान  
दिया करके नमोगा ।

(३) नसीद और उस को पान सानी में, उन कई  
नमोनों में से, जो नसीद के उस नमोने में दिया

जर्क है, कि इस ऐज के इंसने सिद्ध में दिया गया है, ऐसी गश्तीमें मुहम्मदजी होंगे, जिन को जर्मीदान अदा करने के बरकत दान कर सकगा है।

पर शर्त यह है कि ठोकर अवलंबेवत् बरकत बरकत पर आम गौर से, या किसी प्यास तकवे जमीन या किसी किसम के मुहम्मदों के ठिये, परमीम किया हुआ धानम मुकर्मन या मगपूर कर सकगी है।

( ४ ) जो नसीद में वह सब गश्तीमें न हों जो इस दहे की नू से उस में होना चाहिये, तो जब एक इस के वर्धिताक व साविग किया जाय, यह कयास किया जायगा कि आसामी दे उस गरीब एक जिस को वह नसीद दी गई, सिद्धुठ माठगुजानी वेवाक कर दिया है।

पचा ( १ ) जब जर्मीदान कबूठ करगा है कि किसी आसामी दे सब माठगुजानी, जो प्येगो के वरस पूने होवे एक अदा होवे चाहिये, दे दी है, तो आसामी को यह एक होगा कि जर्मीदान से उस वरस के प्यगम होवे के पीछे, गीव महीदे के गोपन, उस माठगुजानी के ठिये जो वरस के आपीन वाकी विकठे, पूरी वे-वाकी को नसीद इत्तफायती जर्मीदान विग प्ये पावे।

( २ ) जहाँ जर्मीदान ऐसा नहीं कबूठ करगा, आसामी को यह एक होगा, कि यान आवे होस अदा करके, उस साठ के प्यगम होवे के पीछे गीव महीदे के गोपन, ऐसा हिसाब पावे, जिस में वह सब गश्तीमें हों जो इस ऐज के सिद्धुठ हो में दिये हुए हिसाब के बरकते में दिखारि गई है, या किसी और बरकते में, जो ठोकर अवलंबेवत् आम गौर से, या किसी प्यास जगह के ठिये, या किसी प्यास किसम के मुहम्मदों के ठिये बरकत बरकत पर मुकर्मन करे।

( ३ ) जर्मीदान ऐसे हिसाब को वरकत जिस में बेसी गश्तीमें हों, दिया करने अर्पवे पात्र नयेगा।

पच् ( १ ) जो कोई जर्मीदान विग बरकत मुगसिब किसी आसामी को ऐसी नसीद, जिस में दहे पट में वगैर हई गश्तीमें वासानी को गनय से अदा को हई माठगुजानी को विनवण हो, देवे से इकतान करे या न दे, तो आसामी अदा करने को गरीब से गीव महीदे के गोपन ऐसा करना

साठ आपीन पर आसामी शरितगुपरी या जमा बरसिठ वाकी का हिसाब पावे का एकदान है।

नसीद और निसाब व देवे और इन को परग नानी व नयवे के डिष्ट नया और पुनरावृत्ति।

पादे के लिए वाणिज्य कर संकलन है, जो उस मातृगुणारी की गणना या धाम के द्वारा से वक कर व हो, जैसा कि यदातदा मुनासिब समझे ।

( २ ) जो प्रमोदान विषय ब्रजह मुनासिब भासामी के मांगदे पर, या जो वेवाकी की नसीद, या अगन थासामी ऐसी नसीद पादे का हक व नष्पण, जो किसी वनस के लिए दृष्टे पञ्च में वगाया हुआ हिसाब देवे से शकान करे, जो थासामी पीछे आदे-आठे प्येगी के वनस के भीगन, उस से ऐसा हनजा पादे के लिए वाणिज्य कर संकलन है, जो यदातदा गिक समझे, और जो उस मातृगुणारी की कुल गणना या धाम के द्वारा से वक कर व हो, जो थासामी वे प्रमोदान को उस वनस के भीगन अदा की है, जिस के लिए वह नसीद या हिसाब दिया जाना चाहिये था ।

( ३ ) जो प्रमोदान विषय ब्रजह मुनासिब नसीद या हिसाब की परत या वकल तैयार करने व नष्पे, जैसा कि अपन वगैर हक दोबो दृष्टो में से हन एक में वगैर गया है, जो उस पर ऐसा पुमावा व-गीत सजा के किया जायगा, जो पं रुपये तक हो संकलन है ।

वोकल गवर्नमेन्ट नसीद और हिसाब के वकले तैयार करेगी ।

पद । ( १ ) वोकल गवर्नमेन्ट नसीद के वनूवे परत सानी के साथ, और ऐसे हिसाबों के वकलों के धारण जो अपन विषये हुए दृष्टो के मुताबिक काम में आ सकते हैं, तैयार करावेगी और सब-डिवीजन के क्लर्कों को प्रमोदानों को वेचने के विषये मौजूद नष्पेगी ।

( २ ) धारण ऐसी क्लर्कों में विक्रिगे जिन के वन पर सिंसिस्टेन्स वनूवन ठगा रहेगा, या वह और किसी तरह पर भी विक्र संकते हैं, जैसा वोकल गवर्नमेन्ट मुनासिब समझे ।

नजिस्ट्री किये हुए मासिक भवेपर या मुर्गहिन की नसीद का असन ।

द० । जहाँ मातृगुणारी किसी महाठ के मासिक भवे पर या मुर्गहिन को क्रायिठ अदा करने के हैं, जो अशहमी को नसीद, जिस का नाम वेन्ड नजिस्ट्रीशन एवं १८७३ ईसवी की नू से व-गीत मासिक भवेपर या मुर्गहिन के नजिस्ट्री किया गया है, या उस के एजेन्ट के नसीद जिस को इस काम के विषये श्युणियात दिया गया है

मातृगुणानी के विषये वृत्ती सञ्चारि होगी, और वह आत्मो  
 जो मातृगुणानी के विषये ज्ञानवदेह है, उस शब्दस के  
 दाने के ज्ञानमें जिस का नाम इस पत्र से नजिस्ती  
 किया गया है, यह उक्त नहीं कर सकेगा, कि मातृ-  
 गुणानी किसी गोसने आत्मो को दिया जाना याहिये ।  
 पर इस दृष्टि में जो कुछ विषय है उस का असन उस  
 दाने पर नहीं होगा, जो ऐसा गोसना आत्मो नजिस्ती किये  
 हुए मातृक भवेजन या मुर्गहिन के वृत्तियोग्य नभ्या है ।

मातृगुणानी की अभाव नभ्या ।

ए। (१) बीये विषयो हरे हाठगो में से किसी हाठग में-यावि  
 (अ) जब आसामो मातृगुणानी अदा करने के विषये  
 रुपया सामने नभ्ये, और जर्मोदान उस के ठेके से  
 या नसीद देवे से इवकान करे ।

अदाग में मातृगुणानी  
 अभाव नभ्ये का  
 दनप्राप्त ।

(व) जब आसामो जिस के जन्ममे मातृगुणानी का  
 रुपया वाजिबुद अदा है, इस वाग के वादन करने  
 को ब्रह्म नभ्या है, कि वह शब्दस जिस को  
 मातृगुणानी देना याहिये, उस के ठेके और उसको  
 नसीद देवे के विषये, नाणी व होगा, यूंके उस दे  
 किसी ब्रह्म पहले सामने नभ्ये हुए रुपये ठेके  
 से इवकान किया था, या नसीद नहीं दी थी ।

(स) जब मातृगुणानी रजमावी शरीरों को अदा करने  
 के लिये है, और आसामो शरीरों को रजमावी  
 नसीद रुपये के विषये नहीं पा सकना, और उक्त  
 पत्र से मातृगुणानी ठेके के वास्तव किसी  
 शब्दस को इष्टियान नहीं दिया गया है-वा

(द) जब आसामो को सत्य इस वाग का अर्थ है, कि  
 मातृगुणानी पावे का हरे जिस को है, जो  
 आसामो उस अदाग में, जो उस के इवकानानी  
 हरे या जोप को मातृगुणानी के वाजिब  
 सुनने का इष्टियान नभ्या है, विषयो हरे दन-  
 प्राप्ति इस अद्वैत को है सकना है, कि उक्त  
 जो अदाग ने उस हरे रुपये को अदाग नभ्ये  
 को अदाग दी है, जो उस अद्वैत अद्वैत  
 अदा करने के ।



(२) दनप्यासूत्र में उन सब वृणुहाण की गणती ११ है।  
जिन पर वह की गई है, और उस में ये वधाव रहे।  
कि (अ) और (व) की हाठगों में उस आदमी का नाम  
ठिया जायगा, जिस के हिसाब में वह अमानगी रुपया  
जमा किया जायगा ।

(स) की हाठग में, उन शरीरों का नाम जिन की  
माठगुणारी अदा होनी चाहिये, या उन में  
से इनको के नाम ठिये जायेंगे, जिन की  
आसामी वरा सके—और

(द) की हाठग में, उस आदमी का नाम, जिस की  
पिछली वान माठगुणारी ही गई थी, और  
उस आदमी या आदमियों के नाम, जो उस  
का अब दावा करने हैं ठिये जायेंगे । उस  
दनप्यासूत्र पर उस तरह से, कि आदिन कान-  
नवाई दीवानो के दंड पर में वगाया गया  
है, आसामी का, या जो वह मुकदमों की वार्तो  
को आप न जानना हो, तो उन के जानने  
वाले किसी और शयस का दसगुण और  
गसदीक होगा, और उसके ठिये ऐसी ठीस ठी  
जायगी, जिस के ठिये ठीकठ अवबमेवठ वक्त  
वक्त पर कायदे की नू से हुकम है ।

ममानग नयो माठ-  
गुणारी की नसीद जो  
अदाग मे ही गई  
परकी सगई होगी ।

दर । (२) जो उस अदाग की जिसके यहाँ दनप्यासूत्र  
पिछली दंड की नू से की गई है, ये दियेगा है, कि  
दनप्यासूत्र देवे वाठे को उस दंड की नू से माठगुणारी  
ममानग करने का हक है, तो वह उस माठगुणारी को ठीकी  
और अदाग की मुहल के साथ उस को नसीद देगा ।

(२) इस दंड की नू से ही हुई नसीद आसामी की  
गनक मे अदा ठिये जाने वायक, और उपन वगाये हुए  
गोन मे ममानग नयो हुई माठगुणारी के रुपये की  
अदार् के ठिये, उस गनक मे और उस हद तक, ममान नसीद  
है। कि उस माठ में नयगी, जब कि माठगुणारी का  
रुपया हकदे दंड को (अ) और (व) की हाठगों में, व  
अदारी देगा जो दनप्यासूत्र में, ऐसी आदमी वगाया गया

है, जिस के हिसाब में अमानगी रुपया जमा होना चाहिए ।

उसी दृष्टि को (स) की हाठग में शामिल करके लेने, जिन की माओजुजानी बदा होवे बायक है-औन

उसी दृष्टि के (द) की हाठग में वह आदमी ठेगा जिस की माओजुजानी ठेके का हक था ।

दृ १ (१) वह बदाठग जिस के रुपया अमानग नया है, अपनी कथहरी में किसी बाजेह जगह पर माओजुजानी । अमानग होवे का रशगिहान, जिस में सब प्यास वागी की गथूसीठ नहोगी, ठगा होगी ।

(२) जो अमानग नया हुआ रुपया रशगिहन ठगावे की गानीप के पीछे, पनहनह दिव के गोपन, आगे आवे-बाठी दृष्टि को नु से न बदा की जाय, गो बदाठग औनव दृष्टि दृ की (अ) औन (ब) की हाठगों में उस आदमी पर, जो दनप्यासग में ऐसा आदमी बनाया गया है, कि जिस के हिसाब में अमानगी रुपया जमा किया जायगा, माओजुजानी अमानग होवे का रशगिहान विग धर्या जानी कनेगी ।

उस दृष्टि को (स) की हाठग में, जर्मोवन की देहागी कथहरी में, या उस जगह में जिस में वह जागे बाके है, किसी बजानगाह थाम पर माओजुजानी अमानग होवे का रशगिहान ठगा होगी-औन

उस दृष्टि की (द) की हाठग में, ऐसे हन आदमी पर, जो, वह यकीन करगो है, कि अमानग किये हुए रुपये का दावा करगो है या हक नयगो है, उसी तरह का रशगिहान विग धर्या जानी कनेगी ।

दृ १ (१) बदाठग अमानग किये हुए रुपये को ऐसे कपस को दे सकगो है, जिस को वह उसका हकदान समहे, या बजान मुना, सिव समहे गो उस रुपये को अपने पाथ नय सकगो है, जब तक बदाठग दोबानी पर हैसठ न कने कि रुपये का हकदान कौन है ।

(२) जो गोकठ गधतमेवठ ऐसा हुकम दे, गो वह रुपया भविषाउत के जगिये से डाक में भेजा जा सकगो है ।

(३) जो रुपया अमानग नयवे की गानीप से गोव वरस पुने होवे के पण्टे रश दृष्टि को नु से बदा न किया जाय, की व दोबानी बदाठग की गनक से कोई हुकम रश के वरनाउठ न करे, गो वह रुपया अमानग नयवे शठि को कपस दिया

माओजुजानी अमानग होवे का रशगिहान ।

अमानग की हुई माओ-जुजानी का बदा होना या बापस देना ।

(२) दनप्यासूत्र में उन सब वस्तुका नाम की गृह्योक्त नईप्री।  
जिन पर वर को गई है, और उन में पेट् वधान नईप्री।  
कि (अ) और (ब) की हाठगों में उन थादमी का नाम  
ठिया जायगा, जिस के हाठग में वर अमानगी रुपसा  
जमा किया जायगा।

(स) की हाठग में, उन गरीबों का नाम जिन की  
माठगुजारी अदा होनी चाहिये, या उन में  
से इनकी के नाम ठिये जायेंगे, जिन की  
थासामी वगा अके-और

(द) की हाठग में, उन थादमी का नाम, जिस की  
पिछली वान माठगुजारी ही गई थी, और  
उन थादमी या थादमियों के नाम, जो उस  
का थव दादा करने हैं ठिये जायेंगे। उस  
दनप्यासूत्र पर उस तरह से, कि आदिम कान-  
नवाई दीवानों के दंड पर में वगाया गया  
है, आसामी का, या जो वर मुकदमों की वार्गी  
को आप न जानना हो, तो उन के जानने  
वाठे किसी और शयस का दसगपुण और  
पसदीक होगा, और उसके ठिये ऐसी छीस ठी  
जायगी, जिस के ठिये ठीकठ गवर्नमेन्ट वरक  
वरक पर कायदे की नू से हुकम है।

अमानग नयी माठ-  
गुजारी की नसीद जो  
अदाठग से ही गई  
पकती सखई होगी।

दर। (२) जो उस अदाठग को जिसके यहाँ दनप्यासूत्र  
पिछली दंडे की नू से की गई है, पेट् ठियेठई है, कि  
दनप्यासूत्र देने वाठे को उस दंडे को नू से माठगुजारी  
अमानग करने का हक है, तो वर उस माठगुजारी को ठी,  
और अदाठग की मुहन के साथ उस की नसीद होगी।

(२) इस दंडे की नू से ही हुई नसीद आसामी की  
गनश से अदा किये जाने ठायक, और जपन वगाये हुए  
गौर से अमानग नयी हुई माठगुजारी के रुपये की  
सखई के ठिये, उस तरह से और उस हक एक, असन नयीप्री,  
जैसा कि उस हाठ में नयीप्री, जब कि माठगुजारी का  
रुपया पिछले दंडे की (अ) और (ब) की हाठगों में, वर  
थादमी ठेगा जो दनप्यासूत्र में, ऐसा थादमी वगाया गया

है, जिस के हिसाब में अमानगी नुपया जमा होना चाहिए।  
 उसी दंड को (स) की हाठग में रजमाती सतीक ठेके,  
 जिन की माठगुजानी बदा होवे ठायक है-औन  
 उसी दंड के (द) की हाठग में बह आदमी ठेका जिस को  
 माठगुजानी ठेके का हक था।

दृ १। (१) बह बदाठग जिस दे नुपया अमानग नया है,  
 अपनी कयहती में किसी बाण्डेह जगह पर माठगुजानी।  
 अमानग होवे का रशगिहान, जिस में सब प्यास बाणों की  
 गहसीठ नहो, ठगा हो।

(२) जो अमानग नया हुआ नुपया रशगिहान ठगावे  
 की पानीय के पोछे, पनदनह दिव के मोवन, बाणो आदे-बाणी  
 दंडे को नु से न बदा की जाय, जो बदाठग होनव दंडे द.  
 को (अ) और (ब) की हाठगों में उस आदमी पर, जो  
 दनप्यासन में ऐसा आदमी बनाया गया है, कि जिस के हिसाब  
 में अमानगी नुपया जमा किया जायगा, माठगुजानी अमानग  
 होवे का रशगिहान बिगा धर्या जानी कनेगी।

उस दंडे को (स) की हाठग में, जर्मोवन की देहागी  
 कयहती में, या उस जगह में जिस में बह जोग बाके  
 है, किसी बाणनगाह आम पर माठगुजानी अमानग होवे  
 का रशगिहान ठगा हो-औन

उस दंडे की (द) की हाठग में, ऐसे हन आदमी पर,  
 जो, बह यकीन करतो है, कि अमानग किये हुए नुपये का  
 दावा करता है या हक नयता है, उसी तरह का रशगिहान  
 बिगा धर्या जानी कनेगी।

दृ १। (१) बदाठग अमानग किये हुए नुपये को ऐसे शय्यक  
 को दे सकतो है, जिस को बह उसका हकदार समहे, या अजान मुना,  
 सिव समहे तो उस नुपये को अपने पास नय सकतो है, जब तक  
 अदालत दीवानी पेह दैसठ न कने कि नुपये का हकदार कौन है।

(२) जो ठोकठ अवधमेवट ऐसा हुकम दे, तो बह नुपया  
 मनिमार्डन के जिये से डाक में भेजा जा सकता है।

(३) जो नुपया अमानग नयते की पानीय से गोव वनम  
 पुने होवे के पहठे रस दंडे को नु से बदा न किया जाय, और  
 दावावा बदाठग को ननय से कोई हुकम रस के वनप्यासक  
 न हो, तो बह नुपया अमानग नयते-बाणों को दापस दिया

माठगुजानी अमानग  
 होवे का रशगिहान।

अमानग की हुई माठ-  
 गुजानी का बदा होना  
 या दापस देना।

जा सकता है, अतः वह उस के विषे दृष्ट्यासा देवे, और उस  
नसोद को ठीका देवे, जो उस अदाएण दे हो थी जिस के यहाँ  
माओजुजानी अभाव नथी गई थी ।

( ४ ) वजीन हिनद रजवास कौनसिओ के नाम, या  
किसी और सनकानो अइसन के नाम, किसी ऐसे काम  
के विषे जो मिच्छी दछी की नू से रुपया अभाव नथवे-  
वाओ अदाएण दे क्रिया है, जोई वागिश या और कान-नवाई  
वहीं की जा सकेगो, पर इस दछे में जो कुच विद्या है,  
किसी आदमी को, कि ऐसे अभाव के रुपये पावे का एक  
नथया है, उस शयस से वसूठ कानवे से वहीं नोकेगा, जिस  
को इस दछे की नू से वह रुपया दिया गया है ।

वाकी माओजुजानी ।

द्वामी एक दनमियावी  
या जमीन जो कि  
सह मुकनन पर  
जोगी जागी है या  
जिस पर एक दण्डी है  
वाकी माओजुजानी के  
विषे बीठान हो जा  
सकती है ।

दप । जब आसामी रसगिनतानी दनमियावी एकदान है ।  
सह मुकनन पर जोग नथवे वाओ नश्चण है, या दण्डीकान  
नश्चण है, तो वह वाकी माओजुजानी के विषे वे-दण्डी वहीं  
क्रिया जायगा, पर उस का दनमियावी एक या जोग रजवाए  
डिजानी माओजुजानी में बीठाम क्रिया जायगा, और माओ-  
जुजानी का वसूठ होना उस पर पढ़ा, दावा होगा ।

दूसरी हाठगों में वाकी  
के विषे वे-दण्डी ।

दद । ( १ ) जब ऐसे आसामी के पास जो द्वामी एक दन-  
मियावी नथवे-वाओ, या सह मुकनन पर जोग नथवे-वाओ  
या दण्डीकान नश्चण नहीं है, माओजुजानी वंजाओ वनस पूने  
होवे पर जहाँ वह वनस जानो है, या जोड महिले के  
पुणम होवे पर, जहाँ शूचरो या अठो वनस यठवा है  
वाकी पड़े, तो जमींदार आसामी को वे-दण्डी के विषे वागिश  
दायन कन सकता है, याहे उसवे वाकी माओजुजानी वसूठ  
कानवे के विषे डिजानी पाई या न पाई हो, और किसी  
कौन-कान को नू से वाकी माओजुजानी के विषे आसामी  
को विराओ देवे या उसको एक हो या न हो ।

... डिजानी में जो मुकनन के विषे वाकी माओजुजानी  
... डिजानी के मुकनन में हो जाय, वाकी  
... डिजानी में जो मुकनन के विषे वाकी माओजुजानी

होगी, और जो डिजायी की पानीय से पदार्थ है, दिन के प्रोचन, या जब अदोष पदार्थों से दिन पदार्थ हो, तो उस दिन जिस को अदोष सुते, वह सुपया और मुहूर्तमे का प्रथम अदोष किया, जाय तो डिजायी पानी नही की जायगी ।

( ३ ) अदोष कुछ पास सबों के विषे इस दृष्टे में वगैरे दुई पदार्थ है दिन की विधा को वही सकुपो है ।

६७ । वाकी माओजुपानी पर सूद वानह सुपये सैकडे साठाना के हिसाब से, योगे के वस के उस सेमाले के अयोग से, जिस में किस्म अदोष होना चाहिये, वापिस के दायर होने तक ठोगा ।

६८ । ( १ ) अग्न किस्म मुहूर्तमे में जो वाकी माओजुपानी वसूठ करने के विषे दायर किया गया है अदोष समझे, कि मुहूर्तमे वे विदा वगैर मुवास्वि माओजुपानी जाणिव-उठ-अदोष देवे मूठ गया या देवे से शकान किया, तो अदोष मुहूर्त को डिजायी दो दुई माओजुपानी और प्रथे के सिवाय, ऐसा और हरजा दियो सकुपो है, जो डिजायी दो दुई माओजुपानी पर स्प सुपये सैकडे से जेवादे न हो, और जिस को अदोष मुवास्वि समझे ।

पर शर्त ये है कि जब इस दृष्टे की नू से हरजा दिवाया जाय, तो सूद की डिजायी न होगी ।

( २ ) अग्न किस्म मुहूर्तमे में जो वाकी माओजुपानी के वसूठ करने के विषे दायर किया जाय, अदोष को विचार है, कि मुहूर्तमे वे विदा वगैर माओजुपानी को है, तो अदोष मुहूर्तमे को व-गोन हरजे के शकान सुपया दियो सकुपो है, कि मुहूर्तमे के दायरे के सुठ सुपये पर स्प सुपये सैकडे से जेवादे न हो, जैसा अदोष ठोक समझे ।

माओजुपानी जो किस्म ने हो जायो है वा माओजुपानी ।

६९ । ( १ ) जहाँ माओजुपानी पैदावान के अदोष वा वगैरे से हो जायो है ।

( २ ) जो जमोदार वा शकान काय वा जमरे के नू से अदोष वा वगैरे के अदोष ठोक समझे वा

वाकी माओजुपानी पर सूद ।

विदा वगैर मुवास्वि माओजुपानी न देवे के विषे वा विदा सयव किस्म मुहूर्तमे पर वापिस करने के विषे हरजा दिवाने का शकियार ।

पैदावान की अदोष वा वगैरे के विषे अदोष देना ।



( ५ ) कठजल अथवा मुवासिव समझे गो उस अमन को, जिस पर दोनों पक्षों के बीच में हुआ होगा है, अदालत दीवानी के सुझावों के विषे पेश कर सकता है, पर जपन वगैरे हुए गौन के गावे हो कर उस का हुकम नागिक होगा, और जमींदार या आसामी के दीवानी अदालत में दखलासफ देने पर, डिग्री के गौन पर मामोद किया जायगा ।

( ६ ) जहाँ अशुद्ध कनकूण करना है, कनकूण के कारण कठजल को कयहनी में दायिम किया जायगा ।

७२। ( १ ) जहाँ पैदावार की कनकूण पर माओजुगानी ठी जागी है, आसामी विरुद्ध पैदावार पर दायिम का हक नयेगा ।

जिन्स पर दायिम का हक और जवाबदारी ।

( २ ) जहाँ माओजुगानी वटार से ठी जागी है, आसामी को ज्ञानी पैदावार के नये का हक होगा, जब तक वह बाँटी न जाय, पर उस को ये हक न होगा, कि पठियाव से पैदावार के किसी हिस्से को, ऐसे बरक या इस तरह से अग्रा करने, जिस से वह ठीक बरक पर ठीक बाँटी न जा सके ।

( ३ ) दोनों हाथों में आसामी को ये हक होगा, कि वह पैदावार को ठीक बरक पर काटे, और शकूटा करने, और जमींदार उस में कुछ दसप-अवदाजी न करे ।

( ४ ) जो आसामी पैदावार का कोई हिस्सा ऐसे बरक और इस तरह से अग्रा करने, कि उस का ठीक कनकूण या वटार ठीक बरक पर न हो सके, गो पैदावार को शकूठ ऐसी मानी और पूरी समझी जायगी, कि जैसी आस-पास की उसी किसम की जमीन में, उसी किसम की शकूठ के विषे सब से बड़ के कनकूण की गर है ।

जमींदार के वदवे पर या दनियानी हक या जोग के शकिकार होवे पर, माओजुगानी अदा करने को जवाबदारी ।

७२। ( १ ) आसामी जब उस के जमींदार का हक किसी और को शकिकार किया जाय, हक पावे-वाठ के यहा उस माओजुगानी के विषे जवाबदारी न होगा, जो हक शकिकार होवे के पीछे अदा करने, वायकू हक, और उस जमींदार को हो गर जिस का हक इस तरह से दखलित हुआ था,

आसामी उस माओजुगानी के विषे, जो उसने अग्रा जमींदार को सिवा पावे-वाठ विषे शकिकार के



( व ) जो पैदावार की गणना, क्रम, या वटार की विवक्षित हो, तो कठजत किसी धर्मिक की दायित्व पर, और जब वह अपने के विरुद्ध शपथ या जमाना करने विवक्षित कठजत करे, पैदावार को कवरूपा या वटार के विषये ऐसी अशुसन मुकदमा कर सकता है, जिस को वह उस काम के साथ सम्भरे ।

( २ ) ऐसी दायित्व व गुणवत्ता पर जो कठजत किसी ऐसी हाठ में, जिस में विषये या सब-विषयों के मीटिंग्स की नाय में ऐसा हुकम देना होगा धर्मिक को रोक सकता है, ऐसीही हुकम दे सकता है ।

( ३ ) जब कठजत इस दृष्टि के मुनासिब हुकम देना है, तो जब वह पैदावार की कवरूपा या गलतीम व ही जाय, वह ऐसा हुकम दे सकता है, कि जिससे वह एक वही से हटाया व जाय ।

कान-नवाँरि जहाँ अशु-सन मुकदमा किया जाय ।

७ । ( १ ) जब कठजत पिछली दृष्टि को नू से किसी अशुसन को मुकदमा करने, तो वह ध्यान मुनासिब सम्भरे, उस अशुसन को यह हुकम दे सकता है, कि अपने साथ यह आदमियों को असेसन को गनह नये, और उन असेसियों ( जो करि हो ) के सुनने के गौर, उन को गणना और विवक्षित की निवतण, और उस कान-नवाँरि के विषये जो कवरूपा या वटार में करना चाहिये, कुछ हिदायत कर सकता है और वह अशुसन ऐसी हिदायत के व-मुजिव काम करेगा ।

( २ ) वह अशुसन कवरूपा या गलतीम करने के पहले उस धर्मोदान और आसामी करे, उस वक़्त और जहाँ की शपथ देगा, जहाँ कवरूपा या वटार होगी, पर जो धर्मोदान या आसामी आप या गुनाशरी के जामिये से हाजिर व हो, तो वह कान-नवाँरि एक गनखा कर सकता है ।

( ३ ) कवरूपा या गलतीम करने के बाद, वह अशुसन अपनी कान-नवाँरि को एक रिपोर्ट कठजत के पास भेजेगा ।

( ४ ) कठजत उस रिपोर्ट पर गौर करेगा, और हीनो धर्मोको को जो कुछ कहना हो वह सब सुनेगा, और ऐसी गलतीकरण ( जो कुछ हो ) के बाद जिस को वह जानूँ सम्भरेगा है, उस पर ऐसा हुकम देगा जिस को वह वाजिव सम्भरे ।

( ५ ) कठजन अंग मुनास्त्रिय समझे गो उस अमर को, जिस पर दीनों पनखों के बीच में हटाड़ा होना है, अदातर दीवानो के खेसठे के ठिपे पेश कर सकना है, पर जपर वनाये हुए गौर के पाये हो कर उस का हुकम वागिक होगा, और जर्मोदान या आसामी के दीवानो अदातर में दनुष्यासण देवे पर, डिजानी के गौर पर पामोठ किया जायगा ।

( ६ ) जहाँ अथुसन कनकूण करण है, कनकूण के कोणुणोण कठजन की कयहनी में दायिठ किया जायगी ।

उ० । ( १ ) जहाँ पैदावान की कनकूण पर माठगुणानी ठी जागी है, आसामी विठकुठ पैदावान पर द्युठ का हक नयेगा ।

जिनस पर द्युठ का हक और जवावदही ।

( २ ) जहाँ माठगुणानी वटाई से ठी जागी है, आसामी को सानी पैदावान के नयवे का हक होगा, जब तक वह वांठी न जाय, पर उस को येह हक न होगा, कि यठियाव से पैदावान के किसी हिस्से को, ऐसे बरकण या इस तरह से अठग करने, जिस से वह ठीक बरकण पर ठीक वांठी न जा सके ।

( ३ ) दीनों हाठगों में आसामी को येह हक होगा, कि वह पैदावान को ठीक बरकण पर काटे, और इकट्टा करने, और जर्मोदान उस में कुछ दसन-अनवाणी न करने ।

( ४ ) जो आसामी पैदावान का कोई हिस्सा ऐसे बरकण और इस तरह से अठग करने, कि उस का ठीक कनकूण या वटाई ठीक बरकण पर न हो सके, गो पैदावान को दसठ ऐसी मानी और पूरी समझी जायगी, कि जैसी आस-पास की उसी किसम की जमीन में, उसी किसम की दसठ के ठिपे सब से वर के कनकूण की गई है ।

जर्मोदान के वदवे पर या दनभियागी हक या जोग के इगिकारो रोवे पर, माठगुणानी अदा करने को जवावदही ।

उ० । ( १ ) आसामी जब उस के जर्मोदान का हक किसी और को इगिकारो किया जाय, हक पादे-बाठे के बरक उस माठगुणानी के ठिपे जवावदही न होगा, जो हक इगिकारो रोवे के बरक अदा करने-वाले हुए, और उस जर्मोदान को हो गई जिस का हक इस तरह से इगिकारो हुआ है ।

आसामी इस माठगुणानी के ठिपे जो उससे कनकूण पैदावान को दिया जावे, जो दिया जावे, जो

दिया था, उस श्पुस के पास जवाब देह न होगा, जिस को साविक के जर्मोदान ने अपना हक श्पुसिकाठ किया है ।

हक श्पुसो को जोर श्पुसिकाठ होवे पर माठगुजानी के विषे जवाबदिहो ।

अवभाव जगैरह आरिन के पिठाशु हे ।

जो माठगुजानी काविक यदा मे जेपादे रुपया जर्मोदान आसामी मे श्पुसिकाठ आरिन ठे, उन् के विषे जवाब ।

पर सिधे उंस हाठग में जवाबदेह होगो, कि जव हक प वाठे ने रुपया अदा होवे के पहरे हक श्पुसिकाठ होवे श्पुसिकाठ आसामी को दी हो ।

( २ ) जव उस जर्मोदान को, जिस का हक मुगल कुश्रा है, एक से जेपादे आसामी माठगुजानी देगे है, उस हक के मगठव के विषे येह काछी होगा, कि हक प वाठा उन सब आसामियों के नाम एक आम श्पुसिकाठ देकन, उस को उस गौन से मुशरहिन करने कि जैसा हुक दिया गया है ।

उठ । जव कोरि हकठकान नश्यप, विठा मर्णी अप जर्मोदान के अपनी जोर को श्पुसिकाठ करना है, तो हक श्पुसिकाठ जनवे-वाठा और हक पावे-वाठा अठग अठग और शजभाठी गौन पर, जर्मोदान के यहा उस वाकी माठगुजानी के विषे जवाबदेह होगो, जो हक श्पुसिकाठ होवे के पीछे वाकी पड़े, पर उस हाठग में नही, कि जव श्पुसिकाठ होवे को श्पुसिकाठ देनाए हुए गौन से जर्मोदान को दी गई है ।

वे-आरिन अवभाव जगैरह ।

उ४ । आसामियों पर अवभाव, महगुण, या और रसी परह के ठगये हुए हक किस्म के महसूठ, जो असठ माठगुजानी के सिवाय विषे जाते है, वे-आरिन समहे जायगी और उन के अदा करने के विषे सब कौठ-कान और सतूगे किस्मभी होगो ।

उ५ । हक आसामी जिस से ( किसी पास आरिन को नू से, जो उस वरुण जानो हो, छोड कर ) कुछ रुपया या उस की जर्मोदान की पैदावान का कुछ हिस्सा, आरिन को नू से दिये जावे ठायक माठगुजानी के सिवाय, जर्मोदान की परतु से पिठाशु आरिन दिया जाय, तो ऐसे ठेके के हक, महीवे के जोरन, जर्मोदान से ऐसी ठी, हुक श्पुस को पादाह या दाम के सिवाय, ऐसा रुपया जर्मोदान के गौन मे वसूठ करने की वागिग कर सकगा है, जिस को अठगठ दुवास्त्रिय समहे, और जो दो सौ रुपये से जेपादे न हो, या जव ऐसे ठी हुक श्पुस का हुजवा दाम दो सौ रुपये से जेपादे नो, ना अपना रुपया जो उन् हुजवे दाम या पादाह

## नम्रां वाव ।

जमीन और आसामी के विषे कृषायः

मुपशुद्धिका ।

जमीन की विधाकरण वढ़ाना या सुधानने

का सामान करना ।

७६। (१) इस ऐक के मनागिव के विषे सुधानने का सामान या जमीन की विधाकरण वढ़ाने से, जब वह ठुण्ण नश्रण की जोग के विषे र्शुगिभाठ किये जायं ऐसा काम समहा जायगा, जिस से जोग का काम वढ़ना है, और जो जोग के विषे और उस काम के विषे, जिस के वासगे वह पट्टे पर ही गई थी ठीक है, और जो जोग पर नहीं बनाया गया है, वो उस के ठीक थायदे के विषे बनाया गया है, या बनाये जाने पर उस को प्वास थायदा पढ़ुंयागा है ।

सुधानने का सामान या जमीन की विधाकरण वढ़ाने की गानीछ ।

(२) जब एक इस के वर्षिंठाथु व दिव्यठाया जाय, बायो वगाये हुए काम, हसव मनुशा इस दहे के, जमीन की विधाकरण वढ़ाने-वाढे काम समहे जायेंगे ।

(अ) कुत्रे, गठाइ और पानी के नाठों का ववाना, और ऐसे काम ववाना, जिन से जोग के विषे या उन आदमी और औपायो के विषे, जिन से जोग का काम ठिया जागा है, पानी रकटा किया जाय पढ़ुंयाया जाय या वाटा जाय ।

(व) पानी पटाने के विषे जमीन का, रश्थान करना ।

(स) ऐसी जमीन का जो जनाशण के काम में थागी है, या पढगी जमीन का जो कानिठ जनाशण है, पानी निकालना, या उन को दनया और पानी से निकालना, या सैठाव या पानी के कटने से या और किसी तरह के लुकसान से बचावा, जो जमीन को पानी से पढ़ुंयगा है ।

(द) जमीन को काशण में ठाना, और जोग के विषे साश करना, वेनना, या हमेशे के विषे सुधानना ।

(ध) सपन वगाये हुए कामों से किसी का नये सिन से ववाना, या गवठीठ करना, या उन में कृश वढ़ाना-और

( ६ ) नश्यत और उस के धन के आदिमियों के विषे नहवे के भायक धन, और उस के साथ जूनूरी औशादा वजौनह वनावा ।

( ३ ) पर कोई ऐसा काम जिस को जोग नषवे-वाठा नश्यत वनावे, इस ऐक के भागव के विषे जमीन की विधाकण वढावे-वाठा काम नहीं समहा जायगा, अगन इस उस के प्रमीदान की जायदाद का दाम बहुत कुछ धराणा है ।

अनह मुकने पर जोग नषवे की हाठण में, और जहाँ एक द्युगी है उन हाठणों में, जमीन को विधाकण वढावे का एक ।

७७। ( १ ) जहाँ नश्यत अनह मुकने पर जमीन नषणा है, या अपनी जोग पर एक द्युगी नषणा है, तो न नश्यत और न उसके प्रमीदान को, येह एक होगा, कि जोग की निस्वण जमीन की विधाकण वढावे में एक दूसरे को रोके, सिवाय उस हाठण के, कि जब वह आय उस काम को करना याहण है ।

( २ ) जो नश्यत और प्रमीदान दोनों जमीन की विधाकण वढावे के विषे एकही काम करना याहें, तो नश्यत को उस के करने का पहला एक होगा पर उस हाठण में नहीं, कि जब वह उसी प्रमीदान के भागहण दूसरी जोग या जोगों पर असन पहुंचाया है ।

आदिम कठजन जमीन की विधाकण वढावे के एक के वाने में दूसरा करेगा ।

७८। जो कोई हठाड़ा नश्यत और प्रमीदान के बीच में ही-

- ( अ ) जमीन की विधाकण वढावे के एक की निस्वण-वा
- ( व ) इस विषे कि किसी प्यास काम के करने में जमीन की विधाकण वढेगी या नहीं, तो कठजन दोनों युक्तों में से किसी की दमप्राप्त पर, इस बात को दूसरा कर सकता है और उस का दूसरा करके होगा ।

एक द्युगी नषवे को कठज के जमीन को विधाकण वढावे की नश्यत

७९। ( १ ) जो द्युगी नश्यत का येह एक होगा, कि अपनी जोग में पानी पशाने के विषे कुछा और इस के मुकदमिक जो जो काम वनावा हो वनावे, या उन को कठजन नश्यत और नश्यत करने, और अपनी और वर के आदिमियों के विषे नश्यत के भायक धन और जूनूरी औशादा वजौनह वनावे; पर इन वजौनह हूके और जो विधि हूके आदिमियों के विषे कठज नश्यत प्रमीदान के विधाकण वढावे का नश्यत के नश्यत का विधि हूके वनावे का एक इस को नश्यत है

( २ ) ग़ैर दृष्टान्तान नश्याण जो अपनी जोग की ज़मीन की विधाकरण वढ़ावे के विषे किसी काम करने का हक़ नश्याण है, पर उस का ज़मीनान श्याणण वही देगा है, अग़ान वह ग़ाहे कि ऐसा काम किया जाय, गो वह अपने ज़मीनान की एक विषो हुर दन्यासाण उस मजमून की दे सकगा है, या उस के यहा दियो सकगा है, कि वह मुवासिव वरकण के अदन उस काम को कने, और जो ज़मीनान उस दन्यासाण पर अमठ न कर सके या न कने, गो नश्याण उस काम को आप कर सकगा है ।

८० । ( १ ) ज़मीनान ऐसे भाठ के अशसन के पास कि जिस को ठोकठ ग़वर्नमेण्ट मुकरर कने, ऐसी ज़मीन की विधाकरण वढ़ावे की नज़िरती के विषे दन्यासाण दे सकगा है, जो उस के आरब की नू से किया है, या जो उस के प्यरे से आरब की नू से किया गया है, या जिस के करने में उस के आसामी की मदद दी है ।

ज़मीनान की कोशिश से जो ज़मीन की विधाकरण वढ़ो है उस की नज़िरती ।

( २ ) दन्यासाण ऐसे नमूने की होगी और उस में ऐसी वागे नहोगी, और वहकोकार सनज़मीन या और ऐसे गीन से गसदीक़ की जायगो, जिन्ना ठोकठ ग़वर्नमेण्ट कापदे की नू से वरकण वरकण पर हुक़म है ।

( ३ ) दन्यासाण ठेके-दाठा अशसन, जो वह दन्यासाण वानह महीदे के जोगन नीये विषो हुर गानोप्य से न दी जाय, गो उस को वा-मंगलून कर सकगा है ।

( ४ ) ऐसी ज़मीन की विधाकरण वढ़ावे की हाठग में, जो इस ऐज़ के जानी होवे के पदो किया गया है, इस ऐज़ के जानी होवे की गानोप्य से ।

( ५ ) ऐसी ज़मीन की विधाकरण वढ़ावे की हाठग में, जो इस ऐज़ के जानी होवे के थिछि किया जाय- उस काम के प्यम होवे की गानोप्य से ।

८१ । ( १ ) अग़ान किसी जोग का ज़मीनान या श्यानी आगे, कि उस की ज़मीन की विधाकरण वढ़ावे का मुक़्त क़मवन्द किया जाय, गो वह किसी भाठ के अशसन ( ग़ेदेसिउ अशसन ) के पास दन्यासाण कर सकगा है, जो

जमीन की विधाकरण वढ़ावे का मुक़्त क़मवन्द करने के लिये है ।

ऐसे वक्रण और जगह जिस को शक्ति शरीर को दी जायगी, उस सुवृत्त को कर्मवर्द्ध करेगा। पर उस हाथ में नहीं, कि जब वह ऐसा समझता है, कि दृष्ट्यासा देवे के विषये कोई वक्रण माकूठ नहीं है, या उस को यह विषय जाय, कि दावा को दुर्क यीण को अदाएन दीवाणी में गहरीकरण हो रही है ।

(२) जब कोई वाग इस दृष्टि को नू से कर्मवर्द्ध दुर्क है, तो वह व-गीन सुवृत्त के किसी ऐसी पिच्छी कान-नवाँर में ठी जा सकेगी, जो जमींदान और आसामी या और शक्तियों के बीच में हों, जो उन के भागएन दावा करने हैं ।

नश्यत को कोशिस से जो जमीन को विद्या-करण बढ़ी है उस के विषये गवाही ।

८२ । (१) इन नश्यत जो अपनी जोग से वे-दृष्टि किया गया है, यह एक नयेगा, कि उस वे या उस के पहले क्लदानों वे, इस एक को नू से, जोग की निरवण, जो काम जमीन को विद्याकरण बढ़ाने के विषये किये हैं और जिस के विषये अब एक गवाही नहीं दी गई है, उस के विषये हनपा पावे ।

(२) जब कभी अदाएन किसी नश्यत के वे-दृष्टि के विषये डिजानी या हुकम दे, तो वह इस वाग को गजवीण करेगी, कि नश्यत को इस दृष्टि को नू से जमीन को विद्याकरण बढ़ाने के विषये कियेना जुपया व-गीन गवाही के दिया जायगा, और वे-दृष्टि का हुकम या डिजानी उस सकण देगी, कि जब नश्यत को वह जुपया अदा किया जाय ।

(३) इस दृष्टि को नू से किसी ऐसी जमीन को विद्याकरण बढ़ाने के काम के विषये गवाही का दावा नहीं किया जायगा, जब नश्यत ने किसी कानन या पट्टे का पावएन होकर किसी जानी थायदे के पावे के वासते, विद्या पावे गवाही के, उस कान को किया है, और वह थायदा उस ने पाया है ।

(४) जमीन को विद्याकरण बढ़ाने के विषये जो कोई काम नश्यत ने काननो मायं अब एवएन और इस दृष्टि के वासते देते के बीच में किये हैं, वह इस एक को नू से विद्याकरण बढ़ाने जायगी ।

(५) ठोकठ गजबंभेवट वरुण वरुण पन सनुकारी गजठ में इक्षिणहान क्षाप जन, अशरण की इस वाण को हियाण करने के विषे कायदे वनावेगी, कि वह जमीन को ठियाकण बढ़ाने की गठाये, का गण्यमीना करने के वासणे, जो इस दखे की नू से दिगया जाय, शाने असेसन अपदे साथ नये. गिरावे ठोकठ गजबंभेवट मुनासिव समहे, और उन असेसनों की ठियाकण और उन के युवदे का गीन उरानवे के विषे भी कायदे वनावेगी ।

उउ । (१) उस गठाये का गण्यमीना करने के विषे, जो पिक्की दखे की नू से जमीन को ठियाकण बढ़ाने के विषे हो जाय, आगे वगारि दुई वाणों पन ठियाण किया जायगा ।

गठाये विगाने के कायदे ।

(अ) जोग का दाम या पैदावान. या उस पैदावान का दाम, जमीन को ठियाकण बढ़ाने के काम से कियवा बड़ा है ।

(ब) जमीन को ठियाकण बढ़ाने-वाठे काम की हाठण, और कव गल उस का असन नह सकण है ।

(स) उस मजदूरी और पूजो पन, जो ऐसी जमीन को ठियाकण बढ़ाने के विषे याहिये ।

(द) माठगुजानी की गण्यशुद्ध या माथी पन, या किस्ती और कायदे पन, जो जमीनान वे उस जमीन को ठियाकण बढ़ाने के विषे नरअण की दिया है-औन

(य) जब जमीन पहठे पहठ जोगी जागी है, या ऐसी जमीन जो कमी परारि नही गरि थी, पराने के ठायक को जागी है, तब उस दुदण पन, कि जब तल नरअण वे उस जमीन को ठियाकण बढ़ाने-वाठे काम से इ-पदा दयाया है, वगैर देवे बेकी माठगुजानी ने ।

(१) जब गठाये की गठाने उरानि या चुके, की मडानण जो जमीनान की नरअण मारस ने नाली ने, येन काम हे सकणी है, कि गठाये विदकुठ नुयये ने क्या विषे जाने को जगस, इर काना या कुछ विषये इर का किस्ती और गद से क्या विषये जाय ।



मकान बनावे और दूसरे कामों के लिये जमीन हासिल करना ।

मकान बनावे और दूसरे कामों के लिये जमीन हासिल करना ।

८४। अदातत दीवानो किसी जोग के जमींदार की दरखास्त पर, और इस वाग का यकीन होवे पर कि वह किसी ऐसे माकूठ और पूरे काम के लिये, जो उस जोग या महाल की गठार के लिये है जिस में वह जमीन है, जोग की जमीन या उस के हिस्से को ठेका याहगा है, और उस को मकान बनावे के लिये या मजहब, गारोम, या पैनाग के काम के लिये इस्तिमात करना याहगा है, और कठकत के सर्दिक्रिकेट से यह यकीन होवे पर, कि वह काम माकूठ और पूरा है जमींदार को ऐसी शर्तों पर जमीन ठेके का इम्फियात दे सकगी है, जैसा अदातत मुनासिब समझे, और आसामी को हुकम दे सकगी है, कि उस जमीन का खाना हक या उस के किसी हिस्से का हक, जमींदार को ऐसी शर्तों पर देवे जिन को अदातत आसामी को पूरी गठाड़ी दिवाकर मंजूर करे ।

शिकमी पट्टे देना ।

शिकमी पट्टे देवे के लिये कैंद ।

८५। (१) जो नरथग नजिस्ती को हुई दरखावेज के सिवाय किसी और गनह से शिकमी पट्टा दे, तो वह शिकमी पट्टा उस के जमींदार के वर्धिठाठु जायज न होगा पर उस हातमें कि जब जमींदार को मर्जों से दिया जाय ।

(२) नरथग अगल ८ वरस से जेयादे मियाद के लिये शिकमी पट्टा दे, तो वह नजिस्ती के लिये नहीं दिया जायगा ।

(३) जब नरथग ने विना मर्जों जमींदार के इस ऐत के जानी होवे के पहले, नजिस्ती को हुई दरखावेज की नू से शिकमी पट्टा दिया है, तो वह पट्टा इस ऐत के जानी होवे के पीछे ८ वरस से जेयादे मियाद के लिये जायज न होगा ।

अगोया देना और जमीन छोड़ देना ।

अगोया देना ।

८६। (१) जो नरथग पट्टे या किसी कौठकना को नू से, किसी मुदत तक के लिये पावनद नहीं है, वह जेगो के वरस पूरे होने पर, अपनी जोग को खू दे सकगा है ।

( २ ) पर इसीका देवे के वाद भी, नश्वर को उस जोग को जिसका उस योगी के साठ की भाग्युपारी का पिताना मन देना होगा, जो इसीका देवे को पानीय के पीछे थापा है, पर सिद्ध उस हाथ में नहीं, कि जब वह अपने जर्मिदान को इसीका देवे के कम से कम गीत महीने पहले, अपने श्रादे की शक्ति दे ।

( ३ ) जब नश्वर अपनी जोग की इसीका दे युक्त है, अतएव जब वह इस के वर्धिकाय व सावित्र किया जाय, जामोमे इसके ( २ ) के मनापित के विषे, नीचे विषो हाथों में कयास करनेगी, कि ऐसी शक्ति हो गई थी—यानि

( अ ) जो नश्वर उसी गात्र में उसी जर्मिदान से योगी के उस वनस में, जो इसीका देवे के पीछे थापा है, वह जोग में ।

( व ) जो नश्वर योगी के उस वनस के प्रथम होवे से कम से कम गीत महीने पहले, जिस के अर्पित होवे पर उसने इसीका दिया है, उस गात्र में रहना छोड़ दे, जिस में इसीका हो दुई जोग ब्राके है ।

( ४ ) नश्वर जो मुनास्त्रि समझे, जो शक्ति उस होतानी अतएव के जन्मिये से, जिस की हृद स्थान के अवन वह जोग या उस का कोई हिस्सा ब्राके है, गामोठ बना सकना है ।

( ५ ) जब नश्वर ने अपनी जोग का इसीका दिया है, जो जर्मिदान उस जोग को हस्त बन सकना है, और वा गो-उस को किसी और भासामो को पढ़े दे सकना, या आप उस को जोग सकना है ।

( ६ ) जब किसी जोग पर नजिबरी किया हुआ है, जो जोग का इसीका देना जब वह जायज व होगा, जब वह वह जर्मिदान और देवे देवे-साठे को निजानवही से न दिया जाय ।

( ७ ) इस से पिछले जामोमे इसके में वगैरे दुई अर्थात् को छोड़ कर, इस देवे में कोई ऐसी वगैरे हैं, जो नश्वर और जर्मिदान को उस सारी जोग या हस्त के किसी किसी के इसीका देवे के विषे, आपस में वगैरे-वगैरे करने से नोके ।

जमीन छोड़ देना ।

८७। (१) जो नश्वर अपनी मूर्ति से अपने जमीन को वे-शक्ति दी, और उस को मातापुत्री वाकी पदों पर अज्ञान के द्विपे कुछ वन-ओ-वज्र व-जैत किये, अपने नहने को छोड़ दे, और अपनी जग को आप या किसी और आत्मी के जगि से छोड़ दे, तो जमीन उस जग के साठ के पुण्य होने पर, जिस में नश्वर ने इस तरह से जग को छोड़ दिया है, और कश्च का काम वह कर दिया है, किसी वक्रण उस जग को अपने द्यु में ला सकता है, और उस को दूसरे आत्मी को पढ़े पर दे सकता है, या आप जग सकता है ।

(२) जमीन इस दृष्टि को नू से द्यु करने के पहले, उठाने हुए गौर पर, कश्चन की क्यहरी में इस वाग का शक्ति-नामा दायित्व करेगा, कि वह उस जग को छोड़ दी हुई समझ कर अपने द्यु में लावे को है, और कश्चन उस शक्ति-नाम को इस तरह से मुशरहित करेगा, जैसा ठीक-जगतेमेवट कायदे की नू से विचार करे ।

(३) जब जमीन इस दृष्टि को नू से द्यु करे, तो नश्वर को हक होगा कि शक्ति-नाम के मुशरहित होने को पानीय के पीछे, किसी वक्रण जो दी वनस से जेयादे, या जैत द्युकाव नश्वर की हाठ में, छः महिने से जेयादे न हो. उस जमीन को द्युयावी के द्विपे वाग्निश दायन करे; और जब अज्ञान, अज्ञान उस को इस वाग का यज्ञन हो, कि नश्वर ने अपनी मूर्ति से जग नहीं छोड़ दी है. बुद्धमान पदुंय-पे हुए ठीकों को हनजा देवे, और वाका मातापुत्री अज्ञान के निरवण ऐसी शर्तों पर, ( जो कुछ हो ) जग को अज्ञान करीव शक्य समझे, द्युयावी का हक दे सकता है ।

(४) जब कोई मानी जग या उस का कोई किसी नश्वर को हुई समयात्क को नू से निकली पढ़े पर जग जग है. जमीन इस दृष्टि को नू से उस जग का द्यु करने के पढ़े, मानी जग निकली पढ़े को मनी जग के द्विपे, किसी पढ़े-द्वय को उस मातापुत्री पर, जो नश्वर के करण का, जो अब उस जग

का छोड़ गया है, और इस शर्त पर कि वह सब माओ-जुआनी जो उस नश्वर के ज़िन्मे वाकी पड़ी हो अदा करे, देने की ग्वाहिश ज़ाहिर करेगा। अतः वह शिकमी पट्टेदान मुनासिब वरग के अन्दर इस वाग को मन्जूर न करे, वो ज़र्मेदान शिकमी पट्टे को नद करके जोग को दप्पुठ में ठा सकगा है, और किसी दूसरे आसामी को नये पट्टे पर दे सकगा है, या आप उस को जोग सकगा है, जैसा कि ज़मीमे दखे १ और २ में बराया गया है।

जोग को गकसीम करना।

८८। अतः कोई दरमियानी हक या जोग या उस की माओजुआनी गकसीम की जाय, वो ज़र्मेदान उस का पावंद न होगा, पर उस हाठग में, कि जब उस ने अपनी निज़ामवदी ठिप्य कर ज़ाहिर की है।

अतः बिना मन्जूरती ज़र्मेदान जोग गकसीम की जाय वो बर उस का पावंद न होगा।

वे-दप्पुठी।

८९। कोई आसामी अपनी जोग या दरमियानी हक की ज़मीन से, सिवाय रज़नाय डिजानी के ज़िनये से, वे-दप्पुठ नहीं किया जा सकगा।

सिवाय रज़नाय डिजानी के ज़िनये से वे-दप्पुठी नहीं हो सकगी।

पैमाग़।

९०। (१) मन्जुरे शर्त इस दख़ा और किसी कौठ-क़ुरान के, पुद ज़र्मेदान या कोई और अयस ज़िन्स को वह उस ज़ान के ज़िये इय्पियायन दे, उस ज़मीन को छोड़ कर जो अदर अनकानी माओजुआनी से भाइ है, उग सब ज़मीनीय पर जा कर पैमाग़ कर सकगा है, जो उस को मनाब या दरमियानी हक की ज़मीन के अन्दर बाजे है।

ज़मीन का एक जानान पैमाग़ करने का।

(२) ज़र्मेदान वज़ीर निज़ामवदी आसामी के या गवनीनी रज़ाजग क़रखन के पैह हक न नयेगा, कि इस बरस में एक दहे से जेबादे, बाजे बराई दुई हाठगो को छोड़ कर ज़मीन की पैमाग़ करे-यावि

(३) ज़री दरमियानी हक की ज़मीन या जोग का नक़्वा, धानी के बरस से, बरस बरस ८८ बनगा है, और माओजुआनी नक़्मे के दुर्गिक हो जागी है।

हुकम गामोठ व होवे  
से भवेणन मुकनेन  
करने क र्णगियान ।

एष । जो रणभाठी भाठिक ऐसे वरुण के अवन, कि  
पिछठी दखे की नू से हुकम देने के पीछे एक महीने से  
कम न हो, जैसा कि जिणे का जण इस काम के लिए इस्तीफा  
या जहाँ हुकम उस दखे की नू से गामोठ किया गया है, तो  
ऐसे गामोठ होने के पीछे उसी वरुण के भीतर रणभाठी भवे-  
णन, मुकनेन व कने, और जण की रणगिठा के लिए एकनुंगी  
की रिपोर्ट व कने, तो जिणे का जण उस हाठ को छोड़  
कर, कि जब उस की ये वार अथी गनह से रिपोर्ट  
जाय, कि मुवास्वि वरुण के अवन अथे वनह-ओ-वसन किसे  
जाने की उम्मीद है ।

( अ ) ये हुकम दे सकगा है, कि उस महाठ या दरमियागी  
हक की जमीन का वनह-ओ-वसन कोर्ट आफ  
वाउ के रोजे किया जाय, अगर कोर्ट आफ  
वाउस उस का वनह-ओ-वसन अपने हाथ में ठेने  
के विषे राजी हो ।

( व ) किसी हाठ में भवेणन मुकनेन कर सकगा है ।  
एष । ठीकठ गवर्नमेण्ट किसी नकवे के भीतर जिस के विषे  
पिछठी दखे के कठाज ( व ) की नू से भवेणन मुकनेन  
करना जानू हो, सब महाठ और दरमियागी हक वाली  
जमीन का वनह-ओ-वसन करने के लिए किसी गणुस को  
नामजद कर सकगी है, और जब कोई गणुस इस गनह से  
नामजद हुआ हो, तो उस कठाज की नू से जिणे का जण  
किसी और आदमी को भवेणन मुकनेन नहीं करेगा, पर  
उम हाठ में कि जब किसी महाठ के विषे, जण रणभाठी  
भाठिकों में से एक को भवेणन मुकनेन करना मुवास्वि अनई ।

पिछठी दखे के कठाज  
( व ) की नू से हन  
हाठ में काम करने  
के विषे किसी गणुस  
को नामजद करने का  
र्णगियान ।

एष । ऐसी किसी हाठ में जिस में कोर्ट आफ वाउस  
है, एष की नू से किसी महाठ या दरमियागी हक की  
जमीन का वनह-ओ-वसन अपने हाथ में ठेना है, कोर्ट आफ  
वाउस कोर्ट आफ वाउस को बताने जो माठ गैर-नदखे  
के वनह-ओ-वसन से गवर्नमेण्ट नकगी है, उस वनह-ओ-वसन  
के विषे काम में आयेगा ।

कोर्ट आफ वाउस  
है, एष की नू से  
कोर्ट आफ वाउस के  
व नदखे के वनह-ओ-वसन  
के विषे काम में आयेगा ।

एष । ( अ ) भवेणन जो दखे एष की नू से मुकनेन  
किया गया है, अगर जिणे का जण मुवास्वि अनई  
मेचरों के हिस में मुकनेन गनह, या इस के

एष की नू से मुकनेन  
किया गया है

गहरीयों को जिनके लिए उपयुक्त से सेकड़े के हिसाब से कुछ उपधा, या कुछ एक गहर से और कुछ दूसरी गहर से पावेगा, जैसा कि जिनके का जण बरकत बरकत पर हुकूम है ।

( २ ) वह अपना काम अपनी गहर से करने के लिए ऐसे आभाव देगा, जिस के लिये जिनके का जण हुकूम है ।

( ३ ) वह व-विशाली जिनके जण बरकत-ओ-वसूत के लिये वह श्रमियाराग नयेगा, जो शरीरकान माणिक उर के मुकुरा व होने की हाठण में शमाओ गौर पर शमठ में ठागे, और वह शमाओ माणिक ऐसे कोई श्रमियार नहीं नयेगा ।

( ४ ) वह जिनके जण के हुकूम के मुगाविक सब वये का गदानुक और गहरीयों को नयेगा ।

( ५ ) वह वा-जावगा हिसाब नयेगा, और शरीरकान माणिकों की या उर में से किसी को, ऐसे हिसाब देयवे और उर की बरकत ठेवे देगा ।

( ६ ) वह ऐसे बरकत और ऐसे बरकतों में, जिस के लिये जिनके का जण हुकूम है, अपने हिसाबों को पास नयेगा ।

( ७ ) वह ऐसे दान्यास दे सकगा है, जो माणिक ऐसे २०३ की नू से दे सकगे थे ।

( ८ ) वह सिधे जिनके जण के हुकूम से मौकूय किया जा सकगा, और किसी गहर से नहीं ।

है । जब कोई महार या दानियाली हक को जनेव श्रमियार के लिये कोई बाय बाईस के हकसे किया गया है, या ऐसे हक को नू से उर के लिये नयेगा, मुकुरा हुआ है, जो जिनके जण किसी बरकत पर हुकूम दे सकगा है, कि उर के श्रमियार का काम शरीर माणिकों के हक में वापस दिया जाय, जो उर को बकोव हो कि वह सब श्रमियार सब गहर से नयेगा, कि थाम ठाओं को कुछ दिवस नयेगा, या पास भयों के हक को मुकुराव नहीं पहुंचेगा ।

श्रमियार का काम शरीर माणिकों के हक में वापस देते का श्रमियार ।

... १ ...  
नू से, म...  
हं, अ...

श्रमियार

श्रमियार है कि श्रमियार हक को नयेगा और श्रमियार लिये नयेगा बरकत पर नयेगा वगैरे ।

नयेगा वगैरे का श्रमियार ।

## दस्तावाव ।

नूयदाद हकुक और भाठगुजानी का वन्द-ओ-वसण ।

नूयदाद हकुक पश्चात  
करने और प्रभोग  
की पैमाश्र कराने के  
विषे हुकम देने का  
अध्याय ।

२२। (१) ठीकठ गजर्वमेण्ट किसी हाठण में गजर्वन-  
जेवनेठ साहिव वहादुन शण्ठास कौनसिठ की मन्पूनी  
पहले ठेकन, और जो वर मुवासिव समहे गो उव हाठणों  
में से किसी में जो ठीक रस के पीछे वगार्द गई हैं, ऐसे  
मन्पूनी ठेके के वगौन, ऐसा हुकम दे सकणो है, कि कोई  
भाठ का अथसन ( जेवेलिज अथसन ) किसी नकवे के अवन,  
प्रभोग की पैमाश्र करे, और उस की निसवण नूयदाद हकुक  
पश्चात करे ।

(२) वर हाठणों जिन में गजर्वन-जेवनेठ साहिव वहा-  
दुन शण्ठास कौनसिठ की मन्पूनी पहले ठेके के वगौन  
रस दखे को नू से हुकम दिया जा सकणो है, भांठी  
वगार्द हुई है, जैसा कि-

(अ) जब प्रमीदान या वहुण से प्रमीदान या वहुण  
से आसामी ऐसे हुकम के विषे दनप्यासण दे  
और 'पुनय अदा करने के विषे' इगवे नुपये प्रमा  
करे, या इगवे नुपये की प्रमाण दे, जिस के  
विषे ठीकठ गजर्वमेण्ट हुकम दे ।

(ब) जहाँ येह प्याठ किया जाणो है कि ऐसे नूयदाद  
के पश्चात करने से, कोई ऐसा मानी हाफा  
मिट सकणो है, जो उमूमन आसामी और उस के  
प्रमीदानों में दनपेश है या लेने-वाठा है ।

(स) जहाँ नकवा प्रभोग किसी ऐसे महाठ या दनमिधानी  
हक की प्रभोग में है, जो सकानी है, या  
जिस का वन्द-ओ-वसण सकान या कीट साथ  
वाडंस को पनशु से किया जाणो है-और

(द) जहाँ किसी नकवे प्रभोग की निसवण सकानी  
प्रमा का वन्द-ओ-वसण किया जाणो है ।

(३) जब उस दखे को नू से दिये हुए हुकम का  
अध्यायन सकनी गण्ट में दया जाय, गो वर रस  
वाण का पूना सुवण होगा, कि हुकम वा-प्रभावो दिया  
गया है ।

१०२। जब इस से पिछड़ी दृष्टि को नू से कोई हकूम दिया जाय, तो जो मनागिव नूयदाद में लिखी जायंगी हकूम में वगैर जायंगी, और उन में आगे लिखी हई पदमोनों में से सब या कुछ दएण किए जायंगी, याहे उन में और जो मनागिव बहाए जायं. या वही ।

कौन कौन मनागिव नूयदाद में मुहदएण होगे ।

( अ ) हर आशामी का नाम ।

( ब ) वह किस दएणे का आशामी है यागि दएमियादी हकूदान, अतह मुकनन पर जोपदे-ब्राहा नम्यण. द्यणकान या गीन द्यणकान नम्यण. या शिकमा नम्यण है, और अजान वह दएमियादी हकूदान है, तो दएामी हकू दएमियादी नम्यणे-ब्राहा है या वही. और जब तक वह हकू दएमियादी नम्ये उभ को माठगुणानी बहारि जा भरुगी है या नही ।

( ब ) वह जो एमीव नम्यण है उभ का भीका, नम्यण, और यौहूदी ।

( द ) उस के एमीदान का नाम ।

( य ) जो माठगुणानी वह देण है ।

( प ) माठगुणानी किस पतर से मुकनन की जरूर है, जोप-कान से, या असाण के मुकनन से, या और किसो पतर से ।

( ञ ) जो माठगुणानी नदगे नदगे कागि है, व, किस कनसे पतर, और किस तिकाय से कागि है ।

( ट ) एमीव नम्यणे की भास नदगे कौन कागि है ( जो मुकनन है ) ।

१०३। माठगुण या दएमियादी हकूदान की दएण-कर कर कौन कनसे का नूयया कमा कनसे पतर, का उरु के लिखे एगने नूयणे को माठगुण देगे, एत लिखे का हकूम के अउबर माठ एत कनसे के नूययण को कनसे जपदमोना से कन कागि के लिखे कनसे है, का उरु दएमियादी एक का उरु के लिखे, कौन के लिखे एत मनागिव के, एतकागि कनसे कनसे कनसे कनसे कनसे एत से वगैर उरु है ।

कौन कौन दएमियादी हकूदान में मुहदएण होगे ।

१०४। १। उरु उरु कागि है मुकनन का उरु लिखे कनसे उरु के उरु को कनसे उरु कनसे उरु कनसे उरु कनसे

कनसे उरु के उरु कनसे उरु कनसे उरु कनसे उरु कनसे



कानों को कान-नदी

से जेयादे या कम जमीन नयणा है, जिस के विषे वह माठगुणारी अदा करना है, और न जमीनदान व आसामी माठगुणारी के वरद-ओ-वसुण के विषे दनप्यासण देना है गो अशुसन उस माठगुणारी का कठमववद करेगा, जो आसामी देना है, और उस जमीन को गो जिस के विषे माठगुणारी हो जागी है ।

( २ ) जब येह दिखारि है कि आसामी उस जमीन से जेयादे या कम जमीन नयणा है, जिस के विषे वह माठगुणारी देना है, या जमीनदान या आसामी माठगुणारी के वरद-ओ-वसुण के विषे दनप्यासण देना है, या किसी हादसे में जिस में दृष्टा १०२ के जमीने २ का कठोज ( ६ ) ठाणा है, अशुसन उस जमीन के विषे जो आसामी नयणा है, श्राजिव और कनीन इत्साथ माठगुणारी मुकनीन करेगा ।

( ३ ) इस दृष्टे की नू से माठगुणारी के उहारीवे में जब तक इस के वनप्यिवाथ साजिव न किया जाय, अशुसन येह कयास करेगा कि जो माठगुणारी इस वरद हो जागी है श्राजिव और कनीन इत्साथ है, और उन कयादी पन गिराण नयेगा जो इस ऐक में माठगुणारी वहावे या वटावे में अदावण को हिदायण के विषे नये जाये है ।

हमें के नूयदाइ का मुशगहिन करना ।

१०५ । ( १ ) जब अशुसन माठ इस वाव की नू से हत्ती को नूयदाइ गश्यान कर युके, गो वह उसे के मसीहे को पाम जगह में वगाये हुए गौन से और उहारीवे हुए वरक तक मुशगहिन करेगा, और उन एगनाजों को सुदेगा और गजरीण करेगा जो मुशगहिन होवे के वरक के अददन उस के किसी नद पन जिये जाय ।

( २ ) इस वरक के पाम होवे पन अशुसन माठ नूयदाइ को पाम करेगा, और उस को उहारीवे हुए गौन पन उस पाम जगह में मुशगहिन करेगा, और ऐदा मुशगहिन करेगा इस वाव का पना सुवृण होजा, कि नूयदाइ इस वाव की नू से डीक गश्यान हुवे है ।

वदने की नदी को  
उपर कान-नदी का  
नदी के कान-नदी

१०६ । जो सिधरी ददे को नू से नूयदाइ के श्राजिव नयेगा मुशगहिन किये जावे के परे, किमी वरक किमी नद के अदद देवे को श्राजिव ( जो इस वाव की नू से

वन्द-श्री-वसव की हुई माठगुजारी की मद नहीं है) या किसी ऐसी वाग की छोड़ देने की दुनुसगी की निस्वण ह्याड़ा बाने हो, जिस की अथसन माठ उस नूयदाए में दनण कनवा नहीं आहपा या नहीं किया है, गो अथसन माठ उस ह्याड़े को सुवेगा और छेसठ कनेगा ।

१०७ । उन सब कान-नवाइयो में जो इस वाव की नू से माठगुजारी के वन्द-श्री-वसव कनवे के ठिये की जागी है, और इस से पिछड़ी दखे को नू से की हुई सब कान-नवाइयो में, अथसन माठ उन कृथियों के पाववद हो कन, जिन को ठोकठ गवर्नमेण्ट इस ऐक्ट की नू से वनावे, उस कान-नवाइ के मुगाविक अमठ कनेगा, जो धारिण कान-नवाइ दीवानी में मुकदमों की गजरीण के ठिये नयो गई है, और ऐसी दन कान-नवाइ में उस का छेसठ डिगरी का जोन नयेगा ।

माठ के अथसन की कान-नवाइ ।

१०८ । (१) इस वाव की नू से माठ के अथसन जो छेसठ दोगे हैं, उन को अपीठ सुनवे के ठिये ठोकठ गवर्नमेण्ट एक या जेपादे शय्सों की प्वास जण मुकनन कन सकगी है ।

अथसन माठ के छेसठे की अपीठ ।

(२) इस वाव की नू से जो छेसठ अथसन माठ दोगे हैं, उस का अपीठ प्वास जण के पास किया जायगा, और जो दहकाम धारिण कान-नवाइ दीवानी में अपीठ के ठिये नये जाये हैं, जहाँ गक हो सके दन सब अपीठ के ठिये काम में आयेगे ।

(३) मसनूगे सनायण वाव ४२ धारिण कान-नवाइ दीवानी के, ऐसे किसी मुकदमे में जो दखे १०६ की नू से किया जाय, ऐसे प्वास जण के छेसठे का अपीठ हारि कोर्ट में किया जायगा, जाँया उस की अदाठग हसव मनसा उस वाव की पहरे दखे के, हारि कोर्ट के मागह है ।

पर गवर्न येह है कि जो दूनरे अपीठ में उन गकसोर्गों में से किसी की निस्वण, जिन की नू से किसी दनदियानी हक या जोग की माठगुजारी वन्द-श्री-वसव की गई है, प्वास जण के छेसठे की हारि कोर्ट गनमोम कने, गो अदाठग दनदियानी हक या जोग के ठिये दरे माठगुजारी मुकनन कन सकगी है, ठेकिय ऐसा कनवे में जसो कसम के दौन दनदियानी

हस्त या ज्योतिष की भाँटुपानी पर विहाय क्योरी जो  
न्युदाह में शामिल है, जो दस १०४ को नू से दया  
वन्द-श्री-वन्द की गई है ।

न्युदाह की वह मडे  
जिन के ठिये हाडा  
वही किया गया है  
सुपूर बनायव होगी ।

१०८ । (१) इन न्युदाह में जो इस वाव को  
परमान की जायगी, मुगनाज्या और जैन मुगना  
मडे अगल अगल विपरीत जायगी ।

किस पानीय से मा-  
गुपानी को वन्द-श्री-  
वन्द जानी होगा ।

(२) न्युदाह को इन एक मडे जिस पर किसी पर  
पत्तान नहीं किया गया है, सही कृपास को जा  
जब तक उस के वरिष्ठाण न साविण किया जाय  
११० । जब इस वाव को नू से किसी भाँटुपानी  
वन्द-श्री-वन्द किया जाय, तो वह वन्द-श्री-वन्द न्युदाह  
के अर्थो न मनपवे मुसपहिन होने के ठिक पीछे अने-  
पेगो के साठ के सुनू से जानी होगी ।

ता परमानी न्युदाह  
गदाण में मुसपहमा  
सुपू या केशवा नहीं  
ही बनता ।

१११ । जब दस १०२ को नू से कोई हुकम दिया गया है

(म) होतानी अगल न्युदाह के अर्थो न मनपवे मुसप  
हिन न होने तक, उस नकवे में जिस के ठिक  
हुकम दिया गया है, भाँटुपानी वन्दने का  
किसी मासामो को दया उहाने के ठिये, को  
दयासाण न होगी और वापिस नहीं सुवेगी-और

प्राय हाठगो मे प्राय  
वन्द-श्री वन्द करने  
के ठिये हुकम देगे  
ता अर्थोपान ।

(घ) हरि कोट मगन मुगसिव समडे ऐसी कान-वन्द  
को मठसन माठ के पास भेजदे सकगो है, जो दस  
भाँटुपानी के वन्दनेया ऐसी वागीकी नजरो  
करने के ठिये, जो दस १०२ में वतार  
जिसन की गई है, होतानी अगल में दायन है ।

११२ । (१) जब मोक्तव जचनमेठ को इस वाव का  
यज्ञोव हो कि इस के पीछे चगाये हुये अर्थोपानो को  
में माना, मुसक के वन्द-श्री-वन्द या उत्र जाग के ठिक  
को मगार के ठिये जतून है, तो वह मगार-  
अग्नि पदाहुन शजगम जीवमिग की मगपूरो पर  
देने मठसन माठ को जो इस वाव को नू से मान कर  
अर्थोपानाग मुसपहिन जेठ या उत्र में से कोई मगार  
है मगारो है, उत्रा नि-

(घ) अब भाँटुपानियों के वन्द-श्री-वन्द करने

अर्थोपान ।

( व ) माओजुगारी को वगद-ओ-वसग करवे के वरुण जो अशुसन को नाथ में किसी वणह से, याहे वर इस ऐक में वगद गई है या नहीं, हाठ की माओजुगारी को कायम रखना बाजिव या मुवा-रिव न हो, गो माओजुगारी बाटावे को रपु-गियात ।

( २ ) वर रपुगियातार जो इस दखे को नू से दिये जायं, किसी प्यास वगए हुए नकरे के अशुसन आम गौर से, या प्यास मुकदमे या किसम के मुकदमों के दिये, काम में बाये जायंगे ।

( ३ ) जब ठीकठ-अवतमेवट इस दखे को नू से कोई कान-नबाई करणे हे, गो वर नूयदाद वगद-ओ-वसग जो अशुसन भाठ वे पश्रात किया है, तब तक जारी न होगा, जब तक अवत-जेवनेठ साहित्य वहाहुत रजठास कौनसिठ उस को मजपूर न करे ।

११३ । जब किसी दामियावो हक को जमीन या जोग को माओजुगारी, इस बाव को नू से वगद-बा-वसग को गई है, गो वर उन हाठगों को छोड कर जिन में जमीनान वे अपनी कोशिश से जमीन को ठियाकर पडाई है, या दामियावो हक को जमीन या जोग का नकवा पीछे से गवदीठ हुआ है, दामियावो हक या हक दपुगी को जोग की हाठग में पददनह वनस तक, बीन ऐसा जोग के दिये जिन पर हक दपुगी नहीं है, अजत माओ-जुगारी दखे ११२ को नू से वगद-बा-वसग को गई है, या १०४ को नू से जमीनान को दामियावग पर वगद-ओ-वसग को गई है, गो पाँच वनस तक वरि वडाई जायगा । पददनह बीन पाँच वनस का अन्सा नूयदाद के अन्त नरपे मुमपदिन होने को पानीप से जाना जायगा ।

किस अन्से एक माओ-जुगारी जो मुकतन हुई है बिना गवदीठो वहाठ रहेगी ।

११४ । जब दखे १०२ के जमीनान ( २ ) के कठ ( ६ ) को छोड कर, इस बाव को नू से किसी हकदमे में इकम दिया जाय, गो एक प्युगी जो सरकार दे किसे नकरे जमीन में इस बाव के दफान का पाने करवे में जाया है, या इस प्युगी का नकरे किसे दिसके दिये पानेठ अवतमेवट इकम है, इस नकरे जमीन के दफानान

इस बाव को नू से कान वरि का मुकी ।

और आसामियों से ऐसे हिसाब से ठिया जायगा, जैसे कि ठोकठ-गवर्नमेण्ट इन एक मुकदमे की हाठन को ध्ये करन गजरीण करे, और उस ध्ये का ऐसा हिसाबी किसी आदमी से, इस गनह पर ठिया जायगा, सनकान को गनह से इस गौर पर वसूठ किया जायगा; कि गोया वह उस के जिम्मे वाली माठगुजारी सनकारी अदा होवे ठायक थी।

माठगुजारी के मुकरान होवे का क्यूस उस दनमियाणी हक पर नहीं होगा जिस के ठिये नूपाद गश्तान हुआ है

११५। जब दखे १२२ कठाण ( व ) में वगारि हुई गजूसीठें इस वाव को नू से किसी जोग की जिसवा कठम वलद हुई है, गो उस जोग के ठिये उस के वाद वह क्यूस नहीं किया जायगा जो दखे प० में वगाया गया है।

### ग्यानहवां वाव ।

माठिकों की निज दपुठी जमीनों की नूपाद ।

धनान, जमीन की जिसवा रसगिसवा ।

११६। वाव पाय में कोई ऐसी वाग नहीं है, जो माठिक की ऐसी प्यास जमीनों पर हक दपुठी है, जो वंगोठे में धनान, निज, या निज जोग, और विहान में जराषण, निज, सोन, या कामग के नाम से कहलाते हैं, जब ऐसी जमीन यनद वनसों के ठिये, या वनस वनस के पट्टे पर नथी गई है, और वाव द में भी कोई ऐसी वाग नहीं है, जो ऐसी जमीनों के ठिये काम में आवे ।

सनकान को यह स्फुगिया है कि माठिक की निज जमीनों को पैमाश करवे और उन के कठमवणद करवे का हुकम है ।

११७। ठोकठ गवर्नमेण्ट वरग वरग पर यह हुकम दे सकगी है, कि अशसन माठ उन जमीनों को पैमाश और कठमवणद करे, जो किसी वगाये हुए नकवे में बाके है, और जो हसव मनशा पिछठी दखे के माठिक की प्यास जमीन है ।

अशसन माठ को यह स्फुगिया है कि माठिक या सासानो को दनप्यास पर प्यास दपुठी जमीनों को कठमवणद करे ।

११८। ऐसी किसी जमीन की जिसवा जिस को माठिक अपनी प्यास जमीन वगाया है, माठिक या उस जमीन के किसी आसामी की दनप्यास पर, और ध्ये का जमीनी नुपया जमा करवे पर, अशसन माठ उन जमीनों को नू से जिज की ठोकठ गवर्नमेण्ट इस काम के ठिये वगावे, इस वाग का दनप्यास करके कठमवणद कर सकगा है, कि जमीन माठिक को निज दपुठी जमीन है या नहीं ।

प्यासजमीन के कठम वणद करवे के दिग् १-१-१३ ।

११९। जब अशसन माठ इस से पिछठी हो द्यो में से किसी एक को नू से कान-नवादि करे, गो दखे रन्य से रन्य गन ( दानो माठिक ) को गनगें अनठ में आवेगा ।

१२०। (१) अशुसन माठ आगे वगैर हुई जमीनों को, माठिक की बिज द्युमी जमीन के गान से कठमवन्द करनेगा।

माठिक की बिज द्युमी जमीन की गजनीज करने के लिए कायदे।

(अ) वह जमीन जिस को, ऐसा साविण किया गया है, कि प्यमान जिनान सोन बिज जोर या कामर के गौन से माठिक दो आप अपनी पूंजी से, या अपने नौकरों या किराये के मजदूरों के जिनिये से, इस ऐज के मजदूर होने के पहले ठीक ठगारान वानह वरस एक जोगा है-और

(ब) वह जोगो हुई जमीन जिस को सब गांज के ठोगा माठिक की प्यमान, जिनान, सोन बिज, बिज जोर या कामर कहते हैं और मुद्दण से कहते यठे आये हैं।

(२) इस वाग की, गजनीज करने के लिये, कि और कौनसी जमीन माठिक की बिज द्युमी जमीन के गौन पर कठमवन्द होनी चाहिये, अशुसन उस जगह के दस्तगून पर लिहाज करनेगा, और इस वाग पर कि वह जमीन मार्य सन १८८३ की दूसरी गानोप्य के पहले, प्यास गौन से माठिक की बिज द्युमी जमीन की गानह पट्टे दी गई थी या नहीं, और ऐसे कितने दूसरे सुवूण पर जो पेश किया जाय, पर जब तक उस के वरपिठाथ व साविण किया जाय, अशुसन कयास करनेगा कि जमीन माठिक की बिज द्युमी जमीन नहीं है।

(३) जो अहाल दीवानो में इस वाग को वहस हो, कि जमीन माठिक की बिज जमीन है या नहीं, वो अहाल उन कायदों पर गजन नयेगी, जो माठ के अशुसनों की रिहायण के लिये इस दसे में मुवदनज है।

**वानहियां वाव।**

दुकीं।

१२१। जब कितनी नभयण या गिरुमी नखण को पयथ से जमींदान को वःको माठगुजानो अदा करने लायक है, और एक वरस से जेयादे दिनों को वाको नदी है, और जमींदान ने दस के लिये कोई इमानदग नहीं हो है,

कितन लाठगों में दुकीं के लिये दनुयायण दी जा सकरी है।

गा निर्मादान उस याने को दिस कर जिस का प्रश्न को नू से वह एक नया है, यद्यपि ईश्वर ने उस मानुष को दयाभासा है मरणा है, कि जो वहाँ हुए योनिं जब कि जागते-जाते के कर्मों में है, दुःख कर्म वाको माण्डुकारो ब्रह्म का भाव ।

( ५ ) वह इस वा निर्माण को यौन पैदावार, जो जंग पन पड़े है, वा शरीरों नर्तों में गर् है ।

( ६ ) कोरि इस वा निर्माण को यौन ऐसा पैदावार जा जाण पन उरजो है यौन काटा वा शरीरों को गर् है, यौन जाण पन नया गर् है, वा यदियाव में वा ईश्वरों की कर्म में वा ऐसी यौन कर्म, याहेवह योर् में या वसतिग निर्माण में हो, व-मनुगे कि इस दस को नू से कोरि दनयासाण-

( १ ) भाविक वा मदेजत जिस को पारीक निर्माण नजिस्टो करने के एक सग १८-७३ में वगारि गर् है, वा ऐसे भाविक वा मदेजत का मुनगहिन उस हाण में व करनेग कि जब एक उस का नाम यौन उस निर्माण में उस के एक को हू, जिस की निस्वण माण्डुकारो वाको है, उस एक की शनर्गो को नू से नजिस्टो व को गर् ही-या

( २ ) उस माण्डुकारो से जेपाहे रुपये बसुण करने के ठिये व को जायगी, जो पिछठे योर्गे के साठ में जाण के ठिये थदा होवे ठायक थी, पन उस हाण में को जायगी कि जब वह रुपया पहनीना कौट-कृतान को नू से कायिठ थदा करने के है, वा व-सवव किसी कान-नर्धरि के जो इस एक के मुगाविक या इस से नद लिये हुए किसी और एक को नू से को गर् है ।

( ३ ) उस जाण के किसी हिस्से को पैदावार की निस्वण व को जायगी, जिस को आसाभो वे निर्मादान को पहनीनी रजाण से शिकुभो पट्टे पन दिया है ।

दनयासाण का नमुना ।

२२२ । ( १ ) इस से पिछठो दस को नू से को हूँ हन एक दनयासाण में शोरो ठियो हूँ वागे मुनदवण होगी ।

( २ ) वह जाण जिस को निस्वण वाको माण्डुकारो का दावा किया गया है, यौन उस की यौहदी

या ऐसी और गृहस्थों जो उस के शिवाय  
के ठिये काछी हैं।

व) आसामी का नाम।

(स) वह मुद्दा जिस के ठिये वाको भाठगुणारी का  
दावा किया गया है।

(द) वाको भाठगुणारी को गोदाह और वह सूह जिस का  
दावा किया गया है, और जो भाठगुणारी पिछठे  
प्येगी के साथ में आसामी ने दिया था, उस से  
जब जेयादे रुपये का दावा किया जाय, तो वह  
कौठ-कान या कान-नवार्, जिस को नू से वह  
रुपया अदा होवे ठायक है।

(ध) उस पैदावार को किसम और कनीय कनीय दाम,  
जो कुर्क को जायगी।

(छ) वह जगह जहां वह पैदावार पार् जायगी, या ऐसी  
और गृहस्थों जो उस के पहचानवे के ठिये काछी  
हैं-और

(ज) जो पैदावार षड़ी हो या रकूटी न को गई हो, तो  
वह वरुण कि जब वह कौठो या रकूटी को  
जायगी।

(२) दनप्यासन इस गौर पर दसगप्य और पसदीक  
को जायगी, जैसा अर्धन कान-नवार् दीवानो में अरजो दावे  
, पसदीक और दसगप्य के ठिये वगाया गया है।

दनप्यासन दसप्य होवे  
पर कान-नवार्।

२२३। (१) दनप्यासन देवे-ब्राठा पिछठो दसि को नू  
से दनप्यासन दसप्य कने के वरुण, अदाठग में ऐसा वह  
नोरो सपू ( जो कुच हो ) दसप्य कनेगा, जो वह अपनी  
दनप्यासन के ठिये जूनू सभहे।

(२) अदाठग जो मुगसिब सभहे तो सायठ का रणहान ठे  
सकगी है, और जिनवा जठह हो सके दनप्यासन को  
मनजून या वा-मनजून कनेगा, या सायठ को और सुवू  
पेश कने के ठिये रजाणग होी।

(३) जब अदाठग जमोने दसि २ को नू से दनप्यासन  
को और मनजून या वा-मनजून नहो कन सकगी, तो  
वह जगद मुगसिब सभहे हुकन हे सकगी है, कि गा  
नामीठ हुकन कुर्क हा वा-मनजूरी दनप्यासन, वह पैदावार  
जिस को जिकन दनप्यासन ने हे अठग न किया जाए।



( ४ ) जब इस दृष्टि की नू से पैदावार की कुर्की का हुकम उस के कटने या शकटों होने के वहुन पहले दिया जाए, तो अदातत ऐसे प्रकरण के विषे जिस को वह मुनासिब समझे, उस हुकम की गामीत को मुठगरी कर सकगी है, और जो वह मुनासिब समझे, तो वा गामीत हुकम कुर्की, पैदावार का उस जगह से हटाना मना कर सकगी है।

कुर्की के हुकम की गामीत ।

१२४ । जो पिछली दृष्टि की नू से दरम्यासर मगपून को जाय, तो अदातत उस में वगई हुई पैदावार या उस पैदावार के ऐसे हिस्से को जिस को वह मुनासिब समझे, कुर्क कराने के विषे एक अइसन को मुकरन करेगी, और वह अइसन उस जगह जायगा जहाँ वह पैदावार है, और उस पैदावार को इस गहर से कुर्क करेगा, किया तो वह उस को अपने जिम्मे लयेगा, या अपनी गल्ल से और किसी शय्स के जिम्मे करेगा, और उन क़ायदों की नू से जिन को इस काम के विषे हाई कोर्ट वगैरे कुर्की का इशारेहान जारी करेगा ।

पर शर्त येह है कि अगर वह पैदावार इस किसम की हो, कि शकटों करके नहीं लयी जा सकगी है, तो वह इस दृष्टि की नू से ऐसे प्रकरण में कुर्क नहीं की जायगी जो उस प्रकरण से बीस दिन से कम पहले हो, कि जब वह काटने या शकटों कराने के बायक होगी ।

गठवी और हिसाब की रजनाय ।

१२५ । ( १ ) कुर्क कराने-वाला अइसन कुर्क कराने के प्रकरण वाक़ीदान पर वाली माठगुजारी और उस पयरे के विषे जो कुर्क कराने मे पड़ा है, गठवीरी गठवी जारी करेगा, एक ऐसे हिसाब के साथ जिस में कुर्की को बरपूराण, मुबदनज होगी ।

( २ ) जब कुर्क कराने-वाला अइसन येह समहता है, कि कुर्क किए हुए माठ का माठिक वाक़ीदान नहीं है, वगैरे और कोई शय्स है, तो वह गठवी और हिसाब की बरठे उत्र शय्स पर भी जारी करेगा ।

( ३ ) गठवी और हिसाब जो हो सके मुह वाक़ीदान के हाथ में दिया जायगा, पर अगर वह शय्स जिस पर वह माठगुजारी जारी है, उसे बरठे करके हिसाब

या धौन किसी तरह से पाया न जाय, तो अश्वसन उस मकान के वाहन जिस में वाकीदान अश्वसन रहता है, किसी बाजे हिस्से पर गधवी और हिंसाव को बकरी को ठगानेगा ।

१२६। (१) कुर्कें जो इस वाव की नू से की जाय, किसी अश्वस की किसी पैदावार के काटने रकट्टा करने या ठेन ठगाने नथवे से न नोकरी, या धौन किसी काम के करने से जो उस की दिशाजग के विषे जानू हो ।

पैदावार को काटने वगीनह की ह्म ।

(२) अजान वह आदमी जो ऐसा करने का हक नथपा है, जोक वकप पर ऐसा न करे, तो कुर्कें करने-वाठा अश्वसन कुर्कें की हुई थडी धुसरी को, या पैदावार को जो रकट्टा नहीं को जर है पकने पर कटावेगा, और रकट्टा करने ऐसी कोठियों में या धौन जगहों में जहां वह इस काम के विषे अनुभव नथे जाते हैं, या पडोस में किसी धौन सुनोते को जगह में ठेन करने नथेगा, या उव की दिशाजग के विषे जो कुछ जानू हो, कनेगा ।

(३) इन दोनो में से किसी हाठग में कुर्कें किया हुआ माव, कुर्कें करने-वाठे अश्वसन या ऐसे किसी अश्वस के जिन्मे रहेगा, जिस को वह इस काम के विषे मुसनेन कने ।

१२७। (१) जो जोन गधवी धौन कुछ थयी कुर्कें धौनव न वसूत हो, तो कुर्कें करने-वाठा अश्वसन ऐसी रशीगदान जानी कनेगा जिस में कुर्कें को हुई निरक्षिपण की गइसीठ और जोन गधवी को गालह जिस के विषे वह कुर्कें की जर है मुनदनज हागी, और येह जो मुशगदिन कनेगा कि वह कुर्कें की हुई निरक्षिपण किसी वगारि हुई जगह में ऐसे दिन लोगन कनेगा, जो कुर्कें करने में पोछे गीन दिन में जन या सग दिन में गेगहे व हा, पर गगं येह है कि जब कुर्कें को हुई थयत या पैदावार अश्वसित की है, कि वह ठेन करने नथे; हा अश्वसि है पर कने गक ठेन नथे, और जो ठेन नथे लोगन को गालेस इस गनह में नथनन को ठगाने कि उस के हावे के पाठे न ठेन विषे जाने के विषे गधवी को जाय ।

जान गधवी कने न हावे में नगाना अश्वसित जानी वि, जायेगा ।

( २ ) रक्षितान उस गाँव में जिस में वह जमीन बंसे है, जिस की वकी माओगुजानी के विषे वाशिस की गई है, किसी बाणह जगह पर ठगारा जायगा ।

बीठाम की जगह ।

१२८ । बीठाम ऐसी जगह होगा जहाँ कुँक किया हुआ माठ है, या उस के बहुत पास किसी ऐसी जगह होगा जहाँ थाम ठोग आगे जागे है, अगल कुँक कनवे-बाठा अखसन येह समहे कि वहाँ वह जेयाहे दाम पर विकेगा ।

कव अखस ठगड़ी बीठाम हो सकगी है ।

१२८ । ( १ ) वह अखस या पैदावान जो इस किसम की है, कि ठेन ठगाकन नयी जा सकगी है, एवं एक बीठाम नहीं की जायगी एवं एक बह काठी या रकट्टी नहीं की जाय, और जमा कनके नयने के ठायक न हो ।

( २ ) वह अखस या पैदावान जो इस किसम की है कि जमा कनके नहीं नयी जा सकगी है, काठ कन रकट्टी कनवे के पहले बीठाम हो सकगी है, और पुरीदान को येह हक होगा, कि आप उस जमीन पर जाय या इस काम के विषे अपने किसी आदमी को वहाँ भेजे, और उस की पवन-जानी के विषे या काठवे और रकट्टी कनवे के विषे जो कुछ जानू हो कने ।

बीठाम की जायगा ।

१२९ । माठ एक या जेयाहे ठाट या हिस्से में, जैसा कि बीठाम कनवे-बाठा अखसन मुवासिव समहे बीठाम बना जायगा, और अगल जून पठवी और कुँके और बीठाम का पय्या जायना के एक हिस्से के बीठाम से वसूरी हो जाके गो वकी जायना कुँके से और पुरास की जायगी ।

बीठाम को मुठगरी

१३० । अगल उस जायना के बीठाम होने के ब्रक बीठाम कनवे-बाठा अखसन की गजरीज में, उत्र के विषे काजिव दान न बोठा जाय, और अगल उस जायना के नाजिक या बह मयुम जिस को उस ने इस काम के विषे अखसवान दिया है, दुअने दिव एक या ( जो बीठाम के अगल बाजार ठगारा को ) आगवा वाजान ठगारे के विषे एक बीठाम मुठगरी नयने को दनपुकर कने, गो उस एक ही ठग मुठगरी नयेगा, और इस विषे मुठगरी दिया जायके बने जायना के विषे जो कुछ दान बोठा जाय ।

१३२ । हन ठाट का दाम नोठाम के वकन या उस के पीछे रगना जठए जिएवना नोठाम जनवे-वाठा बइसन हुकम हे, यदा किया जावेगा, और ऐसे न यदा जनवे पर भाठ थिन नोठाम पर यदाया जायगा, और वेय दिया जायगा ।

मोठ के रुपये का यदा जनवा ।

१३३ । जब मोठ का रुपया विठकुठ यदा हो चुके गो नोठाम जनवे-वाठा बइसन प्यनीदान को एक ऐसा सर्टिथिकेट जा, जिस में उस जायदाद को पइसीठ रहेगी, जो उस । प्यनीदा है, और उस का दाम नो ठिया रहेगा ।

प्यनीदान को सर्टिथिकेट दिया जायगा ।

१३४ । (१) इस वाव की नू से कुर्क किये हुए जायदाद के हन एक नोठाम के रुपये से, नोठाम जनवे-वाठा बइसन कुर्की और नोठाम का प्यया, ऐसे हिसाब से यदा करेगा, जो उन कायदा में वगाये गये हैं, जिन को ठोकठ-मजदमेवठ इस काम के ठिये वकन वकन पर वगाये ।

जान नोठाम किस परह पसनुंथ होगा ।

(२) यथा हुआ हिसा, वाकी भाठगुजारी जिस के ठिये कुर्की को गई थी, और उस पर नोठाम के दिन तक जो सूद इकट्ठा हुआ हो, यदा जनवे के ठिये काम में ठाया जायगा, और जो कुछ वय रहे गो उस मयूस को दिया जायगा जिस को जायदाद नोठाम को गई है ।

१३५ । वह बइसन जो इस ऐल की नू से जायदाद नोठाम करगे हैं, और उन के मुठाजिम या मागहण ठोअ बपवो जाण से या और किसी के जिनिये से, ऐसी जायदाद को नहीं प्यनीद सकगे हैं, जिस को वह बइसन नोठाम करगे है ।

वाण मयूस प्यनीद नहीं कर सकगे हैं ।

१३६ । (१) इस वाव की नू से कुर्की होने के बाद और कुर्क को हुई जायदाद के नोठाम के बाजे, किसी वकन जो वाकीदान या कुर्क को हुई जायदाद का भाठिक, जब कि वह वाकीदान नहीं है कुर्की का हुकम जानो जनवे-वाठो बइठण में या कुर्क जनवे-वाठो बइसन के हाथ में एक रुपया जमा करे, जो १२५ दरे की नू से जानो को हुई गठवो में लुनदनण है और वह प्यनया गो बदा करे जो गठवो जानो होने के पीछे ठोया हो, गो बइठण या बइसन उस को नकोद हो। और कुर्की के वकन एग टो जायगी ।

नोठाम के बाजे गठवो बदा होने से जान-नबार्क ।



१३८। जब जमीन सिकमी पट्टे पर दी गई है, और इस वाव को नू से जमींदार माछीक और जमींदार भागए के हकी में, जो उसी जायदाद को जुर्का करते हैं हठाड़ा हो, तो जमींदार माछीक का हक गारिव रहेगा।

१३९। जब इस वाव को नू से जुर्का का हुकम दिया जाय, और अदाए दीवानी उसी माठ की जवणे या नोठाम का हुकम दे, जिस के ठिये जुर्का का हुकम हुआ है, तो उस वक्त जुर्का का हुकम मुकदम समहा जायगा, पर अगल जायदाद उस हुकम को नू से नोठाम हो चुकी है, तो नोठाम का वया हुआ रुपया उस जायदाद के भाठिक को, दहे १३४ को नू से, वगैर भगपूरी उस अदाए के अदा नहीं किया जायगा, जिस दे जुर्का या नोठाम का हुकम दिया था।

१४०। इस वाव को नू से जो हुकम किसी अदाए दीवानी दे दिया है उस का अपीठ नहीं होगा; पर हन शयस जिस की जायदाद ऐसी किसी हाठ में, दहे १२२ की नू से दनप्यासए दिये जावे पर जुर्का की गई है, जिस में ऐसी दनप्यासए उस दहे की नू से वा-जायदा है, उस दनप्यासए देवे-वाठे पर हनपा पावे की वाठिस कर सकगा है।

१४१। (१) जब ठीकठ गजर्वमेदठ की येह नाय हो, कि किसी किसम के मुकदमों में या किसी नरवे जमीन में येणे इस किसम की है, और येणे करवे-वाठों की आदगे ऐसी हैं, कि जमींदार के ठिये इस वाव को नू से दीवानी अदाए में दनप्यासए दे कर अपनी माठगुजानी वनूठ करवा मुशकिल होगा, तो वह वक्त २ पर हुकम को नू से जमींदार को येह शपणियाय दे सकणे है, कि वह आप या गुभासणे के जिनिये से ऐसी पैदावान का जुर्का करे, जिस को जुर्का के ठिये उन को इस वाव को नू से दीवानी अदाए में दनप्यासए करवे का हक है, पर अगे येह है कि हन शयस, जो इस शपणियाय को नू से करे पैदावान जुर्का करवा है, उस गीन से जान-नबाई करेगा, जो दहे १२८ में दगाया गया है, और औरव

जमींदार माछीक और जमींदार भागए के हकक का हठाड़ा।

उस जायदाद की जुर्का जो जवणे गठे है।

वे-आईव जुर्का के ठिये हनपा पावे की वाठिस।

वाय हाठगे में जुर्का का हुकम देवे के ठिये ठीकठ गजर्वमेदठ का शपणियाय।



(२) जब इस ऐज की नू से किसी दीवानी अदातत का जर्मीदान या आसामी की दनप्यासत पर हुकूम देवे का श्पु-  
नियान दिया गया है, तो दनप्यासत उस अदातत में ही जायगी,  
जिस को ऐसे दनमियावी हुकू या जोग के कृत्यों की वाठिश  
सुदवे का श्पुनियान है, जिस की निस्तवत दनप्यासत की  
जर् है ।

१४५ । जर्मीदान का हन नायव या गुमाशत, जिस को इस  
काम के लिए जर्मीदान के हाथ से ठिप्यो हुर्क पहरीन की नू से  
श्पुनियान दिया गया है, ऐसी हन वाठिश या दनप्यासत के  
मनागिव के लिए, हसव मगशा आर्दव कान-नवार्क दीवानी  
जर्मीदान का कान-पनदाज समहा जायगा, अगतये जर्मी-  
दान उस अदातत के ह्द श्पुनियान के नकूये के नीगत  
नहण है, जिस में वाठिश दायन होना 'यास्थि' या पेश है, या  
जिस में दनप्यासत ही जर् है ।

१४६ । वह गकूसीठं जो दरे पद आर्दव कान-नवार्क दीवानी  
में जिकर की जर् है, ऐसे मुकददों की हातत में दीवानी  
मुकददों की उस नजिस्तत में, जो उस दरे में वगर्क जर्  
है, मुकदद होवे के एवज, एक प्यास नजिस्तत में दर्ज  
की जायगी, जिस को हन अदातत दीवानी ऐसे वकूये में  
नयेगी, जिस को ठीकठ गवर्दनेदुष्ट वक्तव वक्तव पर इस काम  
के ठिये मुकनन करे ।

१४७ । मसनुवे शायत दरे उज्ज आर्दव कान-नवार्क  
दीवानी, जब जर्मीदान वे किसी नश्यत पर उस की जोग  
की माठगुजानी वनूठ कनवे के ठिये वाठिश की है, तो  
वह जर्मीदान उस नश्यत पर उसी जोग की किसी  
माठगुजानी वनूठ कनवे के ठिये दूसरी वाठिश वही कन  
सकेगा, जब तक कि पहली वाठिश दायन कनवे की गानीप  
से गीन मदीवे गुजन न जाय ।

१४८ । माठगुजानी वनूठ कनवे के मुकददों में नीये  
ठिये हुए कयदे काम में आयेगी ।

(३) आर्दव कान-नवार्क दीवानी के दरे १२० से १२७  
तक (दीनों शानिठ) दौन १२८, ३-१ दौन २२०  
से ३२६ तक (दीनों शानिठ) ऐसे मुकददों के  
ठिये काम में नही आयेगी ।

नायव या गुमाशत  
कान-पनदाज मुग-  
सौशर होगे ।

मुकददों का प्यास  
नजिस्तत ।

माठगुजानी के मुकदद-  
माग जो एक वाद दूसरे  
के दायन किये जाते हैं ।

माठगुजानी के मुकद-  
दों में कान-नवार्क ।



( व ) अर्जी दाने में, इसे पं. आर्चन कान-नवार्ड द्वारा  
 में वगैरि हुई गृहसौधों के सिवाय, उस प्रभोग  
 के मौजूदा नाम, नक़्वा और यौहूदी की ग-  
 सौध नहीगी, जिस को आसामी नया है; या  
 जहाँ मुहूर्त नक़्वा या यौहूदी न वगैरि सके, तो  
 उस के वजाय प्रभोग का ऐसा वधान नहीगा  
 जो उस के पहचानने के लिये काफ़ी हो ।

( स ) समय मुहूर्तमें के आधुनी खेसठ के लिये होगा, पर  
 सिर्फ़ उस हाठ में नहीं, कि जब अदात को  
 यह नाय हो, कि समय सिर्फ़ शुरू ( समय मुगल-  
 किया ) रहाने के लिये होना चाहिये ।

( ए ) अगल हार्ड कोर्ट आम गौर पर या किसी प्वास  
 नक़्वा प्रभोग के लिये, कायदे की नू से ऐसा  
 हुकम दे, तो समय और किसी तरह से जारी  
 होने के सिवाय, या उस के वजाय इस  
 गौर पर गामोठ किया जा सकता है, कि पर  
 मुहूर्तमहूर के नाम ऐसी थिस्टी में जो स्थिति  
 पोस्ट थिस्टी ऐक सग रट्ट के हिस्से गौर  
 को नू से नजिस्टी को गार्ड है, उक्त में  
 नैजा जाय; जब समय इस तरह से किसी थिस्टी  
 में नैजा जाय, और यह आविग हो जाय कि  
 थिस्टी हकीकत में उक्त में हो गार्ड थी, और  
 नजिस्टी को गार्ड थी, तो अदात यह क़्याम  
 करने कि अनन्त वा-जायगा जारी किया गया है ।  
 अतः समय परवर्ती वगैरि शजायत अदात के लिये  
 हार्ड किया जायगा ।

( ६ ) अर्चन कान नवार्ड द्वारा के प्रभोग रट्ट में जो  
 कायदे, अर्चन को अदात अद्वयनवत करती के  
 लिये नूकरीय लिये गये हैं, पर काल में लिये  
 या नही, या नही लिये जायते या नही ।  
 अतः इस उक्त के है उक्त-नाम को अदात  
 उक्त-नाम अतः उक्त-नाम उक्त-नाम का हुकम है  
 अतः के उक्त उक्त उक्त में लिये, कि अतः

वह वाको माओजुपानी के ठिये वे-दुप्यो की डिजानी है ।

(६) वावपूइ उस के जो आरिज कान-नारि दीवानी की द्ये रउर में ठिया है, उस डिजानी के रण-नाय के ठिये जो जमीदान वे वाको माओ-जुपानी के ठिये पारि है, वह शय्स दनप्यासग वही कन सकेगा, जिस को डिजानी का हक इगिठाठ किया गया है, पर सिधे उस हाठग में, कि, जब जमीदान का हक, उस जमीन में, उस शय्स को पूने गीन पर दिया गया है ।

१४६ । (१) जब मुद्दाअठेह येह क्वूठ करना है, कि माओजुपानी का रुपया उस के जिन्मे वाकी है, ठेजिन येह उजर करना है, कि मुद्दई को वही पर किसी और गिसने शय्स को दिया जाना चाहिये, वो अदाठग उस हाठग को छोड़ कन, जिस में ऐसे प्यास सवव हो जिन की वह ठियेगी, इस उजर को न सुदेगी, जब तक मुद्दा-अठेह अदाठग में वह रुपया न जमा कने, जिस को उस वे अदा हीदे के गायक क्वूठ किया है ।

जो रुपया गिसने शय्स को वाजिव-उठ अदा क्वूठ किया जाय उस को अदाठग में अदा करना ।

(२) जब इस गनह से रुपया अदा किया जाय, वो अदाठग उसी वक्त उस गिसने शय्स पर ऐसे रुपये अदा हीदे को इगिठा जानी कनेगी ।

(३) जो वह गिसना शय्स इगिठा पावे से गीन महीदे के गीगर मुद्दई पर नाठिश दायन न कने, और रुपया अदा कनवे, का इगिवाई हुकम न पावे, वो वह रुपया मुद्दई की दनप्यासग पर उस को दे दिया जायगा ।

(४) जमीना द्ये उ को नू से जो रुपया मुद्दई को दिया जाय, उसके वसूठ कनवे के ठिये जो कोई शय्सन हक नप्या हो, उस हक पर इस द्ये का कुछ असन नहीं होगा ।

१५० । जब मुद्दाअठेह इस बात को क्वूठ करना है, कि उस के जिन्मे मुद्दई का रुपया माओजुपानी की विसवण वाकी है, पर येह उजर करना है, कि दादा

अदाठग में उस रुपये का अद्य कनना जो जमीदान को अदा

कनवे के साथ क्वचू  
किया जाय ।

किये हुए रुपये की गारंटी अर्थात् किये जाने वाले साथ रुपये से जेवादे है, तो अर्थात् व्यास ऐसे सबको की हाण को छोड़ कर जिन को वह विप्रेणी, उस उजान के सुनवे से इनकान कनेगी, जब तक मुद्दाअठेह अर्थात् में वह रुपया न दायिग कने, जिस को उसने अर्थात् होने के साथ क्वचू किया है ।

रुपये के किसी हिस्से के अर्थात् कनवे की शर्त ।

१५१ । जब मुद्दाअठेह को इस से पिछली दो दलों में से किसी एक की नू से रुपया अर्थात् में अर्थात् कनवा याहिज जो अर्थात् समझे कि ऐसा हुकम देने के विषये सब काबो है, तो वह मुद्दाअठेह के उजान को उस वक़्त सुन सकती है, कि जब वह अर्थात् में उस रुपये का ऐसा हिस्सा अर्थात् कने, जिस के विषये अर्थात् हुकम है ।

अर्थात् नसीद देगी ।

१५२ । जब मुद्दाअठेह अर्थात् में रुपया उजान वगैरह हुकम दलों में से किसी को नू से अर्थात् कने, तो अर्थात् मुद्दाअठेह की नसीद देगी, और ऐसी दो हुकम नसीद उसी गारंटी से और उस हद तक धारिजा-प्यतो का काम देगी, कि गोया वह नसीद मुद्दाअठेह ने या गोसने शक्य ने दी थी ।

मातृगुणानी के मुद्दाअठेहों में अपीठ ।

१५३ । मातृगुणानी वसूठ कनवे के विषये प्रतीदान जो नागिरा दायन कनवा है, उस की पहली रुपय में या अपीठ में जो डिजानी या हुकम दिया जाय, उस की अपीठ अर्थात् वगैरह हुकम हाणों में नहीं हो सकेगी ।

(अ) जब डिजानी या हुकम जिसे जज, अडिगण जज, या सचिविनेट जज, ने दिया है, और वह रुपया जिस के विषये नागिरा की गारंटी है, और रुपये से जेवादे नहीं है-या

(ब) डिजानी या हुकम किसी ऐसे और अर्थात् अकनन ने दिया है, जिस को वीकड गारंटीमेंट के इस दके की नू से शकियान नागिरा दिया है, और वह रुपया जिस के विषये नागिरा की गारंटी है पर्याप्त रुपये से जेवादे नहीं है,

पर किन्तु इस हाण में अपीठ हाण, कि पर हाण में से किसी हाण में डिजानी या हुकम कि पर हाण में से किसी कनवा है, जो डिजानी के किसी हाण

या ज़मीन के किसी छाया के निरसन है, जिस पर दोनों  
श्रीक का दावा एक दूसरे के वरिष्ठता है, या आसामी  
को माओजुगानी वढ़ावे या वदोवे के एक का वसथिया करना  
है, या माओजुगानी के उस गदाह का वसथिया जो आसामी  
को साभाना देना चाहिये.

व-अनते के उस हाव में जब जिसे जज यह समझे कि  
अदावती अशुसन ऐसा शपथियान काम में ठाया है, जो  
आरिन की नू से उस को नहीं दिया गया है, या ऐसा दिया  
हुआ शपथियान काम में नहीं ठाया है, या अपने शपथियान  
काम में ठावे में आरिन के वरिष्ठता, या मानी वे-जावगरी  
के साथ अमठ किया है, तो वह ऐसे मुकदमे की मिसठ मंजूर  
सकता है, जिस में उस अदावती अशुसन के जैसा कि जपन  
कहा गया है, ऐसी डिगरी या हुकूम दिया है, जिस के  
विषे यह दृष्टा काम में आ सकता है; और वह जिसे जज  
ऐसा हुकूम दे सकता है जैसा वह मुनासिब समझे ।

१५४। माओजुगानी वढ़ावे के विषे इस ऐह की नू से  
जो डिगरी, प्येगी के वरस के पहले आउ महीनों के भोगन  
दायन किये हुए मुकदमे में हो गई है, अमूमन आदे-बाठे  
प्येगी के साठ के शुनू में गामोठ की जायगी, और जो  
प्येगी के वरस के पिछठे या न महीनों में दायन किये  
हुए मुकदमे में हो गई है, तो आरन्दा प्येगी के साठ  
के पीछे दूसरे वरस के शुनू में गामोठ की जायगी; पर इस  
दृष्टे में कोई ऐसी दाग नहीं है, जो अदावती को व-सवव  
प्यास वणूहाण के, ऐसी डिगरी की गामोठ के विषे कोई  
और पीछे की गानोप्य मुकदमे करने से रोके ।

किस गानोप्य से माओ-  
जुगानी वढ़ावे की  
डिगरी का असन  
होगा ।

- १५५। (१) आसामी को वेदप्यी के विषे इस बुनयाह पर ।
- (२) कि वह ज़मीन को इस तरह काम में ठाया है, जो  
उस का जोग के काम के विषे निरुमनी बन देगी  
है-या
- (३) उस के ऐसी गरी गोड़ी है जिस के गोड़वे पर,  
उस की-कान को शरणी को नू में, जो उस

जबगी निरुक्तियण का  
सोच ।

के और प्रमोदान के दरमियान में हुआ है वह वे-द्वय शिक्षा जा सकता है ।

वाकिस नहीं थायन की जायगी पर उस हाठ में, कि पर प्रमोदान दे उहनाये हुए गौर पर आसामी पर ऐसी शक्तिता गामोठ की है, जिस में उस वेजा इस्तिमाठ या शर् गोटदे का निकर है, जिस के विषे वाकिस की जर है, और जहां इस्तिमाठ वेजा या शर् के गोटदे का शोण ही सकता है, तो आसामी को उस की गदवीन करने के विषे कह है और हर हाठ में उस इस्तिमाठ वेजा या शर् गोटदे के विषे भाकूठ हनजा मांजा है, और आसामी वे मुनासिव वरुण के अवनन ऐसा नहीं शिक्षा, जैसा कि प्रमोदान चाहता था ।

( २ ) उस डिजानी में जो प्रमोदान के हक में किसी ऐसे मुकदमे में हो जाए, हनजे का वह गदवा विषया नहो, जो मुददर की वेजा इस्तिमाठ या शर् गोटदे के विषे दिया जायगा, और यह भी कि अदाठर की नाय में वह वेजा इस्तिमाठ या शर् गोटदे शोण किये जाने बायक है या नहीं, और उस की नू से एक वरुण उहनाया जायगा जिस के अवनन मुददाअठेर याहे तो वह रुपैया मुददर की अदा करे, और जहां वह वेजा इस्तिमाठ या शर् गोटदे शोण किये जाने बायक उहनाया गया है, उस का शोण करे ।

( ३ ) अदाठर वरुण वरुण पर प्यास अदरों के विषे उस वरुण को बढ़ा दे सकती है, जो उसदे प्रमीमे दहे ( २ ) की नू से उहनाया था ।

( ४ ) अगन मुददाअठेर उस वरुण या बढ़ाये हुए वरुण के अवनन, जो अदाठर वे इस दहे की नू से उहनाया है, वह हनजे का रुपैया अदा करे जो डिजानी में मुददर है और जहां वेजा इस्तिमाठ या शर् गोटदे अदाठर का गनद से अदाठर पगोन उहनाया गया है, उस वेजा इस्तिमाठ या शर् गोटदे का अदाठर अदाठर के प्यास प्याह करे, तो डिजानी गामोठ नही हो जायगी ।

१५६। श्रीजी वगैरे हुए कार्यके जोर से वे-द्वेषी किये हुए इन नश्यत को हाठ में अमर में आवेगी।

(अ) जब नश्यत वे वे-द्वेषी की गरीब के पहले उस जमीन में जो जोर में शामिल है इसमें ठगार है, या कुछ बोया है, तो उस को यह एक होगा कि जमीन की मज्जा के मुनाफक उस जमीन पर दबो नये, और उस को रकटा करने, या जमीन से इसमें के ठिये उतारना काम है, जिन्ना वे-द्वेषी की डिगरी जानी करने-वाली अहाल वे गजबोज किया है।

(ब) जब नश्यत वे वे-द्वेषी की गरीब के पहले किसी जमीन को, जो उस की जोर में शामिल है, वोदे के ठिये गथान किया है पर उस जमीन में कोई इसमें नहीं बोई या ठगार है, तो वह जमीन से पूंजी और मिलन का काम जो उसमें जमीन को इस तरह गथान करने में मन्थ किया है, जैसा वे-द्वेषी की डिगरी जानी करने-वाली अहाल गथाना करने, मैं बाजिव सूद के जो उस काम पर रकटा हुआ है, पावे का एक नयेगा।

(स) पर नश्यत किसी जमीन पर दबो नये, या उस को निरसवण इस दहे की नू से कुछ रुपया पावे का एक उस हाठ में न नयेगा, कि जब उस वे वे-द्वेषी को जान-नवाई जमीन की गरु से गुनु रीदे के पीछे, उस गजब के दसपूर के वनधिगाथ, जमीन को जोगाया गथान किया है।

(द) जो जमीन इस दहे की नू से नश्यत को जमीन का कथना नये है, तो नश्यत जमीन को उस वरुण के ठिये जिस के कारुणे उस को दबो नये की रजाजग मीठी है, उस जमीन को अविभाज करने और कथने में नये के ठिये, ऐसी मागुजानी है। जिस को वे-द्वेषी की डिगरी जानी करने-वाली अहाल बाजिव करने।

वे-द्वेषी किये हुए नश्यत के एक इसमें और उस जमीन को निरसवण जो वोदे के ठिये गथान की गई है।

वे-द्वेषी के एतए  
व्राजिव माठगुणारी  
मुकर्मन करने का  
अदाएण का रूपाधियान।

१५७। जव मुहूर्त किसी वेजा द्युए कनवे-नाडे की  
वे-द्वेषी के ठिये वाठिय कनगा है, गो वर अगन मुगभिन  
समहे, उस की एतए में रस याने की दनप्यासण कन सतए  
है, कि मुहूर्ताअठेर की उस जमीन के नपवे के ठिये  
ऐसी व्राजिव माठगुणारी अदा कनवे का हुकम दिसा जाय,  
जो अदाएण गजनीण कने, और गव अदाएण ऐसा यात  
है सकगी है।

जमीन नपवे के अर-  
आठ गजनीण कनवे के  
ठिये द्युप्यासण।

१५८। (१) वर अदाएण जो जमीन के कवणे का  
मुकहमा सुंसठ कनवे का रूपाधियान नपवो है, जमीन या  
जमीन के आसामी की द्युप्यासण पन आगे वगारे हुई सव वागे,  
या उन में से किसी का गसथिआ कन सकगी है—जैसा कि

(अ) जमीन का मौका, नकवा, और सनहद।

(ब) उस के आसामी का नाम और वधान (जो  
कीई हो)।

(स) वर किस दरे को नरथण है, यागि वर दन-  
मियावी हकदान या सनह मुकर्मन पन जोण  
नपवे-नाठो नरथण, द्युएकान नरथण, जैन  
द्युएकान नरथण; या शिकभी नरथण है, और  
अगन वर दनमियावी हकदान है, गो रसगि-  
मनारी हकदान दनमियावी है या नहीं, और  
जव गज वर दनमियावी हक नपेगा, उस की  
माठगुणारी वढाई जा सकेगी या नहीं।

(द) माठगुणारी जो वर द्युप्यासण कनवे के वरुण अदा  
कनगा है।

(२) अगन अदाएण की नाथ में, रन में से कीई वागे  
गहकीकाण सनजमीन के वगैन प्यागिन प्यार नहीं गजनीण  
की जा सकगी, गो अदाएण हुकम है सकगी है, कि  
आरिन कान-नवारे दीवानी के वाव रप की नू से, एसा  
असन माठ गहकीकाण सनजमीन कने, जिस की ठेकेठ  
गवनेमेवट रस काम के ठिये, उसी आरिन की दसु वदर के  
मुगभिक वगये हुए कापदे की नू से रूपाधियान है।

(३) रस दरे की नू से की हुई द्युप्यासण पन जो  
हुकम दिसा जाय, वर डिजारी का असन नपेगा, और एव  
का अपोठ गो उसी गनह हो सकेगा जैसे डिजारी का।

## यौद्धिदां वाव ।

वाकीं माठगुजानी को डिजारी जानी का बीठाम ।

रफटा जव कोरि दनभियावो हक या जोग उस को वाकीं माठगुजानी को रजनाय डिजारी में बीठाम किया जाय, पा प्यनीदान उन हकीं को छोड़ कर जो रस वाव में वये हुए हक कानन दिये गये हैं, उस को प्यनीदिया, पर उस को रफगियान होजा कि उन हकीं को नद करने, जो रस वाव में दैव कहोगे हैं, पर शर् येह है कि—

दैन को नद करने का. आम रफगियान प्यनीदान का ।

( अ ) नजिस्ती किया हुआ और रफगियान दिया हुआ दैव, हसव मनशा रस वाव के, रस गनह नद नहीं किया जायगा, सिवाय उस हाठग के, जो रस के पीछे उस के ठिये वगारि गई हैं ।

( व ) नद करने का रफगियान उस गनह काम में ठाया जायगा, जैसा रस वाव में वगाया गया है ।

रद । रस वाव की मनशा के मुगाविक, नीये ठिये हुए हक वयाए हुए हक समझे जायंगे ।

वये हुए हक ।

( अ ) कोरि दनूवी हक जो दवाभो वगद-ओ-वसग के वरुण से यदा आया है ।

( व ) कोरि दनूवी हक जो ऐसे वगद-ओ-वसग की कान-नवादि में कि भव जानी है उस वगद-ओ-वसग को भियाद के ठिये, मुकनन माठगुजानी पर नया हुआ हक दनभियावो प्यदाठ किया गया है ।

( स ) ऐसी जभोव का पट्टा जिस पर नहवे के घन, कानप्यावे या और पकको रमानगे वगारि गई हैं, या वाग, गाठाव, गहन परसगिशाहा या मसान या गीरिसाग वगारि गए हैं ।

( द ) कोरि हक द्यठ ।

( य ) गीन द्यठकान नयण का उस माठगुजान पर पाय वनस गक जभोव नयवे का हक, जो अठाठ वे वाव द की नू से उदनाया है, या अइसन माठवे वाव र- की नू से मुकनन किया है ।

( इ ) कोरि हक जो किसी द्यठकान नयण की, ऐसी माठगुजानी पर जोग नयवे के ठिये दिया



गया है, जो उस वृक्ष काण्ड और मुनासिब  
समझी जागी थी, कि जब वह हक दिया गया  
था; और

(ज) कोई हक या क्षयदा जिस के पैदा करने के  
विषये उस प्रमोदान ने, जिस की दस्तावेज पर  
दस्तावेजी हक या जोग नोताम होगी है, या  
उस के पहले हक नब्बे-बाठे ने, उस वृक्ष  
के आसानी की किसी पहरीन की नू से साक्ष  
इजाजत दी है ।

दैन और नजिरती क्रिये  
हुए और इस्तिमान क्रिये  
हुए दैन के मादे ।

१९१ । इस वाक के मतानिब के विषये ।

(अ) दैन के ठगण से, जब वह प्रमोदान नब्बे की,  
निसवण इस्तिमाठ क्रिया जाय, कोई दावा  
सिकमी नश्रण का हक, हक आसारीस या  
आनाम (रेणमेवट) या कोई और हक या क्षयदा  
समझा जागा है, जो आसानी ने अपनी दस्तावेजी  
हक या जोग पर कायम क्रिया है, या जो उस के  
क्षयदे की घटागा है, और ऐसा वयाया हुआ  
हक नहीं है जो पिछली हक में वनाया गया है ।

(ब) नजिरती और मुशफहिन क्रिये हुए दैन से, जब  
वह ऐसे दस्तावेजी हक या जोग के विषये  
इस्तिमाठ क्रिया जाय, जो वाकी माठगुजारी  
के डिजारी जानी में नोताम क्रिया गया या  
नोताम होने के बायक है, ऐसा दैन समझा  
जागा है, कि ऐसे नजिरती क्रिये हुए दस्तावेज  
की नू से पैदा क्रिया गया है, जिस की एक नब्बे  
माठगुजारी वाकी पड़ने के कम से कम गीम  
महीने पहले, आजो वनाये हुए गौन से प्रमोदान  
पर गामोव करार गई है ।

दस्तावेजी हक या  
जोग के नोताम की  
दस्तावेज ।

१९२ । जब किसी दस्तावेजी हक या जोग की वाकी  
माठगुजारी के विषये डिजारी दी गई है, और डिजारी  
दान के मध्य, आरंभ करार-नवादे दीजारी की नू से  
महीने डिजारी पर जोग को प्रवर्तनी और नोताम के  
विषये दस्तावेज बनना है, तो वह एक ऐसा दस्तावेज



हुआ है उगाकर मसलून किया जायगा, और इस तरह से भी मुशगहिन किया जायगा, जैसा ठीकठ गवर्नमेण्ट वरुण वरुण पर उस काम के विषये हुकूम दे ।

( ४ ) वावजूद उस के जो जपन वगैरे हुई शरिफ की दृष्टि रूठ में विषया हो, मध्यम की पहलीरी रजाजग के वीर वीराम न होगा, जब तक कम से कम गीस दिन उस गरीब से न गुजर जाय कि जब रशगहान की वरुण उस दरमियानी हक या जोग की जमीन पर उगाई गई थी, जिस के वीराम का हुकूम हुआ था ।

रजिस्ट्री की हुई और मुशगहिन देव की वाज नथ कर दरमियानी हक या जोग का वीराम और उस की गारंटी ।

१९४ । ( १ ) जब किसी दरमियानी हक या ऐसी जोग के वीराम का रशगहान, जो शरह मुकर्मन पर नथी गई है, पिछले दृष्टि की नू से दिया गया है, तो वह रजिस्ट्री की हुई और मुशगहिन देव के गारे होकर वीराम पर अटार्क जायगी, और जब वीराम हुआ जुपया जग डिगरी और गारिष का पनया, मैं पनया वीराम के विषये काछी हो, तो वह दरमियानी हक या जोग देव की जिम्मेदारी के साथ देया जायगा ।

( २ ) इस दृष्टि की नू से किये हुए वीराम में, पुरीदान उस गीन पर जो दृष्टि १९७ में वगया गया है पर किसी और गनह से नहीं, दरमियानी हक या जोग के ऐसे देव को नह कर सकगा है, जो रजिस्ट्री की हुई और मुशगहिन देव नहीं है ।

देव को नह करने के रशगियान के साथ दरमियानी हक या जोग का वीराम और उम की गारंटी ।

१९५ । ( १ ) जो किसी दरमियानी हक या शरह मुकर्मन पर नथी हुई जोग के विषये वीराम हुआ जुपया, जो पिछले दृष्टि की नू से वीराम पर अटार्क गया है, उस हक न पहुंचे, कि जग डिगरी और जपन वगये हुए पनये के बने करने के विषये काछी हो, और जो डिगरीदान उम वरुण दरमियान करे, कि दरमियानी हक या जोग देव नह करने के रशगियान के साथ वीराम किया जाय, तो वीराम करने-वाला बरुमन वीराम मुकर्मनो नयेगा, और दृष्टि रूठ शरिफ कान-नदार्क होरानो की नू से, नया रशगहान रथ मरुतुव का जानी करेगा, कि वह दरमियानी हक या जोग वीराम पर अटार्क जायगी, और देव नह करने के रशगियान के साथ उम में वगये हुए ऐसे बानदे देव को

वेथी जायगी, जो मुठगरी करने की गरीब के पीछे पल्लव दिन से कम या गीस दिन से ज्यादा न होना; और उस दिन वह दमियाणी हक या जोग नोठाम की जायगी, और सब दिन नए करने के श्पगियान के साथ-वेथी जायगी ।

( २ ) इस दृष्टे की नू से किये हुए नोठाम में, प्यरीदान दृष्टे १६७ में वगाये हुए गौर से, पर और किसी गरह से नहीं, उस दमियाणी हक या जोग के किसी दिन को नए कर सकता है ।

१६६ । ( १ ) जब दृष्टे १६३ के मुगाविक किसी द्युठ की जोग का नोठामी श्पगियान दिया गया है, तो वह दिन नए करने के श्पगियान के साथ नोठाम की जायगी ।

( २ ) इस दृष्टे के मुगाविक जो नोठाम होना है, उस में प्यरीदान इस से अगे आदे-बागे दृष्टे में वगाये हुए गौर पर, ठेकन और किसी गरह से नहीं, जोग के दिन को नए कर सकता है ।

१६७ । ( १ ) प्यरीदान जो किसी पिछठी दृष्टे की नू से दिन नए करने का श्पगियान नयना है, और उस को नए करना याहना है, नोठाम की गरीब या दिन की श्पगिया पहले पादे की गरीब, इन में से जो पिछठा हो, उसी दिन से एक वनस के ग्रीवन कठजन के पास गिथी हुई दमियाण इस मज्भून की पेश कर सकता है, कि वह अइसन दिन देवे-बागे पर एक ऐसी श्पगियान जानी करे, कि दिन नए किया गया है ।

( २ ) ऐसी ही दमियाण के साथ श्पगियान जानी करने के गिये ऐसी द्युस दायिठ करना चाहिये, जो नेत्रेणिक बोर्ड उस के गिये मुकरन करे ।

( ३ ) जब कठजन के पास श्पगियान जानी करने के गिये दमियाण इस दृष्टे में वगाये हुए गौर पर की जाय, तो वह उस के मुगाविक श्पगियान जानी करेगा, और राजनाय श्पगियान की गरीब से दिन मुकरन बनहा जायगा ।

( ४ ) जब कोई दमियाणी हक या जोग बाकी माल-मुजारी की डिजारी जानी में नोठाम हो गई है और उस

दिन को नए करने के श्पगियान के साथ द्युठ की जोग का नोठाम और उस की रासीन ।

पिछठी दृष्टे की नू से दिन को नए करने को कान-नवार ।



( व ) इस के पीछे डिजानीदान को वह रुपैया बदा किया जायगा. जो उस को उस डिजानी को नू से मिठवा याहिये. जिस की रजनाय में बीठाम किया गया था ।

( स ) इन रुपियों को देखन बगान कुछ बीन रुपया बये. गो उस में से डिजानीदान को ऐसी भाठ-गुजानी ही जायगी. जो उस इनमियावी हक या जोग की निरसन वाठिअ धायन करने के दिन से. बीठाम के दिन तक बदा की जाने ठारक ही ।

( ए ) कठान ( स ) में वगारि हुई भाठगुजानी बदा करने के बाद कुछ बीन बया हुआ रुपैया ही. गो बीठाम की मगजूनी से ही महीने गुजरने पर. मध्यम डिजानी की इनप्यासण पर उस को दिया जायगा ।

( २ ) बगान मध्यम डिजानी घेर एगनाज करने. कि डिजानी दान को भाठगुजानी को रुपया कठान ( स ) की नू से मिठवे ता कुछ हक नहीं है. गो बदाएण उस हाउडे का गसथिया करनेगी. बीन वह ऐसठा डिजानी का जोन नयेगा ।

१७०। ( १ ) बाईन कान-नबाई दीवानो की दखे २७८ से हंठ तक ( दोनी शामिठ ) उस इनमियावी हक या जोग के ठिये काम में नहीं ठारि जायगी. जो बाकी भाठगुजानी की डिजानी जानी में जवण को गरि है ।

( २ ) जब ऐसी डिजानी की रजनाय में किसी इनमियावी हक या जोग के बीठाम का कलम हुआ है. गो वह इनमियावी हक या जोग जवणी से निहाई नहीं पावेगा पर सिई उस हाठण में. कि जब बीठाम प्यम हावे के पहरे जब डिजानी बीन मुकदमे का पनया बीन बीठाम का पनया बदाएण में बायिठ किया जाय. या डिजानीदान इनमियावी हक या जोग की निहाई के ठिये. इस बुदबाए पर इनप्यासण करने. कि डिजानी का रुपया बदाएण के बाहन बसुठ हो गया है ।

इनमियावी हक या जोग जवणी से सिई उस हाठण में निहाई पावेगा कि इनडिजानी में पया बदाएण में बायिठ होगा या जब कि डिजानीदान बसुठो कूठो करेगा ।

(३) मध्यम या शीत कीर्ष शय्यस जो दन्तियानी हक या जोग में ऐसा हक नथपा है, जो नोठाम से नर होवे ठायक है, इस दखे की नू से बदाठग में रुपया बदा कर सकता है ।

नोठाम भीरूक नथवे के ठिये बदाठग में बदा किया हुआ रुपया बाण हाठगो में दन्तियानी हक या जोग पर जोन नेहन होगा ।

१७१। (१) जब कीर्ष शय्यस जो ऐसे दन्तियानी हक या जोग में जिस का नोठामी रशरिहान इस वाव को नू से जानी हुआ है, ऐसा हक नथपा है, कि वह नोठाम होवे पर नर हो जायगा, बदाठग में नोठाम भीरूक नथवे के ठिये जानूरी रुपया बदा करगा है-गो

(क) जो रुपया उस वे इस वीन पर दिया है, वह ऐसा देव समहा जायगा जिस पर वानर रुपये सैकडे साठाना खुद चढ़ेगा, बीन जिस की हियाणन के ठिये वह दन्तियानी हक या जोग उस के पास मकसूठ समही जायगी ।

(ख) उस का नेहन, वाली माठगुजारी के दावे को छोड़ कर, दन्तियानी हक या जोग पर, बीन सब दावो से बहकर समहा जायगा-बीन

(ग) वह उस जोग या दन्तियानी हक पर व-गीत बासामी के मुतगहिन के तवजा नथवे का मुसगहिन होगा, बीन तब तक उस पर कवता नथेगा, कि जब तक वह देव में खुद के बदा न किया जाय ।

(२) इस दखे में जो कुछ दिया है वह उस ठाठ पर बकर तरी करेगा, जिस के ठिये ऐसा मध्यम हक नथपा है ।

किसी भीरूक जो नथपा बदाठग में बदा करे नोठामी के नथपा कर सकता है

१७२। जब किसी माठगुजारी के माठगुजारी बदा न करदे को बहक में, किसी दन्तियानी हक या जोग का नोठामी रशरिहान, इस वाव को नू से बदा कर दिवने में जानी किया जाय, बीन कीर्ष बाधानी नथवे जिस का एक नोठाम है वह बाठग है जायगा बदाठग के नथपा के ठिये के, भीरूक के ठिये बाठग के बदा करे के नथपा के ठिये के नथपा जो बदा करे को नू से बदा करे के ठिये करेगा है, बीन, का नथपा हुआ नथपा है

उस को कुछ हिस्सा उस भाग्युजारी से मुजरा कर सकता है, जो उस को अपने प्रमोदान के यहाँ बँदा करवा हो, और वह प्रमोदान अगल बाकीदान नहीं है, तो उसी तरह से ऐसे भिन्ना क्रिये हुए रुपये को उस भाग्युजारी से मुजरा कर सकता है, जो उस के प्रमोदान को देने लायक है, और इसी तरह से जब तक कि बाकीदान तक न पहुँचे ।

१७३। (१) बाँधपूरे उस के जो धार्मिक कान-नवाँरे दोबारी की दृष्टि रक्ष, में ठिप्पा है, उस डिजारी का नष्पदे-बाँठा जिस की रक्षणाय में कोई दनमियावी हक या जोग इस बाव की नू से नोठाम किया जागा है, वगैर रक्षणय बदाए के, उस दनमियावी हक या जोग के विषे डाक वोठ सकता है, या उस को खरीद सकता है ।

डिजारीदान की डाक वोठ कर पन मध्यून नहीं सकता ।

(२) मध्यून ऐसे दनमियावी हक या जोग के नोठाम में, न डाक वोठेगा और न उस को खरीद सकेगा ।

(३) जब कोई मध्यून थाप, या किसी और शब्द के ज्ञानिये से, ऐसे नोठाम क्रिये हुए हक दनमियावी या जोग को मोठ ठेगा है, तो बदाए अगल मुनासिब समझे डिजारीदान या किसी और शब्द की दनमियाव पन, जो नोठाम से गद्यपद्यक नष्पगा है, नोठाम मुसपनद करने का हुकम दे सकता है, और दनमियाव और हुकम का पनया और दृष्टि दृष्टे नोठाम करने से जो दाम में कमी हो, में पनये नोठाम होवाना, मध्यून को देना होगा ।

१७४। (१) जब कोई दनमियावी हक या जोग उस को बाकी भाग्युजारी के विषे नोठाम को गई है, जब नोठाम होने की गारीष से गीस दिव के गीगन किसी बरक, मध्यून डिजारीदान को देने के विषे, वह रुपया जो पनये के साथ डिजारी को नू से बँदा होने लायक है, और खरीदान को देने के बाँधते, जन-अमन के साथ रुपये मैकड़े बनावन रुपया बदाए में जमा करने, नोठाम नद होने के बाँधते दनमियाव दे सकता है ।

नोठाम नर कर विषे मध्यून की पाने ।

(२) जो ऐसा रुपया गीस दिव के गीगन जमा किया



क्रिये हुए बीठाम के विषे अमठ में आवेगी ।

पर शर्त यह है कि अज्ञान मध्यम आर्यन ज्ञान-नवाँर दीवानी को दखे उरर को नू से, अपने दनमियावी हक या जोग का बीठाम नद करने के विषे दनप्यास्य है, गो उस को ऐसी दखे को नू से दनप्यास्य देवे का हक न होगा ।

( ३ ) आर्यन ज्ञान-नवाँर दीवानी को दखे उरर, रस वाव को नू से क्रिये हुए किसी बीठाम के विषे काम में नहीं आवेगी ।

दैन पैदा करने-वाठे वाण दसगावेणो की नजिस्ती ।

१८५ । वावजूद उस के जो रजियन नजिस्तेसन ऐक सन १८५५ के यीथे हिस्से में विष्वा है, बर दसगावेण जो किसी दनमियावी हक या जोग पर दैन पैदा करणी है, बीन रस ऐक के जानी होवे के पहले विष्वा गई है, बीन जिस का नजिस्ती होना जपर वगाये हुए नजिस्तेसन ऐक को दखे १८ के मुवाविक जनुन नहीं है, रस ऐक को नू से नजिस्ती के ब्रासगे उस हाठण में ही जावेगी, कि जव रस ऐक के जानी होवे से एक वनस के भीवन, उस काम के विषे ऐसे श्युगियान नयवे-वाठे श्युसन के पास पैस की जाय ।

जर्मोदान के पहल दैन की श्युगिठा ।

१८६ । हन श्युसन जिस वे रस ऐक की मजपूरी के पहले या पीछे, ऐसे दसगावेण को नजिस्ती की है, जो किसी दनमियावी हक या जोग के वासामी वे विष्वा रिया है, बीन उस दनमियावी हक या जोग पर दैन पैदा करणी है, उस वासामी या ऐसे श्युस को दप्यास्य पर जिस के हक में बर दैन पैदा किया गया है, बीन उस को वनश से ऐसे श्युस बदा क्रिये जावे पर जो ठीकठ गवर्नमेण्ट रस काम के विषे इनावे, जर्मोदान पर उस दसगावेण की एक गकठ इनाये हुए गीन पर गानोठ करके दैन की श्युगिठा देगा ।

दैन पैदा करने का श्युगियान नयवे वडाया गया ।

१८७ । रस वाव में जो कुष्य विष्वा है बर किसी श्युस को ऐसे दैन पैदा करने का श्युगियान नहीं देगा है, जिस को बर बीन किसी वनर में कादून के मुवाविक पैदा नहीं कर सकगा ।

**पदुदरवाँ वाव ।**

कीठक्यान बीन दिवाज ।

कीठक्यान के पानिये से रस ऐक के वनर के देकर करके बर

१८८ । ( १ ) रस ऐक के मजपूरी के पहले या पीछे जर्मोदान बीन वासामी के दनमियाव जो कीठक्यान रिया पर रस ऐक में करके देसा वाव नहीं देगी-जो

१८९ । ( २ ) रस ऐक के मजपूरी के पहले या पीछे जर्मोदान बीन वासामी के दनमियाव जो कीठक्यान रिया पर रस ऐक में करके देसा वाव नहीं देगी-जो

- ( व ) कौठ-कृतान को पानीय के प्रकण जो हृत् द्युष्य  
किसी को हासिष्ठ था. उस को ठे ठेगी-या
- ( स ) जमींदार को येह हृत् देगी कि आसामी को इस  
ऐज की शरणा की प्रिये के अठावे, और  
किसी गौर पर वे-द्युष्य करने-या
- ( ए ) आसामी इस ऐज की नू से जमीन को विवाकण  
वढावे, और उस के विधे गठाये पावे का  
जो हृत् नयगा है, उस हृत् को ठे ठे या  
महदूद करने ।

( २ ) ऐसे किसी कौठ-कृतान में जो जमींदार और  
आसामी के दरमियान, पवदरहरीं जूगारि सन १८८० के वाद  
में इस ऐज की मजदूरी के पहले किया जाय, ऐसी कोई  
ग वही होगी जो नश्यन को इस ऐज की नू से, जमीन  
हृत् द्युष्य हासिष्ठ करने से नीके ।

( ३ ) ऐसे किसी कौठ-कृतान में जो जमींदार और  
आसामी के बीच में, इस ऐज की मजदूरी के पीछे किया  
जाय, कोई ऐसी वाग वही होगी-जो

( थ ) नश्यन को इस ऐज की नू से जमीन में हृत्  
द्युष्य हासिष्ठ करने से नीके ।

( व ) इसे रउ को नू से द्युष्यकान नश्यन को, जमीन  
स्वामिभाठ करने का जो हृत् दिया गया है,  
उस को ठे ठे या घटा है ।

( स ) नश्यन इसे ८६ के मुगाविक्र करने के  
स्वामिभाठ देने का जो हृत् नयगा है, उस  
को ठे ठे ।

( ए ) आसामी को निहाय के मुगाविक्र, नश्यन  
मजदूरी जोग को करियन की नू से का कौठ  
किसी गौर से, जो हृत् स्वामिभाठ करने का  
नयगा है, उस को ठे ठे ।

( ४ ) इस ऐज की शरणा के मुगाविक्र, नश्यन नश्यन  
जो निहाय पारा देने का जो हृत् नयगा है,  
उस को ठे ठे ।

(ख) इसे उट या पर की नू से भागुणारी वशने के वासने नश्रण जो दनपासन देवे का हक नयणा है, उस को ठे ठे-या

(घ) इसे ४० के मुणाविक भागुणारी वदठवे के ठिये, जो दनपासन देवे का हक जमींदार या आसामी नयणा है, उस की ठेठे।

(ङ) इसे ६७ की उन अनगों पर असन पहुंया जो वाकी भागुणारी पर दिये जाने गायक सूद से बिसवण नयणी है ।

पर अन येह है कि,-

(१) इस दशे में जो कुछ ठिया है, वह उस पट्टे की अनगों पर असन नहीं पहुंयावेगा, जो बेक गीयण से पड़णी जमीन की आवाद बनवे के ठिये दिया गया है पर जब पट्टे की मियाद खाम होवे पर पट्टा नयवे बाधा वाव (प) की नू से उस जमीन पर हक द्युठो हासिठ करेगा, जो उस के पट्टे में है, तो उस हाठण में पट्टे में जो कुछ ठिया है, वह उस को उस हक के हासिठ बनवे से नहीं रोकेगा ।

(२) जब जमींदार ने अपने नौकनों से या अपने भाइयों से पड़णी जमीन की आवाद किया है, और पंखि से उसे या उस के किसी हिस्से को नश्रण को पट्टे पर दिया है, तो इस ऐज में कोई ऐसी वाग नहीं है जो उस कौठ-जनान की अनगों पर असन करे, जिस की नू से नश्रण उस गारीय से गीस बनस गक, कि जिस दिन वह जमीन या उस का हिस्सा उस को पहले पट्टे पर दिया गया है, उस जमीन या उस के हिस्से पर हक द्युठो हासिठ नहीं कर सकगा ।

(३) इस दशे में कोई ऐसी वाग नहीं है जिस का असन उस कौठ-जनान की अनगों पर हो, जो किसी बजोये ने दारु दिनों के ठिये भेजे का कृषठ बोदे के बामने किया गया है ।

... इस ऐज में कोई ऐसी वाग नहीं है, कि को दशने, वदठवे, नश्रणो नयवे में, दशनी ...

दशने, नश्रणो नयवे में

दनमियाणी या भाषिक की रक्षणमानी मुकर्मनो पट्टा  
ऐसी अनुराग पन हेवे से नीके, जो उसके और उस के  
भासाभी के बीच में इतना धार्य ।

१८०।(१) इस ऐल में आहे जो कुछ ठिथा हो पन पव  
भी कोर ११३१ ।

उपवर्दी यन और  
दियाना प्रभोव ।

(अ) जो मुठक के ऐसे हिस्से में जहां उपवर्दी का  
निवाण जानी है, ऐसी प्रभोव नथगी है जो  
उमूमव उस दसगून की नू से पट्टे पन  
ही जागी है, और उस दसगून की नू से उस  
वक्तव ही गई है-या

(ब) जो उस किसम की प्रभोव नथगा है जिस को  
यन या दियाना कहते हैं ।  
हक द्योती नहीं हासिठ कनेगा ।

(अ) की हाठव में उस प्रभोव में जो उमूमव उपवर्दी  
के दसगून की नू से नथी जागी है, और उस  
वक्तव भी उस दसगून के मुपाविक नथी गई है-या

(ब) की हाठव में यन या दियाना प्रभोव में, जब तक  
वह उस प्रभोव को ठगाना वानह वनस तक  
न नथे; और जब तक वह उस प्रभोव में  
हक द्योती नहीं हासिठ कनेगा, उस को थपगी  
जोव के ठिये ऐसी माठगुजानो देवा होगा,  
कि जो उस में और उस के प्रभोदान में इतना  
गई है ।

(१) वाव ए ऐसे नथगी के ठिये जो उपवर्दी के  
दसगून के मुपाविक प्रभोव नथते हैं, ऐसी प्रभोव को  
निसवण जिस को वह उस दसगून के मुपाविक नथते हैं,  
काम में नहीं आवेगा ।

(२) कठपन प्रभोदान या भासाभी की द्योतन पन, या  
दोबानो बहाठव से पूछे जाने पन, येह मुसपदि कन सगना  
है, कि कोर प्रभोव हसव मनसा इस दिके के उत्र वक्तव से  
यन या दियाना प्रभोव नहीं कहवावेगी, और पव इस  
ऐल को सब अनुराग उस प्रभोव के ठिये कठव ने कावेगी ।

श्रान्ताग जमीन की  
शुद्धिचना ।

१८२ । इस ऐल में कोई ऐसी वाग नहीं है, जो बरखों  
या और नौकरी के हक से गिस्वग नष्पणे हुई बरखों  
पर असन पहुँचावे, या प्यास करके ऐसे नौकरी के हक  
के शुद्धिकाठ या बसीयण करके का शुद्धियाग है, कि जो  
इस ऐल की मजदूरी के पहले, बसीयण की नू से या की-  
किसी तरह से मुगपकिल नहीं हो सकना या

बसगिण जमीन ।

१८२ । जब कोई नश्रण अपनो बसगिण जमीन को न  
तरह नष्पण है, कि वह नश्रण के तौर से उस को नष्पे  
हुई जोग का हिस्सा नहीं है, तो उस को बसगिण जमीन  
की नष्पणे के मुगपकिल वागे उस जगह के हसगून या  
निकाज की नू से इहार जायेगी, और इस ऐल की  
गनों जो नश्रण की नष्पे हुई जमीन के ठिये कर  
में भागे है, हसगून या निकाज के पाये होकर बसगिण  
जमीन के ठिये नी ममठ में भायेगी ।

दिगाज मुद्रक की  
शुद्धिचना ।

१८३ । इस ऐल में ऐसी कोई वाग नहीं है, जो हरे  
हसगून, निकाज, या मानूवी हक पर असन पहुँचावे  
जो इस ऐल की गनों के बसगिण नष्पणे है, या उन को  
नू से अनोदन या भागव ( भावे की नू से ) बढे या  
नहीं जाये है ।

बिभागे ।

१. प्रक हसगून जिय, जो नू से नष्पण अपनो जमीन  
के बरखों के बसगिण अपनो जोग बसगिण का हक नष्पण  
रक ऐल की गनों के बसगिण नष्पणे है, और इस  
नू से अनोदन या भागव ( भावे की नू से ) बढे या  
नहीं जाये है ।

२. प्रक हसगून जिय, जो नू से नष्पण अपनो जमीन  
के बरखों के बसगिण अपनो जोग बसगिण का हक नष्पण  
रक ऐल की गनों के बसगिण नष्पणे है, और इस  
नू से अनोदन या भागव ( भावे की नू से ) बढे या  
नहीं जाये है ।

### सौंठहं प्रां वाव ।

गमादी ।

१८४। (१) वह मुकद्दमे अपोठ और दनप्यासन जो इस ऐज में नये हुए शिखर गीन में वगाये गये हैं, उस प्रकृति के अन्तर्गत जो उन के विषये अठग अठग उस शिखर में मुकद्दम किया गया है, पेश किये जायेंगे; और ऐसा ही एक मुकद्दमा या अपोठ जो ऐसी वगार्क हुई मिमाद के वेगले पोछे पेश किया गया है, और दनप्यासन जो हो गई है प्यास किया जायगा, अतः उस की विसयव गमादी का उद्गार पेश न किया जाय ।

गोसने शिखर मुकद्दमे अपोठ और दनप्यासन की गमादी ।

(२) इस दृष्टि में कोई ऐसी वाव नहीं है, जो ऐसे मुकद्दमे या अपोठ दायन करने या दनप्यासन देवे के एक को शिखर कायम करने, कि जो अतः इस ऐज के जानी होवे के उक्त पहले दायन किये जाये, या हो जायेंगे, तो उन पर गमादी ठगजायी ।

१८५। (१) दृष्टि ७, ८ और ९ शिल्पक डिमिशन ऐज अथ १८७७ ऐसे मुकद्दमे और दनप्यासन के विषये काम में नहीं आयेगी, जो इस से पिछले दृष्टि में वगाये गये हैं ।

(२) इस वाव को अतः के गये होकर शिल्पक डिमिशन ऐज अथ १८७७ की शर्तों, इस से पहली दृष्टि में मुकद्दमा अपोठ और दनप्यासनों के विषये काम में आयेगी ।

शिल्पक डिमिशन ऐज के कौन दृष्टि ऐसे मुकद्दमे प्रती पर आयद नहीं होंगे

### सगिनहं प्रां वाव ।

गिगन्मा ।

अथा ।

१८६। (१) अतः कोई शक्य किमी और गीन पर जो इस ऐज के, या उस प्रकृति के किसी और मुकद्दम पार्श्व के मुभाविक नहीं है ।

पैदावान में अतः वासियतद दनप्यासन का उद्गार को दनप्यासन

(घ) किमी आचामी को जीव की पैदावान को पुनः करना है, या पुनः करने को कौशल्य करना है - वा

(च) इस ऐज की नू से वा-जावना कुर्तों में मुगानि होता है, या जयवदन्ति से वा विरजयत नू से नू से कुर्त किये हुए नाग को उद्गार करना है वा

(झ) आचामी के दनप्यासन या दनप्यासन के वा-जावना को जीव के पैदावान को उद्गार, अतः करने के

उजाने, छेजाने या और तरह से वन  
मुजाहिम करना है, या करने की  
करना है, तो ऐसा समझ जायगा कि  
मनशा आरिज पाजिनाग हिनके के, उस  
मुजाहिम वेजा का पुर्म किया है ।

(२) जो शय्स जमोमे दखे १ में वगधे हुए  
के करने में, हसव मनशा ( इन्डियन पिगड कोड )  
मुए पाजिनाग हिनके के मखे देगा है, तो ऐसा  
जायगा कि उस ने हसव मनशा उस आरिज के मुजाहि  
वेजा के पुर्म में मखे ही है ।

जमोदानों के एजेन्ट और कानपनदाण ।

कानपनदाण की मासिंग  
जमोदान की काम  
करने का शयगियान ।

१०७ । (१) अदाउग या किसी हाकिम के हुपु  
हाजिर होना, दनप्रासण देना, या कोई काम करना  
इस ऐज की नू से जमोदान की करना चाहिये, या  
के करने का शयगियान दिया गया है, अगए अदाउग  
हाकिम दूसरी तरह का हुकम न दे, तो वह सब काम  
एजेन्ट के जदिये से किया जा सकता है, जिस  
जमोदान ने अपने हाथ से ठिये कर इस काम के  
शयगियान दिया है ।

(२) हए एक शयगिआ-नामा जो इस ऐज की नू  
जमोदान पर जानी होना या उस को देना चाहिये, अ  
उस एजेन्ट पर जानी किया जाय या दिया जाय, जि  
को जमोदान ने जैसा कि जेपन कहा गया है, उस  
शयनाय मानवे या छेदे के ठिये शयगियान दिया है, इस  
के मनागिव के ठिये जैसाही कानशामद होजा, जैसा कि  
वह प्यास जमोदान पर जानी किया जागा, या उस  
दिया जागा ।

(३) हए दसगावेज को जिस पर इस ऐज की नू  
जमोदान को दसगवण और गसदीक करना चाहिये,  
दसगावेज को छोड़ कर जो एजेन्ट मुकरन करवे  
इस को शयगियान देवे के ठिये है, जमोदान का वह ए  
दसगवण और गसदीक कर सकता है, जिस को उस

१८८। जब दी या जेयाहे शय्स शरीकदान जर्मोदान है गो कोई काम जो इस ऐज को नू से जर्मोदान को बनवायाहिंये, या जिस के करने का श्युगियान उस को दिया गया है, जानून है कि वह दीनों या सब शरीक मिठकन करने, या वह एजेक्ट करने जिस को उन दीनों या उन सबहो ने उन के ठिये काम करने का श्युगियान दिया है।

कायहे इस ऐज को नू से।

१८९। वोक्त जखर्वमेव्ट वकण वकण पन सनकारी जण्ट में शगिलान व्याप कन, इस ऐज के मुआयिक आगे ठियो हुई वागो के ठिये कायहे वना सकगी है।

(१) उस कान-नवार्क के शर्वाणाम के ठिये, जिस को अखसन भाठ ऐसे काम के करने में कजेगा, जो इस ऐज को नू से उस के शोके किया गया है, और जखर्वमेव्ट ऐसे किसी अखसन को ऐसे कायहो को नू से आगे वपाये हुए श्युगियान दे सकगी है।

(अ) कोई श्युगियान जिस को अदाठण दीवानी मुकदमे को गजरीण करने में काम में आवे।

(ब) किसी जर्मोव पन जावे और पैमाश कनवे, सनहए वनही और उस का नकशा बनाने का श्युगियान, और ऐसा श्युगियान जिस को कोई अखसन वंजाठ सनवे ऐज सन १८७५ को नू से अमठ में ठा सकगा है-और

(स) जर्मोव को ठियाकण गजरीण कने के ठिये, उस की खसठ काटवे और उस से अवाण निकारवे, और उस की पैदावान को गौठवे का श्युगियान-और

(२) उस जगह जहाँ इस ऐज या किसी और ऐज को नू से श्युगिठा नामा जानी कनवे के ठिये कोई गौन मुकनन नहीं किया गया है, वहाँ इस ऐज को नू से श्युगिठा नामा जानी कनवे का गौन मुकनन कनवे के ठिये।

१९०। (१) हन हाकिम जिस को इस ऐज की किसी दसे को नू से कायहे बनाने का श्युगियान है, कायहे बनाने के पहले गजरीण किये हुये कायहो का मसौदा, एवं अयसो की श्युगिठा के ठिये मुसगहिन कजेगा, जिन पन ऐसा ही

शरीकदान, ज  
शमाठव या म  
कानपनहाण श  
काम करने जो।

कान-नवार्क अख  
श्युगियान, और  
नाथ शगिलान के  
में कायहे बनाने  
श्युगियान।

कायहो के बनाने  
एव के मुसगहिन क  
और मदनपुन क  
का कान-नवार्क।



( २ ) मुशफहिन कतना उन क़ायदों की हाशर में जिन को मोक़द़ ज़वर्जमेनद या हार्फ़ कोर्ट वे बनाया है, इस बात से होगा जो सरकार को नाय में उन शय्सों की हाशर के विषे क़ाथी हो, जो उस से पत्रमुक़ नय्यो है. और उन क़ायदों की हाशर में जिन को किसी और हाकिम वे बनाया है, उस गौर पर होगा जैसा उन के विषे हुक़म दिया जाय, पर शर्ि येह है कि ऐसा हर मसौदे सरकारी ज़ण्ट में ख़ापा जायगा ।

( ३ ) उस मसौदे के साथ एक शर्िहात उस पारीष को मुवदतण करने दिया जायगा, जो मुशफहिन करने को पारीष से कम से कम एक महीने पीछे होगी, जिस दिन या जिस के पीछे उस मसौदे पर और किया जायगा ।

( ४ ) ऐसी मुक़रर की हुर् पारीष के पहले, उस मसौदे की निखतण जो कोई शय्स कोई एताराण या गणनीण पेश करे, हाकिम उस को सुनेगा और उस पर और करेगा ।

( ५ ) किसी क़ायदे को सरकारी ज़ण्ट में ख़ापा- और उस के विषे येह ठियना कि वह इस ऐज की नू से बनाया गया है, इस बात को पूरा सुनू- होगा कि वह वाज़ावना बना है ।

( ६ ) इस ऐज की नू से बनाये हुए सब क़ायदों को संरप वरुण पर ऐसी मदनपूरी के पावे हाकर, जो उन के बनाने के विषे जानू- हो, वह हाकिम जो उन के बनाने का शर्िहात नय्या है, पत्रमीन करेगा या मदनयु करेगा या उन में कुछ बदारेगा ।

दियाई वदर-मो-वसगी ज़िर्गों के विषे गते ।

है । जहां किसी दवतियानी हुक़ की ज़रत ऐसी मसौदे में फ़िक़ है, जिस का कती दवतानी वदर-मो-वसगी हुक़ है. व इस ऐज में जो कुछ दिया है वह सरकारी ज़ण्ट के जियान वदर-मो-वसगी के फ़ुगत है, जो पर दवत- मीन का बनाना नहीं करेगा. परंतु, उस नाज़ के क़यस के जियान को सरकार के वदर-मो-वसगी हुक़ के कती या वदर-मो-वसगी के शर्िहात है. वदर-मो-वसगी की

है. जहां किसी दवतियानी हुक़ की ज़रत ऐसी मसौदे में फ़िक़ है, जिस का कती दवतानी वदर-मो-वसगी हुक़ है. व इस ऐज में जो कुछ दिया है वह सरकारी ज़ण्ट के जियान वदर-मो-वसगी के फ़ुगत है, जो पर दवत- मीन का बनाना नहीं करेगा. परंतु, उस नाज़ के क़यस के जियान को सरकार के वदर-मो-वसगी हुक़ के कती या वदर-मो-वसगी के शर्िहात है. वदर-मो-वसगी की

कान-नदी में उस हक को साथ साथ मान दिया है, जिस को नू से वह प्रभोग प्राप्त अर्ह माओजुपानी पर, मियाह के अग्रम होवे के पीछे नयो जा सकतो है ।

१८२ । जब जमींदार पट्टा देगा है या ऐसा कौठ-कृतान करगा है, जिस को नू से उस प्रभोग का आसामी जो एवामी वरद-ओ-वसूफ किये हुए नकवे में नहीं है, उस प्रभोग को प्राप्त माओजुपानी पर या ठा-पियाज नय्य सकता है, और जब वह पट्टा या कौठ कृतान अमठ में है ।

सकानी ज  
नया वनद-  
होवे से मा  
वडवेका रथ

( अ ) उस प्रभोग को निरसण सकानी माओजुपानी पहले दखे अदा करवे ठायक इहारि जाय-या

( व ) उस को निरसण सकानी माओजुपानी पहले अदा होवे ठायक थी, पर अब नया वरद-ओ-वसूफ किया जागा है ।

गो अथसन माओ वावजूद उस के जो शरीरों के दनमियाज कौठ-कृतान में विष्या हो, जमींदार या आसामी को दनप्रासण पर इस ऐक को सगों के मुशायिक हुकूम देकर, उस प्रभोग के विषे बाजिव और मुनासिव माओजुपानी मुकनेन कर सकता है ।

यथागाह वजौरह के हक ।

१८३ । इस ऐक को वह शरीरों जो वाकी माओजुपानी की वसूफी के मुकदमों से गअरुतक नय्यतो है, जहां तक हो सके यनरि के हक, वनकर, मखरी पकड़वे के हक, और ऐसे हुसने हक को निरसण अदा होवे या देवे ठायक किस यीज के वसूफ करवे के मुकदमों के विषे काम में आबेगो। उन सगों के विषे वयात्र कि जिन का जमींदार पावनद है ।

यथागाह  
वनकर

१८४ । जहां करि मातिक या एवानी हकदान दन-मियावी किसी प्राप्त कायदे या शर् के गावे होकर, अपना महाठ या हक दनमियावी नय्यता है, गो इस ऐक में जो कुछ विष्या है वह किसी ऐसे शयस को, जो उस महाठ या हक दनमियावी के अदहन प्रभोग नय्यता है, ऐसे कान करवे का हक न देगा जिस से वह कायदा या शर् होवे-

आसामी इस  
नू से उन म  
नहीं गोड म  
जिन का  
पावनद है

प्यास ऐंछों का वंशाना ।

प्यास ऐंछों के ठिये  
रसगिसवा ।

१८५ । इस ऐंछ में जो कुछ ठियों है वह नीचे ठियी  
हुई वागों पर कुछ असन नहीं कनेजा ।

(अ) वनद-ओ-वसण कने-वाठे अशुसनों के उन रूप-  
गियान और कामों पर जो ऐसी आरंभ  
की नू से उहनाये गये हैं, कि इस ऐंछ को  
नू से साथ साथ नद नहीं की गई है ।

(ब) किसी ऐसे ऐंछ पर जो उन महालों में नि-  
सकानी है, या जिनका वनद-ओ-वसण कोई  
आशु वाउंस या माठ के अशुसनों के साथ  
में है, माठगुणानी बसूठ कने को कान-  
नवाई के रणगणाम के ठिये वनाई गई है ।

(स) ऐसे आरंभ पर जो वाली माठगुणानी सनकान  
के ठिये गोठाम की नू से जमीन नथने का  
हक और देव नद होवे के मुगअठठिक है ।

(द) ऐसे किसी आरंभ पर जो सनकानी जमा देवे-  
वाठे महालों के वठवाजे से जिसवर नथनी है ।

(ध) कोई आरंभ जो पठनी की नू से जमीन नथने  
के मुगअठठिक है ।

(ण) कोई और प्यास आरंभ या प्यास जगह की आरंभ,  
जो इस ऐंछ की नू से सनीहव या मानव  
(मादे से ठाणिम आकन) नद नहीं हुआ है ।  
ऐंछ के मगठव का गसयिया ।

ये ऐंछ उन ऐंछों के  
गावे होकर पढ़ा जायगा  
जिस को ठगुठनद-  
जगहन अजगम कान-  
ठिठ इस के पंछे  
मरुत कने ।

१८६ । ये ऐंछ ऐसे हन ऐंछ के गावे होकर पढ़ा  
जायगा, जिस को ठगुठनद-जगहन साहित्य वहाहुन वंशाठे  
अजगम कानठिठ इस के जानी होवे के पीछे मगठव कने ।

# सिद्ध १

(दोसरे दृष्टि २१)

दोसरे का नए होना।

वंगाल के आर्य।

वर्ष और सं. १	आर्य का मूलमूल।	नए होने को है।
८, सं. १७८३ का।	आर्य जो उस सभ्यता के एक साथ वन- श्री-वसु के क्रांति को गवही और गभीर कनके शिव वाशिष्ठ कनके के लिए है, जो प्रभोदानों और युद्ध मुष्णान गवहकृष्टानों और दूसरे हकीकी माणिकों को प्रभोनों से वंगाल, बिहार और उड़ीसा में अद्य किए जाने कारण है, और वह क्रांति उन सूत्रों के विषे अथवा अथवा १८ वीं सिगम्वर सं. १७८८, २५ वीं वीअन्वर सं. १७८८ और २० वीं कनकरो सं. १७८० और पिच्छी गानीयो को जानी किये गये थे।	दृष्टि ५१, ५२, ५३, ५४, ५५, ८४ और ८६।
२२, सं. १८०५ का।	आर्य जो जिसे कल में और पगो, पगसपुन, कुमाही और, और वजानर में जो हाठ में जिसे मिदनापुन में शामिल हैं सभ्यता प्रभा के वन-श्री-वसु और गहसीठ के लिए है।	दृष्टि ७।
५, सं. १८२२ का।	आर्य उन में से कुछ क्रांति को गभीर कनके के विषे, जो हाठ में सभ्यता प्रभा वसु कनके के विषे जानी है।	दृष्टि २, ३, ४, २६ और २७।
१८, सं. १८२२ का।	आर्य दृष्टि २, आर्य ५, सं. १८२२ का मणव वगाने के लिए, और दृष्टि ३ और ४ आर्य ४४ सं. १७८३, और दृष्टि ३ और ४ आर्य ५० सं. १७८५ को नए कनके के विषे, और उन का प्रजाह दूसरे क्रांति वाशिष्ठ कनके के लिए।	शुनू का विष्णु जिस में मनमा और वसुधाय का वगान है और दृष्टि २ और ३।
११, सं. १८२५ का।	आर्य उन क्रांति के वगाने के विषे, जिस के मुगाविक रेखा प्रभाव के धारण गवहकृष्टान किये जायेंगे, कि जो दया या कनकव के नए जाने से, या उन को वाशिष्ठ के शक्ति हुए हैं।	कला २, दृष्टि ४ में कला २ - दृष्टि ४ को कि यह कला १० - दृष्टि ४ में कला २ - दृष्टि ४ में को कि दृष्टि ४ में

( ११२ )

### शिडूठ र जानी नहा ।

वंगाठ कौनसिठ के आरिण ।

वर्ष और वर्ष ।	कार्यो का माण्डूग ।	नद होवे की हद ।
६. सन १८६२	आरिण त्रासो गनभीम करने ऐक १० सन १८५६ (उस आरिण को गनभीम करने के ठिये जो प्रेसिडेन्सी छोट-विठियम वंगारो में भाण्डुजानी प्रसूठ करने से निसवग नप्यगी है ।)	साता ऐक ।
४. सन १८६७	ऐक त्रासो गशरीह और गनभीम करने ऐक ६ सन १८६२ (पास लिए हुए ठशुठनर- गवर्नर साहिब वहादुर वंगारो रणठास कौनसिठ) और अरुद सैसठो को मुसगह करने के ठिये ।	साता ऐक ।
८. सन १८६६	प्रार्थोदान और आसामो के दनमिधान के मुकददो को कान-नवारि दुनुसाण करने के ठिये ऐक ।	साता ऐक ।
८. सन १८७६	वगद-ओ-वसाण करने-वाठे अशुसठो के रथ- मिधान की हद उहनावे और वगावे के ठिये - १ ।	साता ऐक ।

### शिडूठ र जानी नहा ।

गवर्नर-जेनरल साहिब वहादुर रणठास कौनसिठ के ऐक ।

वर्ष और वर्ष ।	कार्यो का माण्डूग ।	नद होवे की हद ।
-------------------	---------------------	-----------------

१८५६ ऐक ६ सनो गनभीम करने उस आरिण को साता ऐक ।  
जो प्रेसिडेन्सी छोट विठियम वंगारो में ।

## रसोद का गर्भना।

जोग को पशुसोठ ( जमींदार का हिस्सा ) ।

- १। रसोद का सिद्धिसिद्धिमान गर्भवत
- २। महोठ ; गाँव ; यावा
- ३। शासनामी का नाम \_\_\_\_\_, का वेठा
- ४। पशुसोठ जोग \_\_\_\_\_

बकंदी बोधा \_\_\_\_\_ माठगोणारी दुपेथा \_\_\_\_\_  
 माठगी बोधा \_\_\_\_\_ ; मन \_\_\_\_\_ ; या दुपेथा \_\_\_\_\_

जठकर दुपये \_\_\_\_\_  
 वगकर दुपये \_\_\_\_\_  
 शठकर दुपये \_\_\_\_\_  
 नोड सेस दुपये \_\_\_\_\_  
 सकारो सेस \_\_\_\_\_

प। जमींदार या रसुगियायन पाये हुए एजेण्ट, का दस्तराजण

एसे पप वंगोठे को जमीन नयदे को आर्देन सन रस्टप में थोड़ी ठिप्ली हुई थी है—  
 (१) जब कोई शासनामी माठगोणारी के ठिये कुछ दुपेथा अदा करेगा है, तो, वह वनस या वनस और, किसंग वगा सकना है, जिम में वह उस दुपये को जमा करने लाएगा है, और वह अदा किया हुआ दुपेथा उसी पतर से जमा किया जायगा।  
 (२) जो वह रसा व सहे गो, अदा किया हुआ दुपेथा एसे वनस और किसंग में जमा किया जायगा, जेसा जमींदार मिनोसिव समझे ।

## रसोद का गर्भना।

जोग को पशुसोठ ( शासनामी का हिस्सा ) ।

- १। रसोद का सिद्धिसिद्धिमान गर्भवत
- २। महोठ ; गाँव ; यावा
- ३। शासनामी का नाम \_\_\_\_\_, का वेठा
- ४। पशुसोठ जोग \_\_\_\_\_

बकंदी बोधा \_\_\_\_\_ माठगोणारी दुपेथा \_\_\_\_\_  
 माठगी बोधा \_\_\_\_\_ ; मन \_\_\_\_\_ ; या दुपेथा \_\_\_\_\_

जठकर दुपये \_\_\_\_\_  
 वगकर दुपये \_\_\_\_\_  
 शठकर दुपये \_\_\_\_\_  
 नोड सेस दुपये \_\_\_\_\_  
 सकारो सेस \_\_\_\_\_

प। जमींदार या रसुगियायन पाये हुए एजेण्ट, का दस्तराजण

गि.सू. २-एसोड और हिसाब का बकाला या बमना ।

बका कानवे को गकुसोड (जसोधान का हिसा) ।

1	पसिकु पताप कुंठ
	पसिकु पताप ठाड
1	पसिकु बस पताप कुंठ
	पसिकु पताप ठाड
1	पसिकु बस पताप कुंठ
	पसिकु पताप ठाड
1	पसिकु बस पताप कुंठ
	पसिकु पताप ठाड
1	पसिकु बस पताप कुंठ
	पसिकु पताप ठाड
1 पताप ठाड 136 पसिकु पताप कुंठ 136 पसिकु पताप ठाड 136	

बका कानवे को गकुसोड (बामासो का हिसा) ।

1	पसिकु पताप कुंठ
	पसिकु पताप ठाड
1	पसिकु बस पताप कुंठ
	पसिकु पताप ठाड
1	पसिकु बस पताप कुंठ
	पसिकु पताप ठाड
1	पसिकु बस पताप कुंठ
	पसिकु पताप ठाड
1	पसिकु बस पताप कुंठ
	पसिकु पताप ठाड
1 पताप ठाड 136 पसिकु पताप कुंठ 136 पसिकु पताप ठाड 136	

१ । अथ  
 २ । आसामो का नाम  
 ३ । जोग को गुरुस्रोतः—( रचना, भाषायागोरी बजोतरह )

वधो  
 ६१  
 ५० शो० पा०

वधो  
 मय  
 ५० शो० पा०

वकुंठो

सकरो सोम  
 जाउठो  
 प्रउकन ...  
 वजकन ...  
 शुकन ...  
 मय  
 ५० शो० पा०

४ । वरस का मुगाठवा  
 ५ । परे वरसो को वको ( वरसा ) ...  
 मय  
 ५० शो० पा०

६ । कौ मुगाठवा ( हाठ और वाको ) ...  
 ७ । थडा को हुई वावण मुगाठवा हाठ  
 ६१ मुगाठवा ... मुगाठवा वाको  
 मय  
 ५० शो० पा०

८ । गुणवस मू थडा ठिका जाया  
 ९ । वाको जो साठ के अग्र होवे पर पडो  
 १० । कुन्दीवर या कुन्दिपान पाए हुए एणुठ के इस्तेमाल

५० शो० पा०

१ । अथ  
 २ । आसामो का नाम  
 ३ । जोग को गुरुस्रोतः—( रचना, भाषायागोरी बजोतरह )

वधो  
 ६१  
 ५० शो० पा०

वधो  
 मय  
 ५० शो० पा०

वकुंठो

सकरो सोम  
 जाउठो  
 प्रउकन ...  
 वजकन ...  
 शुकन ...  
 मय  
 ५० शो० पा०

४ । वरस का मुगाठवा  
 ५ । परे वरसो को वाको ( वरसा ) ...  
 मय  
 ५० शो० पा०

६ । कौ मुगाठवा ( हाठ और वाको ) ...  
 ७ । थडा को हुई वावण मुगाठवा हाठ  
 ६१ मुगाठवा मुगाठवा वाको  
 मय  
 ५० शो० पा०

८ । गुणवस मू थडा ठिका जाया  
 ९ । वाको जो साठ के अग्र होवे पर पडो  
 १० । कुन्दीवर या कुन्दिपान पाए हुए एणुठ के इस्तेमाल

५० शो० पा०



शिखर ३।

गमादी ।

( देखो देखे १८४ । )

हिस्सा पहला-वागिश ।

वागिश की किस्म ।	गमादी की मियाद ।	वह वस्तु जिस से मियाद शुरू होती है ।
<p>१-किसी दरमियावी हकदार या नश्वर की किसी ऐसी शर्त के गोड़वे के सबब वे-दण्ड करों के विषे, जिस की निस्वण कौठ क़ान में साथ ठिप्पा हुआ है कि, ऐसी शर्त गोड़वे की सज़ा वे-दण्डी होगी !</p>	<p>१ वनस ...</p>	<p>शर्त गोड़वे की पानीप ।</p>
<p>२-वाकी माठगुजानी वसूठ करों के विषे-</p> <p>(अ) जब कि देखे दर की १ से उसी जांग को माठ-गुजानी के विषे रुपेशा अमाना नषवे के पहले वाकी माठगुजानी अदा ताने ठारक हुई ।</p>	<p>६ महीदे ...</p>	<p>माठगुजानी का रुपेशा अमाना नषवे की शर्तिका की पानीप होने की पानीप से ।</p>
<p>(ब) गौन हावगों में ...</p>	<p>३ वनस ...</p>	<p>उस वंजाठी वनस के पिछठे दिन से जिस में वाकी माठगुजानी अदा होवे ठारक हुई, जहाँ कि वह वनस जानी है, गौन उस अमली या यमली माठ के जो महीदे के अघोद दिन से जिस में माठगुजानी वाकी पड़ी, जहाँ कि उन दोनों वनस में से कोई जानी है ।</p>
<p>३-उस ...</p>	<p>४ वनस ...</p>	<p>वे-दण्डी का पानीप से ।</p>

## हिस्सा २-अपीठ ।

अपीठ की शिष्टम ।	गमाही को मियाद ।	बह वक्तव्य जब से मियाद शुरू होगी है ।
ऐज के मुवाविकर दिये हुए किसी डिजारी या हुकम से नानाजो का अपीठ जिसे जंज या ब्यास जज की अदालत में ।	गोस दिन ...	उस डिजारी या हुकम को पारीष से जिस से नानाजो का अपीठ किया गया हो ।
ऐज की नू से कठजत के दिये हुए हुकम का अपीठ कमिश्नर के पास ।	गोस दिन ...	उस हुकम की पारीष से जिस का अपीठ किया जाय ।

## हिस्सा ३-ध्यास ।


ध्यास की शिष्टम ।	गमाही को मियाद ।	बह वक्तव्य जब से मियाद शुरू होगी है ।
डिजारी या हुकम के रजनाय के ठिये, जो इस ऐज के मुवाविकर या इस ऐज से नद किये हुए किसी और ऐज की नू से दिया गया हो, और वह डिजारी पं० रुपये से ज्यादा म्याद को न हो, ऐसे सूद को छोड़ कर कि डिजारी के पीछे डिजारी दिये हुए रुपये पर यद्दा हो, पर रजनाय डिजारी का मर्थो ठे कर, ठेरिन उस हाठ को छोड़ कर कि जब मध्यम वे सुनेर या जवनदरगो से रजनाय डिजारी को नीका है, जिस हाठ में शिठ-पन ठिमिटेसन ऐज सन १८७७ की नू से गमाही आयद होगी ।	गोन वनस ..	<p>१। डिजारी या हुकम को पारीष से ;—या</p> <p>२। जो अजत अपीठ हुआ है गो-अदालत अपीठ की अमीन डिजारी या हुकम की पारीष से ;—या</p> <p>३। अजत कैसठे की नजानसानी हुई हो गो, नजान सानी पर जो कैसठा दिया जाय उस की पारीष से ।</p>

आन० जो० काव्ठवे०.

कानून-मजाम सिक्कान सर्फान हिद० ।

KARL COOPER MITTEL, B. A.,


Off. Insp. Translator to Govt.







نور  
بیت و نورالعلم  
روزنامه کتابخانه و موزه  
۱۳۱۱  
۱۳۳۳











शुद्धा शुद्धपत्र

غلطنامہ

शुद्ध	अशुद्ध	सू.सं.	पंक्ति	प	صفحة	غلط	صحیح
बाबत	हाथ	८	८	८	८	ہاتھ	بابتہ
किया	दिया	१६	१७	१६	१७	دیا	کیا
रकाना	जकान	२३	२०	१०	२३	ذکاة	رکانہ
में	+	२०	२४	२	२३	۴۲	۴۶
मुफ़्तिल	+	७३	८	१३	२०	+	میں
को	+	७४	२३	१	६३	+	منفصل
के	+	७८	३	१३	६२	+	کو
अजां	अजां	८०	२४	२	६८	+	کے
को	के	६९	२३	१७	८०	ازان	ازین
.	.	.	.	२	११	ایروسے	ایروسے



या जो जिन्स खरीदी जावे उसके उधरत  
 रगने नाम लिख दिया जावे और महिना  
 पूरा होने यानी हर एक नद्वअ मायस  
 पर जिस फदर खर्च हुआ हो उसको हि  
 सान हाजिरी के नकशे व कमठाने के  
 खरडे बरवाने से तय्यार कर कर  
 फिर सहसिल के उधरत नाम लि-  
 ख कर आ सामियान या जिन्स ख  
 रीद के उधरत खाने जो साकि मौका  
 हो जमा कर लिया जावे और सहसिल  
 दार के खजाने की बहियों में उसी महिने के हि-  
 सान में उधान का जमा कर करत फसी-  
 लवार असली नकशाने के सीमे बहवाले हुकम में  
 जूरी के दर्ज कर दिया जावे दूसरी कार खर्च इम  
 व जना खर्चे भी हात मोदी खाने की जावे -  
 दफ्तर जुम्ला खजाना हाट सहसिल के वाले रुक  
 १९७  
 खजानची मुकर्रि किया जावेगा जिसकी

या जो जिस खरीदी जावै उसके  
 ओर तह कहाते नाम लखे या जा  
 ओर महीने पुरे होते लिये  
 एक बलावस पर जब قدر खर्च  
 होवा हो आसको حساب हाफरी के  
 नकशे व केषाने के कपड़े  
 व केषाने से तय्यार कर कषिल  
 ओर तह नाम लखे आ सामियान या  
 जिस खरीद के ओर तह कहाते  
 जैसा के موقعे मोजे कर लिया जावै  
 ओर कषिल के खजाने की बहियों में लिये  
 के खाते में ओर तह केषाने का जमा कर करत  
 असली नकशाने के सीमे बहवाले हुकम में  
 खर्च कर दिया जावै आ सामियान या  
 खर्च भी हात मोदी खाने की जावे -  
 जमा खजाने के वाले रुक  
 एक खर्च तय्यार किया जावेगा जिसकी

लहालवातोर सुकुमवदलि	مفصل حالی واسطے رفع سقم و نظام
بکومہ کھمہ ۱۲۰ ۱۲۱ ۱۲۲ ۱۲۳ ۱۲۴ ۱۲۵ ۱۲۶ ۱۲۷ ۱۲۸ ۱۲۹ ۱۳۰ ۱۳۱ ۱۳۲ ۱۳۳ ۱۳۴ ۱۳۵ ۱۳۶ ۱۳۷ ۱۳۸ ۱۳۹ ۱۴۰ ۱۴۱ ۱۴۲ ۱۴۳ ۱۴۴ ۱۴۵ ۱۴۶ ۱۴۷ ۱۴۸ ۱۴۹ ۱۵۰	مناسب کے حکمہ حساب میں بھجیو
تھتیل میں کام سীগاتا میرا	اگر کسی شخص میں کام صیغہ تعمیرات
مہ کام میں لیا پارے جی کو ت	کا حکم حکمہ عالیہ بھجیو کونس کے
کیا جاوے اور تھتیل دا	جاری کیا جاوے اور تھتیل دا
مہ کام کے کت کا ہتا ہتا	سبب زیادہ کام کے اسکا کیا
منا سبب تھتیل سے کتا	علیہ رہ رہنا مناسب بھجیو تو ایسے کا
ہ کے باسے سکار و رڈا اور	روز مرہ کے واسطے ایک کپڑہ
بن ک شاہا جیری کا ہ	اور ایک کہاتہ و نقشہ خانہ
ت تھتیل میں بنا لیا	کا حسب ضرورت تحصیل میں
رہو پیا بھول و رجا	لیا جاوے۔ اور جو روپیہ اول
سے دیا جاوے بھ سীগاتا	خزانہ تحصیل سے دیا جاوے
۱۲۰ ۱۲۱ ۱۲۲ ۱۲۳ ۱۲۴ ۱۲۵ ۱۲۶ ۱۲۷ ۱۲۸ ۱۲۹ ۱۳۰ ۱۳۱ ۱۳۲ ۱۳۳ ۱۳۴ ۱۳۵ ۱۳۶ ۱۳۷ ۱۳۸ ۱۳۹ ۱۴۰ ۱۴۱ ۱۴۲ ۱۴۳ ۱۴۴ ۱۴۵ ۱۴۶ ۱۴۷ ۱۴۸ ۱۴۹ ۱۵۰	وہ صیغہ تعمیرات کے اور تھتیل
۱۲۰ ۱۲۱ ۱۲۲ ۱۲۳ ۱۲۴ ۱۲۵ ۱۲۶ ۱۲۷ ۱۲۸ ۱۲۹ ۱۳۰ ۱۳۱ ۱۳۲ ۱۳۳ ۱۳۴ ۱۳۵ ۱۳۶ ۱۳۷ ۱۳۸ ۱۳۹ ۱۴۰ ۱۴۱ ۱۴۲ ۱۴۳ ۱۴۴ ۱۴۵ ۱۴۶ ۱۴۷ ۱۴۸ ۱۴۹ ۱۵۰	کہا جاوے اور کھانا یعنی صیغہ
۱۲۰ ۱۲۱ ۱۲۲ ۱۲۳ ۱۲۴ ۱۲۵ ۱۲۶ ۱۲۷ ۱۲۸ ۱۲۹ ۱۳۰ ۱۳۱ ۱۳۲ ۱۳۳ ۱۳۴ ۱۳۵ ۱۳۶ ۱۳۷ ۱۳۸ ۱۳۹ ۱۴۰ ۱۴۱ ۱۴۲ ۱۴۳ ۱۴۴ ۱۴۵ ۱۴۶ ۱۴۷ ۱۴۸ ۱۴۹ ۱۵۰	تعمیرات کے کپڑہ میں تحصیل کے
۱۲۰ ۱۲۱ ۱۲۲ ۱۲۳ ۱۲۴ ۱۲۵ ۱۲۶ ۱۲۷ ۱۲۸ ۱۲۹ ۱۳۰ ۱۳۱ ۱۳۲ ۱۳۳ ۱۳۴ ۱۳۵ ۱۳۶ ۱۳۷ ۱۳۸ ۱۳۹ ۱۴۰ ۱۴۱ ۱۴۲ ۱۴۳ ۱۴۴ ۱۴۵ ۱۴۶ ۱۴۷ ۱۴۸ ۱۴۹ ۱۵۰	خزانہ کے اور تھتیل جمع کر کر جس کو
۱۲۰ ۱۲۱ ۱۲۲ ۱۲۳ ۱۲۴ ۱۲۵ ۱۲۶ ۱۲۷ ۱۲۸ ۱۲۹ ۱۳۰ ۱۳۱ ۱۳۲ ۱۳۳ ۱۳۴ ۱۳۵ ۱۳۶ ۱۳۷ ۱۳۸ ۱۳۹ ۱۴۰ ۱۴۱ ۱۴۲ ۱۴۳ ۱۴۴ ۱۴۵ ۱۴۶ ۱۴۷ ۱۴۸ ۱۴۹ ۱۵۰	اور تھتیل دیا جاوے اسکے ہم کہنا یا

وقفہ  
۱۱۶

रवाई रक्वी जावे और वह गुमाप्रता

खजानची तहसील का कहलावेगा-

तमाम कार रवाई जो इस्तदस्तु कलधमल

में खजानची के तहसील रक्वी गई है

कार रवाई बहि्यात मह अखिल व शेयम

व सोपम व शिप्रान सुन्दर जै द फ़ १० -

बाकी बहि्याल का काम वूसरे सुमा प्रता

से लिया जावे -

तंबीह तहसीलदार को चाहिये कि गु-

माप्रता ऐज मरिहका काम जब तक त-

ख्यान कर चुके उससे और काम न लिया जा

वे और जिस तहसील में गुमाप्रता सकर-

रवा गया हो उससे कुल काम लिया जावे -

द फ़ ११५ मिम्बर साहिबान महकमै अलिपारे जें सी

को सलब गोज मसाहिबान जो रास्ते निगरानी दे

तहसील में जावें तो जो कोई कार रवाई वर

खिला फ़दस्तु कलधमल हाजा के देवें उस-

रक्वी जाद से अरुद गमाशते खान्जी

تحصيل کا کہلاوے گا

تمام کارروائی جو اس دستور العمل

میں خزانچی کے تعلق رکھی گئی ہے

کارروائی ہیئت مدیرہ اول و دوم

و سوم و ششم مندرجہ دفعہ ۱۰ -

باقی ہیئت کا کام دوسرے گماشته

سے لیا جاوے -

تنبیہ تحفیلدار کو چاہئے کہ گماشته

روزمرہ کا کام جب تک طیار نہ

کر چکے اس سے اور کام نہ لیا جاوے

اور جبر تحفیل میں گماشته ایک

رکھا گیا ہو اس سے کل کام لیا جاوے

ممبر صاحبان محکمہ عالیہ بحینی کونسل

ناظم صاحبان جو واسطے نگرانی کے

تحفیلات میں جاوین تو جو کوئی کارروائی

بخراف و دستور العمل نہ اس کے دیکھیں گا

روزنامہ نمبر ۱۲ سوویچانہ کے کہڑے  
 زورستی کے خرچ کی بھی درقم آؤگا ہی  
 کے کہڑے عین دستخط کرے جب  
 پہلے مٹی کی رقومات کہتی ہوئی کا  
 اطمینان تحصیلدار کر لیا کرے  
 یعنی پہلے مٹی کی رقومات کے  
 حاشیہ لگا ہوا دیکھ لیا کرے -  
 اگر رقومات کہتی ہوئی نہوں تو اوی  
 کہتے ہی کرا کر دستخط کیا کرے -  
 کارروائی بیات وقت نہ رہے  
 مندوب دفعہ کے حسب ذیل  
 کیجاوے اور میں شخص کے  
 تعلق جو کام کیا جاوے وہ اسکا  
 ذمہ دار کیجاوے اور میں  
 تحصیل میں وہ زیادہ ماستہ  
 کہتے گئے ہوں وہ ذات ایک  
 ہوشیار و معتبر کے تعلق میں

رोजنامہ نمبر ۱۲ سو دیوانہ کے کہڑے  
 رڈے رोजمیتى کے لڑنے کی بھی بکر مڈگا  
 ہی کے ربرڈے میں دستخط کرے جب  
 تى کی رکو مات ربتى हुई का वतमीनान  
 तहसीلदार कर लिया करे यानी पह  
 ले मीती की रकुमत के हाशिया लगा  
 हुआ देख लिया करे - अगर रकुमा  
 त रबती हुई न हों तो उती वक्र रबती  
 नी करा कर दस्त रबत किया करे -

۱۹۱۷  
 کارروائی بیات وقت نہ رہے  
 مندوب دفعہ کے حسب ذیل  
 کیجاوے اور میں شخص کے  
 تعلق جو کام کیا جاوے وہ اسکا  
 ذمہ دار کیجاوے اور میں  
 تحصیل میں وہ زیادہ ماستہ  
 کہتے گئے ہوں وہ ذات ایک  
 ہوشیار و معتبر کے تعلق میں

وقعہ  
 ۱۱۲



महکمہ ہیساب کی مارف ت ت پھار کر  
 وا کر پانوں کے نمبر و موہر لگا کر  
 منگا دیا وہ جو بھیا ت महکمہ ہیساب  
 تہ موہر و پانوں کی نمبر لگا کر دیا  
 ت پھار ہو کر جو وہ ان کے موہر یا پانوں  
 کے نمبر مقرر ت لگے کی بھیا پھن چتہ  
 تہ جان نہی لگا کر لیا کرے پھر لکھی  
 تہ کا فک ہو تو تہ سہیل دار کو دیر  
 تہ اور پورے کار کے دھرتی کر لے

وہ محکمہ حساب کی معرفت طیار کروا کر  
 پانوں کے نمبر و موہر لگا کر منگائی جاوے  
 جو بیانات محکمہ حساب سے ہر ماہ  
 کے نمبر لگا کر آویں یا طیار ہو کر جاویں  
 ان کے موہر یا پانوں کے نمبر متواتر لگنے  
 کی بھی پونجی ہی خزانچی جانچ کر لیا  
 کرے اگر کسی طرح کا فرق ہو تو تحصیل  
 کو دیکھا کر اور رپوٹ کر کے ورتی  
 کرالیوے -

۱۹۳۳  
 جو دھرتی ۳۰ و ۶۹ و ۶۶ و ۷۰ ۸ میں  
 بھیا ت نمبر ۲ و ۷ و ۶ و ۹۹ میں  
 رکھتا تہ تہ تہ کے واسطے لیا  
 یا ہے تہ جان نہی و گوما شتہ  
 تہ سہیل کے واسطے کہ تہ تہ تہ  
 تہ کر لیا کرے اور تہ تہ تہ  
 تہ تہ تہ تہ تہ تہ تہ تہ تہ  
 تہ تہ تہ تہ تہ تہ تہ تہ تہ  
 تہ تہ تہ تہ تہ تہ تہ تہ تہ

جو دھرتی ۳۶ و ۶۱ و ۶۴ و ۶۵ میں  
 بیانات نمبر ۶ و ۷ و ۸ و ۱۱ میں  
 زقومات کہتیا نے کے واسطے  
 لکھا گیا ہے خزانچی و گوما شتہ  
 و سودی تہ تہ تہ تہ تہ تہ تہ تہ  
 روز تہ کر لیا کرے اور تہ تہ تہ  
 کو چاہئے کہ جو بیانات دھرتی ۱۹  
 کے وہ بیانات ۶۰ و ۶۴ و ۶۵ کے

اس کی نسبت برا سے تدارک

بمقام مہاجرین کے لیے چار بیہیات

رپورٹ تیار کرے۔

مہاجرین کے لیے چار بیہیات

رکھی گئی ہیں اور ان کے جمع خرچ کا

قاعدہ اوپر لکھا گیا ہے لیکن جن

تخصیلات میں سرکاری گھوڑے

ہوں اور دوسرا خرچ تعلق

موجودی کے کم ہونے کے

سبب سے موجودی کی کارروائی

عالیٰ درجہ رکھنی ضرور ہو تو صرف

جمع خرچ روزنامہ ہی نمبر ۱

میں کر لیا جاوے۔

چودہ بیہیات و قریباً ۱۱۳

میں رکھنے کے لیے جو فروغ

میں لکھا گیا ہے وہ بیہیات

میں کی ضرورت ہو

اس کی نسبت برا سے تدارک

بمقام مہاجرین کے لیے چار بیہیات

رپورٹ تیار کرے۔

مہاجرین کے لیے چار بیہیات

رکھی گئی ہیں اور ان کے جمع خرچ کا

قاعدہ اوپر لکھا گیا ہے لیکن جن

تخصیلات میں سرکاری گھوڑے

ہوں اور دوسرا خرچ تعلق

موجودی کے کم ہونے کے

سبب سے موجودی کی کارروائی

عالیٰ درجہ رکھنی ضرور ہو تو صرف

جمع خرچ روزنامہ ہی نمبر ۱

میں کر لیا جاوے۔

چودہ بیہیات و قریباً ۱۱۳

میں رکھنے کے لیے جو فروغ

میں لکھا گیا ہے وہ بیہیات

میں کی ضرورت ہو

دفعہ ۱۱۱

دفعہ ۱۱۳

دفعہ ۹۹

دفعہ ۹۸

دफتر २९० तहसीलदार और नायब तहसीलदार और  
 गुमास्ता तहसील जिनके तख्तलुकता  
 मील इसकायेदेकी है वह वास्तेता मील इस  
 कायेदेके अपने तई मातहत महकमै  
 हिसाबके समकेगे और जो अहकाम म  
 हकमै हिसाबसे मुतअल्लिक हिसाब  
 के जारी हो उनका पूरी नामील करेगे  
 और अफसर शाहब हिसाब मजाज है  
 कि अगर वह तामील अदकाम दस्तूरुल  
 अमलहानामें नायब तहसीलदार या गुमा  
 स्ताकी गुफलत या सुल्ली देखें तो उसपर जु  
 मीना कर देंगे उनका एक माहकीत नुख्वाफ  
 में जायदन हो अग्नइसे जयादानदा  
 क करत अतरी मगमें तो उसकी निम्नत म  
 एक नालि अदर जंगी किं कालमें नहर कर  
 अग्न येदुम गुफलत या सुल्ली नायब तह  
 सीलदारके फादर मातहत मगमें नालि माद

तहसीलदार और नायब तहसीलदार और  
 गांश्ते तहसील जिनके तعلق तहसील  
 قاعده की है وہ اس کے تھسیل اس  
 قاعده کے اپنے تین ماتحت محکم  
 حساب کے سمجھین گے اور جو اہک  
 محکمہ حساب سے متعلق حساب کے  
 جاری ہوں انکی پوری تھسیل کرینگے  
 اور افسر صاحب حساب بخارجین کہ  
 اگر وہ تھسیل احکام دستور العمل بذمین  
 نارب تھسیلداریا گا شتہ کی غفلت  
 یا سستی دیکھیں تو اس پر جرمانہ  
 جو انکی یکماہ کی تنخواہ سے زیادہ ہو  
 اس سے زیادہ تدارک کرنا ضروری  
 سمجھیں تو اسکی نسبت محکمہ عالیہ  
 ریجنسی کونسل میں تحریر کریں اگر  
 غفلت یا سستی نسبت تھسیل  
 کے پائی جاوے تو محکمہ حساب

جادیے جاوے اور تھلیل سے بھڑا

سلی کا گڑجاو یا اون کی نکلن مس

دیکا ہمارا ہر ماہ جاری ہسبا کے

جس میں وہ روپیہ اصلی خرچ کے سینو

میں لکھا جاوے بھجید یا جاوے

اگر کوئی مقررہ سے تھڑے ہو گئے

سکے جاری سے کئی مہینوں میں

وہ خرچ درج کیا جاوے تو وہ

اصلی منظوری یا اسکی نقل اول

ماہواری حساب کے ساتھ سمین

وہ خرچ لکھا جاوے بھجید یا جاوے

اور باقی ماہواری حساب میں جس

ماہواری حساب کے ساتھ وہ

منظوری بھی لگی ہو اسکا مال اور

منظوری کی تاریخ و تاریخ نام لکھنا

جاوے -

مہ سیکم بدایت نام کی کاروائی

بھجیدے جاوے اور تھلیل سے

وہ اصلی کاغذات یا انکی نقل مسند

ہمراہ اس ماہواری حساب کے

سمین وہ روپیہ اصلی خرچ کے سینو

میں لکھا جاوے بھجید یا جاوے

اور اگر کوئی منظوری ایسی ہوئی ہو

کہ جسکی ذریعہ سے کئی مہینوں میں

وہ خرچ درج کیا جاوے تو وہ

اصلی منظوری یا اسکی نقل اول

ماہواری حساب کے ساتھ سمین

وہ خرچ لکھا جاوے بھجید یا جاوے

اور باقی ماہواری حساب میں جس

ماہواری حساب کے ساتھ وہ

منظوری بھی لگی ہو اسکا مال اور

منظوری کی تاریخ و تاریخ نام لکھنا

جاوے -

مہ سیکم بدایت نام کی کاروائی

نام منجری کی دتلا تیرن महकमे हिसा

बमें भेज देवे और सर साहिब की चा

हिये कि ये सी इतला अग्नि परमितलका

यम करे और जो बमूजिव रफ़्त १०६

के ऐसी नामंजूरी के हुक्म की मंसूरीके

निये रपोर्टन का गई हो यारपोर्ट की ग

ई हो और महकमेरे जें सी कांसल से हु-

कम नामंजूरी का बहाल रक्वा जावे

तो वह रूपया उस तहसीलदार की तनु

रबाइ से बज कर लेवे -

दफ़्त २०६ जो नामंजूरी साहिबान मंजूरी बमूजिव द

रफ़्त १०६ के अपने इरिगार से काम

हकमे पालते दासिल कर कर देवे तो

उसे काम जाल मंजूरी के महकमे हि

माव की मंगल मंगले पा मंगले

जे के इ इगार मंगले मंगल मंगल

मंजूरीके काम इगार मंगल मंगल

نامنظوری کی اطلاع فوراً محکمہ حساب

سید یون اور افسر صاحب کو

چاہئے کہ ایسی اطلاع آنے پر مثل قائم

کریں اور جو بموجب دفعہ ۱۰۶ کے

ایسی نامنظوری کے حکم کی متواضحی

کے لئے رپورٹ نہ کی گئی ہو یا رپورٹ

کی گئی ہو اور محکمہ ریسی کنسل سے

حکم نامنظوری کا بحال رکھا جاوے

تو وہ روپیہ اس تحصیلدار کی تنخواہ

سے وضع کر لیون -

جو ناظم صاحبان منظور می بموجب

دفعہ ۱۰۶ کے اپنے اختیار سے

یا محکمہ بالا سے حاصل کر کر دیون

تو ایسے کاغذات منظوری کے محکمہ

حساب کی معرفت بھیجے یا اطلاع

دینے کی کوئی ضرورت نہیں دو

کاغذات منظوری کے بالبالہ تحسین

हुई होंगे तो नदमीलदार से त्वर्च

की मंजूरी के लिये मञ्ज हातात मुफ्ति

न गच्छरग के जि। स तबब से वह त्वर्च कि

या गवा हो लियकर रपोर्ट हु कलनाम

जूरी के पहुंचने से पंद्रह रोज के अंदर

मारफत निजामत के महकमै रे जें ती को

सल में भंज सकता है और महकमै रे

जें ती को सल में उतर पर गौर हो कर हुकम

नुनासिब दिया जावेगा अ गर रे जें ती

को सल से भी वह त्वर्च नामंजूर

या जावे या अंदर मिच्छाद या रातरे

रपोर्ट न की गई हो तो फिर वह ता

या उमत हलीलदार की तनुाब

में न हो किया जावेगा -

होयी होवे तो त्वर्च मिले

खर्च की منظوری के लिये मञ्ज हाता

मफ्तल फरदत के लिये सब

वह खर्च किया हो लिये कर रपोर्ट

हकम منظوری के लिये पहुंचने से

पंद्रह रोज के अंदर मफ्तल

के लिये कनिषी कौनसल में

लता है और कनिषी कौनसल

में असिब गौर हो लिये मञ्ज

दिया जावे लिये कनिषी कौनसल

से भी वह खर्च नामंजूर

या जावे या अंदर मिच्छाद या रातरे

रपोर्ट न की गई हो तो फिर वह ता

या उमत हलीलदार की तनुाब

में न हो किया जावेगा -

अगर तजिन स्तीह बरही अदद

१०६ के दोहे त्वर्च कलनाम

रपोर्ट न की गई हो तो फिर वह ता

१०६

उसका जवान वाजिदी अर्से में आवे तो  
 तहसीलदार को चाहिये कि मुक-रिसि  
 करर उसकी निस्वत रपोर्ट करके मं-  
 जूरी हासिल कर लेवे और नाजिम सा  
 हिबान को चाहिये कि अगर ऐसी मंजू  
 री उनके हद्द रिजयार की हो तो मंजू  
 री या जैसा हुकम उनके नजदीक मुना  
 सिब हो जल्द भेज देवे और जो ऐसी  
 मंजूरी देना उनके हद्द रिजयार की न  
 हो और उनके नजदीक ऐसी मंजूरी  
 दी जानी मुनासिब हो तो मज्ज अपनी  
 राइके उतरपोर्ट के वास्ते हसूल मंजूरी के  
 नदकमै वालामें जल्द भेज देवे -  
 अगर कितनी तहसीलदारने बमूजिब  
 दफ्तर १०० के बहुत नजरत सन  
 भका कोरे मर्ने ये इति कार दिया है  
 और निजामत त उसका नाम मंजूरी

और उसका जवाब वाजिबी एवम में  
 आये तो तहसीलदार को चाहे  
 मकरकर आंकी तसबित रिपोर्ट  
 करके मंजुरी हासिल कर लियो  
 और नाظم हाजिबान को चाहे कि  
 अगर ऐसी मंजुरी उनके हद्द रिजयार  
 की हो तो मंजुरी या जैसा हुकम  
 उनके नजदीक मुनासिब हो जल्द भेज  
 देवे और जो ऐसी मंजूरी देना  
 उनके हद्द रिजयार की न हो और  
 उनके नजदीक ऐसी मंजूरी दी  
 जानी मुनासिब हो तो मज्ज अपनी  
 राइके उतरपोर्ट के वास्ते हसूल  
 मंजूरी के नदकमै वालामें जल्द  
 भेज देवे -  
 अगर कितनी तहसीलदारने बमूजिब  
 दफ्तर १०० के बहुत नजरत सन  
 भका कोरे मर्ने ये इति कार दिया  
 है और निजामत त उसका नाम मंजूरी

दफ्तर १००

१००

अगर कितनी तहसीलदारने बमूजिब

१०० के बहुत नजरत सन

भका कोरे मर्ने ये इति कार दिया है

और निजामत त उसका नाम मंजूरी

نوٹ بمسجیب اہم لہذا مہال کے جہت تک

اور نوٹ دیکھ کر اس بارہ میں ہنود سے متعلق

کے رخصت کی منظوری دینا اور ترقی کے با اختیار

ماہنامہ ساہیوان کے سامنا جاوے گا۔

جو رخصت بمسجیب د فاضل بالہ کے کیا جاوے

جاوے اس کی منظوری حاصل کرنے کے لیے

ت ہستی لہذا ان کو چاہیے کہ جہاں تک

مکان ہو جلد رپورٹ نیا مہال میں کرے اور

ت ہستی لہذا ان کو چاہیے کہ جہاں تک

مہال ہے جو جہاں تک رپورٹ کی منظوری پہلے ہو

ہنے ہو چو کی ہے و نیز جہاں تک رپورٹ کی منظوری

منظوری کے لیے رپورٹ کی گئی ہو اور

رہا منظوری اس وقت تک نہ آئی ہو

مصلحت لکھنا یا جاوے تاکہ منظوری

دینے میں بہولیت رہے۔

جو رخصت بمسجیب د فاضل بالہ کے کیا جاوے

ت ہستی لہذا ان کو چاہیے کہ جہاں تک

نوٹ بمسجیب اہم لہذا مہال کے جہت تک

اور نوٹ دیکھ کر اس بارہ میں ہنود سے متعلق

کے رخصت کی منظوری دینا اور ترقی کے با اختیار

ماہنامہ ساہیوان کے سامنا جاوے گا۔

جو رخصت بمسجیب د فاضل بالہ کے کیا جاوے

جاوے اس کی منظوری حاصل کرنے کے لیے

ت ہستی لہذا ان کو چاہیے کہ جہاں تک

مکان ہو جلد رپورٹ نیا مہال میں کرے اور

ت ہستی لہذا ان کو چاہیے کہ جہاں تک

مہال ہے جو جہاں تک رپورٹ کی منظوری پہلے ہو

ہنے ہو چو کی ہے و نیز جہاں تک رپورٹ کی منظوری

منظوری کے لیے رپورٹ کی گئی ہو اور

رہا منظوری اس وقت تک نہ آئی ہو

مصلحت لکھنا یا جاوے تاکہ منظوری

دینے میں بہولیت رہے۔

جو رخصت بمسجیب د فاضل بالہ کے کیا جاوے

ت ہستی لہذا ان کو چاہیے کہ جہاں تک

د فاضل  
۱۰۵

د فاضل  
۱۰۶



نہا یا جہاں کمرے والے اس میں نہ  
 لاتی کرے گا تو ماسٹریج سزا ڈیوٹی میں  
 کا مہم کا اہل ہے۔

سڈر روائے ایڈوکیٹس اور روائے ایڈوکیٹس  
 بربذی ک کا

دکھ  
 ۲۰۸

تھیں لداران کو چاہیے کہ کوئی روائے  
 سوا کے کا یا ایسا خرچ تھ کا جسکے  
 لیے منظوری لیکر خرچ کرنے کے لیے  
 تھ میں تحریر ہو یا ہدایت ہو دے  
 بلا حاصل کرنے منظوری کے خرچ  
 نکرے لیکن اگر کوئی بہت ضرورت  
 ہو تو تھیں لداران ہی ذمہ داری  
 پر ایسا خرچ کر سکتا ہے لیکن اسکا  
 جمع خرچ وقفہ ہو کہ کے اول آؤد تھ  
 میں کیا جاوے اور بعد حصول  
 کے اصلی خرچ کے صیفہ میں لکھنا  
 جاوے۔

با جانچ کر نیوالا اس تھیں میں غلطی  
 کر گیا تو مستوجب سزا ڈیوٹی مانہ کا  
 سمجھا جاوے گا۔  
 کارروائی مذکورہ خرچ تھ  
 و بربذی ک کا

تھیں لداران کو چاہیے کہ کوئی روائے  
 سوا کے کا یا ایسا خرچ تھ کا جسکے  
 لیے منظوری لیکر خرچ کرنے کے لیے  
 تھ میں تحریر ہو یا ہدایت ہو دے  
 بلا حاصل کرنے منظوری کے خرچ  
 نکرے لیکن اگر کوئی بہت ضرورت  
 ہو تو تھیں لداران ہی ذمہ داری  
 پر ایسا خرچ کر سکتا ہے لیکن اسکا  
 جمع خرچ وقفہ ہو کہ کے اول آؤد تھ  
 میں کیا جاوے اور بعد حصول  
 کے اصلی خرچ کے صیفہ میں لکھنا  
 جاوے۔

की तनुरबा हेके विलमें वरदाना वज्रप्रात

लगा देवे और महकमै हिताव वनिजाम

तको चाहिये कि जब विल तनुरबा हेके

वसूजि वरफ़्तरे के वास्ते जांचवमंजू

री के उनके यहां आवे तो से सारुपयाउ

सी महिने के विल तनुरबा हे में काट

लेने का पूरा खयाल रखे वं अगर कि

सी मुस्ताजिम का जुमाना बाद में मु-

आफ़ हो जावे गा तो वह जर मुशफ़ी

उसी तनुरबा हेके सीगे में खर्च निरख

कर रसीद ले कर दे दिया जावे और

वर रसीद नष्ट भगती हुकम यानक व हु-

कम मुशफ़ी का हमरा हउसी माहवा-

री हिसाब के भेज दिया जावे ले कि

मुशफ़ी की उम्मेद में जुमाना वं

की वसूली मुस्तयोन रखी जावे

गर बंदे साहबा से विल तनुरबा हेके

की तनुरबा हेके विल में बखान वधनात

लगा दीयोन और محकमे حساب व नफ़ात

को च्या है कि जब विल तनुरबा हेके

बमوجب دفعه १० के वास्ते जांच

व منظوری के अंके यहाँ आवे

तो या रोपिह सी भेने के विल

तनुरबा हेके काट लेने का पूरा खयाल

रखे कि अगर किसी मलाजिम का

मिन सवात हो जावे का तो वह

जरमाना असी तनुरबा हेके सीगे में

खर्च लक़र रसिद लिखी जावे

दुरुह रसिद म्ने اصلی حکم या نقل

حکم معانی کا ترجمہ اوسے ماہوار

حساب کے بھیجید یا جاوے

مذاق کی رسیدین جو نہ وغیرہ کی

دستی ششوی نہ رہی میاوست

ترجمہ کی ماہوار

जाजावेगाऐसे मुलाजिमानी की तर्क करती

बमौकूफ़ी छुटी बतर ड़ी वतन ज़ुल ब

तबादिला बजुर्माना वगैरः किजो किसी मह

कमै मजाज़ से किया जावे उतकी इतलाम

हकमै मज़कूर से ज़ौ न् महकमै हि साव में मे

जीजावेगी ताकि यह हाल उ समुलाजिमके

खाले में दर्ज़ कर लिखा जावे और वर व

क़ांज माहवारी विलतनु ख्वाह के बमू

जिच उसके जमल दामदकिया जावे

दफ्त जोकिसी मुलाजिम तहसील पर तहसील

१९३

या और किसी महकमै मजाज़ से जुर्माना

ऐकार पागैर साज़िरी कारनेके लिये पाब

ग़ज़िब दफ्त के तहसील दामकी त

बनाद से तपयावेशी (बचेका व नूल कले

के लिये रुकम दकमै हिताव से लाया

देवे नोन दर्शन दन्व गुनाशना तहसील

के दर्दिएक के नारायण उमर जौहे

मिजाजावसे का ऐसी मज़मान की

छररी व मोतुनी भूषी व तर्ती व तर्ज़

व तबादले व ज़माने व फ़िरे कर जो किसी महक

मजाज़ से किया जावने अस्की

महकमै मज़कूर से फ़ौरा महकमै मजाज़

बिबिजी जावसे की ताकरे वह हाल अस

मज़ाम के लहाते मिन व रज कर लिया जा

और इरदत जाने माहवारी व तख्वा

के मजबूब असके मज़दर मद किया जा

जो किसी मज़दम तहसील तहसील या और

किसी महकमै मजाज़ से ज़माने होकर या फ़ि

हाफ़री का ठने के लिये या मजबूब

व तख्वा के तहसील दामकी त

रुपये शिशी ख़र्ज का वसूल करने के

लिये महकमै मजाज़ से आया हो

तुम्हिले दाम व गारुशते तहसील को

मार्तुद आरु से आसरे म

दिकहाल महकमैहि साबमें मुलाजिमा  
 न की वहीमें दर्ज करलिया आवेगाले.  
 किनअगर सिवाय महकमैनिजामत के कि  
 तीऔर महकमै ते हुकम हुआहो तो उसकी  
 इत्लानिजामतमें भेजी जावेगी ताकि बमू  
 जिव उसके हाल वही मुलाजिमानमें दर्ज  
 करलिया जावे वक्त जांच व नंजूरी दि  
 लतनुरब्बाहके खयाल रक्खा जावेऔ  
 र जोसे सा को ई हुकम निजामत से सा  
 दिर होवे तो उसकी इत्तिला वहां बही  
 मुलाजिमान में फौरन् दर्ज करली  
 जावे -  
 जो मुलाजिमान तहसीलके बहुवनम  
 हकमै रेजेसीको तलेके मुकदरिया मौकू  
 फ किये जावे औ र जिगकी माह दारित्तु  
 रब्बाहका विनदमूजिवदफा रिजामतके  
 मैहि साब में वास्ते जांच व परतावने के

सुबानि हाल महकमै साब में मलाजिमान की  
 भी मिन दर्ज कर लिया जावै का सिग  
 सोवै महकमै न्पात के कसी रा  
 महकमै से हुकम होवो तौ अस्की اطلاع  
 न्पात मिन भी जावै की ताके  
 बजब अस्के हाल भी मलाजिमान  
 मिन दर्ज कर लिया जावै वक्त  
 जांच व मन्तवरी मल त्खवाह के  
 खयाल रक्खा जावै औ र जो अस्की  
 हुकम न्पात से सादर होवै  
 तौ अस्की اطلاع वमान भी मलाजिमान  
 मिन फौरन् दर्ज कर लिया जावै -  
 जो मलाजिमान त्खवाह के हुकम मन्तवरी  
 को न्पल के मन्तवरी मल त्खवाह के  
 जावै औ र जिगकी माह दारित्तु  
 मिन बजब वक्त के हुकमै साब  
 मिन वरखे जांच व मन्तवरी के

१०२

१०२

سکے اور بلا فہم دے تو اس کی تامل سے  
 نہ کرے ہاں ازل بستان یا تہ سہیل دار جو اس  
 کی سبب سے مکاری ہو گیا ہے وہ پھلے تہ  
 سہیل دار کی چہی ہوئے تہ نورا ہاں ہاں ہاں ہاں  
 روبرو موند کے دہن بڑا لگا کے دلا سکتا ہے

حکم دیوے تو اس کی تعمیل کرے ہاں  
 البتہ یہ تحصیلدار جو اس کی عوض مقرر  
 ہو ہووے وہ پچھلے تحصیلدار کی  
 پڑھی ہوئی تنخواہ بند رہواری خود  
 بند رہو دفعہ یا لاکے ولا سکتا ہے

دفعہ  
 ۲۰۹

جو مولانا جی مان تہ سہیل کے مکاری یا مہو کو  
 کہیے جاوے گا ان کی تہ نورا ہاں کا ویل مہ  
 کئی نیکامت میں ہاں جاوے گا سے مولانا جی مان  
 نہ کی تہ مکاری یا مہو کو فہم تہ بستی اہاں اسی  
 تہ سہیل میں کی جاوے گا اور تہ اہاں تہ تہ کے  
 ہو اور تہ نورا ہاں یا ان پر کوئی جہ مانہ کیا جا  
 یا چھٹی دی جاوے تو اس کی اطلاع  
 حکم حساب میں بھیجی کوئی ضرورت  
 نہیں وہ تنخواہ کا بل جو ہاں حساب  
 کے ساتھ حکم حساب میں بھیجا جاوے گا  
 اور اس کی جانچ و منظوری نظامت  
 سے ہوئے دفعہ ۲۰۹ کے کی جاوے گی اسی

جو ملازمان تحصیل کے مقرر یا موقوفہ  
 کیے جاوے ان کی تنخواہ کا بل حکم نظامت  
 میں بھیجا جاوے گا اسی ملازمان کی  
 تقرری و موقوفی و تبدیلی اگر اسی تحصیل  
 میں کی جاوے اور تہ اندر تہ کے  
 ہو اور تہ نورا ہاں یا ان پر کوئی جہ مانہ کیا جا  
 یا چھٹی دی جاوے تو اس کی اطلاع  
 حکم حساب میں بھیجی کوئی ضرورت  
 نہیں وہ تنخواہ کا بل جو ہاں حساب  
 کے ساتھ حکم حساب میں بھیجا جاوے گا  
 اور اس کی جانچ و منظوری نظامت  
 سے ہوئے دفعہ ۲۰۹ کے کی جاوے گی اسی

دفعہ  
 ۱۰۱

मनौ करी की तनु ब्याह तह सीलदार अपने  
 इरि स पार से दिला देवे लेकिन जो ज़र जुमान  
 व वज्र भ्रातया और कोई मता लत्रा उसके  
 जिमे राज का होवे और जिसकी इतला  
 उस तह सील में भ्रातु की हो तो उसके वज्र  
 करने का पूरा खयाल रखे बरना वह उत  
 फ दर स पया तक का जो वह अपने उ-  
 रि स पार से दिलावे ज़ाती जिमे वार म-  
 म भा जावेगा -

की खोह बख्शिया, रा अपने अक्षर से  
 लादो लो से लेकिन जो ज़र जुमाने व  
 याद को ली सहा लो अके डसे राज का  
 होवे और जबकी अल्लर अक्षर  
 मिन अचकी हो तो अके व फे करने का  
 पुरा खयाल रखे वरने वह अक्षर  
 रो पिये ताक का जो वह अपने अक्षर  
 से दलावे डाली डसे वार बख्शिया  
 जावेगा -

दफ्तार नाला में तह सीलदारों को इरि स  
 पार दिया गया है कि प्रव्याम नौ कारी की  
 ननु ब्याह फिसी गुला जिम बेजे जो मौ कू का  
 तबरी ल जि भा गरा हो दिला देवे लेकिन  
 तह सीलदार की सग मी व रि स तबरी ल  
 इहे तो व वज्र दफ्तार की सग मी व रि स  
 वज्र तहरी ल व वज्र नौ कारी की सग मी व रि स  
 वज्र तहरी ल व वज्र नौ कारी की सग मी व रि स

दफ्तार व फे बला मी बख्शिया दरुन को अक्षर  
 दिया गया है कि प्रव्याम नौ कारी की  
 किसी तहरी ल को जो व फे व तहरी ल  
 नौ कारी जो व फे व तहरी ल व फे व तहरी ल  
 की तहरी ल व फे व तहरी ल व फे व तहरी ल  
 स व फे व तहरी ल व फे व तहरी ल  
 व फे व तहरी ल व फे व तहरी ल  
 व फे व तहरी ल व फे व तहरी ल



रुपया विला हासिल करने में जूरी के निर्दिष्ट प्राजा

बला प्राप्त करने में मन्तव्य के नदिया जायें

वेगानि स्वतन्त्र करती या वरतार की वगैरः मुला

सबत त्तरयी या बरुती वगैरह मलाज

किमान तद्दसील के ज्ञान परताल महकमैनि

तखिल के जान्च वीरताल महकमै नि

जागत से हुआ करेगी जैसा कि द फ्र १०९

से होकर के ली जैसा कि द फ्र १०९

दस्तूर तल जमल हाजा में दर्ज है -

दस्तूर तल जमल हाजा में दर्ज है -

१०९

खानची को चाहिये कि तनुस्वाह मुलाजि-

खानची को चाहिये कि तनुस्वाह मुलाजि-

१०९

मान को बन्वाज हतह सीलदार के तक्षीम

मान को बन्वाज हतह सीलदार के तक्षीम

करकर हरसक गीरिन्दह तनुस्वाह के द-

करकर हरसक गीरिन्दह तनुस्वाह के द-

स्तखत या मुहर था उसके हाथ की निशानी

स्तखत या मुहर था उसके हाथ की निशानी

और दूसरे शरख से उसके दस्तार वत मन्त्र

और दूसरे शरख से उसके दस्तार वत मन्त्र

नाम दस्तार वत करने वाले के रवाना रसोद

नाम दस्तार वत करने वाले के रवाना रसोद

विल तनुस्वाहनें करालिया करे -

विल तनुस्वाहनें करालिया करे -

१०९

किसी मुलाजिम को तनुस्वाहनें शर्गी बिला

किसी मुलाजिम को तनुस्वाहनें शर्गी बिला

१०९

कम महकमै जलियोरें की काल के नदी जो वी

कम महकमै जलियोरें की काल के नदी जो वी

१०९

अगर कोई मुलाजिम दक्षत व सीत तनुस्वा

अगर कोई मुलाजिम दक्षत व सीत तनुस्वा

हके हाजिर होवे तो उसकी तनुस्वा रवाना

हके हाजिर होवे तो उसकी तनुस्वा रवाना

मरी की जवगी मगर नव बर मुलाजिम

मरी की जवगी मगर नव बर मुलाजिम



سائنس دان میں شرمیل درامد ہے نا جی م ساہی

وہ تباہ تہ سلی ل دار بنا پت تہ سلی ل دا

میں پڑھا کار (ہے) جان پ کے چلا تہ نور لہ

یا پت جی در دو ماہینے تک کی دے تکتے ہیں

ابا کی کھو دی بھ کھ مہ کھ مہ رے جے سہی کوں سہل کے

دی جاتی ہے اس بارہ میں تا وقتیکہ

ہی دایت مہ کھ مہ رے جے سہی کوں سہل سے جاری

ہو دی سہی ر ہ پ ر م م ل درامد رہے گا۔

میں غمگن آمد ہے ناظم صاحب سہو

تھیلدا ر ذاب تھیلدا ر رو پکیا

دخترانچی کے بلا تخواہ یا غومی پر دو

ہینے تک کی دے سکتے ہیں اور

باقی چھٹی حکم محکمہ ریحی کونسل سے

دیجاتی ہے اس بارہ میں تا وقتیکہ

کوئی اور ہدایت محکمہ ریحی کونسل سے

جاری نہ ہو اسیدر حیر غمگن درامد رہے گا۔

جس محکمہ سے ملا زمان کی تقرری یا

برطرنی کا حکم آو سے انکی تخواہ کاپل

اوی محکمہ میں واسطے جانچ و منظور

کے بھیجا جاوے گا اور یہ مان سے

جانچ و منظور ہو کر آو سے تب جب

اسکے تخواہ دیجاوے گی کیو اس سے

یشی ندوی جاوے گی اور اگر کسی

مذہب کی تخواہ میں بچوں کے کبھی کمی

دفعہ ۹۵

دکھ ۲  
۲۷

جس مہ کھ مہ سے مولا جی مان کی تکتے سہی

یا بر تہ ر کی کا ہ کھ پت پت و ان کی م نور لہ

کا بیل اسی مہ کھ مہ میں پارتے جانچ و مں ج

سے ک مہ جانچ و مں ج اور مہ کھ پت پت سے جانچ

و مں ج کی ہو کر ان کی تکتے پت پت و ان کی

نور لہ کی جانچ و مں ج کی تکتے پت پت و ان کی

ان کی تکتے پت پت و ان کی تکتے پت پت و ان کی

ان کی تکتے پت پت و ان کی تکتے پت پت و ان کی

جو کوئی شخص کسی عہدہ کا بدلہ لاجا

یا پہلے پہننے سے تنخواہ میں کمی کبھی کبھی

ہو وے یا پرانہ غیر حافری کا کاٹا

جاوے اس شخص کے نام کے

مقابلہ میں نمبر سکم و تاریخ و نام محکمہ

بکے ذریعہ سے ایسا ہوا ہو مزاج

کردیون -

نسبت تقرری و برطرفی و ترقی اندر

تعمیر و تشریح و تبادلہ ملازمان کے

جو احکام فی الحال بحالی کی نسبت سے

جاری ہیں یا جو بعد ازین جاری ہوں گے

بوجوب اسکے تعمیل کی جاوے گی

اور ایک ایک نقل ایسے احکام

کی جو فی الحال جاری ہیں یا جو بعد

ازین جاری ہوں واسطے اعلیٰ

کے محکمہ سب میں بھیجی جاوے گی

ہر ایک میں جو بھیجی جاتی ہے تیسرا یہ حال

تو کسی کسی اٹھ دے کا بدلہ جاوے یا پی  
ہلے ماہینہ سے تانور بواہ میں کمی بے شہی  
ہوے یا جو مینا مہر حاجری کا کاٹا  
جاوے اس شخص کے نام کے  
میں نمبر، حکم و تاریخ و نام محکمہ  
کا گا جس کے ذریعہ سے ایسا ہوا ہو  
درج کر دے۔۔

نیت و تکرار و بدنامی و تکرار کی  
درتای و تانور بواہ کی بدنامی  
جیمان کے جو انہ کام فی الحال جاری ہیں  
کونسل سے جاری ہے یا جو بعد ازین جاری  
ہوں گے یا جو بعد ازین جاری ہوں گے  
بموجب اسکے تعمیل کی جاوے گی  
سکھان کول سے تانور بواہ کی جو فی  
حال جاری ہیں یا جو بعد ازین جاری  
ہوں گے یا جو بعد ازین جاری ہوں گے  
میں بھیجی جاوے گی۔۔

ہر ایک میں جو بھیجی جاتی ہے تیسرا یہ حال



میلن یا جوا بخت لیسوا جاوے کے  
مہینہ کے معر تاج و مہینہ کے

کیفیت حسین کا غڈ ڈاک ذریعہ  
سوار کے یا تھبیجی کا ذکر درج

پنڈاک جری پے یا تبار کے لیا پنے جے کا  
کار دئی ہوگا یا پورے کے دے پم ر ج س ر  
تو وہ وج کیا جاوے گا۔

ہوے تو وہ دج کیا جاوے گا۔

فصل سویم مشعر ہدایات متفرقات  
فصل ہدایات متفرقات تین

فصل ہدایات متفرقات تین  
تین میں تقسیم کی جاتی ہے۔

۱۔ تین میں تقسیم کی جاتی ہے۔

۲۔ تعلق تقسیم تنخواہ ملازمان

۳۔ تعلق تقسیم تنخواہ ملازمان

۴۔ تعلق ہدایت عام۔

۵۔ کارروائی ملازمت تقسیم

تنخواہ ملازمان۔

۶۔ ملازمت تقسیم تنخواہ ملازمان

۷۔ ملازمت تقسیم تنخواہ ملازمان

۸۔ ملازمت تقسیم تنخواہ ملازمان

۹۔ ملازمت تقسیم تنخواہ ملازمان

ملازمت تقسیم تنخواہ ملازمان

ملازمت تقسیم تنخواہ ملازمان

ملازمت تقسیم تنخواہ ملازمان

ملازمت تقسیم تنخواہ ملازمان

ملازمت تقسیم تنخواہ ملازمان

Handwritten notes in the left margin, including the word 'تقسیم' (Distribution) and other illegible text.

वही नम्बर १५ नकल कागजात

اسی نمبر ۱۵ نقل کاغذات

इस वही में जो कैफियत या हुक्म या रपोर्ट  
द फ़र्मा

اس ہی میں جو کیفیت یا حکم یا رپورٹ

۹۹

तहतील से हिन्दी में सिवाय तामील मिस

تھیں سے ہندی میں سوائے تھیں

ल मुकद्दमात दीवानी फौजदारी या मा

مثل مقدمات دیوانی فوجداری یا مال

लके लिए जायें उनकी नकल नम्बर (बा

के लئی جاویں انکی نقل نمبر (بار حروف

हफि बहफि की जाये इसकी काररवाइन मू

بحرف کیجاوے اسکی کارروائی نمونہ

नाम नम्बर १५ के मुवाफिक की जाते -

نمبر ۱۵ کے موافق کیجاوے -

नाम नम्बर १६ रजिस्टर (वानगी कागजात

نمبر ۱۶ رجیستر (وانگی کاغذات

जो कागजात हिन्दी व लो ता मील या दर  
२ फ़र्मा ६०

جو کاغذات ہندی و لہستانی تھیں یا

۹۰

या क्र हाल के आकार असल बापिस भे

دریافت حال کے آکر اصل واپس

जे जायें उनका इन्दराज इस रजिस्टर

بھیجے جاویں انکا اندراج اس رجیستر

में कि जावे उसमें रवाने इ स्व जैल

میں کیا جاوے اس میں خانہ حسب

रक्ये जायें -

ذیل رکھے جاویں -

नम्बर १६ रजिस्टर (वानगी कागजात

नمبر ۱۶ رجیستر (وانگی کاغذات

ने कागजात आ पा हो - उन वान निसल व सु

آیا ہو - عنوان مثل و خلاصہ کا

नाम कागजात - नाम रजिस्टर (वानगी कागजात

नाम جس حکمہ میں کاغذ بھیجا جاوے

में भेजा जाये - नकल या वना मा जे

نقل یا خلاصہ جو تمیل یا جو یا تھیں

खागया है उसी तरह से जो सन दात व  
 दस्तावेज तहसील में मौजूद हो या  
 नई ज़ावे या वापिस भेजी जावे या  
 दी जावे उसका ग्वाना अल हदा  
 उलकर इस वही नम्बर १४ में दर्ज की जा  
 वे इस वही में काररवाई तमूजिब  
 नमूना नम्बर १४ के की जावे -

है औसद पत्र से जो सन दा  
 वस्तावेज तहसील में मौजूद  
 हो या नई आसे या वापिस भेजी  
 जावे से या वापिस भेजी  
 एलिम्बे डालकर इस वही नम्बर १४ में  
 दर्ज की जावे से इस वही में  
 तमूजिब नमूना नम्बर १४ के की जावे

रकम  
२२

इस वही का सालाना बदलाव जगह न  
 ही पांच साल में बदली जावे और जो  
 जो जगह छोड़ी जावे वह पांच साल  
 के अंदाज पर छोड़नी बाहिरे ले  
 किन जो जो जगह छोड़ी हुई हो  
 जावे तो कलू खाता और जगह पर  
 उसी वही में जहां सुना लिख हो उक्त  
 लिखा जावे और तदनुसार दोनो  
 में सन दूने दो सन दो सन का  
 रकम अंदाज -

दफ्ते  
 ११  
 इस वही का सालाना बदलाव जगह न  
 पांच साल में बदली जावे और  
 जो जो जगह छोड़ी जावे वह पांच  
 साल के अंदाज पर छोड़नी बाहिरे  
 ले किन जो जो जगह छोड़ी हुई हो  
 जावे तो कलू खाता और जगह पर  
 उसी वही में जहां सुना लिख हो उक्त  
 लिखा जावे और तदनुसार दोनो  
 में सन दूने दो सन दो सन का  
 रकम अंदाज -

की याददाशती इस नही में लिखी  
जावे - गुमाशता नह सील को  
चाहिये कि उस याददाशत के नी  
चे दस्तखत नह सीलदार के क  
रा लिया करे -

दफ्त  
८६  
जबत नह सीलदार तयदील होवे और  
दूसरा चारज नह सील का लेवे तो  
उसको चाहिये कि जिन्स बमूजिव  
इस याददाशती के मौजूदात का इतमी  
नान करलेवे और अगर कोई जिन्स  
कम बबे श हो तो उसका हाल दर्ज क  
राकर उसपर दस्तखत साबिक का  
और नसत नह सीलदार दोनों के कि  
एजावे और से सी रुमी नबेशी की रफो  
दिनि जामत में की जावे -

दफ्त  
८७  
जिसतरह से सरकारी जिन्स की याद  
दाशती लिखने के वास्ते दफ्त ८३ में लि

१५ के याददाशती इस  
में लिखी जावे - गांशते  
को चाहे कि इस याददाशत के  
निचोरे दस्तखत खसिलदार के क  
राये -

जब खसिलदार तयदील होवे  
और दूसरा चारज खसिल  
तो उसको चाहे कि जिस  
याददाशती के मौजूदात का  
करलेवे और अगर कोई  
बیش हो तो उसका हाल  
अस पर दस्तखत साबिक का  
खसिलदार दोनो के क  
और रीकी दशिश की  
नظامत में लिखा जावे -

जिसतरह से सरकारी जिन्स की याद  
दाशती लिखने के वास्ते दफ्त ८३ में लि





ते बत्तीरसनदके ली जावे वह दस दफत्रको  
सनदात में शुमारन की जावेगी -

**वही नम्बर १४ याददाशत**

दफत्र एक वही याददाशत की रक्की जावे दस  
७२ वही में याददाशती जिन्स सरकारी  
के नाम से खाता दुतर फा डाल कर  
रामती लगाकर जो जिन्स सरकारी अ-  
लावह ज्ञान कदके मौजूद होवे और जिस  
जिसके तु पुर्दगी में हो जमा कर ली जावे  
और बाद में जो जिन्स किनई आवे या  
ही जावे या वापिस आवे नहमी मती  
लगाकर उसी तरह जमा बाले रवे दर्ज  
कर ली जावेगी -

दफत्र जिस तरह से सरकारी जिन्स की याद  
८३ दाशती लिखने के बाले दफत्र बाला  
में लिखा गया है उस तरह से जो जि  
नरा और शरदों की समानानमौजूद

بطور سند کے لیجاوے وہ اس  
دفتہ کی سنادات میں شمار نہ کیجاوے  
بھی نمبر ۱۲ یاوداشت

دفتہ ایک بھی یاوداشت کی رکتی جاوے  
۱۲ اس بھی میں یاوداشت کی جنس کا  
کے نام سے کہاتہ دو طرفہ ڈاکٹر  
اور مٹی لگا کر جو جنس سرکاری علاوہ  
زر نقد کے موجود ہو وے اور  
جس میں کی سپردگی میں ہو جمع  
کر لیجاوے اور بعد میں جنس  
کہ نہی آوے یا دیجاوے یا  
واپس آوے وہ بھی مٹی لگا  
اسی طرح جمع یا لیکھ درج کر لیجا  
وگی

دفتہ جس طرح سے سرکاری جنس کے  
۱۳ یاوداشت کی کہنے کے واسطے  
بالا میں کہا گیا ہے اسی طرح  
سے جو جنس اور مستحقوں کی

اور کوئی سند دیکھا دے تو وہ اس کہانتہ میں درج کیجاو گی۔  
 اور کوئی سند دی جاوے تو وہ اس کہانتہ میں درج کیجاو گی۔

۲۹. اس بھئی کا سال لیا نا بد لانا ج

۲۹. اس بھئی کا سال لیا نا بد لانا ج

اور جو جگہ چھوڑی جاوے وہ

پانچ سال کے اندازہ پر چھوڑی

لیکن جو جگہ چھوڑی

ہوئی پوری ہو جاوے تو

چلو کہانتہ اور جگہ پر اسی جہاں

میں جہاں مناسب ہو ڈال

لیا جاوے اور حوالہ دو تو

کہانتہ میں ایک دوسرے

کے کہانتہ کے پرنے کا درج

کر دیا جاوے اس ہی میں

کا ردوائی حسب نمونہ نمبر ۱۳

کی جاوے۔

تعمیر جو رسید روپیہ کی ہے

اس بھئی کا سال لیا نا بد لانا ج

پانچ سال کے اندازہ پر چھوڑی

لیکن جو جگہ چھوڑی

ہوئی پوری ہو جاوے تو

چلو کہانتہ اور جگہ پر اسی جہاں

میں جہاں مناسب ہو ڈال

لیا جاوے اور حوالہ دو تو

کہانتہ میں ایک دوسرے

کے کہانتہ کے پرنے کا درج

۲۹

۲۹

نہ دیہ جو رستی د ر پ مے کی ت ہا ل ل

अलहदाअलहदा हल्बजैल मुना	قسم کے علیحدہ علیحدہ حسب ذیل
सिब जगह छोड़ छोड़ कर डाले जा	مناسب جگہ چھوڑ چھوڑ کر ڈالے
वेगै और नकल कागजात की ह-	جاوین گے اور نقل کاغذات
फिध ह फि की जावेगी और नम्बर	کی حرفت بجزت کیا وے گی اور
हर एक खाते में अलहदाअलहदा मु	نمبر ہر ایک کہاتہ میں علیحدہ علیحدہ
सलसल कागजात कालगाया जावे-	مسلس کاغذات کا لگایا جائیگا
गा- सदरान के गांव के पद्वे जानव	سرداران کے گاؤں کے پدھے جا
हु कना भा वबंधा और पर वाने	دھکمت سے و بندھا اور پروانوں
के कागजात -	के काغذات -
खोला के कागजात	کہوٹہ کے کاغذات -
फरोर दग्गी जमीन सरकारी के कागजात	فروشی زمین سرکاری کے کاغذ -
फरोर दग्गी जमीन रिआया के कागजात -	فروشی زمین رعایا کے کاغذ -
ठेका देहात वानुस करान वगैर :	ٹھیکہ دیہات یا مسکرات وغیرہ
के कागजात -	के काغذات -
गांव की चौधर के कागजात -	गाؤں کے چوڈھر کے کاغذات
रीठ के कागजात -	ریٹھ کے کاغذات -
मुतफरिकात तवाय ऊपर लिखेके	سفرقات سوائے اور لیکھنے کے



تار अगर महिने से कम दिनों की तनुरब्बा  
 ह हो तो बकैद तारीख इतिदाइवलगायत  
 के बाई तरफ जमा कर ली जावे और जचर  
 पया तनुरब्बा ह का देवार वहीन म्बर १ रे जना  
 मचे में खचे लिखा जावे तब ममूजिब  
 उत्तके उस मुलाजिमके खाते में इ हनी न  
 रफ अलाव ह हवाला महिने य अगा दू  
 महिने की हो तो तारीख कानाम निश्वेदेवे  
 और से से इन्दराज के शुद्ध में पाना व  
 हीरो जनामचान म्बर १ का लगा दिया  
 जावे रुपया दिया गया हो तो वह सि  
 रे भर दिया जावे और रिजस किसी  
 मुलाजिम से नुरमाना वगैर हाजिरी  
 कारी गई हो तो सिरे पर तो वही रुप  
 या लिखा जावे कि जो दिया गया हो तो  
 र चलती सतर में हाल उस कारने  
 का दर्जे करे देवे जब कोई मुलाजिम

اگر مہینے سے کم دنوں کی تنخواہ ہو تو  
 بقید تاریخ ابتدا روایت کے بائیں  
 طرف جمع کر لیجاوے اور جب یہ  
 تنخواہ کا دیکر بھی نمبر ا روز نامچہ میں  
 نچ لکھا جاوے تب بموجب اسکے  
 اس بلذم کے ہساتہ میں وہی طرف  
 علاوہ حوالہ مہینے و اگر ٹوٹ مہینے  
 کی ہو تو تاریخ کا نام لکھد یوں کہ  
 ایسے اندراج کے شروع میں  
 پانہ بھی روز نامچہ نمبر ا کا لکھا دیا  
 جاوے اور روپیہ دیا گیا ہو تو  
 وہ سکر بہر دیا جاوے اور جس  
 کسی بلذم سے جبرانہ وغیر حاقری کا  
 لگی ہو تو سرے پر تو وہی روپیہ  
 لکھا جاوے کہ جو دیا گیا ہو اور  
 چلتی سطر میں حال اس کاٹنے  
 کا درج کر دیوں جب کوئی بلذم

سکا حال उसी मुलाजिम केरवाते के वा

ईतरफ एकसल बही का छोड़कर वहा

शियालगाकर वह हाल बहवाला न

नर वतारीख हुकम वनाम महकमे

के दर्ज कर लिया जावेगा और जो कि

ती मुलाजिम पर जुर्माना होवर वगैर

हाजिरी की तनुरबाह वजै होने का हुकम

हो तो उसी मुलाजिम केरवाते के दहनी

नरफ वहवालानम्बर वतारीख हुकम

वनाम महकमे के दर्ज कर दिया जावेगा

और जो वादाद जुर्माना या वज्रात की हो

वे वहसिरे पर दर्ज कर दी जावेगी -

फरमानची की चाहिये कि जो मिलत

रवाह मुलाजिमानवर

मंजूरी केर महकमे शियालगाकर

ते दावे वमूलिक वसामंजूरी केर

भर मुलाजिम केरवाते के

مال اسی ملازم کے کہاتہ کے یا

طرف ایکہ سلسل ہی کا چھوڑ کر

و حاشیہ لگا کر وہ حال بجا

نمبر و تاریخ حکم و نام محکمہ کے

درج کر لیا جاوے گا اور جو کسی

پر جرمانہ ہو کر وغیر حاضری کی

وضع ہونے کا حکم ہو تو اسی

ملازم کے کہاتہ کے دہنی طرف

بجواہ نمبر و تاریخ حکم و نام محکمہ

کے درج کر دیا جاوے گا اور

جو وعدہ جرمانہ یا وثقات کی

وہ سسر کر درج کرو بجاوے گی

فرمان کی کو چاہئے کہ یہ

نہیں ہو

حسب پانچ ست

میں

میں

میں

سے وہ اس عہدہ پر

آ گیا ہو اور جس عہدہ سے

تبدیل ہو کر آیا ہو یا تقرر کیا گیا

ہو تحریر کر دیا جائے گا اور جو ملازم

تبدیل ہو کر کسی دوسرے عہدہ پر

بھیجا جاوے یا درخواست کیا ہو

یا اسے استعفا دیا ہو اسے نواد

حال بھی معہ حوالہ نمبر و تاریخ حکم

نام حکم کے اس کے کہاتہ کے بائیں

طرفت، حاشیہ لکھ دیا جائے گا

گا اگر وہ عہدہ خالی رہا ہو اسے تو

ہیں ایام تک خالی رہے وہ

اس اسامی کے کہاتہ کے نیچے

حاشیہ دیکر لکھ دیا جاوے گا

کبھی ملازم کی ترقی یا تنزیل یا

بدلی یا خصمت رعایتی یا بلد

تغزوہ کی اطلاع آوے تو اس کا

پر

سے

تبدیل ہو کر آیا ہو یا تقرر کیا گیا

ہو تحریر کر دیا جائے گا اور جو ملازم

تبدیل ہو کر کسی دوسرے عہدہ پر

بھیجا جاوے یا درخواست کیا ہو

یا اسے استعفا دیا ہو اسے نواد

حال بھی معہ حوالہ نمبر و تاریخ حکم

نام حکم کے اس کے کہاتہ کے بائیں

طرفت، حاشیہ لکھ دیا جائے گا

گا اگر وہ عہدہ خالی رہا ہو اسے تو

ہیں ایام تک خالی رہے وہ

اس اسامی کے کہاتہ کے نیچے

حاشیہ دیکر لکھ دیا جاوے گا

کبھی ملازم کی ترقی یا تنزیل یا

بدلی یا خصمت رعایتی یا بلد

تغزوہ کی اطلاع آوے تو اس کا

بیلان تقرر کیا گیا ہو اسے نواد

رہنما کے لئے سے کمی یا بیشی

میلنے کے لئے کوئی حکم ہو تو

بصورتِ حکم کے تحریر کیا جائے

جاوے گا اس کی کارروائی ہوگی۔

نمونہ نمبر ۱۲ کے کی جاوے گی۔

جب کسی ملازم کی بددیہی ہو

تو اسکی عوض میں دوسرا شخص

تبدیل ہو کر اسے یا مقرر

کیا جاوے تو اس شخص

کا ہاتھ اسی عہدہ کے پیٹے

میں اور اسی شخص کے ہاتھ

کے نیچے جسکی عوض وہ رکھا

جاوے ڈال لیا جائے گا۔

اور اسے ڈال لیا جائے گا۔

اور ایسے ہاتھ کے ڈالنے

میں غلطی ہو اس ملازم کے

بموردِ بددیہی و قسوت و سکت

تو وہ ہندو قوم سے کمی یا

بیشی ملنے کے لئے کوئی حکم

ہو تو جو اس حکم کے تحریر کیا جائے

گا اس کی کارروائی ہوگی۔

نمونہ نمبر ۱۲ کے کی جاوے گی۔

جب کسی ملازم کی بددیہی ہو

تو اسکی عوض میں دوسرا شخص

تبدیل ہو کر اسے یا مقرر

کیا جاوے تو اس شخص

کا ہاتھ اسی عہدہ کے پیٹے

میں اور اسی شخص کے ہاتھ

کے نیچے جسکی عوض وہ رکھا

جاوے ڈال لیا جائے گا۔

اور اسے ڈال لیا جائے گا۔

اور ایسے ہاتھ کے ڈالنے

میں غلطی ہو اس ملازم کے

بموردِ بددیہی و قسوت و سکت



वह सील को खुलवा कर नमूना निकाले

वार वस इवार में उह देवार मानत

दा बल दबा लो जे वंग और हर एक

खाते के शाह में लहरा हाउस उह दे

की गुन्दर जै लिख दर्ज की जानेगी हर

एक उह दे द्वार खाते के पेटे में इस्म

वार खाते उले जायेगे और हर

क उह दे वार के खाते के पेटे में

बल खाता जो साल गुजि प्रता के

अखीर पर मुलाजिम रहा हो और

जिसके तबादले का हुकम न हुआ

हो तो उसके नाम का खाता उललि

या जावेगा और उसी नाम मुलाजि

मका निरम होवेगा उसको सकू

नत व वलियत न उन्नव की नियत

जहां तक दखी क है महर कर दी जा

देगी और जो उसको लाती तनु

तहसिल के दो طرفे بموجب तहसिल के

द्वार के पीछे में एम्बेदरे वा

एम्बेदरे वासे जावेगे और

कहाते के شروع में तहसिल

एम्बेदरे की मंजूर तहसिल के

की हर एक एम्बेदरे वा

पीछे में एम्बेदरे वासे

जावेगे और हर एक एम्बेदरे

के कहाते के पीछे में

जो साल گذشته के

रहा हो और जबके तबादले का

हो तो उसके नाम का

लिया जावेगा और

मलाजिम का लखा जावे

सुकुत و ولدیت و عمر و

जहां तक دریافت ہو

कर दी जावेगी और

भेरे में रक्ताचलू साल की रकम  
 काना व पिछले सालों की कमाया  
 के अलहदा अलहदा डाले जावेगे  
 और खनौनी इस बही में ब मूजीज  
 कानदा सुन्दर जै दफ्त ३७ के द-  
 ही नम्बर १० रकम वर काना व उगा  
 ही के खरडा से की जावेगी और  
 खाला देहात व आता भियान के  
 खाने में यह लिहाज़ रक्वा जावे  
 गा खिखात। देहात के अगर मुम  
 फिन होतो खोपचार मुसलसिल  
 डाले जावे ताकि खाला तलाश करते  
 में मूफिया रहे इस बही में खार रकम  
 जिब मूना नम्बर ११ के की जावेगी -  
 नद छटी मुलाजिमान की कमाया  
 नद बरीदा जिरी मुलाजिमान की कमाया  
 जोवेगी इस बही में खार रकम

कहाने के पत्ते में कहाने जाओ साल  
 की रकम रकाने व पिछले सालों की कमाया  
 के अलहदा अलहदा डाले जावेगे  
 और खनौनी इस बही में ब मूजीज  
 कानदा सुन्दर जै दफ्त ३७ के द-  
 ही नम्बर १० रकम वर काना व उगा  
 ही के खरडा से की जावेगी और  
 खाला देहात व आता भियान के  
 खाने में यह लिहाज़ रक्वा जावे  
 गा खिखात। देहात के अगर मुम  
 फिन होतो खोपचार मुसलसिल  
 डाले जावे ताकि खाला तलाश करते  
 में मूफिया रहे इस बही में खार रकम  
 जिब मूना नम्बर ११ के की जावेगी -  
 नद छटी मुलाजिमान की कमाया  
 नद बरीदा जिरी मुलाजिमान की कमाया  
 जोवेगी इस बही में खार रकम

بعد اگر کوئی رقم صدر کے حکم سے  
 تھوڑی یا سب معاف کیجاو  
 تو بحوالہ حکم و نمبر صدر کے اسی  
 صیفون کے اوور تھمنا سے  
 لکھ کر اس دیتا یا اسامی کے  
 جمع کر لی جاوے اس ہی کی  
 کارروائی بموجب نمونہ نمبر  
 کے کی جاوے گی۔

یہی نمبر ۱۱ کہاتہ رقم اوکاٹھی

اس کہاتہ ہی میں کل کہاتہ دو طرف  
 والے جاوینگے اول کہاتہ جمع کے  
 صیفو وار معہ پیٹھ کے نمبر کے  
 حسب ضرورت ڈالے جاوینگے  
 اور پھر مناسب جگہ چھوڑ کر کہاتہ  
 تحصیل کا ڈالا جاوے گا اور پھر وہ  
 واسامی وار کہاتہ ڈالے جاوینگے  
 اور وہ واسامی وار کے

دکنہ اس رجاتا ابھی میں کولر رجاتے دوتار کا  
 ۶۸  
 ڈالے جاوینگے مابھی رجاتا جمانا کہتے  
 گے وار پتے کے نمبر کے ہر جرت  
 رت ڈالے جاوینگے اور پھر مونا س  
 ب جگہ چھوڑ کر رجاتا تھ سول  
 کا ڈالنا جاوینگے اور پھر دے رجاتا ب  
 تانی وار رجاتے ڈالے جاوینگے اور  
 دے رجاتا ب تانی وار کے رجاتے کے

اور جب سے کسی رقومات تحصیل میں  
 وصول ہو کر اس بھی کی جمع کیا  
 تب اسی میں اس ہی میں  
 تحصیل کے نام لکھ کر دیہات  
 واسامیان کی تفصیل وارجع  
 کر لیوں -

اور جب سے کسی رقومات تحصیل میں  
 وصول ہو کر اس بھی کی جمع کیا  
 تب اسی میں اس ہی میں  
 تحصیل کے نام لکھ کر دیہات  
 واسامیان کی تفصیل وارجع  
 کر لیوں -

۱۰۹

جو سڈ بٹ بٹ دے سے رقوم دارین  
 ہونے پا اور کسی بڑھتے لگا  
 تاہے تو بھ بھاج کے سینگے  
 اچھرت میں  
 جما کر کر دے ہات ب  
 آسٹامی پ  
 ن کے نام لیروا  
 جیوے اور جب  
 وں ہووے  
 ت ب دے  
 ہات ب  
 آسٹامی  
 پان کے  
 جنا ہو کر  
 پیوے  
 بھاج کے  
 سینگے  
 کے  
 اچھرت  
 نام لیر  
 دیا  
 جیوے -

جو سڈ بٹ بٹ دے سے رقوم دارین  
 ہونے پا اور کسی بڑھتے لگا  
 تاہے تو بھ بھاج کے سینگے  
 اچھرت میں  
 جما کر کر دے ہات ب  
 آسٹامی پ  
 ن کے نام لیروا  
 جیوے اور جب  
 وں ہووے  
 ت ب دے  
 ہات ب  
 آسٹامی  
 پان کے  
 جنا ہو کر  
 پیوے  
 بھاج کے  
 سینگے  
 کے  
 اچھرت  
 نام لیر  
 دیا  
 جیوے -

نمبر ۹۰

اس میں جمع نہ ہو جائے

اس میں جمع نہ ہو جائے

में भी कर लिया जावे यानी असली  
 सीगों के नाम लिख कर दे हात व आ  
 सामियों के जमा कर लिये जावे से  
 किन् इस तरह पर जमा करने में सी  
 गों के नाम लिखने में यह हवाला  
 दर्ज कर दें कि वहियात तहसील  
 में असली सीगों में जमा कर कर  
 दे हात व आ सामियान के नाम बा  
 की निकाली गई है इसलिये यहां सी  
 गों के नाम लिख कर आ सामियान  
 व दे हात के जमा किये गये -

خرج اس ہی میں بھی کر لیا جاوے  
 یعنی اصلی صیغوں کے نام لکھ کر  
 دیہات و آسامیان کے جمع  
 کر لئے جاویں لیکن اسطر میر جمع  
 کرنے میں صیغوں کے نام لکھنے  
 میں یہ عوالہ درج کر دین کہ یہاں  
 تحصیل میں اصلی صیغوں میں  
 جمع کر دیہات و آسامیان  
 نام باقی نکالی گئی ہے اسلئے یہاں  
 صیغوں کے نام لکھ کر آسامیان  
 و دیہات کے جمع کیے گئے -

دفعہ ۱۰۹

اور کما ت दे हात या आ सामियान  
 में तहसील की दिय्यात में बाकी नि  
 काली जावे उनका जमा न्वरु इम व  
 हीने करने में तहसील के उधरत  
 मन् कर कर दे हात व आ सामियान  
 वरु के तहसील व आ सामियान दे

دفعہ ۱۰۹ جو رومات دیہات یا آسامیان  
 میں تحصیل کی یہاں میں باقی  
 نکالی جاوے ان کا جمع خرج  
 اس ہی میں کرنے میں تحصیل کے  
 اور تم جمع کر دیہات و آسامیان  
 کے تفصیل وار نام لکھ دیں

• دہات و آسامیاں سے وصول ہو کر تحصیل میں اصلی صفیہ آمدنی میں جمع ہوویں وہ جن میں سیفوں کے وصول ہوں وہ اسی روزگاری میں آن سیفوں کے نام لکھ کر دہات و آسامیاں کے جمع کیے جائیں اور سیفوں کے نام لکھنے میں یہ حوالہ لکھ دیا جائے کہ روپیہ تحصیل میں وصول ہو کر جمع کیا گیا ہے۔

دہات و آسامیاں سے وصول ہو کر تحصیل میں اصلی صفیہ آمدنی میں جمع ہوویں وہ جن میں سیفوں کے وصول ہوں وہ اسی روزگاری میں آن سیفوں کے نام لکھ کر دہات و آسامیاں کے جمع کیے جائیں اور سیفوں کے نام لکھنے میں یہ حوالہ لکھ دیا جائے کہ روپیہ تحصیل میں وصول ہو کر جمع کیا گیا ہے۔

• اگر کسی نے کسی دہات و آسامی میں باقی رہنے سے اور یہاں سے تحصیل میں روپیہ وصول کیا ہے تو اس کے دہات و آسامیاں کے نام لکھ کر دہات و آسامیاں کے جمع کیے جائیں اور سیفوں کے نام لکھنے میں یہ حوالہ لکھ دیا جائے کہ روپیہ تحصیل میں وصول ہو کر جمع کیا گیا ہے۔

دہات و آسامیاں سے وصول ہو کر تحصیل میں اصلی صفیہ آمدنی میں جمع ہوویں وہ جن میں سیفوں کے وصول ہوں وہ اسی روزگاری میں آن سیفوں کے نام لکھ کر دہات و آسامیاں کے جمع کیے جائیں اور سیفوں کے نام لکھنے میں یہ حوالہ لکھ دیا جائے کہ روپیہ تحصیل میں وصول ہو کر جمع کیا گیا ہے۔

کر دئے جاوینگے جو رقم کسی میں  
 سال اخیر پر باقی رہ جاوے گی  
 وہ تحصیل کی بھی میں باقی نکال جائیگا  
 اس گہرڑہ میں جمع خرچ مستحب نہ  
 نمبر ۱ کے کیا جاوے گا اور جس  
 سٹی میں جمع خرچ کیا جاوے گا  
 اُس سٹی کے نیچے کا شتہ تحصیل  
 کا دستخط کیا جاوے گا -  
 جو رقم ورکانہ وغیرہ سال روان کی  
 فہرست محکمہ مالدار سے تجویز اور  
 محکمہ حساب سے تصدیق ہو کر آوے  
 تو بموجب اُسکے سینو و سینو کے بیٹے  
 کے نام سے جمع کر لیا و ست اور جو  
 واراسی و زر بنم بھی جاوے  
 اور جمع کرنے میں سوائے نمبر و کام  
 محکمہ حساب کا تحریر کر دیا جاوے

کر دئے جاوینگے جو رقم کسی میں  
 سال اخیر پر باقی رہ جاوے گی  
 وہ تحصیل کی بھی میں باقی نکال جائیگا  
 اس گہرڑہ میں جمع خرچ مستحب نہ  
 نمبر ۱ کے کیا جاوے گا اور جس  
 سٹی میں جمع خرچ کیا جاوے گا  
 اُس سٹی کے نیچے کا شتہ تحصیل  
 کا دستخط کیا جاوے گا -  
 جو رقم ورکانہ وغیرہ سال روان کی  
 فہرست محکمہ مالدار سے تجویز اور  
 محکمہ حساب سے تصدیق ہو کر آوے  
 تو بموجب اُسکے سینو و سینو کے بیٹے  
 کے نام سے جمع کر لیا و ست اور جو  
 واراسی و زر بنم بھی جاوے  
 اور جمع کرنے میں سوائے نمبر و کام  
 محکمہ حساب کا تحریر کر دیا جاوے

دکان  
 ۶۷

एकजिन्सकेलगाकरउसमहिने  
कीसीपर दर्ज कर दी जावेगी जिन्स

हराईक جنس के लگاकरास  
मैनेके सरके प्रोज करके  
गीजसके معلوم रहेके

तेमालूम रहेकि कितकितकदर  
जिन्स कितकित सीनेवार उनके

कदर جنस कस कस सिने वार उनके

पेटके नम्बरोमें रक्च हुई है वनी.

पैके नम्बरोमें रक्च हुई है वनी.

जहरासकजिनस ननाम महिनेमें

पैके नम्बरोमें रक्च हुई है वनी.

कितकदर रक्च हुई है ताकिमा.

पैके नम्बरोमें रक्च हुई है वनी.

हवारिहिस्ताब तय्यार करनेमें

पैके नम्बरोमें रक्च हुई है वनी.

हूतियत रहे इस वही में कारर.

पैके नम्बरोमें रक्च हुई है वनी.

वाई हस्व नमूना नम्बर ६ केकी

पैके नम्बरोमें रक्च हुई है वनी.

जावेगी -

महपंजुमरकमवउगाही

इसे मह के तपल्लुक दोबहिया

तरकवी जावेगी प्रन्वत रवरड़ा.

दोयमखाताइन दोनोंमें जमाखवे

बतौरउधरतके किया जावेगा

मानतमामपर सनखातेनेव.क

मिन सभलित रहेसे अस  
बीमिन कार रोरुआही  
नबरोके किजावके गी -

मदखिसम रकम वउगाही

मदखिसम रकम वउगाही

किसी जावेगी आउल अहरे विये

किसी जावेगी आउल अहरे विये

किसी जावेगी आउल अहरे विये

किसी जावेगी आउल अहरे विये





نمبر ۷ کے کی جاویگی -

بھی تھیں لہذا دار کو چاہیے

کی جب سے ج مری ہر دستار بن بمر

کی جب د فخر بایا کے ربح کی وہی میں

کو وہ ہر رخی پد کار یا سون کار

ات میں ان کو کی جینر س د مونی

بانی یا بچی ک ب مونی ب ان کے

ہو کے دی ہوئی د ج کی گئی ہے اور

بے جین کو دی ہوئی د ج ہے انہوں نے

بار بار پالی ہے -

بہاں نمبر ۷ مودی ربانہ کے روج

ماری کی رتونی کی -

اس بھئی میں پربل رباتا سینی وار

اور اس کے پتے میں اس سینی کے پتے

کے نمبر وار اور اس کے پتے میں

بار بار اور اس کے پتے میں

نمبر وار اتنے جاویں اور وار

نمبر کے کی جاویگی -

تنبیہ تحصیلدار کو چاہئے کہ جب

روز مرہ دستخط بموجب دفعہ

بالا کے خرچ کی بھی میں کرے

وہ بخوبی پڑھ کر یا ستر طہین

کرے کہ جنس بموجب تہہ

یا بریک بموجب اسکے حکم

کے دی ہوئی درج کی گئی ہے

اور دیگر جیکو دی ہوئی درج ہے

انہوں نے برابر پالی ہے -

یہی نمبر مود بخانہ کے رولہ

کی بہتونی کی

اس جی میں آل ہماہ میں ہر  
و اسکے پتے میں اس میں  
پتے میں نمبر وار اور اسکے پتے  
میں ہر ہر ہر ہر ہر ہر ہر  
پتے میں ہر ہر ہر ہر ہر ہر

और जो जिन्स दी जावे वह सींगेवा  
 र व पेटे के नम्बर वार और उसके  
 पेटे में तफसील वार दर्ज की जावेगी  
 अगर कोई जिन्स पेटे से बधी क  
 दी जावे तो बधीक के हवाला से  
 तहरिर कर दी जावेगी और कुल  
 जिन्स तहरिर होने के बाद उसके  
 नीचे रोज मितो सर व ठीक जिन्  
 स की लगा दी जावेगी यानी जो जो  
 जिन्स मुतफरिफ खर्च के सींगों  
 में दी गई हो वह हर एक जिन्स इ  
 क ही जोड़ कर दर्ज कर दी जावेगी  
 और उसके नीचे मोगदी रोज मरहम  
 पने दस्तर खन कर कर तहसील दार या  
 उसकी खज जो काम करता होवे उ  
 सके दस्तर खन भी कर लिया करेगा  
 इस वही में काररवाई व मृजवनम

در چوب جنس و بجا وے وہ صیغہ  
 اور پیٹہ کے نمبر وار اور اسکے  
 پیٹہ میں تفصیل وار درج کی جاوے گی  
 اگر کوئی جنس پیٹہ سے بدھیک  
 بجا وے تو بدھیک کے  
 حوالہ سے تحریر کر دی جاوے  
 گی اور کل جنس تحریر ہونیکے  
 بعد اسکے نیچے روز متی سرب  
 ہیک جنس کی لگا دی جاوے گی  
 یعنی جو جنس متفرق خرچ کے  
 صیغوں میں دی گئی ہو وہ ہر ایک  
 جنس اکٹھی جوڑ کر درج کر دی جاوے گی  
 اور اسکے نیچے صوفی روز مرہ  
 دستخط کر کے تفصیل داریا اسکے  
 عوض جو کام کرتا ہو وہی اسکے  
 دستخط بھی کرایا کرے گا اس ہی  
 میں کارروائی بموجب نمونہ

میں ماہواری باقی حسب نمونہ

میں ماہواری باقی حسب نمونہ

نمبر ۱۷ کے نیکالی جاوے گی -

مذربہ نمبر ۱ کے نکالیاوگی

دفعہ ۱۷ بابت میں جو ماہواری باقی نکالے

دفعہ ۱۷ دفعہ بالا میں جو ماہواری باقی نکالے

کالنے کے لیے تھریر کیا گیا ہے اور جو

کے لئے تحریر کیا گیا ہے اور جو

۶۳

اور جو پوتا باقی کی مٹا دیا جائے

پوتہ باقی قیمت و وزن مال ہو

ہر دو کے نیکالی جاوے اس کے نیکالی

کی نکالی جاوے اس کے نکالنے

لے نے شہرہ پوستت ماہواری سے

میں شرح اوسط ماہواری سے

حساب کیا جاوے گا اور شہرہ

حساب پھیلایا جاوے گا اور

ہر پوستت ماہواری ہر سیک جنس

شرح اوسط ماہواری ایک

کی اساتر ہر نیکالی جاوے گی

جنس کی اسطر ہر نکالی جاوے گی

کی ماہی پھلے مہینے کی باقی کے جو

کہ مہینے مہینے کی باقی کے جو

میں جان جنس کی ہووے اس کو

جنس کی ہووے اس کو میزان

نہ پسا سے کیا کر سک شہرہ

روپیہ سے پھیل کر ایک شرح

نیکالی جاوے گی -

نیکالی لیاوے گی -

میں نمبر ۱۷ کے نیکالی

میں نمبر ۱۷ کے نیکالی

کے رتبہ کی -

روزرو کے خرچ کی -

میں روز مہینے لگا دیا جاوے گی

میں روز مہینے لگا دیا جاوے گی

میں جمارتہے اس بھئی میں کیا جاوےگا

جمع پنج اس ہی میں کیا جاوےگا

اس پر روزانہ دستخط سووی اور

تخصیص لیا جائیگی۔

تھیں ہسپتال دار کیا کریں گے۔

بھئی نمبر ۱۰ بھاتا موہی بھائی کی

بھئی نمبر ۱۰ بھاتا موہی خانہ کی

بھائی کی۔

کا۔

دفعہ ۶۱

اس بھئی نمبر ۱۰ میں بھاتا بھائی

اس ہی نمبر ۱۰ میں بھاتا بھائی

بھائی کے بعد ہسپتال کا

اول تخصیص کا ہی میں ہر ایک

جنس کا اور اس کے بعد اور بھاتا

اور اس کے بعد اور بھاتا

بھائی کے لئے ہسپتال ہو جائیگی

اگر ضرورت ہو ڈالے جاویں گے

اور اس ہی میں رقومات بھئی

اور اس ہی میں رقومات بھئی

بھائی کے لئے ہسپتال سے

نمبر ۱۰ موہی خانہ کے کمرے سے

بھائی کے لئے ہسپتال سے

بموجب قاعدہ مندرجہ ذیل

بھائی کے لئے ہسپتال سے

کے کتائی جاویں گی۔

دفعہ ۶۲

جنس کے لئے ہسپتال سے

رقمہ جنس کے لئے ہسپتال سے

بھائی کے لئے ہسپتال سے

بموجب دفعہ بالا کے لئے ہسپتال سے

بھائی کے لئے ہسپتال سے

انہیں قیمت و وزن مال کی

بھائی کے لئے ہسپتال سے

کھائی جائیگی اور ان کے لئے

तो व मूजि वउ सके जमा खर्च करील -  
 या जावेगा और जो रुपया भरा ने काल  
 ये हुकम आवे तो रुपया भरा कर उध  
 त खाते जमा किया जावेगा --  
 अखीर साल पर जो माल पोतार है  
 वह अखीर महिने के औसत से सि  
 पर तह सील के नाम लिखकर  
 जिन सवार खातों के जमा कर  
 कर सवर खातों के उत साल की  
 बाह्यात में चेबाक यानी चूकता  
 कर दिया जावेगा और साल आंघ  
 सा की इत बही में तह सील की उसी श  
 रह से उधरत पोता माल साल गुजि  
 शता की वाब न जमा कर कर जिन सवार  
 खातों के नाम लिख दिया जावेगा -  
 उसमें कार रवाई व मूजि व न मूजि  
 नम्बर दी की जावेगी और जिन मूजि

तो بموجب اسکے جمع خرچ کر لیا جا  
 اور جو روپیہ بھر انکے لئے  
 تو روپیہ بھر کر اور تمہ کہتا ہے جمع  
 کیا جاویگا -  
 وقوعہ اخیر سال پر جو مال پوٹہ رہے  
 وہ اخیر مہینے کے اوسط سے  
 سرے پر تحقیق کے نام لکھ کر  
 جنس وار کہا توں کے جمع کر کر  
 سب کہا توں کے اُس سال  
 کی بیات میں بے باقی یعنی جو کتا  
 کر دیا جاوے گا اور سال آئندہ  
 کی اس میں تحقیق کی اس شرح  
 سے اور تمہ پوٹہ مال سال گذشتہ  
 کی باقی جمع کر کر تنبیور کہا توں  
 کے نام لکھ دیا جاوے گا -  
 مہینہ کی ...  
 مہینہ کی ...

<p>کرتا ہے۔ اس کے نام میں بھی لکھا جائے گا۔</p>	<p>تخصیص کے نام لکھی جاوے گی۔</p>
<p>۲۴ جن کو بھی کسی جینس کے ہاتھ میں لیا جائے گا۔</p>	<p>جب کہ کسی جینس کے ہاتھ میں لیا جائے گا۔</p>
<p>بڑھ جائے یا کسی بڑھوتری ہو تو یہ</p>	<p>میں مال بڑھ جائے یعنی بڑھوتری</p>
<p>تھیں ان کے بڑھوتری کے نام لکھا جائے گا۔</p>	<p>ہوئے تو وہ تخصیص کے</p>
<p>کے نام لکھا جائے گا۔</p>	<p>بڑھوتری کے نام لکھا جائے گا۔</p>
<p>ن کی تھیں ان کے نام لکھا جائے گا۔</p>	<p>جینس کے ہاتھ میں لکھا جائے گا۔</p>
<p>اسی طرح سے جو</p>	<p>رہے اور اس طرح سے جو</p>
<p>ہو جائے تو اس کے نام لکھا جائے گا۔</p>	<p>کوئی جینس کم ہو جائے تو اس کے</p>
<p>تھیں ان کے نام لکھا جائے گا۔</p>	<p>گھٹوتری کے نام لکھا جائے گا۔</p>
<p>اس کے نام لکھا جائے گا۔</p>	<p>اس میں سے جو گھٹوتری اور</p>
<p>تھیں ان کے نام لکھا جائے گا۔</p>	<p>تخصیص کے نام لکھا جائے گا۔</p>
<p>تھیں ان کے نام لکھا جائے گا۔</p>	<p>گھٹوتری کا روپیہ سود بخانا کی</p>
<p>کا نام لکھا جائے گا۔</p>	<p>بھی کا جمع ہو کر اور رقم کہا جائے</p>
<p>اور اس کے نام لکھا جائے گا۔</p>	<p>گھٹوتری کے نام لکھا جائے گا۔</p>
<p>اور اس کے نام لکھا جائے گا۔</p>	<p>اور اس کی منظوری کے لئے رپورٹ</p>
<p>اور اس کے نام لکھا جائے گا۔</p>	<p>کیجاوے گا اور اس کی منظوری</p>

उधरत जमा करके जिन्स खरीद भुदा  
 के नाम लिखी जावेगी और जब तह-  
 सील से उसका रूप पा दिलाया जावे  
 उस वक्त तह सील के रवाते में जमा  
 कके उस शख्स के उधरन नाम  
 लिखी जावेगी लेकिन जमा नक  
 मुमकिन होरख वाल रहे फिकी मत  
 नालकी तह सील से उती वक्त दिला-  
 दी जावे ताकि हुबारा जमा रूप न  
 करना पड़े -

के और तहमिज करके तिस खरीद  
 के नाम लकी जावेगी और जब  
 तहसील से उसका रूप पा दिलाया  
 जावे तह सील के रवाते में जमा  
 कके उस शख्स के उधरन नाम  
 लिखी जावेगी लेकिन जमा नक  
 मुमकिन होरख वाल रहे फिकी मत  
 नालकी तह सील से उती वक्त दिला-  
 दी जावे ताकि हुबारा जमा रूप न  
 करना पड़े -

आवेक कतीने मुने मे...  
 होव जिसका रो ज्ञाना हिमाय द क...  
 ननाबाद मुतभल्लिन क नहिवात व...  
 र य दे विा फर लि वा जो...  
 जना व से व ज र...  
 स न मूना न म...  
 के जित्त...  
 ...

...  
 ...  
 ...  
 ...  
 ...  
 ...  
 ...  
 ...  
 ...  
 ...



यातर कवी जावेगी -

<sup>१</sup> जमार खर्च कार खरडा - <sup>२</sup> खाता - <sup>३</sup> रोजम - <sup>४</sup> रोज

रिह की जिन्स के खर्च की वही - <sup>५</sup> रोज

रिह की जिन्स की खती -

दफ्त  
५७  
बही नम्बर ६ मोदी खाने कार खरडा जो  
जिन्स खरीद की जावे वह खन्व लउस

खरडा में बैके दतारी खव वजन माल म-

शरह वनाम फ़रोशिन्दह के जिस से जि-

न्स खरीद की गई हो मज़र कीमत

के जमार खर्च की जावेगी यानी खर्च की-

मत माल की तहसील से उ सी वक्त दिला-

ई जावे तो तहसील के खाते में जमा

कर कर जो माल खरीद किया गया हो

उस माल के नाम लिखी जावेगी और जो

कीमत किसी सबब से उ सबक तहसी-

ल से न दिलाई जावे तो वजाइ त-

हसील के उस वक्त उस शरख्त के

रक़ी जावईगी -

جمع خرج का क़र्ष - <sup>१</sup> क़ात - <sup>२</sup> रोज - <sup>३</sup> रोज

की جنس के خرج की है - <sup>४</sup> रोज

की جنس की खती -

है नंबर ५ मोदी खाते का क़र्ष जो جنس

खरीद किया वसे वे आँस क़र्ष

में बेक़े दाने वजन माल में شرح

वनाम फ़रोशنده के جس سے جنس

खरीद की گئی ہو موزر قیمت کے

جمع خرج کیا وگی یعنی اگر قیمت مال

کی تحصیل سے اس وقت دلائی جائے

تو تحصیل کے کھاتہ میں جمع کر کر جو

مال خرید کیا گیا ہو اس مال کے

نام لکھی جاوے گی اور جو قیمت

کسی سبب سے اس وقت تحصیل

سے نہ دلائی جاوے تو بجائے

تحصیل کے اس وقت اس شخص

اور اسے سٹامپ کی بیکری کا ہے  
 سٹامپ کی وہی نمبر ۲ میں لکھا جا  
 اور اس کی قیمت سٹامپ کی وہی ہے  
 اس کا نمبر ۹ میں لکھا جا  
 اس کی قیمت سٹامپ کی وہی ہے  
 اس کا نمبر ۹ میں لکھا جا  
 اس کی قیمت سٹامپ کی وہی ہے  
 اس کا نمبر ۹ میں لکھا جا  
 اس کی قیمت سٹامپ کی وہی ہے  
 اس کا نمبر ۹ میں لکھا جا  
 اس کی قیمت سٹامپ کی وہی ہے  
 اس کا نمبر ۹ میں لکھا جا

اسٹامپ کی بیکری کا ہے  
 کی یہی نمبر ۲ میں لکھا جا  
 اور قیمت سٹامپ کی وہی ہے  
 نامبر نمبر ایک میں اسٹامپ  
 کے قیمت جمع کیا جائے گی اور  
 جب ایسا اسٹامپ فروخت  
 کیا جاوے گا تو اسٹامپ  
 ہووے ہونے اور قیمت یہی نمبر  
 میں جمع لکے جانے کی تھی ورنہ  
 کے نمبر ملاوہ اسورات مندرجہ  
 دفعہ ۲ کے لکے جاوے گئے اور  
 سید پونجیس سے قیمت اسٹامپ  
 کی قیمت دفعہ ۲ کے لکے جاوے گی  
 اسٹامپ کے ساتھ

مہاراجہ صاحب  
 دہلی

जावेगी और न किसी को उधार पर

दिया जावेगा हर एक तहसील और

रनि जामत में गुमास्ता स्टाम्प फ

रोरह किया करेगा - ताकि लोगों

को खरीदने में सहूलियत रहे -

दफ्त तब किस्म के स्टाम्प तहसील में

५५

काफी तीन महिने की बिकरी के

राजा के पोता रक्वे जावेंगे जि

स किसी किस्म का स्टाम्प इस अंदा

जा से कम हो जावे और न उसके

लिये रपोर्ट तदर को कर कर मंगा

लिया जावेगा लेकिन अगर किसी

वक्त किसी किस्म का स्टाम्प मौजूद

न होवे तो जायज होगा कि सफेद

कागज पर मुहर उस तहसील की

लगा कर और दस्तावेज त तहसील

दार के लिये तौर स्टाम्प के बंद दिया जा

लिया वैसे की और न किसी को उधार

पर दिया जावेगा हर एक तहसील और

रनि जामत में गुमास्ता स्टाम्प फ

रोरह किया करेगा - ताकि लोगों

को खरीदने में सहूलियत रहे -

दफ्त तब किस्म के स्टाम्प तहसील में

काफी तीन महिने की बिकरी के

राजा के पोता रक्वे जावेंगे जि

स किसी किस्म का स्टाम्प इस अंदा

जा से कम हो जावे और न उसके

लिये रपोर्ट तदर को कर कर मंगा

लिया जावेगा लेकिन अगर किसी

वक्त किसी किस्म का स्टाम्प मौजूद

न होवे तो जायज होगा कि सफेद

कागज पर मुहर उस तहसील की

लगा कर और दस्तावेज त तहसील

दार के लिये तौर स्टाम्प के बंद दिया जा

۱. کئی کروڑوں میں سے دیکھ کر۔  
 ۲. گجرات میں جیل ہاؤس۔  
 ۳. گجرات میں جیل ہاؤس۔  
 ۴. گجرات میں جیل ہاؤس۔  
 ۵. گجرات میں جیل ہاؤس۔  
 ۶. گجرات میں جیل ہاؤس۔  
 ۷. گجرات میں جیل ہاؤس۔  
 ۸. گجرات میں جیل ہاؤس۔  
 ۹. گجرات میں جیل ہاؤس۔  
 ۱۰. گجرات میں جیل ہاؤس۔

اسٹامپ کی فروخت کی بی بی من مریج  
 کوئی مین امورات مندرجہ ذیل حسب  
 نمونہ نمبر ۵ کے لکھے جاویں گے  
 قیمت اسٹامپ معہ قطعات -  
 نام و سکونت فریدار -

صفحہ ۵۲

اسٹامپ کی فروخت سے  
 جاویں انکی پشت پر مندرجہ  
 بیجا لکھا گیا ہو یا نمبر لکھا گیا ہو  
 اس کے پتے حسب ذیل لکھا جاوگا  
 قیمت اسٹامپ رقم اور حروف  
 میں - نام و سکونت فریدار  
 والے کن - نام و نمبر  
 قیمت تین روپوں کی -

صفحہ ۵۳

اسٹامپ کی قیمت جو فریدار  
 کے پاس ہے وہ اس کے پاس  
 سے لے کر دیا جائیگا۔  
 اس کی قیمت اس کے پاس  
 سے لے کر دیا جائیگا۔

صفحہ ۵۴

کرنے و پوتہ باقی نکالنے  
 ہر سال اسٹامپ کی اصل ہدا  
 ہدا مقررہ ہدا کتنا سال کی  
 سال اسٹامپ و اسٹامپ کے سالوں  
 کی کول کی سال اصل ہدا اصل  
 ہدا ہتھ ن مونا نمبر ۲ کے تھری  
 ر کی جاوے گی -

کے جمع کرنے و پوتہ باقی نکالنے  
 اسٹامپ کی علیحدہ  
 ہر سال ہدا و قطعات قیمت  
 اسٹامپ و ایک قسم کے  
 اسٹامپ کی کل قیمت علیحدہ  
 ہر سال نمونہ نمبر ۲ کے  
 ر کی جاوے گی -

د ف ۲۹ د ف ۲۰ میں تھری ر کیا گیا ہے  
 کہ جب کبھی اسٹامپ کی فروختگی  
 ہوئی ہو یا سدر سے آوے  
 مٹی لکھ کر جمع فرج کرنا چاہیے  
 لیکن شروع سال و شروع  
 روز اگر اسٹامپ  
 فروختگی نہ ہوئی ہو تو  
 سدر سے آئی ہو تو بھی سٹی  
 نکال کر پوتہ باقی حسب قاعدہ  
 بلا کے نکال لینی چاہیے۔

د ف ۲۰ میں تھری ر کیا گیا ہے کہ  
 جب کبھی اسٹامپ کی فروختگی  
 ہوئی ہو یا سدر سے آوے  
 مٹی لکھ کر جمع فرج کرنا چاہیے  
 لیکن شروع سال و شروع  
 روز اگر اسٹامپ  
 فروختگی نہ ہوئی ہو تو  
 سدر سے آئی ہو تو بھی سٹی  
 نکال کر پوتہ باقی حسب قاعدہ  
 بلا کے نکال لینی چاہیے۔



<p>موبان نمبر ۳ کے تیار کر کے مہاجراں کو جانے دیا جائے گا۔</p>	<p>طیارہ کر کے بھیجا جاوے گا۔</p>
<p>د فوج جو آٹھ کڑا سا لانا ہر د فوج والا ۳۶</p>	<p>۶ انگریز سالانہ حسب دفعہ ہالہ</p>
<p>کے صدر میں بھیجا جاوے گا۔</p>	<p>کے صدر میں بھیجا جاوے گا۔</p>
<p>کول تھریل میں رکھی جاوے گی اور</p>	<p>اوسکی ایک نقل تحصیل میں رکھی</p>
<p>ر اس نکل کے وہی کے پانے بھی</p>	<p>جاوے گی اور اس نقل کے بھی کے</p>
<p>میں وہی نمبر ۳ ناہاری ہر حساب</p>	<p>پانے بھی شمول ہی نمبر ۳ ماہواری</p>
<p>سانا آٹھ کڑا کے مہاجریوں کو جانے دے گا۔</p>	<p>حساب لیا نہ انگریز کے رنگ لے جاوے گا۔</p>
<p>د فوج ماہواری ہر حساب و سالیانہ آٹھ کڑا ۳۷</p>	<p>ماہواری حساب و سالیانہ انگریز</p>
<p>میں ہر د فوج والا کے تیار کیے جانے</p>	<p>دفعات ہالہ کے طیارہ کے جاوے گا</p>
<p>میں اور انہی کے نمبر ۲ سے مہاجری</p>	<p>اور اول کہا ہے ہی نمبر ۲ سے مختصر</p>
<p>رکھنے چوٹی میں آٹھ کڑا اور میلان کر کے</p>	<p>چوٹی میں انگریز اور میلان کر کے</p>
<p>کر کے وہی نمبر ۳ میں اتارے جانے</p>	<p>ہی نمبر ۳ میں اتارے جاوے گا</p>
<p>میں اور انہی کے چوٹی میں</p>	<p>ناکچر غلطی نہ ہے اور یہ کچے چوٹی</p>
<p>تھریل میں بنائے جانے اور</p>	<p>تھریل میں بنائے جاوے گا</p>
<p>میں اور انہی کے نمبر ۳ میں اتارے</p>	<p>اور جو نمبر ۳ ماہواری جمع ہونے کا</p>
<p>میں اور انہی کے نمبر ۳ میں اتارے</p>	<p>جو نمبر ۳ میں اتارے کے رکھا</p>
<p>میں اور انہی کے نمبر ۳ میں اتارے</p>	<p>جاوے گا وہ اس ہی نمبر ۳</p>

جو نے پھر ان کا تہہ ہے جس کے  
 لڑنے سے نہا دینا باقی رہا ہے وہ  
 (ماتہ وار اور) لڑنے کے پہلے میں  
 دہے وار یا سا سا مو وار نجر  
 لڑنا سا حال جس کا جن یا جس  
 حساب سے جس قدر روپ یا باقی لےنا  
 دینا نکلنا ہے نیکوئی اور اس  
 حساب دے کرنے میں جو رکھنا  
 جمانا رکھ کر رہا ہو گیا اس کا  
 لیکرنا کھڑا کرنا نہیں سیکر جو  
 رکھنا سا بھرت یا دھرتی ہو  
 ما پالے رکھ کر ہو وہ لیکر دیا  
 پگی اور پتا باقی بھرتی میں  
 نیکو دھرتی کے لئے کہ بھرتی  
 لیکرنا میں لیکرنا اور اس کے  
 بھرتی رکھ کر ہو وہ لیکر دیا  
 پگی اور پتا باقی بھرتی میں

جاوگی اور دوسرے جو اور  
 کہاتہ ہو حسین کہہ لیکر باقی رہا  
 وہ کہاتہ وار اور کہاتہ رکھ کر  
 میں دیکر وار یا سا مو وار نجر  
 خلاصہ حال میں بابت یا جس  
 کے بقدر روپ باقی لیکر دینا  
 نکلتا ہو لکھی جاوگی اس حساب  
 دینے کرنے میں جو قیامت کا جمع  
 و فروغ باہر ہو کیا ہو اس کا  
 کہہ ضرورت نہیں صرف جو  
 قیامت ثابت یا لکھی ہو  
 میں لیکر دیا ہو وہ لیکر دیا  
 و پھر دیکر جو میں بھرتی  
 دفعہ دیکر جو میں بھرتی  
 میں بھرتی ہو وہ لیکر دیا  
 لیکر دیا ہو وہ لیکر دیا  
 لیکر دیا ہو وہ لیکر دیا



و میں شامل کر کے بتاؤں وہی کہہ رکھا

جاوے گا اور ان ہیسابوں کا صدر میں جمع

ماہی ہو کر کل ریاست کا ایک سو

سا ہزار ہو گا لیکن تھمیلات سے اتنا

ہر ایک ہینے کے اندر ایک انگڑی

بغی گو شوارہ افسر خزانہ و خزانچی

کے دستخط ہو کر بھیجا جاوے گا۔

بسیں رقومات اصلی آمدنی و خرچ

سبب کے مطابق مسیغہ دار اور

صیغہ کے پیٹے کے مطابق نمبر

اور ہر ایک نمبر کے پیٹے میں

ماہواری ایک ایک رقم لکھ کر

بیزان سال تمام کی ہر ایک سے

پر لکھ دی جاوے گی اور جو

صدر کے اوپر تم کہا تو کی جمع

لیکھ کر ہووے وہ بھی لکھا

و کہتے دار کے میں من ہموار کرتی

میں شامل کر کے بطور ہی کے رکھا جا

اور ان حسابوں کا صدر میں جمع

خرچ ہو کر کل ریاست کا ایک سو

طیار ہو گا لیکن تھمیلات سے اتنا

ہر ایک ہینے کے اندر ایک انگڑی

بغی گو شوارہ افسر خزانہ و خزانچی

کے دستخط ہو کر بھیجا جاوے گا۔

بسیں رقومات اصلی آمدنی و خرچ

سبب کے مطابق مسیغہ دار اور

صیغہ کے پیٹے کے مطابق نمبر

اور ہر ایک نمبر کے پیٹے میں

ماہواری ایک ایک رقم لکھ کر

بیزان سال تمام کی ہر ایک سے

پر لکھ دی جاوے گی اور جو

میں شامل کر کے بطور ہی کے رکھا جا اور ان حسابوں کا صدر میں جمع خرچ ہو کر کل ریاست کا ایک سو طیار ہو گا لیکن تھمیلات سے اتنا ہر ایک ہینے کے اندر ایک انگڑی بغی گو شوارہ افسر خزانہ و خزانچی کے دستخط ہو کر بھیجا جاوے گا۔ بسیں رقومات اصلی آمدنی و خرچ سبب کے مطابق مسیغہ دار اور صیغہ کے پیٹے کے مطابق نمبر اور ہر ایک نمبر کے پیٹے میں ماہواری ایک ایک رقم لکھ کر بیزان سال تمام کی ہر ایک سے پر لکھ دی جاوے گی اور جو صدر کے اوپر تم کہا تو کی جمع لکھ کر ہووے وہ بھی لکھا و کہتے دار کے میں من ہموار کرتی

महीने में दस गज के जहर न च्या -  
 का भेन दिया जाने -  
 यानी यानी रबर्च व उधर न वा -  
 कीनें यानी वाजिनुत्तलन की र -  
 कृतके तीचे अन्न हदा सी ग -  
 गेता वा की यानी मौजूदात बाद  
 में सिक्के चार मञ्जु स्टाम्प के नि  
 लनी चाहिये -  
 नाना भां काड़ा यही नम्बर ३ से जो न  
 हारे हिंसा के लिए रक्वी गई है तय्यार ब  
 मीन नमूना नम्बर ४ के किया जावेगा -  
 शल में जो सावह मुफ्तोस्तन सानतमा  
 के तहसोनात से तय्यार दो कार में जे  
 जाते हैं भेते सावह भेजे जाने की को ई  
 मूरत नही कोचि हिंसाद माहवा  
 शी जो मुफ्तिलत व मूजिब का पदा है।  
 के भेजा जावेगा वरु महगनी

से दस रुद्र के अडे पियार रकर

बिछो दिया जावे -

दफ्ते ३३

बहुरते यिनी खरिच वा ओर तहे  
 बाती बनें निगी वा बि लपल की  
 रकमत के निचे एलिघे व सिफे  
 पोष बाती निगी मोजुदात अबुदिन  
 सके वारमे अस्तम के  
 लकखनी पाये -

दफ्ते ३५

सालाने अकरे भी नम्बर ३ से जो मा भो  
 साप के नूँ रे भी अही है पिया -  
 बोजिब नमूने नम्बर के किया जावे

दफ्ते ३६

माल में जो सावह मुफ्तोस्तन सानतमा  
 के तहसोनात से तय्यार दो कार में जे  
 जाते हैं भेते सावह भेजे जाने की को ई  
 मूरत नही कोचि हिंसाद माहवा  
 शी जो मुफ्तिलत व मूजिब का पदा है।  
 के भेजा जावेगा वरु महगनी

को नाहिये कि माहवारी हिसान

मृजिव दफ्त ४० के तय्यार नितरगजा

ने और मृजिव दफ्त वाला के कुल

का गजात उनके साथ होने का और को

ई खर्च ज्यादा खज डारियारत हसाल

का बिना हसूल मंजूरी के असली खर्च

के नीगे नद जनी कगे जांन का इतमीनान

पद कर वसंभाल कर कर लिया करे और

जो तहसीलदार हिन्दी न जानना हो उसको

भी चीहिये कि उसका इतमीनान का गजात

पद वा कर कर लिया करे बाद उसके द

स्तर खत खजानची के करा कर और ख

पने दस्तर खत कर करी हिसाब भेजा करे

दफ्त हिताब माहवारी सुद १ से बद अ

४३

मावस तक जैसा हाल में तय्यार

किया जाता है किया जावे और हिसा

ब माहवारी बद अ मावस को महिना ख

अनुको चाहे कि माहवारी हिसाब

बोचब दफ्त ४० के तय्यार नितरगजा

और बोचब दफ्त बाला के कुल का

अन्के साथ हो निका और कुकी खर्च निया

आखिया तहसिल का बला हसूल मंजूरी

के असली खर्च के सिने में खर्च

नर के जाने का अطمिनान पर गकरो

सन्धाल कर कर लिया करे न और ख

हिन्दी न जानता हो उसको भी चीहिये

असका अطمिनान का गजात पर गकरो

कर लिया करे बाद उसके दस्तर ख

के करा कर और अपने दस्तर खत

भेजा करे -

हिसाब माहवारी सुद १ से बद अ

४३

मावस तक जैसा हाल में तय्यार

किया जाता है किया जावे और हिसा

ब माहवारी बद अ मावस को महिना ख

१  
 वही हुई रसीदों की वजह से कि जिस  
 कद उ स महिने में इकाही हों किना  
 बसे निकाल कर भेज देवें -  
 २  
 दिन हुकमों के जरिये से रूपया खज  
 नात हसील से दिया गया हो और  
 तीदें जो अल हदा ली गई हों उसमें  
 माहवारी तनाब्याह मुलाजिमान  
 का कबजूल वमूल या अल हदार  
 तीद जानी गई दोशामल समझी जावेगी  
 ३  
 जो मजूरी महकमै निआमत या और  
 किसी महकमै दालादत्ता से वान्ते कि  
 तीर खर्च के ली गई हो और बहार उती  
 महिने में असली तीगों में लिखा गया  
 हो भेज देवें और एक पि हरिकत से  
 से कागजात के माहवारी तनाब्याह की  
 ही के नीचे लिखी जावेगी -

चिपचीपी भौली रसिदों की पहिली प्रत  
 जसद रास मिनने मिन अकथी हों  
 کتاب سے نکال کر بھیج دیوں -  
 جن حکموں کے ذریعہ سے روپے  
 خزانہ تکمیل سے دیا گیا ہو اور  
 رسیدین جو علیحدہ کی گئی ہوں  
 آئین مابواری بخوارہ ملازمان  
 کا قبضہ روپوں یا علیحدہ رسید  
 ہوئی اسی پر دست لیا بھی جاوے گی -  
 پر دست نہ ہوئی تو ٹکٹہ ٹکٹہ یا اور  
 کسی محکمہ یا وزارت سے  
 کسی خزانے کی جو ان وہ خزانے  
 کسی مینے مین علی صیغہ مین  
 لکھا گیا ہو بھیج دیوں اور ایک  
 قہرست لکھ کر اس کے ساتھ بھیج دیں  
 حساب کی جو کسی خزانے سے  
 پر رسیدین سے لکھی ہوئی ہوں

۴۲  
 جو تھسیل دار...

सरेलिरव देवे और जो कुरु जमाहुं

आ हो तो लेखकी रकम का जोड़

देकर उसके नीचे वाद यानी मिनहा

ईकरके रकूमात जमाकी मित्ती वार

मअ हाल खुलासा जमाके लिरव व

जोड़ देकर बाकी सरेलिरव देवे -

नोट अब लजोरकूमातरकम व उगाहीकी

बहीके रवाते में जिसमिती में जमा होवे यान

मलिरवी जावे या मुअफा की जीवे तो उसमे

तफसील गांव वार होवे तो गांव वार और आ

सामी वार होवे तो आसाामी वार लिरवनी वा

हिये ताकि सदर की रकम व उगाही की बहि

यात में गांव वार या आसाामी वार रकूमात

खसाने में सहूलियत रहे -

जब हिसान माह वारी न मूजी बद फर

यालाक भजा जावे तो उसके माग का

गज हत्व जैल भेजे न चाहिये -

सरे लकहदियोन اور جو کچھ جمع

ہوا ہو تو لکھنے کی رقم کا جوڑ دیکر

اسکے نیچے با د یعنی منہائی کر کے

رقومات جمع کی متی وار معہ حال

خلاصہ جمع کے لکھنے و جوڑ دیکر

باقی سے لکھد یون -

نوٹ اول جو رقومات رقم و اوگاہی کی

بہی کے ہما تہ میں جس متی میں جمع ہو سے یا

نام لکھی جاوے یا معافی کیجاوے تو اس میں

تفصیل گانو وار ہووے تو گانو وارا وار

وار ہووے تو اسامی وار لکھنی چاہیے

اگر صدر کی رقم و اوگاہی کی بہیات میں

گانو وارا یا اسامی وار رقومات کہتیا تے

میں ہولیت رہے -

جب حساب ماہواری بموجب دفعہ

بالا کے بھیجا جاوے تو اسکے ساتھ

کاغذ حسب ذیل بھیجنے چاہئیں -

دفعہ ۲۹

دفعہ ۳۱

कुनबर्नालगाया जावे जेना उग्र उग्र

महिने में कुछ दिखान नया सेना घडा

रकारांतर निर्गदिया जावे - दोयम

जिनजिन खातों में लेना होवे वह

भाती यानी खर्च की रकमात के

धड़े के नीचे बाकी लेने के नाम से

लिखकर उसके पेटे में खातेदार

रज कर देवे और हर एक खाते के

पेटे में जो रकम पिछले महिने

की उस में बाकी होवे तो वह पिछले

महिने के हवाला से डकटी लिखवे

वै और जो रकमान उस महिने में उस

खाते के नाम लिखी गई हों वह मि

तीवार मंत्र खुलासा हान्न के नाम

लिख दी जावे और जो इन महिने में

उस खाते में कुछ जमान हुआ हो

लکھدی جاوین اور اگر اس ہفتے میں

کچھ دیا نہ گیا ہو تو دھڑا دیکر سر

لکھدی جاوے - دویم جن بن

کہا توں میں لینا ہووے وہ

بہرتے یعنی خرچ کی رقمات کے

دھڑے کے نیچے باقی لینے کے

نام سے لکھ کر اسکی پیٹے میں لکھ

درج کر دیوین اور ہر ایک کہا

کے پیٹے میں جو رقم چیلے ہفتے کی

اس میں باقی ہووے تو وہ چیلے

ہفتے کے حوالے سے لکھی لکھدی

اور جو رقمات اس ہفتے میں اس

کہاتے کے نام لکھی گئی ہوں وہ

تیار ہووے خالصہ مال کے ہر

لکھدی جاوین اور جو اس ہفتے میں

میں اس کہاتے میں کچھ جمع نہ ہوا

جو تب اس رقمات کے دھڑے

۱۱

مستلجمما یا ربح کا ایسی तरह پر ت-

ہرگز کیا جاوے کہ بخلی جہاں جن

رہا توں میں دینا ہووے انکو جہاں کے

واکی دینے کے نام سے لیکر پتے ہاں

تہاں لیکر دے دے اور اس کے پتے ہاں

جو پیکھلے مہینے میں اسی ربا کے

کا دینا ہووے جب تو ایک رقم

والا پیکھلے مہینے کے چھ جہاں

رہا توں میں اور اس کے نیچے جو

تو اس مہینے میں جہاں ہوں تو

میں تہاں ربا کے خالصہ حال

کے لیکر دے دے اور اس مہینے

کو دیا گیا ہو تو اوپر کی

میں جہاں مہینے میں دینا ہووے

میں سے چھ مہینے ہاں ربا کے

نہ لیکر دے دے اور اس مہینے

جمع یا خرچ کا اسی طرح تحریر کیا جاوے

کہ اول جن جن کہا توں میں دینا ہووے

انکو جمع کے نیچے باقی دینے کے

نام سے لیکر پتے ہاں کہا توں

لکھد یوں اور اس کے پتے ہاں

پیکھلے مہینے میں اسی کہا توں

کا دینا ہووے جب تو ایک رقم

جو الہ پیکھلے مہینے کے وہ جمع

بجاوین اور اس کے نیچے جو

اس مہینے میں جمع ہوئی ہوں تو

وہ تہاں ربا کے خالصہ حال

لکھد یوں اور اس مہینے

کچھ دیا گیا ہو تو اوپر کی

میں جہاں مہینے میں دینا ہووے

وہ تہاں ربا کے خالصہ حال

لکھد یوں اور اس مہینے





जिस महिने में उसका काम पड़ेउ

स महिने को अचवल उस राते के पेटे

में कायम कर लेवें और जो सकया

कई रकूमात उस महिने में उस रा

ते की आवें वह उस महिने के पेटे


में रखत्या कर अचवल कुल महिने की

रकूमात की रुकरकम बूक ही उस म

हिने के सिरे पर दर्ज कर दी जावें कि

जिससे माहवारी हिसाब तय्यार

करने में सहूलियत रहे—



मददोयम हिसाब माहवारी औ

रधांकड़ा सालि याना तय्यार

करने और भेजने का तरीका -

रकूमात माहवारी हिसाब के लिये सफ बही

रखा जावेगी वूम बही में हिसाब

माहवारी बही नम्बर १ व २ में दर्ज

ن میں جس مہینے میں اسکا

پرے اُس مہینے کو اول اُس

کے پیٹھ میں قائم کر لیں اور

ایک یا کئی رقومات اُس مہینے

اُس کہانتہ کی آویں وہ اُس

لینے کے پیٹھ میں کہتیا کر اول

مہینے کی رقومات کی ایک

م اکتھی اُس مہینے کے سرے

پر درج کر دی جاویں کہ جس سے

ماہواری حساب طیار کرنے میں

سہولیت رہے -

مددویم حساب ماہواری اور

انگرہ سالیا نہ طیار کرتے

نے کا طریقہ -

اب کے لیے ایک

ن اُس ہی میں

بھی نمبر اور

روزنامہ میں نمبر کہا ہے کہ پانچواں

کا جسمین وہ رقم ہتھیائی جاوے

درج کر دیا جاوے گا۔ اور ایک

خط کا نشان حاشیہ پر دیدیا جاوے

گا تا کہ اس رقم کے بہت جانے

کا خیال رہے اور کہاتے ہیں جب

رقم ہتھیائی جاوے اول روز پانچ

کے پانے کا نمبر درج کر دیا جاوے

تا کہ مہوت اس رقم کے دیکھنے

کی ضرورت ہو وے آسانی سے

دیکھ لیا جائے جیسا کہ نمونہ

نمبر ۲۰ میں کیا گیا ہے۔

دفعہ ۱۰ کہا ہے کہ ہتھیائی جانے کے

نئے دفعہ ۳ میں ذکر کیا گیا

ہے کہین وقت ہتھیانے کے

جو کہ ہتھیانے کے وقت

روزنامہ میں نمبر کے پانچواں

جس میں وہ رقم ہتھیائی جاوے

درج کر دیا جاوے گا۔ اور ایک

خط کا نشان حاشیہ پر دیدیا جاوے

گا تا کہ اس رقم کے بہت جانے

کا خیال رہے اور کہاتے ہیں جب

رقم ہتھیائی جاوے اول روز پانچ

کے پانے کا نمبر درج کر دیا جاوے

تا کہ مہوت اس رقم کے دیکھنے

کی ضرورت ہو وے آسانی سے

دیکھ لیا جائے جیسا کہ نمونہ

نمبر ۲۰ میں کیا گیا ہے۔

دفعہ ۱۰ کہا ہے کہ ہتھیائی جانے کے

نئے دفعہ ۳ میں ذکر کیا گیا

ہے کہین وقت ہتھیانے کے

جو کہ ہتھیانے کے وقت

نے کے پانچوں اعضاء رجاتا ہے اور

ر اس سبکی رخی کے اور باد اوتکے

سدر کے بموجین کفر کے رجاتے

ڈالے جاویں اور فیر سونا سب ج

گھ ڈھو ڈ کر دوت رفا رجاتا پورا

نی بھییوں کا اور باد میں نہ بھ

یوں کا اور فیر اوتکے رجاتے

ہ سب ج رات بموجین کفر نامبر

ر کے ڈال لیں جو دے تیتا نامبر

ر میں واسے سامانہ کے سیرف چند

راتے ڈالے گسے ہے تے کین اس رات

تے بھئی میں ہ سب ج رات رجاتے ڈال

لیے جاویں -

د ف ج اس رجاتے بھئی سندر جے د ف ج بال

۳۰

میں رکھ مات راج نام نا بھئی نامبر ۹

تے رات لیا ڈے جاویں گی اور تیس سب ک

خرچ کے یعنی اول کہا ہے

اصلی خرچ کے اور بعد اسکے صدر

کے بموجب اوپر کے کہاتے

ڈالے جاویں اور پھر سب

جگہ چھوڑ کر دوت رفا کہاتے پورانی

بھیوں کا اور بعد میں تھی بھیوں کا

اور پھر اوتکے کہاتے حسب

فروت بموجب نمونہ نمبر اسکے

ڈال لیں جاویں تمہ نمونہ نمبر

میں واسے سمجھانے کے صرف

چند کہاتے ڈالے گئے ہیں کین

اس کہاتے بھی میں حسب فروت

کہاتے ڈال لیں جاویں -

اس کہاتے بھی مندرجہ وقتہ بالا

میں رومات روز نامچہ بھی نمبر

کے اہتیا کی جاویں گی اور سب ک

<p>हमाल में जारी कर दी जावे और जो</p>	<p>माल से जारी कर दिया और</p>
<p>आमदनी वरवर्च पालेन दैन चल्ता</p>	<p>आमदनी वरवर्च पालेन दैन चल्ता</p>
<p>तका हो वह इन बहियात में लि-</p>	<p>तका हो वह इन बहियात में लि-</p>
<p>खाजावे - बही नम्बर खाता -</p>	<p>खाजावे - बही नम्बर खाता -</p>
<p>इस खाता वही में अवल खाता ज-</p>	<p>इस खाता वही में अवल खाता ज-</p>
<p>माके सीगे वार बहचालानम्बर व-</p>	<p>माके सीगे वार बहचालानम्बर व-</p>
<p>जटके मुतवा तिर हस्व जसूरत मु-</p>	<p>जटके मुतवा तिर हस्व जसूरत मु-</p>
<p>नासिच जगह छोड़ छोड़ कर डाले</p>	<p>नासिच जगह छोड़ छोड़ कर डाले</p>
<p>जावे और हर एक सीगा के पेटे</p>	<p>जावे और हर एक सीगा के पेटे</p>
<p>में जो बजर में पेटे के सीगे काय-</p>	<p>में जो बजर में पेटे के सीगे काय-</p>
<p>म किये गये हैं उनके खाते भी</p>	<p>म किये गये हैं उनके खाते भी</p>
<p>हस्व जसूरत डाले जावे और खा-</p>	<p>हस्व जसूरत डाले जावे और खा-</p>
<p>द उसके मुनासिच जगह छो-</p>	<p>द उसके मुनासिच जगह छो-</p>
<p>डकर खाता सदर का खर ड-</p>	<p>डकर खाता सदर का खर ड-</p>

रत नामे या जमा लिखकर यह उ-

धन खाता दोनों बहियों में बराबर

कर दिया जावे और जिस रोज पि-

छने माल की मितो बंद की जावे उस

रोज कलू माल की बही की मितो में पि-

छने माल की बहियात का रुपया पो-

जा नकल का जमा कर लिया जावे

और पाती बहियों में जिस रोज मितो

की बंदे उसी रोज पोते का रुप-

या नकल के नाम बहवाला उस

रुपयान बहियों में

रुपयान लिखा जावे -

दफ्तार माल के माल पर पिछले

माल के माल माल पंद्रह दिन तक

माल के माल माल गुजि शता

माल के माल माल लिखे लिखा

माल के माल माल की बहियात

और तह नमै या मजबूत कर्तव्य

और तह कर्तव्य डोनो बहियों में

बराबर रोज जावे और जिस रोज

पिछले साल की मितो बंद की जावे

अस रोज जो साल की मितो बंद की

पिछले साल की मितो बंद की जावे

बाकी का मजबूत कर्तव्य

बहियों में जिस रोज मितो

की बंदे उसी रोज पोते का रुप-

या नकल के नाम बहवाला उस

रुपयान बहियों में

रुपयान लिखा जावे -

दफ्तार माल के माल पर पिछले

माल के माल माल पंद्रह दिन तक

माल के माल माल गुजि शता

माल के माल माल लिखे लिखा

माल के माल माल की बहियात

दफ्तार

माल के माल माल पंद्रह दिन तक

किञ्चित्कर तपयों की जरूरत हो

वे या जिस कदर मुनासिब तम-

का जावे पिछले साल के पोताके

उधरत जमा कर कर रूपया ले-

लिया जावे और पिछले साल की ब-

हियात में नए साल के पोताके

उधरत नामे लिख दिया जावे और

रइसीतरह से अगर गुजि प्रतासा

लकी बहियात में रुपये की जरूर-

त होवे तो नए साल के पोताके

उन बहियों में जमा कर करत-

गया हस्ब जरूरत से लिया जा

वे और चलू साल की बहियात में

पिछले सालके पोताके उधरतना

मे नित्यकर दे दिया जावे और ज-

ब पंद्रह तेज मुकदिराफ नारद मि-

नी बंद की जावे नब पोताके उध-

नबुदिन तो जाये है कि हस्ब जरूरत

की जरूरत होवे या हस्ब जरूरत

बिभा जावे और पिछले साल के

पोताके उधरत जमा कर कर रूपया

ले लिया जावे और पिछले साल

की बहियात में नए साल के पोताके

उधरत नामे लिख दिया जावे और

रइसीतरह से अगर गुजि प्रतासा

लकी बहियात में रुपये की जरूर-

त होवे तो नए साल के पोताके

उन बहियों में जमा कर करत-

गया हस्ब जरूरत से लिया जा

वे और चलू साल की बहियात में

पिछले सालके पोताके उधरतना

मे नित्यकर दे दिया जावे और ज-

ब पंद्रह तेज मुकदिराफ नारद मि-

नी बंद की जावे नब पोताके उध-

बाद پندرہ روز کے مہتی بند کر کے  
 جو پلوہ باقی ہو وہ چلو سال کی بہت  
 میں جمع کر لیجی و سے اور اسکے  
 بعد جو جمع خرچ سال گذشتہ کا  
 ہو و سے وہ چلو سال کی بہت  
 میں جمع کیا جاوے -

بعد پندرہ روز کے مہتی بند کر کے  
 جو پلوہ باقی ہو وہ چلو سال کی بہت  
 میں جمع کر لیجی و سے اور اسکے  
 بعد جو جمع خرچ سال گذشتہ کا  
 ہو و سے وہ چلو سال کی بہت  
 میں جمع کیا جاوے -

۳۳  
 سال آخر پر پندرہ روز تک بوجیب  
 دفعہ بالا کے پورانی بیہون میں مہتی  
 کبھی کبھی جاسکتی ہے لیکن سرنے  
 پر مہتی چیت بدی اما دس کی لگی  
 رہیگی جو پندرہ روز تک لیں مین  
 ہو گا وہ بجا الہ ہر ایک مہتی کے اسی  
 حساب میں لکھنا جاوے گا -

سال آخر پر پندرہ روز تک بوجیب  
 دفعہ بالا کے پورانی بیہون میں مہتی  
 کبھی کبھی جاسکتی ہے لیکن سرنے  
 پر مہتی چیت بدی اما دس کی لگی  
 رہیگی جو پندرہ روز تک لیں مین  
 ہو گا وہ بجا الہ ہر ایک مہتی کے اسی  
 حساب میں لکھنا جاوے گا -

۳۴  
 اگر چلو سال میں خرچ کے لئے  
 روپیہ کی ضرورت ہو و سے  
 اور اس سال کے روپیہ ضرورت  
 سے کم ہو وین یا بالکل موجود

اگر چلو سال میں خرچ کے لئے  
 روپیہ کی ضرورت ہو و سے  
 اور اس سال کے روپیہ ضرورت  
 سے کم ہو وین یا بالکل موجود

<p>۳۲ میں جی کر کیا گیا ہے لے کر</p>	<p>دفعہ ۲۲ میں ذکر کیا گیا ہے لیکن</p>
<p>ن رکھنا اور رقبہ کے لیے اس لیے</p>	<p>رقومات خرچ کے صرف اصلی <sup>صندوق</sup></p>
<p>میں وہی جمار رقبہ کیے جاویں گے</p>	<p>میں وہی جمع خرچ کے جاوین گے جو</p>
<p>مندر جی تین ہی ہیں اور جین کو بیل</p>	<p>مسند رقبہ تمہ ہوں اور چنگو بلا منظور</p>
<p>مندر جی رقبہ کرنے کی ممانعت نہ ہو</p>	<p>خرچ کرنے کی ممانعت نہ ہو یا بعد</p>
<p>یا بعد میں جین کی مندر جی حاصل ہو</p>	<p>میں جی منظور حاصل ہو گئی ہو</p>
<p>ہو گا اور ان کے باقی رقبہ کو</p>	<p>علاوہ اسکے باقی رقبہ کو</p>
<p>خرچ کر کے اور رقبہ خرچ کر کے</p>	<p>کی ہووین اور رقبہ خرچ کر کے</p>
<p>رقبہ کو اور بعد میں مندر جی</p>	<p>جاوین اور بعد حاصل کرنے منظور</p>
<p>کے بجاوے نمبر و تاریخ منظور کے</p>	<p>کے بجاوے نمبر و تاریخ منظور کے</p>
<p>اپنے اپنے اصلی صندوق میں</p>	<p>اپنے اپنے اصلی صندوق میں</p>
<p>خرچ کر کے اور رقبہ خرچ کر کے</p>	<p>خرچ کر کے اور رقبہ خرچ کر کے</p>
<p>میں وہی جمار رقبہ کیے جاویں گے</p>	<p>میں وہی جمع خرچ کے جاوین گے</p>
<p>مندر جی تین ہی ہیں اور جین کو بیل</p>	<p>مسند رقبہ تمہ ہوں اور چنگو بلا منظور</p>
<p>مندر جی رقبہ کرنے کی ممانعت نہ ہو</p>	<p>خرچ کرنے کی ممانعت نہ ہو یا بعد</p>
<p>یا بعد میں جین کی مندر جی حاصل ہو</p>	<p>میں جی منظور حاصل ہو گئی ہو</p>
<p>ہو گا اور ان کے باقی رقبہ کو</p>	<p>علاوہ اسکے باقی رقبہ کو</p>



میں کیا گیا ہے اور نمونہ ہذا میں

واستے سمجھانے کے صرف جمع

خرچ میں روزہ کیا گیا ہے اسی

طرح سے تمام مہینے کا کیا جاویں

سرکاری خرچ پر جو سو روغیرہ نہیں

پر جاوے اس کے لئے اور مووی

کی جنس کی خرید کے لئے دورہ کے

خرچ وغیرہ کے لئے جو روپیہ

دیا جاوے وہ اوروں کے نام لکھا

جاوے اور جب اس کا حساب

داخل کیا جاوے تو اور تھوڑے

ہو کر اصلی خرچ کے مستحق ہیں

کیا جاوے جیسے نمونہ نمبر ۱

میں کیا گیا ہے۔

میں کیا گیا ہے اور نمونہ ہذا میں

واستے سمجھانے کے صرف جمع

خرچ میں روزہ کیا گیا ہے اسی

طرح سے تمام مہینے کا کیا جاویں

سرکاری خرچ پر جو سو روغیرہ نہیں

پر جاوے اس کے لئے اور مووی

کی جنس کی خرید کے لئے دورہ کے

خرچ وغیرہ کے لئے جو روپیہ

دیا جاوے وہ اوروں کے نام لکھا

جاوے اور جب اس کا حساب

داخل کیا جاوے تو اور تھوڑے

ہو کر اصلی خرچ کے مستحق ہیں

کیا جاوے جیسے نمونہ نمبر ۱

میں کیا گیا ہے۔

دفعہ ۳۰

دفعہ ۳۱

جو تو مات اصلی جمع یا خرچ تھوڑے  
نہیں تقسیم کے ہووے وہ اصل  
سیڈوں میں جمع خرچ کرنے کے

کین سال انگریز حکومت باقی

باقی رہ جائیں ان کے کل کا مجموعہ اس میں

میں اس طرح کر لیا جاوے کہ وہ

رقومات آدنی میں صدیقہ وار

جمع کر کے نئے یعنی آئندہ سال

کی بیسیات کے نام لکھ کر اسکے پیٹے

میں دیہہ واریا سامی وار مفصل

درج کر لیا جاوے جیسا کہ نمونہ

نمبر ۱ میں لکھی ہے۔

جیلخانہ کے قیدیوں کی خوراک

اور ٹولہ کے اسپان کے

روزانہ وغیرہ کے خرچ کا حساب

روزانہ کی بیسیات

میں لکھ کر جمع کر لیا جائے

کیا جانے ان بیسیات سے

میں سے

کی جانے

لیکن سال انگریز حکومت باقی

رہ جائیں ان کے کل کا مجموعہ اس میں

میں اس طرح کر لیا جاوے کہ وہ

رقومات آدنی میں صدیقہ وار

جمع کر کے نئے یعنی آئندہ سال

کی بیسیات کے نام لکھ کر اسکے پیٹے

میں دیہہ واریا سامی وار مفصل

درج کر لیا جاوے جیسا کہ نمونہ

نمبر ۱ میں لکھی ہے۔

جیلخانہ کے قیدیوں کی خوراک

اور ٹولہ کے اسپان کے

روزانہ وغیرہ کے خرچ کا حساب

روزانہ کی بیسیات

میں لکھ کر جمع کر لیا جائے

کیا جانے ان بیسیات سے

میں سے

کی جانے

۲۹

देहे धार जमावं रक्च रकम वउगा-

ही की बहियात में जिसका जिक्र

फिर होगा किया जावे और इस वही

में से सी रकमातरकम वउगा ही की

बहियात के नाम से दर्ज कर ली जावे

और उसके पेटे में कुल तफसील दर्ज

कर दी जावे जैसा कि नमूना न-

म्बर ९ में किया गया है -

दफ्तर  
२८ रकमात माल मिसल बन्धा सरदार

न वजरठे का देहात खालसा वजकात

वगैर: जो सालाना सदर से कायम हो

कर फिर लिख आवे उत्तकाग्नवल

जमा रक्च तो बहियात रकम वउगा ही

में होगा कि जिसका जिक्र मद् पाचवीं

में किया जावेगा और इस वही में सबल

जो रकमात वतन होंगी तिक्र वही

उत्तली सीमे में जना की जावेगी ले-

दीये वारिज वरिज रकम वउगा ही

की बीयात में जिसका जिक्र

किया जावे और इस बीयात

रकमात रकम वउगा ही की बीयात

के नाम से दर्ज कर ली जावे

और उसके पेटे में कुल तफसील दर्ज

कर दी जावे जैसा कि नमूना न-

म्बर ९ में किया गया है -

रकमात माल मिसल बन्धा सरदार

न वजरठे का देहात खालसा वजकात

वगैर: जो सालाना सदर से कायम हो

कर फिर लिख आवे उत्तकाग्नवल

जमा रक्च तो बहियात रकम वउगा ही

में होगा कि जिसका जिक्र मद् पाचवीं

में किया जावेगा और इस वही में सबल

जो रकमात वतन होंगी तिक्र वही

उत्तली सीमे में जना की जावेगी ले-

दीये वारिज वरिज रकम वउगा ही

की बीयात में जिसका जिक्र

جمع کر کے جن جن اسمیاں میں  
 جما کر کے جین جین آسا میاں  
 میں باقی ہوں ان کے نام لیر بنا چا- اور  
 ہویے اور جو بھیا ت سال گوجرنا  
 جو بہیات سال گذشتہ میں کیکا  
 میں کیتی کا دینا ہو تو بھیا ت سال میں  
 دینا ہو تو بہیات سال حال میں  
 حال میں ان پھلے سال کی باقی کے  
 ان پھلے سال کی باقی کے نام لکھ کر  
 نام لیر کر ان شارب سے کے نام سے  
 ان شخصوں کے نام سے جمع  
 کیا جاتا ہے۔

دفعہ  
 ۲۴

جو کہ دفعہ بالا میں کچھ پیسوں کے  
 جو کہ دفعہ بالا میں کچھ پیسوں کے  
 یوں کے لین دین کا جمار بھری آسامی  
 لین دین کا جمع خرچ آسامی اور  
 بار تھریر کرنے کے لیے دیکھا گیا  
 تحریر کرنے کے لئے خرچ کیا گیا ہے  
 گیا ہے لیکن رعومات مال کی بقایا اکثر  
 لیکن رعومات مال کی بقایا اکثر  
 یا بکتر دے ہات میں رہا کرتی ہے اور  
 دیہات میں رہا کرتی ہے اور  
 اور ہر سکہ دے کا پھل ہدا پھل  
 ہر ایک دیہہ کا علیحدہ علیحدہ  
 ہدا پھل ہدا پھل سے ان بہیات  
 بہیات دانتے سے ان بہیات  
 ت میں کار و بار دیکھ آجیگی اور  
 میں پھر روٹی پیر میا دیگی اور  
 تھاری دیکھ کر پھار کرنے  
 باجوری حساب تیار کرنے  
 میں ہر وقت ہونے والے انکا  
 میں دیکھ کر ہر وقت ہونے والے انکا

५में रहेगा जिसमें स्वाम्य क्रोररत्त शु

दाकी तादाद मज्ज की मत लिखी जा.

वेगी उसका मुकादला रोज मरहनम्व

१९ जिसमें से पोता बाकी स्वाम्य रोज

मरिह का निकाले तावे कि पाजा.

वेगा और जो स्वाम्य वमूजिन द-

कृष्ण ५५ के बेचा जावे उसकी की

मत असली सीगा आमदनी स्वाम्य

में जमा करली जावे -

दफ्त  
= ६

जोफिसी कालेना था देना साल गुनि

रतामें रहा और उसका जमायवे

रस बल्साल यानी साल रंगकी न.

ही ने किया आगे गो दृ रकु मया

जान बरिपाला रगल मुक्ति रगोमि

में से लेगी बाकी रंगो म दृ रकु मया

जिसमें रंगो म दृ रकु मया

रमिका जमिन अस्तासि फु

दे की तादाद मज्ज की मत लिखी जा.

का मुकदमा रोज मरहनम्व

मिन से पोता बाकी स्वाम्य रोज

मरिह का निकाले तावे कि पाजा.

वेगा और जो स्वाम्य वमूजिन द-

कृष्ण ५५ के बेचा जावे उसकी की

मत असली सीगा आमदनी स्वाम्य

में जमा करली जावे -

जोफिसी कालेना था देना साल गुनि

रतामें रहा और उसका जमायवे

रस बल्साल यानी साल रंगकी न.

ही ने किया आगे गो दृ रकु मया

जान बरिपाला रगल मुक्ति रगोमि

में से लेगी बाकी रंगो म दृ रकु मया

जिसमें रंगो म दृ रकु मया

अलावह रकूमात मुंदरजैद फ० प्र० २२

व० २३ के जो रुपया किसी को पेश-

गी दिया जावे या किसी का प्रमानत

जमा किया जावे तो उसका जमा रच

उसके नामसे बहवाला उधरत के व

मूजिवन मूना नम्बर १ के किया जावे

लेकिन जो रकूमात असली सीगा आम

दनीकी होवे वह जहां तक हो सके उ

धरत जमा नकी जावे क्योंकि उध-

रत में जमा करने में फिर दुबारा

जमा रच करना पड़ता है -

जो ताम्य तहसीलात में सदर से प्रा

वे बह असली सीगे में जमा करे

और रोज मरह पोता बाकी में नि

कालें जैसा कि नकद का जमा र

च किया जाता है और ताम्य का त

फतील बार जमा रच नही नम्बर

علاوه رقومات سدرجه دفعه ۲۲

و ۲۳ کے جو روپیہ کسی کو پیشگی

دیا جاوے یا کسی کا مانٹا جمع

کیا جاوے تو اسکا جمع خرچ

اسکے نام سے بجوار اودتھ کے

بموجب نمونہ نمبر ۱ کے کیا جاوے

لیکن جو رقومات اصلی سینو مدنی

کی ہووے وہ جہا تک ہو

اودتھ جمع نکی جاوے کیونکہ

اودتھ میں جمع کرنے میں پھر

دوبارہ جمع خرچ کرنا پڑتا ہے

جو اسامیہ تخیلات میں صدر

سے آوے وہ اصلی سینو میں

جمع کریں اور رومہ بطور باقی

میں نکالیں جیسا کہ نقد کا جمع خرچ

کیا جاتا ہے اور اسامیہ

کا تفصیل وار جمع خرچ بھی نمبر

५में रहेगा जिसमें स्ताम्प फ़रोर हू  
 दाकी तादाद मज़ कीमत लिखी जा-  
 वेगी उसका मुकाबला रोज़ मरहम  
 २१ जिसमें से पोता बाकी स्ताम्प रोज़  
 मरहम कानिकाले जावे किया जा-  
 वेगा और जो स्ताम्प वसूजिब द-  
 फ़ ५५ के बेचा जावे उसकी की-  
 मत असली सीगा आमदनी स्ताम्प  
 में जमा करली जावे -

میں رہیگا جس میں اسٹامپ فرو  
 شدہ کی تعداد مع قیمت لکھی جائیگا  
 اسکا مقابلہ روزمرہ بھی نہیں  
 جس میں سے پوٹہ باقی اسٹامپ  
 روزمرہ نکالے جاوین کیا جایا  
 کرے گا اور جو اسٹامپ بموجب  
 دفعہ ۵۵ کے بیچا جاوے اسکی  
 قیمت اصلی صیفہ آمدنی اسٹامپ  
 میں جمع کر لیجاوے

دफ़ ۲۶

जो किसी कालेना या देना साल गुजि  
 रतामें रहा हो और उसका जमा खचे  
 दस बलू साल यानी साल रवांकी व-  
 ही में किया जावे तो वह रकू ममा  
 अगर कौनयान साल गुजि रतामें कि-  
 सी में लेनी बाकी हो तो दस बलू पा-  
 नी साल रवांकी दईने पूराने पने  
 साल गुजि रता की बड़ी की बाकी से

جو کسیکالینا یا دینا سال گذشتہ  
 میں رہا ہو اور اسکا جمع خرچ اس  
 چلو سال یعنی سال روان کی ہی  
 میں کیا جاوے تو وہ رقمات  
 اگر بہیات ساگذشتہ میں کسی  
 میں یعنی باقی ہو تو اس چلو یعنی  
 سال روان کی ہی میں پورانے  
 یعنی ساگذشتہ کی ہی باقی سے

بھلا وہ رقمات مندرجہ ذیل پر ۲۲

۲۳ کے جو روپیہ کسی کو پیش

دی یا جاوے یا کسی کا پیمانہ

جما کیا جاوے تو اس کا جمع خرچ

اس کے نام سے بحوالہ اودھ کے

بموجب نمونہ نمبر ۱ کے کیا جاوے

لیکن جو رقمات اصلی سینڈر

کی ہووے وہ جہا تک ہو

اودھ جمع نکی جاوے کیونکہ

اودھ میں جمع کرنے میں پھر

دوبارہ جمع خرچ کرنا پڑتا ہے

جو اسٹامپ تفصیلات میں صدر

سے آوے وہ اصلی صلیغہ میں

جمع کرن اور رورہ بوطہ باقی

میں نکالین جیسا کہ نقد کا جمع خرچ

کیا جاتا ہے اور اسٹامپ

تفصیل وار جمع خرچ بھی نمبر

۲۲

و ۲۳ کے جو روپیہ کسی کو پیش

دیا جاوے یا کسی کا پیمانہ جمع

کیا جاوے تو اس کا جمع خرچ

اس کے نام سے بحوالہ اودھ کے

بموجب نمونہ نمبر ۱ کے کیا جاوے

لیکن جو رقمات اصلی سینڈر

کی ہووے وہ جہا تک ہو

اودھ جمع نکی جاوے کیونکہ

اودھ میں جمع کرنے میں پھر

دوبارہ جمع خرچ کرنا پڑتا ہے

جو اسٹامپ تفصیلات میں صدر

سے آوے وہ اصلی صلیغہ میں

جمع کرن اور رورہ بوطہ باقی

میں نکالین جیسا کہ نقد کا جمع خرچ

کیا جاتا ہے اور اسٹامپ

تفصیل وار جمع خرچ بھی نمبر



५ में रहेगा जिसमें स्वाम्य फ़रोर हू

दाकी तादाद मज़ कीमत लिखी जा.

वेगी उसका मुकाबला रोज़ मरहम

२१ जिसमें से पोता बाकी स्वाम्य रोज़

मरह का निकाले जावे किया जा.

वेगा और जो स्वाम्य व मूजिब द-

फ़ ५५ के बेचा जावे उसकी की

मत असली सीगा आमदनी स्वाम्य

में जमा कर ली जावे -

दफ़्तर जो किसी कालेना या देना साल गुज़ि  
२६

शतामें रहा हो और उसका जमा खर्चे

इस चलू साल यानी साल रवां की व-

ही में किया जावे तो वह रकू साल

अगर वहियात साल गुज़ि शतामें कि

ती में लेनी बाकी हो तो इस चलू पा-

नी साल रवां की वही में पुगाने पनी

साल गुज़ि शता की वही की बाकी को

میں رہیگا جس میں اسٹامپ فرو

شدہ کی تعداد مع قیمت لکھی جائیگی

اسکا مقابلہ روزمرہ بھی نہیں

جس میں سے پوطہ باقی اسٹامپ

روزمرہ نکالے جاوین کیا جایا

کرے گا اور جو اسٹامپ بموجب

دفعہ ۵۵ کے بیچا جاوے اسکی

قیمت اصلی صلیفہ آمدنی اسٹامپ

میں جمع کر لیا جاوے

جو کسیکالینا یا دینا سال گذشتہ

میں رہا ہو اور اسکا جمع خرچ اس

چلو سال یعنی سال روان کی ہی

میں کیا جاوے تو وہ رقومات

اگر بہیات سال گذشتہ میں کسی

میں یعنی باقی ہو تو اس چلو یعنی

سال روان کی ہی میں پورے

گذشتہ کی ہی کی باقی کو

शलावह रकूमात मुंदर जेद फ. प्र. २२

२२ के जो रुपया किसी को पेश-

गीदिया जावे या किसी का प्रमानत न

जमा किया जावे तो उसका जमा रच

उसके नाम से बहवाला उधरत के ब

मूजिन मूना नम्बर ९ के किया जावे

लेकिन जो रकूमात असली सीगा ग्राम

रनी की होवे वह जहां तक हो सके उ-

धरत जमा नकी जावे क्योंकि उध-

रत में जमा करने में फिर दुबारा

जमा रच करना पड़ता है -

जो स्ताम्प तह सीलात में सदर से प्रा

वे बह असली सीगे में जमा करे

और रोज मरह पोता बाकी में नि

काले जैसा कि नयाद का जमान

वे किया जाता है और स्ताम्प का त

इस बार जमा रच बहवाला

खलावह रकूमात मुंदर जेद फ. प्र. २२

२३ के जो रुपया किसी को पेश

दिया जावे या किसी का प्रमानत न

जमा किया जावे तो उसका जमा रच

उसके नाम से बहवाला उधरत के ब

मूजिन मूना नम्बर ९ के किया जावे

लेकिन जो रकूमात असली सीगा ग्राम

रनी की होवे वह जहां तक हो सके उ-

धरत जमा नकी जावे क्योंकि उध-

रत में जमा करने में फिर दुबारा

जमा रच करना पड़ता है -

जो स्ताम्प तह सीलात में सदर से प्रा

वे बह असली सीगे में जमा करे

और रोज मरह पोता बाकी में नि

काले जैसा कि नयाद का जमान

वे किया जाता है और स्ताम्प का त

इस बार जमा रच बहवाला

रफू  
२३

रफू  
१०

खलावह रकूमात मुंदर जेद फ. प्र. २२  
२३ के जो रुपया किसी को पेश  
दिया जावे या किसी का प्रमानत न  
जमा किया जावे तो उसका जमा रच  
उसके नाम से बहवाला उधरत के ब  
मूजिन मूना नम्बर ९ के किया जावे  
लेकिन जो रकूमात असली सीगा ग्राम  
रनी की होवे वह जहां तक हो सके उ-  
धरत जमा नकी जावे क्योंकि उध-  
रत में जमा करने में फिर दुबारा  
जमा रच करना पड़ता है -  
जो स्ताम्प तह सीलात में सदर से प्रा  
वे बह असली सीगे में जमा करे  
और रोज मरह पोता बाकी में नि  
काले जैसा कि नयाद का जमान  
वे किया जाता है और स्ताम्प का त  
इस बार जमा रच बहवाला

५ में रहेगा जिसमें स्ताम्प फ़रोर शु

दाकी तादाद मज़ कीमत लिखी जा

वेगी उसका मुकाबला रोज़ मरहमब

२९ जिसमें से पोता बाकी स्ताम्प रोज़

मरह का निकाले जावे किया जा

वेगा और जो स्ताम्प बमूजिब द-

फ़ ५५ के बेचा जावे उसकी की

मत असली सीगा आमदनी स्ताम्प

में जमा कर ली जावे -

दफ़्तर जो किसी कालेना या देना साल गुजि  
२६

शता में रहा हो और उसका जमा खर्च

इस चलू साल यानी साल रवां की च-

ही में किया जावे तो वह रकू मात

अगर बहियात साल गुजि शता में कि

सी में लेनी बाकी हो तो इस चलू पा-

नी साल रवां की वही में पुराने पत्तो

साल गुजि शता की वही की बाकी को

میں رہیگا جس میں اسٹامپ فرو

شدہ کی تعداد معتمیت لکھی جاگی

اسکا مقابلہ روزمرہ ہی نمبر

جس میں سے پوٹہ باقی اسٹامپ

روزمرہ نکالے جاوین کیا جایا

کر گی اور جو اسٹامپ بموجب

دفعہ ۵۵ کے بیچا جاوے اسکی

قیمت اصلی صیفہ آمدنی اسٹامپ

میں جمع کر لیجاوے

جو کسیکالینا یا دینا سال گذشتہ

میں رہا ہو اور اسکا جمع خرچ اس

چلّو سال یعنی سال روان کی ہی

میں کیا جاوے تو وہ رقمات

اگر ہیات سال گذشتہ میں کسی

میں یعنی باقی ہو تو اس چلّو یعنی

سال روان کی ہی میں پورے

گذشتہ کی ہی کی باقی کو

رقم  
۳۶



५ में रहेगा जिसमें स्ताम्य फ़रोर शु

दा की तादाद मज़ कीमत लिखी जा

वेगी उसका मुकाबला रोज़ मरहम

२१ जिसमें से पोता बाकी स्ताम्य रोज़

मरह का निकाले जावे किया जा

वेगा और जो स्ताम्य व मूजिब द

फ़ ५५ के बेचा जावे उसकी की

मत असली सीगा आमदनी स्ताम्य

में जमा कर ली जावे -

दफ़्तर २६ जो किसी कालेना या देना साल गुज़ि

स्तामें रहा हो और उसका जमा खे

इस चलू साल यानी साल रवांकी ब

ही में किया जावे तो वह रक़ मात

میں رہیگا جس میں اسٹامپ فرو

شدہ کی تعداد و معرہ قیمت لکھی جا

اسکا مقابلہ روزمرہ بھی ثب

جس میں سے پوٹہ باقی اسٹامپ

روزمرہ نکالے جاوین کیا جایا

کرینگا اور جو اسٹامپ بموجب

دفعہ ۵۵ کے بیچا جاوے اسکی

قیمت اصلی صیفہ آمدنی اسٹامپ

میں جمع کر لیجاوے

فہم جو کسی کالینا یا دینا سال گذشتہ

میں رہا ہو اور اسکا جمع خرچ اس

چلو سال یعنی سال روان کی ہی

کے کیا جاوے تو وہ رقمات



تندر میں ہرگز نہیں نیا لیا گیا ہے کہ	خود سے حکم میں کہا جا کرے کہ
جنہ کلام میں نیا لیا گیا ہے اس قدر	فلسفے میں لیا گیا ہے اس قدر
انہا کی وجہ سے کہ کلام میں نیا لیا گیا ہے	میں کیا جاوے یا کئی کسب خاص
مکالمہ میں انہا کی وجہ سے کہ	مکالمہ میں میں کیا جاوے اور
مگر ہرگز نہیں نیا لیا گیا ہے	کہ حکم میں اس میں یہ کہا گیا ہو
یا کئی کسب خاص کے لیے کہ کلام میں	اور اس کے لیے کہ کسب کے لیے
نیا لیا گیا ہے کہ کلام میں	باقی ہوں تو نیا لیا گیا ہے کہ
نیا لیا گیا ہے کہ کلام میں	نئے رپوش کر کے حکم حاصل
نیا لیا گیا ہے کہ کلام میں	کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ
نیا لیا گیا ہے کہ کلام میں	میں کرنے میں سانس نہ ہوا کہ
نیا لیا گیا ہے کہ کلام میں	مکالمہ میں روپیہ میں کیا گیا ہو

لکھا جاوے اور جو بال بالی  
 پر بہارہ جمع خرچ ہووے وہ  
 بھی اس ہی میں روزمرہ کیا جاوے  
 اس ہی میں روزمرہ سے بند کر کے  
 پورے باقی نکال کے دستخط  
 اپنے کر کے تصدیق لے لیا اسکی  
 جو کام ختم ہوتا ہووے اس  
 دستخط لے لیا اسے اسکی کارروائی  
 بموجب نمونہ نمبر انسٹیکٹ  
 بڑائی کی جاوے -  
 جب کسی گانہ یا شاہنامی میں  
 کئی قسم کے مشاہیر باقی ہووے  
 اور گانہ یا شاہنامی کا  
 کرنے کے لیے تصدیق لے لیا  
 دیر سے تو دستخط چاہئے کہ وہ  
 روپیہ جس سے مشاہیر میں  
 ہتھیار کیا کرنا چاہئے

لکھا جاوے اور جو بال بالی  
 پر بہارہ جمع خرچ ہووے وہ  
 بھی اس ہی میں روزمرہ کیا جاوے  
 اس ہی میں روزمرہ سے بند کر کے  
 پورے باقی نکال کے دستخط  
 اپنے کر کے تصدیق لے لیا اسکی  
 جو کام ختم ہوتا ہووے اس  
 دستخط لے لیا اسے اسکی کارروائی  
 بموجب نمونہ نمبر انسٹیکٹ  
 بڑائی کی جاوے -  
 جب کسی گانہ یا شاہنامی میں  
 کئی قسم کے مشاہیر باقی ہووے  
 اور گانہ یا شاہنامی کا  
 کرنے کے لیے تصدیق لے لیا  
 دیر سے تو دستخط چاہئے کہ وہ  
 روپیہ جس سے مشاہیر میں  
 ہتھیار کیا کرنا چاہئے



مہدیشیشو مہسٹا جیمان کی ہاجی رینی

سکے موت لیکر سکے بھونمبر ۱۲ ہے۔

مہدہ کوم موت فریکہ لیکر سکے موت

لیکری تین دہیا ت و سکے ریکسٹر

ہسٹو جیل ہے۔

بھی نمبر ۱۳ نکل ت ندادت۔

بھی نمبر ۱۴ یاد دہا ت۔

بھی نمبر ۱۵ نکل کام جاتا رکان

مہی۔ نمبر ۱۶ ریکسٹر رکان مہی کام جاتا۔

مہدہ بھول کار ریکسٹر مہار

دکھ ۱۲ اس مہد کے موت لیکر دہیا ت

رکان مہد ہے۔ بھی نمبر ۱۷ رکان مہد

مہد بھی نمبر ۱۸ رکان۔

دکھ ۱۳ بھی نمبر ۱۹ رکان مہد

رکان مہد ہے۔ بھی نمبر ۲۰ رکان مہد

رکان مہد ہے۔ بھی نمبر ۲۱ رکان مہد

رکان مہد ہے۔ بھی نمبر ۲۲ رکان مہد

مہد ششم ملا زمان کی حاضری ہے

متعلق ایک ہی نمبر ۱۲ ہے۔

مہد ہفتم متفرقات کے متعلق تین

بھیات و ایک ریکسٹر

ذیل میں۔

بھی نمبر ۱۳ نقل سندت۔

بھی نمبر ۱۴ یادداشت۔

بھی نمبر ۱۵ نقل کاغذات رکان

نمبر ۱۶ ریکسٹر رکانی کاغذات۔

مداول کارروائی جمع خرچ

اس مہد کے متعلق دو بھیات

رکانی ہیں۔ بھی نمبر ۱۷ رکان

اور بھی نمبر ۱۸ کہات۔

بھی رکان مہد اس بھی میں نقد

رکان مہد جو مہا جاوے یا رکان

رکان مہد جمع خرچ رکان مہد

رکان مہد اور رکان مہد

رقم ۱۸

رقم ۱۹

(۲۸)

رکن ک شاہی -

ہجرت کا نمبر ۳ - رکن شاہی ماہوار

مذہب کا نمبر ۱ -

مذہب سوامی سوامی کی فروری

کے لئے ایک ہی نمبر ۲ ہے -

مذہب چاروں مہینوں کے لئے

بھی نمبر ۳ کے لئے

بھی نمبر ۴ کے لئے

بھی نمبر ۵ کے لئے

بھی نمبر ۶ کے لئے

بھی نمبر ۷ کے لئے

بھی نمبر ۸ کے لئے

بھی نمبر ۹ کے لئے

بھی نمبر ۱۰ کے لئے

بھی نمبر ۱۱ کے لئے

بھی نمبر ۱۲ کے لئے

نقشہ ہے -

بھی نمبر ۱۳ - نقشہ ماہوار

بھی نمبر ۱۴ -

بھی نمبر ۱۵ -

بھی نمبر ۱۶ -

بھی نمبر ۱۷ -

بھی نمبر ۱۸ -

بھی نمبر ۱۹ -

بھی نمبر ۲۰ -

بھی نمبر ۲۱ -

بھی نمبر ۲۲ -

بھی نمبر ۲۳ -

بھی نمبر ۲۴ -

بھی نمبر ۲۵ -

بھی نمبر ۲۶ -

यानी जिस कदर रूप या वस्तुत्व वगै

یعنی بقدر روپیہ و اسٹامپ

र: पोता होवे वह संमाल लिया क-

و غیرہ پوطلہ ہووے وہ سنبھال

रे-

لیا کرے -

फ़सल दोम कार रवाई

فصل دوم کارروائی

दफ़र हिन्दी

دفتر ہندی

दफ़र  
१०

तहसीलात के दफ़र हिन्दी की कार-

تخصیلات کے دفتر ہندی کی

रवाई सात मद्यों में तक सीम की-

کارروائی سات مدوں میں تقسیم

जाती है कुल चौदह बहियात व

کیجاتی ہے کل چودہ بہیات و

एक रजिस्टर व एक नक्शा ह-

ایک رجسٹر و ایک نقشہ

स्वजैल मद्दार रक्वे जावेगे-

حسب ذیل مدوار رکھے جاویں گے

मद्दख्त कार रवाई जमा रक्चे

مداول کارروائی جمع خرچ جسکے

जिसके तम्र ल्लुक दो व हियात-

تعلق دو بہیات -

वही नम्बर १ रोज नामचाव वही न-

بھی نمبر ۱ روز نامچہ و بھی نمبر ۲

न्बर २ खाता - ह -

کہاتہ - ہین

मद्द दोयम हिमाय माद्वारी वग्रांक

مد دوم حساب ماہواری و انگرہ

इ सालानानव्या करने करेनेके

سالانہ ظیاء کرنے اور بھنجے کا

मद्द करेनेके मद्द करेनेके मद्द करेनेके

ظریقہ جسکے متعلق ایک بھی

تو جی مکتی پوتا جاکی نیکال۔

جاوینگے اور روتی ہو پڑے گی

نہ میں ہڈے لے دوں گا و بھلے لے دوں گا

تھا لے میں بڑی سندھو و پتو

وہ تپ دے ازل ہوا ازل ہوا

سندھو کے روپہ علیحدہ ہو

تو جاوینگے۔

لگے جاوینگے۔

۱۹۴۵  
۲۹  
مذہبیوں کو بائبل کی کتاب

تھی سیدار کو چاہئے کہ کسی

۱۹۴۵  
۱۹

کبھی مرنے کی فکر نہ کرے

سکاری کام کے کسب کرتے

تو جانے نہ رہے یا نہ دیکھنے میں

سے روپیہ نہ لائے اور

کسی کام کے لئے نہ پڑے

سے ہی نہیں

تو پھر اسے نہ کہتے کہ

روپیہ بہت ضرور

تو پھر اسے نہ کہتے کہ

ہر دے تو اسے

دیکھتے ہیں اس کا

رہو دے اور

تو پھر اسے نہ کہتے کہ

یکے میں نہیں

تو پھر اسے نہ کہتے کہ

پہلے نہ ہو

تو پھر اسے نہ کہتے کہ

کی چیز

۱۹۴۵  
۳۴  
مذہبیوں کو بائبل کی کتاب

تو پھر اسے نہ کہتے کہ

۱۹۴۵  
۳۴

تو پھر اسے نہ کہتے کہ

تو پھر اسے نہ کہتے کہ

تو پھر اسے نہ کہتے کہ

تو پھر اسے نہ کہتے کہ

मंजूर कर लिया हो -

منظر کر لیا ہو -

दफ्तार २४ स्वज्ञानची की कुंजी

خزانچی کی سپردگی میں ایک ہزار پانسو

सौ रुपये से ज़यादहन रकवे जावेंगे जो

रुپیہ سے زیادہ نہ رکھے جاوینگے

रुपया इस तादाद से ज़यादह होवे वह

جو روپیہ اس تعداد سے زیادہ

दूसरे संदूक में रकवे जावेंगे जिसे

ہو دے وہ دوسرے صندوق

दो ताले लगाये जावेंगे एक ताले

میں رکھے جاوین گے جسکے دو

की कुंजी अफसर स्वज्ञाने के पास

ताले لگائے जाوین گے

और दूसरे ताले की कुंजी स्व-

ایک تالے کی کنجی افسر خزانہ

ज्ञानची के पास रहा करेगी और

के पास اور دوسرے تالے

र जब जरूरत इस संदूक

کی کنجی خزانچی کے پاس رہا کرے

में से रुपया वास्ते चलूरवर्ष

گی اور جب ضرورت اس صندوق

के हो निकाल दिये जावेंगे

میں سے روپیہ واسطے چلو خراج

और जो रुपया पांच सौ से ज़-

के ہونگال دیئے جاوینگے اور

यादह होवे वह ररव दिया

جو روپیہ پانسو سے زیادہ ہوگا

जावेगा लेकिन बड़े यानी

وہ رکھ دیا جاوے گا لیکن بڑے

दो ताले के संदूक में रुपया

یعنی دو تالے کے صندوق میں

पर सैंकडे रकवे जावेंगे और

روپیہ پورے سینکڑہ رکھے

पर नम्बर सदर से लग कर आया  
 या हो जमा रोजना मन्चा में न कि  
 या जावे -

चिन्नी हुनी के बस प्रमुख सदर से  
 लक कर आया हो मज रोजना मज में न कि  
 जावे -

१३  
 अफसर खजाना को चाहिये कि ज.  
 यादा रुपया खजाने में इकट्ठा न होने देवे  
 अगर मुअ्तबिर साहिब जायदाद की हुं  
 डी दीकानेर की विलात गने हुंडावन के  
 मिले तो जिस तिक्के का रुपया हो उसी  
 तिक्के की हुंडी दस रोज तक की मिला  
 रकी खरीद कर सदर में भेज देवे अगर  
 हुंडी इस मुवाफिक न मिल सके तो  
 रुपया नकद सदर में जाब्तो के साथ  
 भेज देवे - और जहां तक मंजूरी  
 केंसल हो उस तादाद तक हुंडी  
 नी जावेगी -

अफसर खजाने को चाहे है कि रुपया  
 खजाने में अकट्ठा न होने देवे  
 अगर मुअ्तबिर साहिब जायदाद की हुं  
 डी दीकानेर की विलात गने हुंडावन के  
 मिले तो जिस तिक्के का रुपया हो उसी  
 तिक्के की हुंडी दस रोज तक की मिला  
 रकी खरीद कर सदर में भेज देवे अगर  
 हुंडी इस मुवाफिक न मिल सके तो  
 रुपया नकद सदर में जाब्तो के साथ  
 भेज देवे - और जहां तक मंजूरी  
 केंसल हो उस तादाद तक हुंडी  
 नी जावेगी -

وقفه  
 ۱۳

नोट  
 ...

...  
 ...

تو ہے تب تک رسید کی کتاب

سال گزشتہ کی جاری کی

اور چھوٹے سال کے لئے

کتاب رسید کی جاری

اور پچھلے سال کی رسید

میں مئی جس روز روپیہ

ہو لیا گیا ہو لکھی جاوے لیکن

ہوا لا چیت بد ماوس

یا پچھلے سالوں کا لکھی

یا کریں —

دکان یہ رسید کی کتاب چھ مہینے

۹۲

کے رسید کے اندازہ کی تھیں

میں موجود رہی جاوے جب

اس اندازہ سے رسید

کے فارم کم ریجا وین کو رپوٹ

کر کے صدر سے منگوا لیا دی

اور کوئی روپیہ ملاوٹے

ہے تب تک رسید کی کتاب

یہ سال گزشتہ کی جاری کی

یا و سے اور چھوٹے سال کے لئے

کتاب رسید کی جاری

لیجا و سے اور پچھلے سال کی رسید

میں مئی جس روز روپیہ

لکھی جاوے لیکن

اس میں حوالہ چیت بد ماوس

سے لکھی سالوں کا لکھی

کریں —

یہ رسید کی کتاب چھ مہینے

کے خرچ کے اندازہ کی تھیں

میں موجود رہی جاوے جب

اس اندازہ سے رسید

کے فارم کم ریجا وین کو رپوٹ

کر کے صدر سے منگوا لیا دی

اور کوئی روپیہ ملاوٹے

हालात निरखनेके लिये जगहरखा	हो गे और उसके حالات लिखने
ती छोड़ी जावेगी उनकी खाना	के लिये जगह ताली जेठोरी जा
पुरी ही शायरी के साथ दोनों प-	अन्की खाने पुरी हो शायरी के
इतों में बराबर की जावे -	साथे दो नोपुत्र नोन में प्रकिया दो
नम्बर रसीद सिलसिले वार सालाना	नम्बर रसीद सिलसिले वार सालाना -
नाम तहसील - सम्बल व मिति -	नाम तहसील - سمت و मिति -
नाम व नम्बर सीगा व पट्टे के सी-	नाम व नम्बर सीगा व पट्टे के सी-
गा के नाम व नम्बर - नाम जिसके	के नाम व नम्बर - नाम जिसके
हाथ रुपया जमा कराया गया व प्रा-	रुपये में جمع कराया गया व आखरी नाम
खिर में नाम लाने वाले रुपये का - दस्तखत	लाने वाला रुपया - दस्तखत
खजानची यानी गुमाश्ता तहसील का	बिगै लाने तहसील का - दस्तखत
दस्तखत प्रफूसर खजाना यानी तहसील का	अफसराने बिगै तहसील का
दफ्तर वाजह हो कि चैत सुदी १ को साल	दफ्तर वाजह हो कि चैत सुदी १ को साल
१९	१९
शुद्ध और चैत बदमावस को	साल शुरू और चैत बदमावस को
साल खतम होता है साल अखीर	को साल खतम होता है साल अखीर
पर १५ फौज तक मिति व मजिब	पर १५ फौज तक मिति व मजिब
दफ्तर ३२ के खुली रखनी जात	दफ्तर ३२ के खुली रखनी जात





نمبر یا نام تہریر نہ ہو دے یا اس

نمبر یا نام تہریر نہ ہو دے یا اس

نمبر یا نام تہریر نہ ہو دے یا اس

نمبر یا نام تہریر نہ ہو دے یا اس

نمبر یا نام تہریر نہ ہو دے یا اس

نمبر یا نام تہریر نہ ہو دے یا اس

نمبر یا نام تہریر نہ ہو دے یا اس

نمبر یا نام تہریر نہ ہو دے یا اس

نمبر یا نام تہریر نہ ہو دے یا اس

نمبر یا نام تہریر نہ ہو دے یا اس

نمبر یا نام تہریر نہ ہو دے یا اس

نمبر یا نام تہریر نہ ہو دے یا اس

نمبر یا نام تہریر نہ ہو دے یا اس

نمبر یا نام تہریر نہ ہو دے یا اس

نمبر یا نام تہریر نہ ہو دے یا اس

نمبر یا نام تہریر نہ ہو دے یا اس

نمبر یا نام تہریر نہ ہو دے یا اس

نمبر یا نام تہریر نہ ہو دے یا اس

نمبر یا نام تہریر نہ ہو دے یا اس

نمبر یا نام تہریر نہ ہو دے یا اس

نمبر یا نام تہریر نہ ہو دے یا اس

نمبر یا نام تہریر نہ ہو دے یا اس

نمبر یا نام تہریر نہ ہو دے یا اس

نمبر یا نام تہریر نہ ہو دے یا اس

نمبر یا نام تہریر نہ ہو دے یا اس

نمبر یا نام تہریر نہ ہو دے یا اس

نمبر یا نام تہریر نہ ہو دے یا اس

نمبر یا نام تہریر نہ ہو دے یا اس

نمبر یا نام تہریر نہ ہو دے یا اس

نمبر یا نام تہریر نہ ہو دے یا اس

نمبر یا نام تہریر نہ ہو دے یا اس

نمبر یا نام تہریر نہ ہو دے یا اس

\*  
رہ جان کی تہریر کو چاہیے کہ جو

کوئی جرمنی کے رہ جان کو تہریر کے

باغ کی نل ستامی کے جما کیا جا

وہ اس کی رسید دوپڑی

کی کتاب میں نمبر وار تیار

کر کے دوسری پڑت اسکی جمع

کنندہ زر مذکور کو دیدیا کرے

او اول پڑت جس قدر ایک مہینے

تہریر کی بارے وہ ہمراہ حساب

نہ ہوا رہی کے عدد کو بھیج دیا

بموجب نمبر کے کے

کرے بموجیب نمبر کے کے

کارر داری کی جانی -

کارر داری کی جانی -

کارر داری کی جانی -

کارر داری کی جانی -

کارر داری کی جانی -

کارر داری کی جانی -

\*  
۷

بموجب نمبر کے کے



دستور اس میں کوئی ترمیم یا ترمیم

دفعہ ۵

تیسری بار اسمبلی میں کسی ایک یا دو اراکین کی درخواست پر

کمیٹی کی پیشگی رپورٹ کے ساتھ

دستور میں کوئی تبدیلی کی جائے گی

اور اس کے ساتھ

دستور میں کوئی تبدیلی کی جائے گی

اور اس کے ساتھ

دستور میں کوئی تبدیلی کی جائے گی

اور اس کے ساتھ

دستور میں کوئی تبدیلی کی جائے گی

اور اس کے ساتھ

دستور میں کوئی تبدیلی کی جائے گی

اور اس کے ساتھ

دستور میں کوئی تبدیلی کی جائے گی

اور اس کے ساتھ

دستور میں کوئی تبدیلی کی جائے گی

اور اس کے ساتھ

دستور میں کوئی تبدیلی کی جائے گی

اور اس کے ساتھ

دستور میں کوئی تبدیلی کی جائے گی

دفعہ ۶

دستور میں کوئی تبدیلی کی جائے گی

اور اس کے ساتھ

دستور میں کوئی تبدیلی کی جائے گی

اور اس کے ساتھ

دستور میں کوئی تبدیلی کی جائے گی

اور اس کے ساتھ

دستور میں کوئی تبدیلی کی جائے گی

اور اس کے ساتھ

دستور میں کوئی تبدیلی کی جائے گی

اور اس کے ساتھ

دستور میں کوئی تبدیلی کی جائے گی

دفعہ ۷

या नायबतहसीलदार या किसी और शाख

से है जिसको चार जतहसीलका बहुकम म-

दकमैरे जंती कोसलके दिया जावे -

२- खजानची से मुराद गुमाशता तहसील या

किसी दूसरे शाखमसे है जिसकी मुपु देगीमें

खजानाना तहसीलका बहुकन महकमैरे -

जंती कोसलके रक्बा जाव -

३- हिस्साते मुराद इस दस्तूरुलअमल

के हिस्सा की है -

४- दफअते मुराद इस दस्तूरुलअमल

की दफअ की है -

दफअ तमाम बहुअहकाम जो मुतअल्लिक कार-

४

खदिहिताबतहसीलातके पहले जारी कि

येगए हों और खिलाफ इस दस्तूर

लअमलके हो वह तारीख जारी

होने इस दस्तूरुलअमलते मसूरव

समके जावेगे -

یا نايب تحصیلدار یا کسی اور شخص سے

ہے جسکو چارج تحصیل کا بحکم محکمہ

کونسل کے دیا جاوے۔ -

۲- خزانچی سے مراد گائشہ تحصیل

یا کسی دوسرے شخص سے ہے جسکی

سپردگی میں خزانہ تحصیل کا بحکم محکمہ

رہنسی کونسل کے رکھا جاوے۔ -

۳- حصہ سے مراد اس دستور العمل

کے حصہ کی ہے -

۴- دفعہ سے مراد اس دستور العمل

کی دفعہ کی ہے -

تمامہ احکام جو متعلق کارروائی

حساب تحصیلات کے پہلے جاری

کئے گئے ہوں اور خلاف اس

دستور العمل کے ہو وہ تاریخ

جاری ہونے اس دستور العمل

سے منسوخ سمجھے جاوین گے

دفعہ ۴

دے کے کارر بارے میں جاننا دیکھ کر ہندی وغیرہ کی

کارروائی خزانہ و دفتر ہندی وغیرہ کی

کی تہذیب کی جانے گی کیوں کہ ریاضت خانہ

تعمیر کی جاوے گی کیونکہ ریاضت خانہ میں

میں یہ سبھی متعلقہ حساب کے ہیں اور

صیغے متعلقہ حساب کے ہیں اور

میں تہذیب سے پہلے بھی ایسے قاعدہ کا

نظام سے پہلے بھی ایسے قاعدہ کا

میں یا درداشت کارر بارے میں حساب

نام یا درداشت کارروائی حساب

کا یا درداشت کارر بارے میں حساب

زبان کیا تھا اس لئے اس کا نام بھی

تہذیب کا نام ہے اور اس کے تحت

محمد حساب یعنی سبکیا نہیں کہا جاتا

کا یا درداشت کارر بارے میں حساب

ہے اور حصہ اول متعلقہ حساب کا

کا یا درداشت کارر بارے میں حساب

تعمیرات کا سب سے پہلے ہی

سودا ۱۹ بار سہ ماہی ۱۹۲۵ء میں

بار سوم ۱۹۲۶ء میں سابق تاریخ

تاریخ ۱۹۲۶ء میں ۱۹۲۵ء میں

۱۹۲۶ء سے کچھ تعمیرات

تعمیرات میں جاری کی جا رہی ہیں۔

ہذا میں جاری کیا جاوے گا۔

میں تہذیب کے تحت

حصہ اول دستور العمل ہذا میں

میں تہذیب کے تحت

کئی عبارت میں آج سے جو نو

میں تہذیب کے تحت

نہیں لکھے ہوئے ہیں اور غرض

میں تہذیب کے تحت

سب نوٹیں مندرجہ ذیل ہو گئے۔

دفعہ ۳

۱- ...

दस्तूरुलअमलमहकमैहिसाब

राजश्रीवीरगनेर

हिस्साअवलगतप्रल्लिकैहिसाब

वकितावतहसीलात

दफ्त सन्वत् १२४२ में जो याददा प्रतकार रवाई

९

महकमै हिसाबकी तय्यारकी गई औरफि

रवहयाददाप्रत महकमै मालके दस्तूरु

लअमलके शामिलउसी सन्वत्में रूपवाक

रजारीकी गई उसमें निस्वत्काररवाई हि-

सावतहसीलातके लिरवा गया थालेकिन

उसमें हिदायत ताफतौरसे नहीं लिरवीग

ई और बादमें उसमें कमीवेशी भी की गई

इसलिये हिस्साअवलदस्तूरुलअमल

हज्जा वावत तरती बहसावतहसीलात

के हस्यजैल जारी किया जाता है -

दफ्त इत दस्तूरुलअमल में अलावद् जमा र

دستور العمل محکمہ حساب راج

سرری سیکانیر

حصہ اول متعلقہ حساب و کتاب

تخصیلات

سنت ۱۹۴۲ میں جو یادداشت کارروائی

محکمہ حساب کی طیارگی گئی اور پچھڑہ

یادداشت محکمہ مال کے دستور العمل

کے شامل اسی سمت میں چھپو کر جاری

کی گئی اس میں نسبت کارروائی حساب

تخصیلات کے لکھا گیا تھا لیکن اس میں

ہدایت صاف طور سے نہیں لکھی گئی

اور بعد میں اس میں کمی بیشی بھی کی گئی

اس کے حصہ اول دستور العمل ہدایت

ترتیب حساب تخصیلات کے حسب

ذیل جاری کیا جاتا ہے -

اس دستور العمل میں غلطیوں سے بچنے کے









دستور العمل محکمہ حساب راج سری کانر

# حصہ اول

متعلقہ حساب و کتاب تحصیلات

۱۹۱۹ء

دستور العمل محکمہ حساب راج سری کانر

## ہیستہ اول



موتی لکھنؤ کے حساب و کتاب تہ سہ لاکھ

سہ ماہ ۱۹۱۹ء

موتی لکھنؤ کے حساب و کتاب تہ سہ لاکھ

موتی لکھنؤ کے حساب و کتاب تہ سہ لاکھ

